त्रयोदश माला, खंड 3, अंक 18

बुधवार, 22 दिसम्बर, 1999
1 पौष, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 3 में अंक 11 से 19 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 60
Date 24/11/2000

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1999/1921 (शक)]

अंक 18, बुधवार, 22 दिसम्बर, 1999/1 पौष, 1921 (शक)

विषय	कालम
निधन सम्बन्धी उल्लेख...	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 341, 343, 344 और 346	3–29
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 342, 345 और 347 से 360	30–57
अतारांकित प्रश्न संख्या 3404 से 3583	57–407
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2...	407–408
सभा पटल पर रखे गए पत्र	409–426
कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव...	426
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
संसदीय शिष्टाचार के पालन के बारे में...	428–429
भारतीय वायुसेना के विमानों, विशेषत: मिग विमानों की दुर्घटनाओं में वृद्धि के बारे में...	437–442
सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण के मानकों में ढील किए जाने के बारे में...	443–445
गुजरात के सूरत जिले में हलमोदी गांव में मंदिर के शिलान्यास से उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव के बारे में...	445–449
नियम 377 के अधीन मामले...	459–456
(एक) राजस्थान के पाली जिले में बड़बिलारा रेल लाइन का कार्य शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री पुष्प जैन	449
(दो) गुजरात में दमनगंगा नदी और उसके आस-पास के क्षेत्र को विष-विहीन करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.एस. गढ़वी	450

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(तीन)	महाराष्ट्र के इरन्दोल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में बेहतर डाक सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील	451
(चार)	बिहार में पटना और सोनपुर के बीच गंगा नदी पर रेल पुल के निर्माण को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजीव प्रताप रूडी	451
(पांच)	विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से बिहार में नलकूप लगाने के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजो सिंह	452
(छह)	उत्तर प्रदेश में कानपुर में गंगा बैराज का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	452
(सात)	तमिलनाडु में नागपट्टिनम जिले के गांव सातनगुढ़ी में "राजीव गांधी सेन्टर ऑफ एक्वाकल्चर" स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री मणि शंकर अय्यर	452
(आठ)	पश्चिम बंगाल में बक्सीरहाट, गोलकगंज, गौरीपुर, धुबड़ी और बेलासपाड़ा होते हुए न्यू मैनागुड़ी और जोगीखोपा के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती मीनाती सेन	453
(नौ)	आन्ध्र प्रदेश में विजाग और किरनदल के बीच एक और शटल रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता	
	श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	454
(दस)	कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से महाराष्ट्र में एजेंसियों द्वारा रूमूची कपास की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्रकांत खैरे	454
(ग्यारह)	उड़ीसा में विशेषत: भद्रक और बालासौर जिलों में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री अर्जुन सेठी	454
(बारह)	सबरीमाला पूजास्थल के चहुंमुखी विकास के लिए सौ हेक्टेयर वन भूमि दिए जाने संबंधी केरल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री के. फ्रांसिस जार्ज	455

विषय	कालम
प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक...	456–479
विचार करने के लिए प्रस्ताव	456
डा. मुरली मनोहर जोशी	456, 472
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल	458
श्री अनादि साहू	459
श्री स्वदेश चक्रवर्ती	462
श्री पी.एच. पांडियन	465
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	468
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	469
खंड 2 से 7 और 1	478
पारित करने के लिए प्रस्ताव	479
व्यापार चिह्न विधेयक...	479–502, 503–506, 507–518
विचार करने के लिए प्रस्ताव	479
श्री मुरासोली मारन	479
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	481
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	485
श्री बिक्रम केशरी देव	487
श्री त्रिलोचन कानूनगो	488
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	492
डा. बी.बी. रमैया	495
श्री रूपचन्द पाल	498
प्रो. एस.पी. सिंह बघेल	503
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील	507
श्री टी.एम. सेल्वागनपति	508
खंड 2 से 159 और 1	517
पारित करने के लिए प्रस्ताव	518
राज्य सभा से संदेश...	502

विषय	कालम
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
समाचार-पत्रों के श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों और समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी में संशोधन का अनंतिम प्रस्ताव	
डा. सत्यनारायण जटिया	506–507
भाल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) विधेयक	518–528
विचार करने के लिए प्रस्ताव	518
श्री मुरासोली मारन	518
श्री वरकला राधाकृष्णन	519
श्री पी.एच. पांडियन	521
श्री बिक्रम केशरी देव	523
श्री रूपचन्द पाल	524
श्री त्रिलोचन कानूनगो	525
खण्ड 2 से 87 और 1	528
पारित करने के लिए प्रस्ताव	528
पेटेंट (संशोधन) विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के लिए सभा की सहमति के बारे में प्रस्ताव	528–530
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक	530–544
विचार करने के लिए प्रस्ताव	530
श्री यशवंत सिन्हा	530
श्री मोइनुल हसन	532
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	534
श्री पी.एच. पांडियन	535
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	537
श्री नारायण दत्त तिवारी	540
खण्ड 2 से 25 और 1	544
पारित करने के लिए प्रस्ताव	544

लोक सभा

बुधवार, 22 दिसम्बर, 1999/1 पौष, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारे पूर्व सहयोगी, श्री जी.आई. पटेल के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री पटेल आठवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने 1984 से 1989 तक गुजरात के गांधी नगर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

श्री पटेल आवास वित्त क्षेत्र में अग्रणी संचालक थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के प्रारम्भ सातवें दशक में नगर पालिका विद्यालय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किया।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में श्री पटेल राज्य के अनेक संगठनों से जुड़े हुए थे। उन्होंने दलितों के कल्याण के लिए कार्य किया।

श्री जी.आई. पटेल का निधन 69 वर्ष की आयु में 8 दिसम्बर, 1999 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ।

हम इस मित्र के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे।)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 341

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री मुरली बोहरा की राजस्थान में हत्या हो गई है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे प्रश्न काल के बाद उठा सकते हैं। आप इसे 'शून्य काल' में उठाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्नकाल के पश्चात् अनुमति दूंगा और अब प्रश्न संख्या 341, डा. (श्रीमती) सुगुणा कुमारी।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सर, राजस्थान में श्री बोहरा जी की हत्या कर दी गई है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझिए कि आप इसे प्रश्न काल के बाद उठा सकते हैं। सभा का समय व्यर्थ न करें। कृपया इस बात को समझिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, वहां दंगा होने की सम्भावना है, वहां अशांति फैल गई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोहरा जी की राजस्थान में निर्मम हत्या हो गई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल महत्वपूर्ण है। इसलिए कृपया सभा का समय व्यर्थ न करें। डा. (श्रीमती) सुगुणा कुमारी।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप : मैं गुजरात की स्थिति के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक बात नहीं है। मैं आपको प्रश्नकाल के बाद समय दूंगा। मैं इस समय आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं। प्रश्न संख्या 341, डा. सुगुणा कुमारी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठिए। सभा का समय व्यर्थ मत कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको 'शून्य काल' में अनुमति दूंगा।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

यूरेनियम की आवश्यकता

*341. **डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे दस परमाणु रिऐक्टरों के लिए न्यूनतम कितने यूरेनियम की आवश्यकता होती है;

(ख) भारतीय यूरेनियम निगम द्वारा मांग की तुलना में कितने यूरेनियम की आपूर्ति की जा रही है; और

(ग) यूरेनियम के भंडार को फिर से भरने और यूरेनियम की संभावित कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) दाबित भारी पानी रिएक्टर (पी.एच.डब्ल्यू.आर.) प्रौद्योगिकी पर आधारित आठ परिचालनरत रिएक्टरों के लिए प्राकृतिक मौजूदा वार्षिक आवश्यकता करीबन 250 मीटरी टन है। बायलिंग वाटर रिएक्टर (बी.डब्ल्यू.आर.) प्रौद्योगिकी पर आधारित दो परिचालनरत रिएक्टरों में आयात किया गया समृद्ध यूरेनियम उपयोग में लाया जाता है।

(ख) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यू.सी.आई.एल.) प्राकृतिक यूरेनियम की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करता आ रहा है।

(ग) उपलब्ध स्टाक और उत्पादन के स्तर को ध्यान में रखते हुए, कार्यरत परमाणु विद्युत संयंत्रों को यूरेनियम की कमी होने का कोई राष्ट्रीय खतरा नहीं है।

डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहती हूं कि यूरेनियम अत्यंत मूल्यवान धातु है। विकासशील और पारंपरिक रूप से धनी देश, जिनके पास यूरेनियम भण्डारों की प्रचुरता है और ऐसे देश जिनके पास विद्युत शक्ति की कमी है, वहां पर नाभिकीय ऊर्जा सबसे सस्ती है। ताप विद्युत का उत्पादन सबसे ज्यादा महंगा है। उत्पादन लागत के मामले में ताप विद्युत के बाद जल विद्युत आती है। इसीलिए, जैसाकि मैं पहले कह चुकी हूं, नाभिकीय विद्युत सबसे सस्ती पड़ती है। प्रदूषण से भी यह तब तक मुक्त है जब तक कि चेरनोबिल जैसी दुर्घटना न हो। मेरा अनुमान है कि भविष्य में कारगर सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करते हुए भारत को नाभिकीय विद्युत पर निर्भर रहना पड़ सकता है।

इसीलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं क्या यह बात सही नहीं है कि भारत-बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए यूरेनियम की तस्करी होती है। कितने मामलों में दण्ड दिया गया है? रोकथाम के लिए किन उपायों पर विचार किया गया है?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मुझे लगता है कि यह प्रश्न की परिधि में नहीं आता है। इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले किसी भी विषय के संबंध में माननीय सदस्या को उत्तर देने में मुझे प्रसन्नता होगी।

डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : भण्डारण स्थानों से नाभिकीय विकीरण के रिसाव को रोकने के लिए कौन-से सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं या किए गए हैं। मैं जानना चाहती हूं क्या उनका कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में विकीरण के स्वीकार्य स्तर से अधिक विकीरण के कितने मामले दर्ज किए गए हैं। मैं एक बात और जानना चाहती हूं। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्थित नाभिकीय ईंधन परिसर में विकीरण की क्या कोई समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : डा. सुगुणा कुमारी, मेरे विचार से प्रश्न यूरेनियम की आवश्यकता के बारे में है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगी। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि यह भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड है, जिसका गठन 1967 में किया गया था और जोकि इस विभाग के अन्तर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जोकि नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम और अनुसंधान के लिए आवश्यक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला एकमात्र उत्पादक है।

चोरी की समस्या उत्पन्न हुई थी। इसकी जांच की गई थी और यह गलत पायी गई थी क्योंकि यूरेनियम के हर ग्राम का हिसाब रखा जाता है और यह कड़े सर्वेक्षण के अन्तर्गत है।

जहां तक स्वास्थ्य संबंधी खतरे का संबंध है, यह 'टेलिंग' तालाबों से होने वाले स्राव से था। लोग कहते हैं कि इससे जलजीव संक्रमित होते हैं। ऐसी बात नहीं है। जहां तक 'रैफिनेट केक' का संबंध है, जिसे हैदराबाद में एन.एफ.सी. से वापस लाया जा रहा है, इस संबंध में शायद यह माना जा रहा है कि इसे 'डम्पिंग ग्राउण्ड' बनाया जा रहा है। यह वापस आ रहा है। परन्तु यह पुन: संस्करण के लिए वापस आ रहा है।

जहां तक स्वास्थ्य के लिए खतरे के आरोप का प्रश्न है, इसकी जांच बी.ए.आर.सी., टाटा मुख्य अस्पताल, जमशेदपुर के विशेषज्ञों और डाक्टरों के दल द्वारा और राज्य सरकार के अपने डाक्टरों द्वारा की जा रही है। उन्होंने आम सहमति से कहा है कि देखे गए रोगों का संबंध यू.सी.आई.एल. के प्रचालन से संबंधित नहीं है। वहां पर स्थापना के समय से ही नियमित रूप से अनुवीक्षण प्रणाली मौजूद है। बी.ए.आर.सी. की स्वास्थ्य भौतिकी इकाई, जोकि यू.सी.आई.एल. से अलग स्वतंत्र है, के द्वारा इन सभी मानदण्डों की नियमित रूप से जांच की जाती है।

श्री पी.आर. किन्डिया : महोदय, मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मेघालय में डोमिया सिएट नामक स्थान पर, जोकि खारी हिल्स में आता है और जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, यूरेनियम आधारित खनिजों की खोज और खनन का कार्य चल रहा है। अब वहां पर खोज की प्रगति धीमी पड़ी है। परन्तु वहां पर आजकल यूरेनियम आधारित खनिजों, जिसे 'येलो केक्स' के नाम से जाना जाता है, का अवैध खनन चल रहा है। इन 'येलो केक्स' का आई.एस.आई. की छत्रछाया में बांग्लादेश के माध्यम से निर्यात किया जा रहा है और इनकी तस्करी की जा रही है और यह पाकिस्तान और मध्य पूर्व देशों के हाथों में जा रहा है। इसका पता कुछ समय पहले लगा था। काफी मात्रा में 'येलो केक्स' पकड़े भी गए थे। परन्तु अभी भी आसानी से तस्करी हो रही है। मैं जानना चाहता हूं क्या मंत्री महोदय इस तस्करी के बारे में जानते हैं और साथ ही इस बात से भी अवगत है कि खोज कार्य की गति धीमी पड़ रही है।

श्रीमती वसुंधरा राजे : हम आने वाले वर्षों में नाभिकीय विद्युत निगम के लिए यूरेनियम की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरी करने की प्रक्रिया में हैं। अन्वेषण और अनुसंधान के लिए आणविक खनिज निदेशालय नए यूरेनियम भण्डारों की खोज कर रहा है और संभावनाओं का पता लग रहा है। इनमें से एक वह है जिसका उल्लेख अभी माननीय सदस्य ने किया है जोकि मेघालय में डोमिय सिएट में है। परन्तु केवल आरम्भिक सम्भाव्यता रिपोर्ट को तैयार किया गया है।

यू.सी.आई.एल. द्वारा व्यावसायिक खोज निकट भविष्य में आरम्भ हो सकती है। ये शुरू नहीं हुई है।

श्री अर्जुन सेठी : अध्यक्ष महोदय, इन रिएक्टरों को चलाने और यूरेनियम के उत्पादन के लिए भारी जल अत्यावश्यक है। पहले कभी उड़ीसा राज्य में तालचेर में एक भारी जल संयंत्र हुआ करता था। आजकल पास के यूरिया संयंत्र के बन्द हो जाने के कारण इसे भी बन्द कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं क्या तालचेर के भारी जल संयंत्र के बन्द होने से देश में यूरेनियम का उत्पादन तो प्रभावित नहीं हुआ है। यदि हां, तो मैं यह भी जानना चाहूंगा क्या इस भारी जल संयंत्र को निकट भविष्य में फिर से चलाया जाएगा।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, यह एक विशेष प्रश्न है। मैं बाद में माननीय सदस्य महोदय को सूचना उपलब्ध करा दूंगी।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार में यूरेनियम का बहुत बड़ा भण्डार है। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में यूरेनियम का कितना उत्पादन होता है और कितनी जगह ऐसी है जिसका अभी तक सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुंधरा राजे : महोदय, इस समय बिहार में जादुगुडा, बाटिन और नखा पहार में तीन भूमिगत खानों में कार्य चल रहा है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड से प्राप्त 'कॉपर टेलिंग' से यूरेनियम को प्राप्त करने के लिए जादुगुड़ा में एक यूरेनियम मिल और मोसबुली और राखा में दो संयंत्र हैं। कम्पनी उप उत्पादों, जोकि कापर कांसेंट्रेट्स मोलिबडेनम और मैंगनेटाइट है, को प्राप्त करने के लिए भी एक संयंत्र चला रही है।

डा. वी. सरोजा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर में यह बताया गया कि 'बॉयलिंग वॉटर रिएक्टर' प्रौद्योगिकी पर आधारित चल रहे दो रिएक्टर आयातित संवर्धित यूरेनियम को प्रयोग में ला रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि हम अमरीका, फ्रांस, कनाडा और चीन से संवर्धित यूरेनियम का आयात कर रहे हैं। यदि हां, तो मैं तत्संबंधी ब्यौरा जानना चाहता हूं। तो क्या हमने इन देशों के साथ कोई समझौता किया है कि वे हमें एक निर्धारित अवधि तक संवर्धित यूरेनियम की लगातार आपूर्ति करते रहेंगे?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, माननीय सदस्य महोदय तारापुर स्थित 'बायलिंग वाटर रिएक्टर' इकाइयों के बारे में बात कर रहे हैं। तारापुर स्थित इन दो इकाइयों की ईंधन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संवर्धित यूरेनियम की आपूर्ति आरम्भ में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा की जाती थी और फिर बाद में इसे फ्रांस और चीन से आयात किया जाने लगा था। उपलब्ध भण्डार और उपभोग की दर को ध्यान में रखकर आवश्यकता के अनुसार आयात के लिए वार्ता की जाएगी। इस ईंधन को नाभिकीय ईंधन परिसर में भी तैयार किया जाता है और यहां पर्याप्त उत्पादन क्षमता है। यहां पर यह विचार भी है कि एम.ओ.एक्स. जोकि मिश्रित आक्साइड ईंधन है, को उपयोग में लाने का प्रयास किया जाये जिससे संवर्धित यूरेनियम के आयात पर हमारी निर्भरता को कम किया जा सके। हम 'लाइट वाटर' रिएक्टरों को भी स्थापित करने वाले है जिन्हें कूदांकुलम में लगाया जाना प्रस्तावित है और इन्हें रूस की सहायता से स्थापित किया जाएगा। आरम्भ में इसकी आपूर्ति रूस द्वारा की जाएगी और फिर हम इस ईंधन को तैयार करने की स्वदेशी सुविधा स्थापित कर लेंगे।

डा. मन्दा जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यन से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि मेघालय, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में यूरेनियम भण्डार पाये गए हैं और उनकी गुणवत्ता बिहार के जादुगुडा में प्राप्त भण्डारों से बेहतर है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि यूरेनियम प्राप्ति की संभावना वाले क्षेत्रों में खोज कार्य को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि पहले ही यूरेनियम की कमी है और इसका कुछ भाग अन्य देशों को तस्करी के द्वारा भेजा जा रहा है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, इस समय हमारे पास काफी मात्रा में इसकी आपूर्ति और स्टॉक उपलब्ध है जहां तक उपलब्ध यूरेनियम के प्रकार का संबंध है जी हां, यह सत्य है कि यह पहले पाए गए भण्डारों में से बेहतर किस्म का है। हमारा ध्यान मेघालय में डोमियसिएट और बिहार में मोहुलदीन और बधजाता में खोज पर है। आन्ध्र प्रदेश में लम्बापुर और पेडागट्टू और मेघालय में वक्याम स्थानों पर सक्रिय खोज चल रही है। 1996 में कर्नाटक में गोगी में पर्याप्त भण्डारों का पता चला है और इस भण्डार की आगे खोज और उसकी मात्रा का अनुमान लगाने का कार्य प्रगति पर है।

अन्य रोचक बात यह पता चली है कि यूरेनियम की रासायनिक उत्पत्ति की संभावना है जो कि फासफोरिक एसिड में पाया गया है और जिसे कच्चे रॉक फास्फेट का उपयोग करते हुए उर्वरक संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है।

अभी-अभी मैंने वायलिंग वाटर रिएक्टर के बारे में भी उल्लेख किया है। अत: इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें नहीं लगता कि प्राकृतिक यूरेनियम की अभी कोई सम्भावना है जिसकी हैवी वाटर रिएक्टरों के संचालन के साथ-साथ भविष्य के लिए प्रस्तावित उन रिएक्टरों के लिए भी जरूरत होगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या-342 श्री अशोक ना. मोहोल— अनुपस्थित हैं। श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले भी उपस्थित नहीं हैं।

प्रतिबंधों को हटाया जाना

***343. श्री +अनंत गंगाराम गीते :**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी सीनेट में भारत पर गत वर्ष के परमाणु परीक्षण के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को स्थायी रूप से हटाने के लिए कोई विधान लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस अमरीकी प्रस्ताव का स्वागत किया है; और

(ग) प्रतिबंध हटाए जाने के बाद भारत-अमेरिका के साथ किस सीमा तक सहयोग हेतु सहमत है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी नहीं। इस समय अमरीकी सीनेट में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि अमरीकी कांग्रेस ने अमरीकी सीनेट और हाउस आफ रिप्रेन्जटेटिव दोनों के अनुमोदन के पश्चात् अक्तूबर, 1999 में रक्षा विनियोजन अधिनियम 2000 पारित किया है जो अमरीकी राष्ट्रपति को भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों के संबंध में छूट देने का प्राधिकार प्रदान करता है। इस छूट के प्राधिकार के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है।

(ख) सरकार इसे सही दिशा में लिया गया कदम मानती है। तथापि, सरकार यह मानती है कि सभी प्रतिबंध नकारात्मक हैं और इन्हें उठा लिया जाना चाहिए।

(ग) सरकार ने अमरीका के साथ संबंधों को हितों की पारस्परिकता के आधार पर व्यापक और गहन बनाने की इच्छा व्यक्त की है। व्यापार और निवेश, ऊर्जा और पर्यावरण विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा और संस्कृति जैसे कई क्षेत्रों में परस्पर लाभकारी सहयोग की संभावनाएं विद्यमान हैं। एक बार प्रतिबन्ध हटा लिए जाने पर ही इस प्रकार के सहयोग की पूर्ण संभावनाओं को हासिल करना संभव हो सकेगा।

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि इस समय अमरीकी सीनेट में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आपको इसे मेरे नहीं मंत्री जी के ध्यान में लाना होगा। मेरे माध्यम से आप मंत्री जी को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री गीते, क्या आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री अनन्तराम गंगाराम गीते : जी नहीं, महोदय।

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा): महोदय, अमरीका की सीनेट ने 48 राष्ट्रों के साथ मुक्त कपड़ा व्यापार करने का निर्णय किया है। इस संबंध में अमरीका द्वारा लगाई जा रही रोक और प्रतिबंधों में हमारे देश को किसी भी तरह सहायता नहीं मिल रही है। साथ ही यह अमरीकी सीनेट के निर्णय को प्रभावित कर रही है जो भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगा। अमरीकी सीनेट के इस निर्णय से लगभग 2.2 बिलियन डालर मूल्य का वस्त्र निर्यात प्रभावित हो रहा है। अमरीका के इस निर्णय से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस ओर तो उसने पिछले सप्ताह प्रतिबंध हटाए हैं और दूसरी ओर यह अफ्रीकी देशों को अमरीका में शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त आयात करने की अनुमति दे रही है। अत: हम प्रभावित होंगे। लगभग 2.2 बिलियन डालर मूल्य के तैयार वस्त्र का हमारा व्यापार प्रभावित होगा। क्या अमरीकी सीनेट के इस निर्णय का सामना करने के लिए सरकार की कोई योजना अथवा रणनीति है?

अध्यक्ष महोदय : यह तैयार वस्त्रों के निर्यात को प्रभावित कर रहा है।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, कपड़ा निर्यात के पहलू पूर्णत: भिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय विनियमों से शासित होते हैं।

अन्य पहलू कि क्या कोई रणनीति है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में सरकार ने हमेशा कहा कि अमरीका द्वारा भारत पर एकपक्षीय प्रतिबंध लगाए गए हैं जो अनुचित और उत्पादक विरोधी है।

जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था ने इन प्रतिबंधों के प्रभाव को सहने की क्षमता प्रदर्शित की है। निसन्देह अर्थव्यवस्था सन्तोषजनक दर पर बढ़ रही है। इस वर्ष सितम्बर में संयुक्त राष्ट्र अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग द्वारा भारत पर अमरीकी प्रतिबंधों के प्रभाव पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि भारत की समग्र अर्थव्यवस्था पर इन प्रतिबंधों का न्यूनतम प्रभाव पड़ा है।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, आज समाचार-पत्र में एक समाचार है कि अब अमरीका भारत के लिए न्यूनतम परमाणु निरोध रखने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस न्यूनतम परमाणु निरोधन के निर्धारण और पोखरण परीक्षण के पश्चात् संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा लगाए गए अनुचित प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में सं.रा.अ. के राष्ट्रपति के आगामी दौरे के साथ भारत सरकार की कोई संबद्धता है?

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, सुरक्षा का निर्धारण इसकी आवश्यकता ही सर्वोच्च कार्य है और केवल भारत सरकार ही निर्धारित करेगी कि न्यूनतम परमाणु निरोधक क्या है? भारत सरकार की स्थिति निश्चित और स्पष्ट है। यह सर्वोच्च कार्य है। हम निर्णय करेंगे कि सुरक्षा पहलू क्या है और हम निर्धारित करेंगे कि न्यूनतम परमाणु निरोधक क्या होंगे।

दूसरा पहलू अमरीकी राष्ट्रपति की प्रस्तावित यात्रा के बारे में है। हम ऐसा कोई संबंध स्थापित नहीं करते और किसी राजकीय यात्रा पर कोई ऐसी शर्त नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, माननीय विदेश मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि अमेरिका ने प्रतिबन्ध लगाये हैं और कड़ाई से प्रतिबन्ध लगा रहा है, माननीय विदेश मंत्री के कथनानुसार उसका आपकी अर्थव्यवस्था पर, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, नाममात्र प्रभाव हो या थोड़ा-बहुत हो, वह अलग बात है, लेकिन आपने इसका विरोध किस तरीके से किया है? क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाये हैं तो बहुत सारी विदेशी कम्पनियों के माध्यम से जो यहां पर हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से लूटा जा रहा है तो क्या अमेरिका की कम्पनियों पर आप प्रतिबन्ध लगाएंगे?

श्री जसवन्त सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इन प्रतिबन्धों का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही कम पड़ा है, यह अनुमान स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्टडी में स्थापित हो चुका है। उसके साथ-साथ जहां तक निजी कम्पनियों का सवाल है, उनका यहां व्यापार, धन्धा व प्रोडक्शन चल रहा है और वह अमेरिका के साथ ट्रेड सैंक्शंस के बावजूद बढ़ा है। प्रश्न का दूसरा पहलू है कि क्या भारत उन अमेरिकी कम्पनियों पर प्रतिबन्ध लगाएगा। माननीय सदस्य का यह एक सुझाव है, मैं कामर्स मिनिस्टर तक इस सुझाव को पहुंचा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध को बनाये रखने के बदले क्या भारत सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत है या नहीं।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई शर्तें नहीं हैं। भारत की सुरक्षा की चिन्ता एक सर्वोच्च कार्य है इस का निर्धारण अमरीका सहित किसी अन्य देश द्वारा नहीं किया जा सकता। परमाणु परीक्षण निषेध संधि एक पूर्णतः भिन्न पहलू है और इससे किसी भी तरह जुड़ा हुआ नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि पोखरण-2 के विस्फोट के बाद अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रतिबन्ध लगाये थे और बहुत सारी ऐसी संस्थाओं पर भी प्रतिबन्ध लगाये थे, जो परमाणु के क्षेत्र में अनुसंधान करती हैं। ऐसी संस्थाओं पर से अभी भी प्रतिबंध हटाये नहीं गये। सी.टी.बी.टी. के जो प्रावधान हैं, वे भेदभावपूर्ण तो हैं ही, दोहरी उपयोग की जो तकनीक है, उसके बारे में भी अमेरिका ने आज तक प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। हमारी सुरक्षा चिन्ताओं को, हमारा जो सिक्योरिटी पर्सेप्सन है, उसको आफिशियली आज तक कहीं भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा हमें परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र के रूप में भी कोई मान्यता अभी तक नहीं दी। उनके अपने देश की कांग्रेस ने ही सी.टी.बी.टी. को रेटिफाई नहीं किया है। इन सारी बातों के बावजूद अमेरिका निरंतर हमें उपदेश देता रहा है और दबाव डाल रहा है कि हम सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करें। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने के लिए जिस प्रकार का कंसेंसस बनाने का प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्या वह इस बात का द्योतक नहीं है कि हम अमेरिका के दबाव में अपने राष्ट्रीय हितों के विपरीत प्रयास कर रहे हैं और हस्ताक्षर करने जा रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही नहीं है। वैसे अपने आप में यह प्रश्न सैंक्शंन से जुड़ा नहीं है, किंतु मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी दबाव में कोई भी कार्यवाही न पहले हुई और न अब हो रही है। यदि दबाव का प्रश्न उठता, तो 1998 में परमाणु परीक्षण कैसे होता। साल-दो साल बाद अभी तक जो चल रहा है, यह दबाव में नहीं आने का द्योतक है, दबाव के नीचे का सूचक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, वास्तव में प्रतिबन्धों का प्रभाव हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा है जिसका अन्दाजा हमने भिन्न-भिन्न प्रकार से लगाया था। लोगों को शंका हो रही है कि उन्होंने प्रतिबंध क्यों लगाए थे और किसलिए वे इन्हें हटा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई गुप्त एजेण्डा है। यह केवल सी.टी.बी.टी. से संबंधित नहीं है लोग इस बारे में प्रश्न कर रहे हैं। कृपया इसे स्पष्ट करें कि क्या यह आवश्यक है कि भारत को सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करना होगा। मैं जानना चाहता हूं क्या इसके पीछे कोई गुप्त एजेण्डा है या वे अपनी ओर से प्रतिबन्धों को हटा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अमरीका का गुप्त एजेण्डा!

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मुझे माननीय सदस्य को यह बताने में कोई हर्ज नहीं है कि ऐसा कोई गुप्त एजेण्डा नहीं है। प्रतिबन्धों का लगाना एकतरफा कार्रवाई थी। हमने आरम्भ से ही बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि यह अन्यायपूर्ण है, यह अनुत्पादक है और इसको पूरी तरह से हटाए जाने से उपयुक्त वातावरण के निर्माण में सहायता मिलेगी। यदि अमरीका द्वारा प्रतिबंध हटाए जाते हैं, यदि अमरीका प्रतिबन्धों की बात छोड़ देता है तो यह अमरीका द्वारा सही दिशा में उठाया गया कदम होगा।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मेरे प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। मैं वही प्रश्न पूछ रही थी। मैं जानना चाहता हूं क्या यह व्यक्तिगत संबंध है जोकि मंत्री महोदय ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ निर्मित किए हैं या जो हम समझ रहे हैं उससे भिन्न कोई बात है क्योंकि अपनी ओर से प्रतिबन्धों को हटाया जाना हमें ऐसा लगता है कि यह किसी समझौते या आपसी समझदारी पर आधारित है जिसे अभी देश नहीं जान पाया है। क्योंकि मंत्री महोदय ने अभी आश्वस्त किया है कि प्रतिबन्धों को हटाए जाने के पीछे कोई गुप्त एजेण्डा नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है परन्तु मैं आशा करती हूं कि यही पूर्ण सत्य है और सत्य के सिवा और कुछ भी नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : मुझे माननीय सदस्या को उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है जोकि मेरी काफी लम्बे समय से मित्र हैं। फिर, महोदय, मुझे यह दोहराने की अनुमति दें कि कोई आपसी समझदारी या एजेण्डा नहीं है। दूसरी बात, एक सरकार से दूसरी सरकार के संबंध कभी भी निजी सौहार्दपूर्ण संबंधों या सौहार्दपूर्ण संबंधों के अभाव से नहीं बनते हैं। तीसरी बात जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि प्रतिबन्धों का लगाया जाना। जैसाकि हम स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि यह अनुचित है और अनुत्पादक है। यह एकतरफा कार्रवाई थी। यदि संयुक्त राज्य अमरीका वास्तविकता को देखता है और अनुत्पादक और नुकसानदेह कार्यवाही से परे हटता है तो यह निर्णय अमरीका का है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, माननीय मंत्री ने मि. स्ट्रोब टालबोट से नौ बार वार्त्ता की है। क्या मैं माननीय विदेश मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि मि. स्ट्रोब टालबोट के साथ हुई इन नौ दौरों की वार्त्ता में किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? मैं यह भी जानना चाहता हूं क्या संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण कुछ ताप विद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया पहला प्रश्न उठता ही नहीं है परन्तु मैं इसका उत्तर दे सकता हूं। यदि आप चाहते हैं मैं इसका उत्तर दूं तो मैं उत्तर दे सकता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : यह संगत प्रश्न है। यह प्रश्न से जुड़ा हुआ है।

श्री जसवंत सिंह : हमने चर्चा के लिए एजेण्डा रखा और चर्चा का व्यापक एजेण्डा वास्तव में परमाणु अप्रसार, निशस्त्रीकरण से जुड़े मुद्दे और भारत-अमरीकी संबंधों के विस्तार से संबंधित मुद्दों का था। दूसरा भाग इस बात से संबंधित है कि क्या प्रतिबंधों ने किसी विद्युत परियोजना को आंशिक रूप से प्रभावित किया है। तो मैं कहूंगा हां। तीसरी बात, इस बात को ध्यान में रखकर, संयुक्त राज्य अमरीका ने अपनी ओर से विद्युत क्षेत्र में अधिकाधिक सहयोग का प्रस्ताव किया है। इसके अनुसरण में उनके एनर्जी सेक्रेट्री ने भारत की यात्रा की और प्रस्ताव किया कि ऊर्जा क्षेत्र में, प्रतिबंधों के बावजूद भी, भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच अधिकाधिक सहयोग से कार्य किया जाएगा।

प्राकृतिक आपदाएं

***344. श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अधिकांश राज्य प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात, भूस्खलन और ओलावृष्टि प्रवण हैं जिनके कारण हर वर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने हेतु राष्ट्रीय स्तर का कोई तंत्र विकसित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

देश की अपनी भौगोलिक स्थिति और मौसम के कारण इसका अधिकांश भाग विभिन्न परिमाण में बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, ओलावृष्टि, भूस्खलन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है।

ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने तथा उनसे पर्याप्त रूप से निपटने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर संस्थागत प्रबंध पहले ही विद्यमान हैं। केवल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए कई योजना कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं तथा कई अन्य कार्यक्रमों में आपदा को कम करने के घटक शामिल हैं। इनमें बाढ़ नियंत्रण और मृदा संरक्षण स्कीमें, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरू भूमि विकास कार्यक्रम और पनधारा विकास कार्यक्रम शामिल हैं।

राहत कार्य अविलम्ब शुरू करने के लिए राष्ट्रीय आकस्मिक कार्य योजना अधिसूचित की गई है। राष्ट्रीय आकस्मिक कार्य योजना प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में केन्द्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न अभिकरणों द्वारा की जाने वाली अपेक्षित पहलों की पहचान करती है, प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है तथा प्रशासनिक तंत्र में बल बिन्दुओं को निर्धारित करता है।

आपदा-न्यूनीकरण, उससे निपटने की तैयारी तथा शमन के लिए राष्ट्रीय क्षमता में वृद्धि करने के लिए वर्ष 1993 से प्राकृतिक आपदा प्रबंध पर केन्द्रीय क्षेत्र की एक विशेष स्कीम भी क्रियान्वित की जा रही है। आपदा शमन हेतु वर्तमान तंत्र तथा देश में प्रतिक्रिया की समीक्षा करने तथा व्यापक आपदा प्रबंध योजना तैयार करने के लिए अगस्त, 1999 में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह: उपमहाद्वीप का लगभग 55 प्रतिशत भाग भूकम्प, 8 प्रतिशत भाग चक्रवातों और 5 प्रतिशत भाग बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। यदि हाँ, तो क्या इन क्षेत्रों में आपदा रोधी वातावरण का निर्माण करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमारे देश में इसका एक बड़ा जियोग्राफिकल साइज है। हिन्दुस्तान की जो क्लाइमेट है, इस स्थिति में हमें कई प्रकार की नेचुरल केलेमिटी का हर साल सामना करना पड़ता है। साइक्लोन, फ्लड, ड्राउट, अर्थक्वेक या लैंड्सस्लाइड हो, इस तरह के कई प्रकार के नेशनल डिजास्टर से हमें गुजरना पड़ता है। हमारे जो अलग-अलग एरियाज हैं, कोस्ट बेल्ट हैं, कई ऐसे इलाके हैं जो ड्राउट प्राउन एरियाज हैं, कुछ इलाकों में फ्लड आता है, इन सबसे मुकाबला करने के लिए अलग-अलग स्कीम राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं और फ्लड कंट्रोल मेजर्स लिये जाते हैं। ड्राउट प्राउन एरियाज के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं। लेकिन जहां तक अर्थक्वेक का सवाल है, इसके बारे में कोई पहले से वार्निंग नहीं हो सकती है। अर्थक्वेक के कारण लोग किस प्रकार के मकान बनाएं, इस बारे में सलाह दी जाती है। इसके अलावा इस सिलसिले में कुछ नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह: सबसे पहले, ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन की मानवीय और कार्यात्मक प्रतिबद्धताएं होनी चाहिए। दूसरी बात, सक्षम और तकनीकी रूप से प्रंभावी अग्रिम चेतावनी प्रणाली होनी चाहिए। यह सरकार का उत्तरदायित्व है। तीसरी बात, हमारे पास आपदा प्रबन्धन के लिए स्थायी संस्थाएं और तंत्र उपलब्ध होना चाहिए। अन्त में, जैसाकि हमारे पास युद्ध और संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन और प्रचालनात्मक प्रक्रियाओं के मानक स्तर हैं, भारत को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी प्रक्रियाओं और प्रचालनों का ब्यौरा रखने वाली व्यापक नीली या लाल पुस्तिका होनी चाहिए।

क्या मंत्री महोदय इन बातों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे?

श्री नीतीश कुमार: महोदय, इन्होंने जो मैकेनिज्म की बात कही है, यह मैकेनिज्म एगजिस्ट करता है। सेंट्रल लेवल पर नेशनल क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी है, जो केबिनेट सैक्रेट्री की अध्यक्षता में काम करती है। इसके अलावा क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप हैं, जो सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर की अध्यक्षता में काम करता है। रिलीफ

ऑपरेशन स्टेट सब्जैक्ट है, वहां भी इस तरह का क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप चीफ सैक्रेट्री की लीडरशिप में काम करता है। उनके रिलीफ कमिश्नर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उनका जो आफिस है, वह फोकल प्वाइंट होता है, जो सारी एक्टीविटीस को कोआर्डिनेट करता है। इसके अलावा जहां तक और मैकेनिज्म डेवलप करने की बात है, इसके संबंध में सरकार ने एक हाई पावर कमेटी जे.सी. पंत की अध्यक्षता में उनको सजेस्ट करने के लिए बनाई है, जो पहले एग्रीकल्चर सैक्रेट्री थे, कि ऐसी स्थिति में और क्या करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए। कई जगह पर रिलीफ चलाए जाते हैं, उनके कई कोड्स हैं।

सरकार ने भी कुछ गाइड-लाइंस दी हैं कि ऐसी परिस्थितियों में क्या और कहां करना चाहिए। इसके अलावा रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए हम लोगों की तरफ से सेंट्रल सैक्टर स्कीम है। उसके माध्यम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर इसके मामले में मदद दी जाती है कि वे अपने अधिकारियों को ट्रेंड करें कि ऐसे मौके पर क्विक रैस्पोन्स क्या होना चाहिए। कंटीजेंसी प्लान जो है वह सेंटर, स्टेट और जिला लेवल पर रहता है। जिस प्रकार की आपने चर्चा ब्ल्यू बुक और इसके बारे में कही, उसके हिसाब से उनके पास तैयारी रहती है। जैसे कहीं फ्लड से प्रभावित एरिया है तो कहीं सूखे से प्रभावित एरिया है। इन सबके लिए एक कंटिजेंसी प्लान उनका रहता है और भारत सरकार की तरफ से जो मदद होती है वह दी जाती है।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जब कभी भी बिहार में बाढ़ या कोई अन्य आपदा आती है तो सहायता उपलब्ध नहीं होती है। ये सभी संगम या सरकारी संगठन जोकि लोगों की सहायता के लिए बनाए गए हैं या लोगों की देखभाल के लिए हैं, वो मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार अपना अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे।

महोदया, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती श्यामा सिंह: यदि आम आदमी को उचित समय पर सहायता नहीं मिल पाती है तो इन सभी योजनाओं का क्या उपयोग है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक माननीय सदस्या ने बिहार के बारे में कहा है, इसका इलाज मार्च के महीने में वह निकाल सकती है।

[अनुवाद]

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: संयुक्त राष्ट्र ने इस दशक को ''अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा निवारण दशक' घोषित किया है और इसके साथ ही एक योजना बनी कि वर्ष 2000 ईस्वीं तक सभी देश अपनी विकास योजनाओं को ध्यान में रखकर प्राकृतिक संकटों के खतरों का एक व्यापक राष्ट्रीय आकलन करेंगे।

दूसरी बात, दीर्घावधि निवारण और तैयारी और सामुदायिक जागरूकता की राष्ट्रीय स्तर या स्थानीय स्तर पर एक 'समाधान', योजना होनी चाहिए।

तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय, भूमण्डलीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय चेतावनी प्रणालियों से तत्काल संपर्क और चेतावनियों का शीघ्र प्रसारण होना चाहिए।

माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि सरकार की एक राष्ट्रीय आकस्मिक योजना है जिसे सहायता कार्यक्रम चलाने के लिए अधिसूचित किया गया है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ—क्या राष्ट्रीय आकस्मिकता योजना संयुक्त राष्ट्र आपदा निवारण योजना के अनुसार बनी हुई है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: सर, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इंटरनेशनल डिकेट फार नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन मनाया गया है और उस सिलसिले में भारत ने भी अपना योगदान दिया है और भारत के अपने अनुभव हैं। जो-जो इनीशियेटिव्ज भारत ने लिये हैं उनकी प्रशंसा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। अगर माननीय सदस्या चाहेंगी तो इस संबंध में जो पेपर तैयार किया गया और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रखा गया है, उसकी प्रति हम उनको भिजवा देंगे, ताकि उनको इसकी जानकारी हो जाये।

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जब भी प्राकृतिक आपदा किसी प्रांत में घटित होती है, प्रांतीय सरकारें अपने-अपने राजस्व मैन्यूअल के अनुसार सहायता प्रदान करती हैं। लेकिन इस सहायता में विभिन्न प्रांतों में भिन्नता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति

की प्राकृतिक आपदा में मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रितों को किसी राज्य में 25 हजार रुपये, किसी राज्य में 50 हजार रुपये मिलते हैं। अगर उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है जो एक लाख भी मिलता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस बात पर विचार करेंगे कि केन्द्रीय स्तर पर कोई ऐसा मापदंड तय किया जाये कि प्राकृतिक आपदा तो प्राकृतिक आपदा है और जो भी लोग इससे प्रभावित हों, उनको सारे देश में समान रूप से राहत मिले।

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, राहत चलाना राज्य सरकारों का दायित्व है। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार मदद देती है। पहले मदद देने की एक दूसरी प्रक्रिया थी। नौवें वित्त आयोग के बाद आपदा सहायता कोष का निर्माण हुआ। दसवें वित्त आयोग ने उसमें और सुधार किया और नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड का निर्माण हुआ। रिलीफ चलाना राज्य सरकारों का काम है और उनके पास रिलीफ कोड होते हैं जिनके मुताबिक राज्य सरकारें काम करती हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी: माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक बात पूछ सकती हूँ? पश्चिम बंगाल में हाल ही में आयी बाढ़ और चक्रवात के बाद पश्चिम बंगाल ने कितनी धनराशि की मांग की और कितनी धनराशि भेजी गई है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल ने किस समय क्या मांगा और उसे कितना दिया गया, इसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी: आपने आधी धनराशि भी नहीं दी है। *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में पहले से मालूम होता है जैसे जल भराव और बाढ़। मेरे संसदीय क्षेत्र मछलीशहर में विगत चार वर्षों से जल भराव इतना अधिक हो गया कि बार-बार राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। किसान भुखमरी के कगार पर हैं। क्या मंत्री जी जौनपुर जनपद के मछलीशहर, बदलापुर तहसील और प्रतापगंज के जनपद पट्टी तहसील में कोई केन्द्रीय दल भेजेंगे जो देखे कि वहां किसानों की फसल नष्ट हो गई है। जल भराव के कारण गरीब किसानों के घर गिर गए। जो किसान भुखमरी के कगार पर खड़े हो गए, भविष्य में उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? यदि ऐसी प्राकृतिक आपदा कहीं आती है तो उसका क्या निराकरण है और क्या सहायता दी जाएगी?

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, अगर कहीं प्राकृतिक आपदा आती हैं तो उससे निपटने के उपाय हैं। इसके लिए किस स्थिति में क्या करना चाहिए, उसके लिए गाइडलाइन्स भी हैं। हर राज्य सरकार के पास कान्टीजैंसी प्लान है। वह उसके मुताबिक एक्ट करते हैं। भारत सरकार की तरफ से मदद दी जाती है। राज्य सरकार का कैलेमिटी रिलीफ फंड है। उसमें 75 परसेंट राशि भारत सरकार देती है और 25 परसेंट राशि राज्य सरकार देती है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: केन्द्र सरकार जो 75 परसैंट राशि देती है, उसका उपयोग हो रहा है या नहीं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार: माननीय सदस्यों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि राहत कार्य चलाना राज्य सरकार का विषय है। यहां से उसके लिए सहायता दी जाती है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: आप जो पैसा देते हैं, उसका यूटिलाइजेशन सही हो रहा है या नहीं, क्या आप इसे नहीं देखते?

श्री नीतीश कुमार: जहां तक टीम भेजने का सवाल है, अगर कोई आपदा इस ढंग की होती है और राज्य सरकार अतिरिक्त मदद चाहती है, वैसी स्थिति में वह भारत सरकार को एक मैमोरेंडम देती है। जब उनका मैमोरेंडम प्राप्त होता है, उसके बाद यहां केन्द्रीय दल गठित होता है। अगर उस मैमोरेंडम के आधार पर समझा जाए कि रेयर सैवेरिटी है या नेचुरल डिजैस्टर है तो उस हालत में यहां कमेटी कांस्टीट्यूट बनती है। वह वहां की स्थिति का आकलन करती है। उसके लौट कर आने पर विचार होता है। अन्ततोगत्वा जो मिनिस्ट्रियल ग्रुप होता है वह नेशनल कमेटी को रिकमैंड करता है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: मैंने पूछा था कि प्रतापगंज और जौनपुर केन्द्रीय टीम भेज रहे हैं या नहीं?

श्री नीतीश कुमार: यह वहां की राज्य सरकार से पूछिए।

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब कभी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं चाहे वो चक्रवात हो या सूखा या ओलावृष्टि हो, सरकार की प्रतिक्रिया कुछ समय के लिए होती है और फिर वो भूल जाते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान की मांग उठ रही है। मेरे विचार से उड़ीसा में आये चक्रवात के समय, माननीय रक्षा मंत्री ने समाचार-पत्रों में यह बयान भी दिया था कि भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान गठित करने पर विचार कर रही है। परन्तु माननीय मंत्री महोदय के उत्तर में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 1993 से है। शायद वे मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति का उल्लेख कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगस्त, 1999 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। शायद यह श्री जे.सी. पंत की अध्यक्षता में थी।

परन्तु इनसे इन विपदाओं का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है।

यह केवल तदर्थ व्यवस्था है। क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आकस्मिक योजना, दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अध्ययन और इससे जुड़ी सभी बातों के लिए एक स्थायी संस्थान होगा जोकि इन आपदाओं से निपटेगा?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने जिस जे.सी. पंत का जिक्र किया है, वे फार्मर एग्रीकल्चर सैक्रेटरी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनी है जो सजेस्ट करेंगे कि ऑल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या बेहतर प्लान बनाया जा सकता है, क्या मैकेनिज्म हो सकता है, इस कमेटी का गठन अगस्त, 1999 में किया गया है जो छह महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट देगी। सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है जिस पर सरकार अपना समुचित निर्णय लेगी। वह कमेटी स्पैसिफिक डिजास्टर्स के बारे में काम कर रही है, उनमें साइक्लोन, अर्थक्वेक, फ्लड्ज ड्राउट हैं।

[हिन्दी]

जिनके लिए सब ग्रुप बनाया है। उन पर डिटेल्ज में स्टडी हो रही है। इस पर एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है तथा कमेटी की रिकमेंडेशन्स का इंतजार है। जहाँ तक सैंट्रल सैक्टर का सवाल है। यह मुख्यत: मानव संसाधन विकास के लिए है। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्हें ट्रेंड किया जाता है। यहाँ पर नेशनल सैंटर फार डिजास्टर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सैट-अप किये गये हैं। इसके अलावा राज्यों ने जहां-जहां भेजा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो फैकल्टीज सैट-अप की गई हैं, उन्होंने 16 राज्यों को यहां से मदद दी है जो शतप्रतिशत मदद दी जाती है।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में (क) से (ग) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि भारत की भौगोलिक स्थिति और वातावरण इसे प्राकृतिक विपदाओं के लिए प्रहारसुलभ बनाती है। साथ ही, उन्होंने राहत कार्य का उल्लेख पैरा 2, 3 और 4 में किया है। इसलिए राहत पर ही अधिक बल दिया जाता है। अब उन्होंने एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया है। हमने उड़ीसा में आए चक्रवात पर हुई चर्चा के दौरान एक मांग रखी थी कि क्या कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार जो क्रमिक रूप से और चिरकाल से मौसम संबंधी प्राकृतिक आपदाओं और विनाश से प्रभावित होते हैं, को विशेष दर्जा देंगे—जैसे हिमालय राज्य या अनुसूचित सात राज्यों—जैसे कि आप जनजातीय विकास ब्लाक के लिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा राज्य, पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश, पिछले 35 सालों से, प्राकृतिक आपदाओं के शिकार होते रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वित्त आयोग और योजना आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों के अलावा क्या दीर्घकाल से प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और कोई कार्यक्रम बनाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो भी किया गया है। वह दसवें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया है। दसवें वित्त आयोग ने सिर्फ 700 करोड़ रुपये का नैशनल फंड क्रिएट किया था लेकिन उससे कहीं ज्यादा पैसा दिया जा चुका है।

श्री के.पी. सिंह देव: वहां 50 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, 5-7 सौ करोड़ से क्या होगा?

श्री नीतीश कुमार: आप पूरी बात तो सुनिये। यह बेसिकली रिलीफ के लिए होता है। जहां तक उड़ीसा का सवाल है और जिसका जिक्र आपने किया है, उसके लिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता

में एक हाई पावर टास्क फोर्स गठित की गई है जिस पर काम हो रहा है। उड़ीसा साइक्लोन रीकंस्ट्रक्शन हाई पावर अथारिटी गठित करने का उसने सुझाव दिया है। उस पर सरकार विचार कर रही है लेकिन इसके अलावा और ज्यादा जो कुछ भी किया जाना चाहिए, इस प्रकार क्रोनिकली इफैक्टिव एरियाज हैं, उसके बारे में यह मैंडेट है। जे.सी. पंत कमेटी को वह अपनी रिकमेडेशन्स 6 महीने के अंदर देगी जिसमें इन सब चीजों का जिक्र होगा और सरकार उस पर उचित निर्णय लेगी।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: अध्यक्ष महोदय, यह सवाल प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के बारे में है और उसी तक सीमित है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में अगस्त, 1998 में भूस्खलन आया जिसमें 100 से ज्यादा लोग मरे। फिर 1999 में भूकम्प आया जिसमें भी 100 से ज्यादा लोग मरे। आप भूकम्प या प्राकृतिक आपदा आने के बाद की बातें करते हैं, वह विवरण इसमें है। लेकिन आप इनके आने से पहले कार्यवाही करें तो नुकसान भी कम होगा और लोगों को जानकारी भी होगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें आपने इसका हल्के से वर्णन किया है—मिटीगेशन ऑफ डिजास्टर, तो क्या आप इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए प्री-डिजास्टर प्लान की कोई एक्टिविटी बनायेंगे, जिसमें भूस्खलन के बारे में, भू संरक्षण के बारे में लोगों को पूर्व सूचना दी जा सके। उड़ीसा में भी अगर ठीक से सूचना दी होती तो शायद नुकसान कम होता। जिस प्रकार से जे.सी. पंत कमेटी है, क्या आप इसी प्रकार की कोई कमेटी बनायेंगे जो प्री-डिजास्टर प्लान बनाये, ताकि लोगों को सूचना मिल सके और नुकसान भी कम हो।

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, जहां तक पहले से वार्निंग देने, एलर्ट करने का सवाल है, साइक्लोन के मामले में 48 घंटे पहले एलर्ट करते हैं और 24 घंटे पहले वार्निंग देते हैं। जहां तक उड़ीसा का इन्होंने जिक्र किया है, वहां समय से पहले एलर्ट किया गया था, समय से पहले वार्निंग दी गई थी। इस बारे में सदन में भी काफी चर्चा हो चुकी है। यहां वह सवाल नहीं है ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: आप साइल कंजर्वेशन के बारे में बोलिये, सिर्फ वार्निंग का सवाल नहीं है।

श्री नीतीश कुमार: जहां तक इनके प्रश्न का सवाल है कि जो जे.सी. पंत कमेटी है, उसका जो एक सब-ग्रुप है, खासकर आपने जो सवाल उठाया है, हम उन्हीं बिन्दुओं पर विचार कर रहे हैं।

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अखिलेश सिंह, कृपया समझिए कि यह वाद-विवाद नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा सिवाय श्री भूरिया के अनुपूरक प्रश्न के।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री अखिलेश सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह वाद-विवाद नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ आई है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी भयंकर बाढ़ आई है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये क्या है? कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया इस बात को समझिए कि मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: मध्य प्रदेश में लगभग 61785 हैक्टेअर में खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ, 27 लोग मारे गये, 654 जानवर मारे गये और 29168 मकान बाढ़ से तबाह हो गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए करीब 75.00 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है। क्या माननीय मंत्री जी ने उक्त राशि मध्य प्रदेश सरकार को उपलब्ध करा दी है। यदि नहीं कराई तो क्यों नहीं कराई?

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से वहां भयंकर सूखा पड़ा है। उससे निपटने के लिए भी वहां की सरकार ने 361.61 करोड़

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रुपये की केन्द्र सरकार से मांग की है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला है। यहां प्रधान मंत्रीजी बैठे हैं, आप मध्य प्रदेश के प्रधान मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के बाद आप मध्य प्रदेश को मत भूलिये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपने उपरोक्त राशि उपलब्ध करा दी है?

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, इस सदन में भी 10वें फाइनेन्स कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर बने हुए नेशनल फंड फॉर कैलामिटी रिलीफ के बारे में भी पूरी चर्चा हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य सरकार मांगे और हम यहां से रिलीफ दे दें। जो नेशनल रिलीफ कमेटी है यह एन.डी.सी. की सब-कमेटी है। जब किसी राज्य सरकार का मेमोरेंडम आता है, यदि उसे रेअर सीवियरिटी का माना जाता है तो उस हालत में यहां से एक टीम जाती है, वह टीम वहां से असैस करके आती है। उसके बाद इंटर-मिनिस्टीरियल ग्रुप के लोगों की मीटिंग होती है।

श्री कांतिलाल भूरिया: मंत्री जी, आप यह बताइये कि आपने अब तक कितनी राशि राज्य सरकार को भेजी है। मैंने सिर्फ इतना जानना चाहा था, लेकिन यह बता नहीं रहे हैं। यह गोलमोल जवाब देकर जानबूझकर मध्य प्रदेश सरकार के साथ पक्षपात कर रहे हैं *...(व्यवधान)* वहां आज तक कोई राशि नहीं भेजी है, वहां इतने लोग मारे जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री भूरिया, यह क्या है? यह वाद-विवाद नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह क्या है? मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं।

श्री राजेश पायलट: यह प्रक्रिया नहीं है। माननीय मंत्री यह जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश को मांग की गई राशि में से कितनी राशि दी गई है, बस इतनी सी बात है।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: आपने कितनी राशि भेजी है?

अध्यक्ष महोदय: आप इतना जोर से क्यों बोलते हैं?

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, राजेश पायलट जी भी मेरी पूरी बात सुने बगैर खड़े हो गए। आप कृपा करके पूरी बात तो सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: आप लोग पूरी डिबेट में बैठे हैं। सवाल यह नहीं है कि कोई सरकार मांग दे और केन्द्र सरकार दे दे। अगर आप*...(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो डिमांड की गई थी उसमें से कितनी राशि दी गई? *...(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, तो मैं जवाब नहीं दूंगा। बैठ जाता हूं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नीतीश कुमार जी, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप चेयर को एड्रैस करें।

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश को नैशनल फंड फॉर कैलेमिटी रिलीफ के तहत 1997-98 में 102 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई। *...(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, मैंने 1998-99 के बारे में पूछा है।*...(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: 1998-99 में राशि रिलीज नहीं हुई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 345—श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक—अनुपस्थित हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 346—श्री रतन लाल कटारिया।

...(व्यवधान)

कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा

***346. श्री रतन लाल कटारिया:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को निर्यातोन्मुखी बनाने, उसमें विविधता लाने और अधिक पूंजी निवेश करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) देश के कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) सरकार स्वदेशी मांग को पूरा करने तथा साथ ही निर्यात के लिए अधिशेष सृजित करने हेतु कृषि उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। निर्यातोन्मुखी कृषि के लिए, सरकार गुणवत्ता वाले बीजों/उन्नत पौधरोपण सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति तथा फसल प्रबंध के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है तथा कटाई-पश्चात् प्रबंध और विपणन के लिए सहायता भी दे रही है।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान लगभग 15% था। इसमें चाय, कॉफी तथा रबड़ नामक पौध फसलों के निर्यात मूल्य शामिल नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री भूरिया, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं। यह अति हो रही है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे जिस मेमोरेंडम के बारे में कह रहे हैं वह किस बारे में है? मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। कि वह फ्लड के बारे में है या ड्राउट के बारे में है। जब मुझे वे बता देंगे मैं पूरा जवाब दे दूंगा *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री भूरिया, वे अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बहुत हो गया। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझिए कि यह प्रश्न काल है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री भूरिया, यह अति हो रही है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: एक तो अनरिलेटेड सवाल था, किसी राज्य से रिलेटेड नहीं था, फिर भी मैंने जवाब दिया। कोई उपयुक्त सवाल पूछे, तो मैं उसका जवाब दूंगा *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं बल्कि भाषण दे रहे हैं। जिन किसानों की बात मैं कह रहा हूँ उनको राहत देने के लिए गोरखपुर के जिलाधिकारी ने बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत दिए जाने की बजाय किसानों को पिटाई करके उन्हें रासुका में बंद कर दिया। *...(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: मुलायम सिंह जी, आप भी ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। आप पहले हमें पूरी तरह सुन तो लेते। आप तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आपको ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आप हमें रोकने वाले कौन होते हैं?*...(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, हमको ऐसा बोलने वाले ये कौन होते हैं *...(व्यवधान)* जो कुछ कहना है आप कहिए*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थानों पर चले जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र सिंह यादव, कृपया अपने स्थान पर जाइए। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

(इस समय श्री देवेन्द्र सिंह यादव, श्री सरोज तूफानी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट आ गए।)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, इनको दंगा करने के लिए प्रवोक किया गया है...*(व्यवधान)* यह क्या आचरण है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र सिंह यादव, कृपया अपने स्थान पर जाइए। यह अति हो रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र सिंह यादव। अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपने लोगों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र सिंह यादव। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बाल श्रम का उन्मूलन

***342. श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बाल श्रम के पूर्णत: उन्मूलन के लिए क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कभी इन परियोजनाओं/योजनाओं की सफलता की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन परियोजनाओं/योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को राज्य-वार, तथा योजना-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष बाल श्रम के उन्मूलन के अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गई और उन राज्यों द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(छ) क्या सरकार का विचार बाल श्रम के उन्मूलन हेतु कुछ नई परियोजनाएं आरंभ करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ज) भारत सरकार ने दो योजनाएं कार्यान्वित की हैं, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान सहायता योजना। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण काम यह है कि विशेष स्कूलों/केन्द्रों का संचालन करना तथा उनके माध्यम से कार्य से निकाले गये बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, स्वास्थ्य देखरेख, वजीफा आदि के माध्यम से पुनर्वासित करना है। स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान सहायता योजना के

अंतर्गत स्वैच्छिक कामकाजी बालकों के लाभ के लिए कार्यवाही उन्मुख परियोजनाएं चलाती हैं।

उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान राज्यों में स्थित पांच सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों द्वारा तथा अन्तरमंत्रायीन टीमों द्वारा जिनके सदस्य श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, महिला और बाल विकास विभाग तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि हैं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इनसे जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह दिखाया गया है कि परियोजनाओं द्वारा शुरू किये गये पुनर्वास उपायों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करके बाल श्रम की समस्या की विकरालता को काफी हद तक घटाया जा सकता है तथा विशेष स्कूलों को चलाते रहने की जरूरत बनी रहेगी। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यकलापों की परियोजनाओं के कार्यकलापों की आवधिक रिपोर्टों तथा केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तर पर उनकी समीक्षा के माध्यम से सतत् निगरानी की जा रही है। श्रम सचिव की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय निगरानी समिति का गठन किया गया है जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की समग्र पर्यवेक्षण, निगरानी व मूल्यांकन करती है। अनुदान सहायता परियोजनाओं की निगरानी केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासनों द्वारा आवधिक रिपोर्टों, क्षेत्रीय दौरों तथा निरीक्षणों के माध्यम से किया जाता है। सभी राज्य सरकारों को इन परियोजनाओं का व्यापक मूल्यांकन करने के संबंध में लिखा गया है तथा यह लिखा-पढ़ी की प्रक्रिया चलती रहती है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना के अंतर्गत निधियां राज्य सरकारों को नहीं दी जाती अपितु इन्हें जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित सीधे जिला स्तरीय बाल श्रम परियोजना सोसाईटियों को दिया जाता है। अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत निधियां राज्य सरकारों को निर्गत नहीं की जाती अपितु सीधे संबंधित स्वैच्छिक संगठन को की जाती हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त तीनों योजनाओं के अंतर्गत निर्गत की गयी निधियां निम्नानुसार हैं:

वर्ष	रा.बा.श्र.परि. (लाख रुपये में)	सहायता अनुदान
1996-97	3303.00	62.55
1997-98	1268.34	38.01
1998-99	2642.70	93.07

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना के अंतर्गत 1.8 लाख बच्चों को शामिल करने के लिए दस बाल श्रमिक बहुल राज्यों में 85 बाल श्रम परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत 83 स्वैच्छिक संगठन परियोजनाएं चला रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम (आईपैक) एक विश्वव्यापी कार्यक्रम है जिसे दिसम्बर, 1991 में अं.श्र.सं. ने शुरू किया था। भारत 1992 में आईपैक में शामिल होने वाला पहला राष्ट्र था जब भारत ने अं.श्र.सं. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। कार्यक्रम के तहत राज्यवार आधार पर निधियां आबंटित नहीं की जाती है अपितु अं.श्र.सं. इसे सीधे क्रियान्वयक सदस्य जैसे कि केन्द्रीय नियोक्ता तथा व्यवसाय संघ संगठनों तथा गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान करता है। इन निधियों की निकासी आईपैक राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा कार्यवाही कार्यक्रम का अनुमोदन करने के पश्चात् की जाती है। 1992-99 के दौरान भारत में आईपैक के तहत बजट आबंटन एवं वचनबद्धता 6.9 मिलियन अमेरिकी डालर (जो कि लगभग 29 करोड़ रु. होगा) है। चालू पद्धति के अनुसार एक बार कोई राशि किसी परियोजना के लिए नियत कर दी जाने के बाद उस वित्त वर्ष के समाप्त हो जाने पर वह निधि व्यपगत नहीं होती अपितु अगले वर्ष के लिए नियत हो जाती है तथा उसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होती है जिसके लिए उसका आबंटन किया गया। आईपैक कार्रवाई कार्यक्रम का क्रियान्वयन गैर-सरकारी संगठनों, व्यवसाय संघों, नियोक्ता संगठनों, सरकार तथा अर्ध-सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। 1992-99 के दौरान 90,500 बच्चों को शामिल करने के लिए कुल 154 कार्रवाई कार्यक्रम शुरू किये गये।

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने 20.1.99 को आयोजित अपनी बैठक में नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को जारी रखने तथा परियोजना की संख्या को 76 से बढ़ाकर 100 करने का अनुमोदन दे दिया है। राज्य सरकारों से परियोजना संबंधी मांग की प्राप्ति के आधार पर नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की जा रही है।

किसानों को राजसहायता

***345. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से छोटे, सीमांत और अपेक्षाकृत गरीब वर्गों के किसानों को कितनी राजसहायता प्रदान की जाती है;

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कि राजसहायता का लाभ लक्षित किसानों तक पहुँच रहे हैं, कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (घ) किसानों को दी जाने वाली मुख्य कृषि राजसहायताएं उर्वरकों के राजसहायता प्राप्त मूल्य, सिंचाई और बिजली के लिए कम शुल्क तथा बीजों, कृषि मशीनरी आदि पर राजसहायता के रूप में दी जाती हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित वर्ष 1993-94 से इन विभिन्न मदों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली राजसहायता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं। कुल कृषि राजसहायता में से लघु और सीमान्त किसानों को मिलने वाली राजसहायता के प्रतिशत के संबंध में सूचना नहीं रखी जाती है। सरकार ने यह जानने हेतु कोई अध्ययन नहीं करवाया है कि राजसहायताओं का लाभ लक्षित किसानों तक पहुँच रहा है या नहीं। बहरहाल, केन्द्र सरकार विशेष रूप से लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए कई स्कीमों का क्रियान्वयन कर रही है जिनमें कतिपय राजसहायताएं/प्रोत्साहन निहित होते हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार, बीजों, कृषि यंत्रीकरण इत्यादि जैसे घटकों के लिए वर्ष 1996-97 में सीमान्त किसानों को कुल 905 करोड़ रुपये की राजसहायता दी गई।

विवरण

कृषि क्षेत्र हेतु राजसहायता का विवरण

(करोड़ रुपयों में)

मद		आदानों के माध्यम से कृषि क्षेत्र हेतु राजसहायता						
		1993-94 (वास्तविक)	1994-95 (वास्तविक)	1995-96 (वास्तविक)	1996-97 (वास्तविक)	1997-98 (वास्तविक)	1998-99 (वास्तविक)	1999-2000 (बजट प्रावधान)
1.	उर्वरक	4562	5760	6735	7578	9918	11388	13250
2.	विद्युत*	2400	2338	1828	8310	उ.न.	उ.न.	उ.न.
3.	सिंचाई@	5872	6760	7000	9256	9776+	उ.न.	उ.न.
4.	छोटे तथा सीमांत किसानों को दी गई अन्य राजसहायता**	1169	1176	985	905	उ.न.	उ.न.	उ.न.

स्रोत: 1. उर्वरक: केन्द्र सरकार का व्यय बजट 1999-2000 खण्ड 1

2 से 4. विद्युत तथा सिंचाई तथा अन्य राजसहायताएं: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

नोट:

* विद्युत में विद्युत बोर्डों तथा निगम को दी जाने वाली सभी प्रकार की राजसहायता शामिल है। केवल कृषि क्षेत्र हेतु विद्युत राजसहायता का अलग से आकलन उपलब्ध नहीं है।

@ किसानों हेतु जल-आपूर्ति की दरें नीतिगत मामले के रूप में कम रखी जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकारी सिंचाई प्रणालियों को हानि उठानी पड़ती है। सकल राजस्व पर प्रचालन लागत का आधिक्य आरोपित सिंचाई राजसहायता के रूप में माना जाता है।

\+ त्वरित अनुमान है।

उ.न. - उपलब्ध नहीं।

** इसमें बीज, कृषि मशीनरी एवं उपकरण आदि जैसी मदों पर राजसहायताएँ शामिल हैं।

भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय पहल

*347. **श्री चन्द्रेश पटेल:**
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटिल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने नवम्बर, 1999 में अपनी जापान यात्रा के दौरान जापान में रखी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियों के मुद्दे पर चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनकी यात्रा के दौरान, भारत और जापान विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों जैसे सुरक्षा वार्ता, भारत में जापानी निवेश, भारत के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाने तथा व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर आदि के मुद्दों पर सहमत हो गए थे;

(घ) यदि हां, तो उस विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ङ) मैंने 23 से 26 नवम्बर, 1999 तक जापान की यात्रा की। मैंने प्रधान मंत्री ओबूची, विदेश मंत्री योही कोनो, आन्तरिक व्यापार और उद्योग मंत्री टी. फुकाया, और स्व रक्षा अभिकरण के महानिदेशक टी. कावारा से मुलाकात की। मैंने जापान के सांसदों, शिक्षाविदों, भारत-विदों, प्रेस के सदस्यों तथा अन्य लोगों से भी मुलाकात की। इन बैठकों के दौरान, हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं, क्षेत्रीय मसलों और परस्पर हित के अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विनिमय किया।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियों के मामले में इन सरकारी बैठकों में कोई जिक्र नहीं किया गया।

चर्चाओं के दौरान, दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हुए कि भारत-जापान के संबंधों को एशिया और विश्व में शान्ति तथा स्थायित्व के हितों को ध्यान में रखकर सामान्य और विकसित किया जाना चाहिए। हम इस बात पर भी सहमत हुए कि एक दूसरे के दृष्टिकोणों और हित-चिन्ताओं की जानकारी और समझबूझ को बढ़ाने के लिए संवाद को विभिन्न स्तरों पर जारी रखा जाना चाहिए।

दोनों पक्ष सुरक्षा संवाद के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हुए हैं। इस संबंध में ब्यौरे राजनयिक माध्यमों के जरिए तैयार किये जाने हैं।

आर्थिक सहयोग और निवेश के संबंध में, जापनी पक्ष ने संकेत दिया है कि इस निवेश संवाद की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में जो अगस्त, 1999 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ था एक मिटी-प्रवर्तित आर्थिक मिशन आगामी वर्ष के प्रारम्भ में भारत आएगा। भारत-जापान व्यवसाय सहयोग समिति (आई.जे.बी.सी.सी.) की बैठक फरवरी, 2000 में नई दिल्ली में होनी निश्चित हुई है।

नाभिकीय मसले पर मैंने भारत का दृष्टिकोण रखा। जापानी पक्ष ने यह आशा व्यक्त की कि भारत व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर जल्दी ही हस्ताक्षर कर देगा। जापानी पक्ष ने अपना यह दृष्टिकोण दोहराया कि भारत के सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने के परिणामस्वरूप वह उसके द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की समीक्षा कर सकेगा।

मैंने प्रधान मंत्री ओबूची और विदेश मंत्री कोनों को उनकी सुविधा के अनुसार शीघ्र भारत यात्रा पर आने का आमंत्रण दोहराया। हम इस बात पर सहमत हुए कि 2002 ईस्वी में राजनयिक संबंधों की पचासवीं वर्षगांठ को उपयुक्त रीति से मनाया जाना चाहिए। विदेश मंत्री कोनो के साथ मेरी मुलाकात के दौरान मैंने भारत सरकार की ओर से महामान्य जापान के सम्राट और महामान्या साम्राज्ञी, दोनों को 2002 ईस्वी में भारत आने का निमंत्रण दिया। हम संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के सुधार और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पुनर्संरचना करने सहित अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर समन्वय और सहयोग करने के लिए भी सहमत हुए हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सालय

*348. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
डॉ. बलिराम:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने चिकित्सालय हैं;

(ख) ई.एस.आई. चिकित्सालय खोलने हेतु स्थल के चयन के लिए क्या मापदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या ई.एस.आई. चिकित्सालयों की असंतोषजनक सेवाओं के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार का ऐसे अधिक चिकित्सालय खोलने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किस-किस स्थान की पहचान की गई है?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) से (च) निर्धारित मानकों के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रति एक हजार बीमित व्यक्तियों के लिए चार बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण कराता है। किसी विशेष केन्द्र पर बीमित व्यक्तियों की संख्या, मौजूदा चिकित्सा सुविधाएं, क्षेत्र में संभावित औद्योगिक विकास, राज्य सरकार की सिफारिशों आदि को नए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल की संस्वीकृति करने के पूर्व ध्यान में रखा जाता है। व्यवहार्यता के दृष्टिगत, निगम सामान्यत: 12,500 बीमित व्यक्तियों वाले केन्द्रों पर न्यूनतम 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण कराता है। इस समय कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के राज्यवार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने चंडीगढ़, मंडी, गोबिन्दगढ़ (पंजाब), राऊरकेला (उड़ीसा), जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर), रोहिणी (दिल्ली), अंकलेश्वर (गुजरात), निजामाबाद (आंध्र प्रदेश), कोल्हापुर, चिन्चवाड़ और बिबेवाड (महाराष्ट्र), भीलवाड़ा और पाली (राजस्थान) और दुर्गापुर (प. बंगाल) में नए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के निर्माण का कार्य शुरू किया है/पूरा कर लिया है। निगम, सिद्धान्त रूप में, बहादुरगढ़ और गुड़गांव (हरियाणा), जबलपुर (मध्य प्रदेश), उदयपुर, अलवर, भिवाड़ी (राजस्थान), लुधियाना (पंजाब), रानीपेट (तमिलनाडु) और गरश्यामनगर (प. बंगाल) में भी नये अस्पतालों का निर्माण कराने के लिए सहमत हो गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत चिकित्सा देखरेख के प्रशासन का उत्तरदायित्व, दिल्ली और नौएडा के अलावा, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों का है। दिल्ली और नौएडा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम सीधे इसका प्रशासन कार्य देख रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों में चिकित्सा और पराचिकित्सा स्टाफ, औषधियों/मरहमपट्टी की कमी, उपस्करों की कमी आदि के बारे में छुटपुट शिकायतें मिलती रही हैं। जब भी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं उन्हें समुचित कार्यवाहियों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों में चिकित्सा देख-रेख सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हाल ही में एक कार्यवाई योजना तैयार की है और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से क्रियान्वयन के लिए इसे राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दिया गया है। कार्यवाई योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, अस्पतालों में आधुनिक उपस्कर प्रणाली के प्रावधान, क्षेत्रीय ट्रोमा केन्द्रों की स्थापना, उच्च विशेषज्ञता सेवाओं, ब्लड बैंकों, कैंसर निवारण केन्द्रों की स्थापना, देशी दवाई प्रणाली का विकास, औषधालयों में आवश्यकता आधारित उपस्करों के प्रावधान, आदि शामिल हैं। राज्य सरकारों की संसाधन स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से निगम ने 1.4.1999 से चिकित्सा देख-रेख पर होने वाले व्यय की उच्चतम सीमा को प्रति बीमित व्यक्ति प्रति वर्ष 500 रु. से बढ़ाकर 600 रु. कर दिया है।

विवरण

देश में, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	अस्पतालों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	असम	1
3.	बिहार	6
4.	दिल्ली	3
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	11
7.	हरियाणा	5
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	कर्नाटक	9
10.	केरल	13
11.	मध्य प्रदेश	7
12.	महाराष्ट्र	13
13.	उड़ीसा	5
14.	पांडिचेरी	1
15.	पंजाब	7

1	2	3
16.	राजस्थान	3
17.	तमिलनाडु	9
18.	उत्तर प्रदेश	16
19.	पश्चिम बंगाल	13
	कुल	134

किसानों का प्रव्रजन

*349. **श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उत्पादों के लिए सरकार की अलाभकारी मूल्य नीति के कारण विभिन्न राज्यों के किसान रोजगार की तलाश में गांवों से कस्बों और शहरों की ओर प्रव्रजन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं और किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (ग) सरकार द्वारा मुख्य कृषि जिंसों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभकारी हैं। इनमें न केवल उत्पादन की लागत शामिल है अपितु ये निवेश बढ़ाने तथा उत्पादन और उत्पादकता सुधार के लिए प्रोत्साहन के रूप में उचित लाभ भी उपलब्ध करातं हैं।

किन्तु विभिन्न कारणों से गाँव से शहर की ओर पलायन हो रहा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 49वें दौर (जनवरी से जून, 1993) के अनुसार, रोजगार प्राप्त करना, बेहतर रोजगार की तलाश करना तथा बेहतर मजदूरी एवं बेहतर जीवन निर्वाह की आशा करना तथा साथ ही ठेकेदारों द्वारा कामगारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना तथा शिक्षा आदि घर छोड़ने के मुख्य कारण हैं।

ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के जरिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार, गैर-कृषि कार्यकलापों की ओर विविधीकरण, दक्षता सुधार कार्यक्रम, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता तथा भूमि संसाधनों के उपयोग आदि को इष्टतम करने जैसे कार्यों के प्रति बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाकर प्रव्रजन की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जायेगा।

"स्पेस एपलिकेशन" पर सम्मेलन

*350. **श्रीमती कान्ति सिंह:**
श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के मूलभूत विकास हेतु "स्पेस एपलिकेशन" पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक आयोग द्वारा नई दिल्ली में एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में कौन सी प्रमुख सिफारिशें की हैं;

(ग) किन-किन सदस्य देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया;

(घ) खाद्य, सुरक्षा, निरक्षरता तथा रोग प्रबन्धन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में "स्पेस एपलिकेशन" के संदर्भ में क्या-क्या मुख्य निर्णय लिए गए; और

(ङ) अंतरिक्ष तथा इससे संबद्ध मामलों में देश को किस तरह लाभ होने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां। भारत ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास के लिए "अन्तरिक्ष उपयोगों" पर नई दिल्ली में नवम्बर 15-20, 1999 के दौरान एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यू.एन. एस्कैप) के द्वितीय मंत्री-स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है।

(ख) और (घ) इस सम्मेलन में राष्ट्रीय विकास हेतु अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र में देशों की उपलब्धियों पर विचार-विमर्श किया गया तथा विविध क्षेत्रों में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के संवर्धित उपयोग की दिशा में नीति और कार्य योजना निर्धारित की गई। इस सम्मेलन में जीवन स्तर

में सुधार लाने की दिशा में पर्यावरणीय और प्राकृतिक संसाधन प्रबंध, खाद्यान्न, सुरक्षा, क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास और शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, मौसम का पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदा प्रबंध, स्वास्थ्य की देखभाल और स्वास्थ्य-विज्ञान एवं दीर्घकालीन विकास के क्षेत्रों में सहयोग के द्वारा इस क्षेत्र में मानव तथा वित्तीय संसाधनों के इष्टतमी उपयोग के लिए एस्कैप के क्षेत्रीय अन्तरिक्ष उपयोग कार्यक्रम के द्वितीय चरण की शुरुआत करते हुए दिल्ली घोषणा का प्रारूप तैयार किया गया।

(ग) 25 देशों तथा 11 संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

(ङ) इस सम्मेलन ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अन्तरिक्ष के भागीदार के रूप में भारत की अग्रणी भूमिका को प्रदर्शित करने का अच्छा अवसर प्रदान किया है। विविध देशों ने अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपयोग के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए रुचि प्रकट की है। इससे वाणिज्यिक क्षेत्र में भी भारत की भूमिका बढ़ने की संभावना है।

ओ.एस.सी.ई. के चार्टर के खिलाफ प्रकट किया गया विरोध

*351. **श्री मोइनुल हसन:**
श्री कृष्णमराजू:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरोप में सुरक्षा और सहकारिता संगठन के 54 सदस्यों द्वारा स्वीकृत चार्टर के खिलाफ विरोध जाहिर किया है;

(ख) क्या इस चार्टर को स्वीकृत करने से कुछ राष्ट्रों के समूहों के लिए सुरक्षा के नाम पर दूसरे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना संभव हो जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस हस्तक्षेप नीति का अनुसरण करने से राष्ट्रों की प्रभुसत्ता पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और दूसरे देशों द्वारा हस्तक्षेप के खिलाफ राष्ट्रों की प्रभुसत्ता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) जी नहीं। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग के लिए संगठन (ओ एस सी ई) द्वारा पारित चार्टर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय-8 के अंतर्गत क्षेत्रीय व्यवस्था, यूरोप और इसके दस्तावेजों में स्पष्टतया उल्लिखित क्षेत्रों में केवल ओ एस सी ई देशों की ही चिन्ता करती है। ओ एस सी ई के हित और संचालन के क्षेत्र यूरोप तक ही सीमित हैं और इसमें भारत अथवा यहाँ तक कि दक्षिण एशिया तक भी शामिल नहीं है। ओ एस सी ई का चार्टर इस संगठन द्वारा अन्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता है और इसलिए, राष्ट्रों की संप्रभुता के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करता है। अत: इस संबंध में सरकार के लिए किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना आवश्यक नहीं समझा गया।

कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा भेजे गए क्षत-विक्षत शव

*352. **श्री पी. कुमारासामी:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता आरम्भ होने पर उन 6 भारतीय सैनिकों के मुद्दे को पाकिस्तान के साथ उठाया है जिन्हें जून में कारगिल युद्ध के दौरान पकड़े जाने पर यातना देकर मार दिया गया था और तत्पश्चात पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा उनके शवों को क्षत-विक्षत कर दिया गया था;

(ख) इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस मुद्दे को पाकिस्तान के साथ उठाने के लिए मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून संबंधी मुद्दों से निपटने वाले किन्हीं उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ङ) जम्मू और कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में अपनी सशस्त्र घुसपैठ और आक्रमण

के दौरान वायु सेना के जिस एक अधिकारी और थल सेना के जिन 6 जवानों को पाकिस्तान द्वारा बन्दी बनाया गया था उन्हें भारी यातना दी गई, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और उसके बाद कारावास में उनकी हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की 12 जून, 1999 की दिल्ली यात्रा के दौरान सरकार ने भारत के लोगों की मानसिक पीड़ा और भारी आक्रोश के बारे में उन्हें अवगत करा दिया था। सरकार ने इस बात का विशेष उल्लेख किया था कि इन कृत्यों से जेनेवा अभिसमय का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हुआ है और पाकिस्तान से यह माँग की है कि अपराधियों का पता लगा कर उन्हें दण्डित किया जाए।

पाकिस्तान के इन बर्बरतापूर्ण कृत्यों की ओर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया गया था जिसमें 22 दिसम्बर, 1999 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया गया हमारा वक्तव्य भी शामिल है सरकार इस मामले को उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर निरन्तर उठाती रहेगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में सूखा

***353. श्री कांतिलाल भूरिया:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्य सरकारों ने वहां व्याप्त भयंकर सूखे की स्थिति के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई ज्ञापन दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां स्थिति कितनी गम्भीर है और राज्य सरकारों ने कितनी वित्तीय सहायता मांगी है;

(ग) क्या वर्तमान सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (घ) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान तथा त्रिपुरा के कुछ भाग, अलग-अलग स्तर पर सूखे से प्रभावित हुए हैं। इन राज्यों से सूखे की स्थिति में राहत कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से वित्तीय सहायता की मांग संबंधी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। मांगी गई धनराशि निम्नवत् है:

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	मांगी गई धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश	720.36
2.	गुजरात	425.86
3.	हिमाचल प्रदेश	51.18
4.	जम्मू व कश्मीर	214.47
5.	मध्य प्रदेश	361.61
6.	मणिपुर	26.93
7.	मिजोरम	23.02
8.	राजस्थान	1144.40
9.	त्रिपुरा	108.95

इन ज्ञापनों पर विचार करने के बाद, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से आंध्र प्रदेश को 75.36 करोड़ रुपये, जम्मू-कश्मीर को 73.42 करोड़ रुपये, मणिपुर को 4.93 करोड़ रुपये तथा त्रिपुरा को 5.34 करोड़ रुपये की निर्मुक्ति का निर्णय लिया गया है। शेष राज्यों के अनुरोध सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार विचाराधीन हैं।

महाचक्रवात से पीड़ित व्यक्तियों के सहायतार्थ धनराशि

***354. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री ब्रज मोहन राम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार को, उड़ीसा में हाल में आये महाचक्रवात से पीड़ित व्यक्तियों के सहायतार्थ विभिन्न सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निजी संगठनों से प्राप्त धनराशि और राहत-सामग्री का संगठन-वार विवरण क्या है;

(ख) क्या इस प्रकार एकत्र की गई धनराशि को उड़ीसा सरकार को जारी कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो कब और उक्त धनराशि से किन परियोजनाओं को वित्तपोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है; और

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई त्रुटिरहित कार्यनीति बनाई है कि इस प्रकार एकत्र की गई धनराशि प्रभावित व्यक्तियों तक पहुंचे?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) भारत सरकार ने उड़ीसा में आये महाचक्रवात से निपटने हेतु राहत उपायों के लिए नकदी अथवा वस्तुओं के रूप में कोई संग्रह नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत का परमाणु कार्यक्रम

***355. श्री रमेश चेन्नितला:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यदि भारत व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर करता है और इसका अनुसमर्थन करता है तो क्या वह अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर देगा;

(ख) यदि हां, तो भारत की न्यूनतम परमाणु निवारक नीति का क्या होगा;

(ग) क्या परमाणु शक्तियों ने भारत के न्यूनतम परमाणु निवारक नीति की प्रशंसा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो भारत के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी नहीं। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि केवल नाभिकीय विस्फोटक परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाना चाहती है।

(ख) मई 1998 में भारत द्वारा किए गए परीक्षणों से हमें न्यूनतम नाभिकीय निवारक को बनाए रखने की बुनियादी क्षमता प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) अपने नाभिकीय परीक्षणों के बाद, भारत सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और अप्रसार से संबंधित मसलों पर प्रमुख संभाषियों के साथ निरंतर द्विपक्षीय विचार-विमर्श में लगा रहा है। इन विचार-विमर्शों के दौरान भारत की सुरक्षा चिंताओं और हमारी नाभिकीय निवारक की आवश्यकता का खुलासा किया गया है। इन वार्ताओं ने इस मामले पर भारत की स्थिति का बेहतर मूल्यांकन करने के अवसर प्रदान किये हैं।

राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाएं

***356. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के महा-चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाएं आरम्भ करने और विशेष मामले के तौर पर उन्हें छात्रावास सुविधाएं देने पर विचार किया है अन्यथा जो बाल श्रमिक बन सकते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनागत स्कीमों के अधीन उड़ीसा में 16 बाल श्रम परियोजनाएं स्थापित की गई हैं जिनके द्वारा 411 विशेष स्कूलों/केन्द्रों के माध्यम से 31,456 कामकाजी बच्चों को पुनर्वासित किया जाना है। सरकार को उड़ीसा की राज्य सरकार की ओर से महा-चक्रवात से प्रभावित 10 जिलों अर्थात पुरी, खुर्दा, कटक, केन्द्रपाडा, जगतसिंहपुर, जाजपर, भद्रक, बालासोर, क्योंझर और मयूरभंज में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। कटक जिले के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को पहले ही मंजूरी दे दी गई है।

जलचर पालकों के लिए बीमा योजना

***357. श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जलचर पालकों के लिए कोई बीमा योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जलचर पालकों को भी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) 1978 से चल रही तालाबों (ताजा जल) में मछली की बीमा संबंधी योजना स्टॉक तालाबों में फ्राई/फिंगरलिंग्स/मछली तथा प्रजनकों के लिए लागू है और यह बीमा अवधि के दौरान दुर्घटना अथवा रोग के होने अथवा फैलने के कारण सकल घाटे को कवर करती है। प्रीमियम की दर इस प्रकार हैं:

	प्रकार	मूल प्रीमियम	अतिरिक्त प्रीमियम लेकर वैकल्पिक कवर (बाढ़ तथा सम्बद्ध जोखिम)
क.	बैंक वित्त पोषित तथा अन्य परियोजनाओं के लिए	अधिकतम कीमत पर 2.4 प्रतिशत निवल	अधिकतम कीमत पर 1.2 प्रतिशत निवल
ख.	मत्स्य पालक विकास एजेंसियों/समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा इसी प्रकार की अन्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से परियोजनाओं के लिए	औसत कीमत पर 3.0 प्रतिशत वृद्धि	औसत कीमत पर 1.7 प्रतिशत वृद्धि

खारा जल प्रॉन बीमा योजना 1991-92 में शुरू की गई थी। झींगा/प्रॉन के लिए नई जलकृषि बीमा योजना 1.1.1999 से तैयार की गई है। यह योजना लाइसेंसधारी फार्मों अथवा सरकारी अधिसूचना के अनुसार फार्मों के लिए लागू होगी। यह केवल सम्पूर्ण घाटे अथवा योजना में यथाविनिर्दिष्ट झींगा/प्रॉन के नुकसान को कवर करती है तथा यह कवर केवल नए तालाबों को दिया जाएगा। प्रीमियम की दर निम्नानुसार ली जाती है:

(क) बेसिक कवर :

(1) अत्यधिक तूफान संभावित क्षेत्र (पूर्वी तट) — 3% निवल

(2) अन्य — 2% निवल

(ख) विस्तृत कवर — बेसिक कवर के लिए निर्धारित प्रीमियम से 4 प्रतिशत अतिरिक्त

(ग) और (घ) जलकृषि फार्मों का बीमा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत शामिल नहीं है।

आपदा राहत निधि

***358. श्री के. येरननायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपदा राहत निधि और राष्ट्रीय आपदा निधि के संचालनात्मक मार्ग-निर्देशों और वित्त पोषण का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त निधियों के लिये आबंटित राशि और उनकी अवधि कितनी-कितनी है; और

(ग) प्रत्येक राज्य ने दोनों निधियों से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में कितनी-कितनी धनराशि की मांग की थी और प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि जारी की गई?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (ग) प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्य सरकारों को राहत एवं पुनर्वास कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आपदा राहत कोष का गठन किया गया है। वर्ष 1995-96 से 1999-2000 की अवधि में आपदा राहत कोष से राज्यवार वार्षिक आबंटन दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। आपदा राहत कोष के वार्षिक आबंटन में केन्द्र एक संबंधित राज्य सरकारों का योगदान 3:1 के अनुपात में होता है। भारत सरकार का अंशदान राज्य सरकारों को चार समान त्रैमासिक किस्तों में स्वत: जारी कर दिया जाता है। आवश्यकतानुसार, त्रैमासिक किस्तें अग्रिम रूप से भी जारी की जाती हैं। भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित मानदण्डों के आधार पर राहत एवं पुनर्वास कार्यों

के लिए आवश्यक व्यय करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक राज्य-स्तरीय समिति सक्षम है।

विरल गंभीरता वाली आपदाओं की स्थिति में राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता देने के उद्देश्य से 700.00 करोड़ रुपये की मूल निधि से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष गठित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का प्रबन्ध राष्ट्रीय आपदा राहत समिति द्वारा किया जाता है जो राष्ट्रीय विकास परिषद की कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक उप-समिति है तथा इसमें सदस्य के तौर पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष, दो केन्द्रीय मंत्री एवं प्रधान मंत्री द्वारा चक्रीय आधार पर मनोनीत पांच मुख्य मंत्री होते हैं। पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई एवं उन्हें निर्मुक्त वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 1995-2000 के लिए आपदा राहत कोष

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	योग 1995—2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	11721	12419	13105	13773	14359	65377
2.	अरूणाचल प्रदेश	664	704	743	781	813	3705
3.	असम	4720	5001	5277	5547	5783	26328
4.	बिहार	4904	5196	5483	5763	6007	27353
5.	गोवा	101	107	113	119	124	564
6.	गुजरात	13176	13960	14731	15483	16140	73490
7.	हरियाणा	2365	2505	2644	2779	2897	13190
8.	हिमाचल प्रदेश	2544	2695	2844	2989	3116	14188
9.	जम्मू व कश्मीर	1860	1971	2079	2184	2279	10374
10.	कर्नाटक	3949	4185	4416	4641	4839	22030
11.	केरल	5229	5540	5847	6144	6405	29165
12.	मध्य प्रदेश	4821	5108	5389	5665	5905	26888
13.	महाराष्ट्र	6437	6820	7197	7564	7885	35903
14.	मणिपुर	235	248	261	275	287	1306

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मेघालय	263	279	295	309	323	1469
16.	मिजोरम	120	127	133	140	147	667
17.	नागालैण्ड	160	171	180	188	196	895
18.	उड़ीसा	4625	4901	5172	5436	5667	25801
19.	पंजाब	5111	5415	5715	6005	6261	28507
20.	राजस्थान	16899	17904	18893	19856	20700	94252
21.	सिक्किम	444	471	497	523	544	2479
22.	तमिलनाडु	5602	5935	6263	6583	6863	31245
23.	त्रिपुरा	424	449	475	499	520	2367
24.	उत्तर प्रदेश	11809	12512	13203	13876	14467	65867
25.	पश्चिम बंगाल	4844	5132	5416	5692	5933	27017
	योग	113026	119755	126371	132815	138460	630427

विवरण-II

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई एवं उन्हें निर्मुक्त की गई धनराशि का विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	रा.आ.रा.को. से मांगी गई राशि				रा.आ.रा.को. से निर्मुक्त राशि			
		1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000**	1996-97	1997-98	1998-99	1999-20000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2819.37	1159.28	600.00	760.36	142.00	42.00	26.50	
2.	अरूणाचल प्रदेश	110.53	105.15	200.23		3.00	NIL	13.47	
3.	असम	415.91		1001.98		21.00		59.90	
4.	बिहार	251.32	428.82	1003.75	534.03	7.00	10.00	11.45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	गुजरात	282.01	664.33	810.65	520.93	को.न.	86.90	55.35	
6.	हरियाणा	102.00		757.29		को.न.		13.27	
7.	हिमाचल प्रदेश	458.37	609.78	266.06	259.42	10.56	24.80	को.न.	
8.	जम्मू व कश्मीर	273.97			214.47	को.न.			
9.	कर्नाटक	621.55	723.00	1352.13		को.न.	32.20	39.78	
10.	केरल	342.00	1106.26	1499.63		को.न.	12.91	को.न.	
11.	मध्य प्रदेश	256.19	2759.11	251.34	556.88	को.न.	102.76	को.न.	
12.	महाराष्ट्र		156.76	152.26			को.न.	को.न.	
13.	मणिपुर		59.13		26.93		को.न.		
14.	मिजोरम				23.02				
15.	उड़ीसा	570.70	151.50	445.59	7145.79	54.00	को.न.	को.न.	*500.00
16.	पंजाब		347.72	1140.60			को.न.	को.न.	
17.	राजस्थान	321.00	51.18	959.62	1144.40	को.न.	को.न.	21.98	
18.	सिक्किम	43.92	107.39	141.41		5.52	7.00	7.67	
19.	तमिलनाडु	621.55				25.00			
20.	त्रिपुरा			30.11	158.80			5.05	
21.	उत्तर प्रदेश	589.00	566.07	2254.30	339.55	को.न.	को.न.	131.15	
22.	पश्चिम बंगाल	309.00	177.00	804.43	894.19	को.न.	को.न.	66.33	

* तदर्थ सहायता

** अतिरिक्त सहायता हेतु ज्ञापन विचाराधीन है।

को.न. - कोई नहीं।

बंगाल की खाड़ी में अमरीकी पोत

***359. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरीकी वैज्ञानिकों द्वारा भारत सरकार को पूर्व सूचना दिए बिना बंगाल की खाड़ी में मानसून के विकास का अध्ययन करने संबंधी कथित खोज यात्रा को गंभीरता से लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर अमरीकी सरकार से कोई विरोध दर्ज कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो उस पर अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राज्य अमरीका के समुद्र वैज्ञानिक और मौसम विज्ञान संबंधी अनुसंधान जल पोत बंगाल की खाड़ी सहित भारतीय हिन्द महासागर के क्षेत्र में महासागरिक तथा वायुमण्डलीय आंकड़े एकत्र करते हैं। इस जलपोत ने 4 मार्च, 1999 से 23 मार्च, 1999 तक भारत के पश्चिमी तट पर अपना कार्य किया था और इसके बाद इसी प्रकार के पर्यवेक्षण कार्य करते हुए अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रस्थान किया था। इस सम्पूर्ण अवधि के दौरान यह जलपोत विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के बाहर अर्थात् भारतीय तट-रेखा से 200 समुद्री मील परे ही रुका रहा अत: इसके लिए कोई पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए निधियां

***360. श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की स्थापना हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, तथा विशेषकर केरल राज्य को निधियां कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (घ) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विविध परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करता है, जिनका कार्यान्वयन राज्यों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाता है। केरल सहित इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए राज्यवार विशिष्ट धनराशि का आबंटन नहीं किया जाता है। लेकिन, विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं/ कार्यक्रमों से संबंधित ब्यौरे

1. विद्युत सुविधाओं की वितरण स्वचालन प्रणाली, केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी), केरल।
2. कोपरा (केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, केरल) के लिए सौर एवं वैद्युत ड्रायर।
3. आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एपीएसईबी), आंध्र प्रदेश के लिए विद्युत सुविधाओं की वितरण स्वचालन प्रणाली।
4. आंध्र प्रदेश सिंचाई सूचना प्रणाली (सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार)।
5. आंध्र प्रदेश के राज्य स्तरीय शासन के लिए 'परम' ओपन फ्रेम संरचना पर आधारित बहु प्रयोजन मूलक बहुभाषी, मल्टीमीडिया, स्तर बढ़ाए जाने योग्य सूचना भंडार का विकास एवं नियोजन।
6. विजयवाड़ा नगर निगम के लिए सामुदायिक सूचना नेटवर्क, वॉयस। (विजयवाड़ा ऑन-लाइन सूचना केन्द्र), आंध्र प्रदेश।
7. ई-कामर्स प्रौद्योगिकियों का विकास, आंध्र प्रदेश।
8. आंध्र प्रदेश यात्रा का पर्यटन विकास निगम, आंध्र प्रदेश के लिए पर्यटन सूचना प्रणाली का विकास।
9. ओखला अपशिष्ट उपचार संयंत्र का स्वचालन (दिल्ली जल बोर्ड)।
10. हैदरपुर जल उपचार संयंत्र का स्वचालन (दिल्ली जल बोर्ड)।
11. राइस मिल्स सेन्ट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर, कर्नाटक के लिए रबड़ रॉलर शेलर के स्वचालन का विकास।

12. नहर नियंत्रण एवं संचार चरण-2 (सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार)।

13. मृदा आर्द्रता संसूचन प्रणाली, उर्वरक परीक्षण किट, फसल प्रौद्योगिकी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आदि जैसे कृषि यंत्रीकरण प्रणालियों का विकास। जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जेएनकेवीवी) जबलपुर, मध्य प्रदेश।

14. हस्ताकरघा उद्योग के लिए सूक्ष्म संसाधक आधारित बुनाई मशीन का विकास बहरमपुर विश्वविद्यालय, बहरमपुर, उड़ीसा।

15. खुमी कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी एवं नियंत्रण प्रणाली का विकास। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी, राजस्थान।

16. स्वचालित आभासी क्षेत्र मानचित्रांकन के लिए बुद्धिपरक प्रणाली (कम्प्यूटर एवं संचार प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीसीसीटी), सिक्किम सरकार)।

17. सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए नागरिक सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक शासन का विकास (सिक्किम संपर्क)। कम्प्यूटर एवं संचार प्रौद्योगिकी केन्द्र, गंगटोक, सिक्किम।

18. जेन्डर यूनिट परियोजना, प्रबंधन विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश।

19. विद्युत सुविधाओं की वितरण स्वचालन प्रणाली (पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड) पश्चिम बंगाल।

20. तीस्ता महानंदा नहर एवं परियोजना प्रबंध के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग (पश्चिम बंगाल सरकार)।

21. राष्ट्रव्यापी उच्च गति परीक्षण स्थल की स्थापना।

[हिन्दी]

भेड़-बकरी पालन

3404. श्री ब्रज मोहन राम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण लोगों को रोजगार देने और आय सृजित करने में भेड़-बकरी पालन द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के विकास हेतु तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि जारी की गई और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) क्रियान्वित की जा रही नीति का उद्देश्य पशुधन का अनुवांशिकीय उन्नयन, बुनियादी सुविधाओं का सुधार, प्रशिक्षण देना तथा पशुधन के क्रय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अनुवांशिक उन्नयन के लिए हिसार स्थित केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म में उच्च स्तरीय भेड़ों का उत्पादन किया जा रहा है। इस फार्म में कृषकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। फार्म के लिए प्रतिवर्ष 750 भेड़ों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसको लगभग प्राप्त कर लिया गया है।

राज्यों को 50:50 के आधार पर सहायता देने के लिए आठवीं योजना से राष्ट्रीय मृग/मेढ़ा उत्पादन कार्यक्रम नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के पास भी क्रियान्वित करने के लिए दो प्रमुख योजनाएं, अर्थात् समेकित भेड़ एवं ऊन विकास कार्यक्रम एवं मशीन शीयरिंग एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं। भेड़ पालन, ऊन विकास, स्वास्थ्य कवरेज, नस्ल सुधार एवं विपणन सहायता में नौवीं योजना में 25 लाख भेड़ों को शामिल करने का लक्ष्य है। बोर्ड द्वारा नौवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान 20 लाख से अधिक भेड़ों को शामिल किया गया। भेड़ शीयरिंग एवं प्रशिक्षण में 80 ऊन शीयरिंग मशीनों को आयात करने एवं वितरित करने का लक्ष्य था, जिसे प्राप्त कर लिया गया।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड ने राज्य सरकारों

तथा संबंधित संगठनों को क्रमश: 324.07 लाख रुपए एवं 489.70 लाख रुपए की राशि जारी की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वायत्तशासी निकाय

3405. श्री भीम दाहाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने स्वायत्तशासी निकाय हैं;

(ख) क्या इन स्वायत्तशासी निकायों में अवर और प्रवर श्रेणी के लिपिक पदों के लिए विभागीय परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) इस बारे में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

शुल्क मुक्त इस्पात के आयात पर प्रतिबंध

3406. श्री जी.एस. बसवराज : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने शुल्क-मुक्त इस्पात के आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राणा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

वित्तीय सेवा योजना

3407. श्री राजो सिंह : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों के लिए तैयार की गई वित्तीय सेवा योजना बिहार में काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य विशेषरूप से बिहार को मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता/सेवा का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की वित्तीय सेवा योजनाएं देश भर में कार्य कर रही हैं।

(ख) वित्तीय सहायता निम्न के लिए उपलब्ध कराई जाती है:

(1) 'नई परियोजनाओं' को स्थापित करना।

(2) वर्तमान इकाइयों के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, और पुनर्वास हेतु।

(3) लघु उद्योग इकाइयों की विपणन क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

(ग) सिडबी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार सहित देश में राज्य-वार संस्वीकृत तथा संवितरित सहायता सलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार संस्वीकृत तथा संवितरित सहायता

(करोड़ रुपयों में)

	सभी योजनाओं के अंतर्गत सहायता					
	1996-97		1997-98		1998-99	
	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित
1	2	3	4	5	6	7
पूर्वी क्षेत्र						
बिहार	92.93	78.38	105.69	97.69	95.86	78.72
उड़ीसा	100.29	67.08	159.78	124.06	169.47	116.54
सिक्किम	2.57	2.55	2.04	2.01	6.58	6.14
पश्चिम बंगाल	196.47	165.29	309.22	219.09	314.58	208.66
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08
कुल	392.26	313.30	576.73	442.85	586.57	410.14
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र						
अरूणाचल प्रदेश	0.83	0.91	1.48	1.67	1.49	1.47
असम	10.10	6.86	17.34	10.06	8.19	9.65
मणिपुर	2.12	2.09	2.53	2.42	3.69	0.68
मेघालय	8.64	4.36	5.00	6.56	5.07	2.94
मिजोरम	0.94	0.93	0.70	0.70	0.98	0.98
नागालैण्ड	1.42	1.24	1.54	1.52	1.46	1.42
त्रिपुरा	4.82	4.78	4.07	3.83	3.99	3.80
कुल	28.87	21.17	32.66	26.76	24.87	20.94

1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र						
हरियाणा	452.88	302.89	472.05	288.39	378.09	324.70
हिमाचल प्रदेश	36.10	29.55	54.48	34.05	40.74	40.74
जम्मू एवं कश्मीर	10.88	9.92	16.83	12.90	20.20	16.64
पंजाब	190.08	129.95	218.84	176.74	237.99	153.97
राजस्थान	190.15	146.58	315.62	225.49	192.03	161.59
उत्तर प्रदेश	445.41	319.75	525.43	375.18	293.19	292.12
चण्डीगढ़	9.18	5.35	8.81	5.12	4.62	2.86
दिल्ली	395.27	253.23	526.37	289.86	186.53	190.37
कुल	1729.95	1197.22	2138.43	1407.73	1353.39	1182.99
पश्चिमी क्षेत्र						
गोवा	85.33	41.62	107.51	89.64	111.44	97.95
गुजरात	624.52	372.71	816.82	589.75	679.46	423.03
मध्य प्रदेश	169.53	136.86	193.90	154.24	243.37	194.14
महाराष्ट्र	1144.08	708.49	1176.82	835.71	849.77	827.82
दादर एवं नगर हवेली	6.43	2.03	28.73	20.82	15.74	16.13
दमन एवं दीव	6.23	1.69	4.04	3.80	0.24	0.73
योग	2036.22	1263.40	2327.82	1693.96	1900.02	1559.80
दक्षिणी क्षेत्र						
आन्ध्र प्रदेश	316.82	228.98	362.70	252.63	174.80	160.68
कर्नाटक	673.26	552.82	567.11	388.03	468.38	376.82
केरल	320.99	258.22	391.53	291.10	348.13	205.11
तमिलनाडु	894.35	689.09	935.81	657.70	535.45	364.00

1	2	3	4	5	6	7
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	12.00	6.12	8.13	7.33	7.08	4.39
योग	2217.42	1735.22	2265.28	1596.79	1533.84	1111.00
कुल योग	6404.71	4530.31	7340.92	5168.09	5398.69	4284.87
फैक्टरिंग	60.00	44.00	70.00	89.50	132.00	118.00
अन्य संस्थाओं के लिए एल.ओ.सी.	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	425.00
एल.ओ.सी. फॉर ओ.टी. सी.ई.आई. आपरेशन	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
रा.ल.उ. निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संस्थाओं के लिए उद्यम पूंजी	7.00	3.34	58.00	7.42	44.50	12.24
उद्यम पूंजी फंड—रा.सा. एण्ड औ.प्रौ. फण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
पी.एंड डी. के अंतर्गत सहायता	13.61	6.79	15.24	8.19	23.65	9.39
बैंकों को ल.अ. ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	2541.00	1435.67
प्रौ.वि. एवं आधु. को एल.ओ.सी.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महा योग	6485.32	4584.69	7484.16	5240.70	8879.84	6285.17

[अनुवाद]

कार्यस्थलों में यौन-उत्पीड़न

3408. श्रीमती मिनाती सेन :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में महिलाओं के साथ कार्यस्थलों में तंग किए जाने और उनके उत्पीड़न के बढ़ते मामलों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन घटनाओं में कमी लाने हेतु क्या कार्रवाई की गई?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में 13.8.1997 के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन शोषण रोकने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिए थे। दिशानिर्देशों में प्रत्येक कार्यालय में शिकायत समिति का गठन कर समुचित शिकायत तंत्र की स्थापना की प्रक्रिया भी बताई गई थी। शिकायत समिति का अध्यक्ष किसी महिला को बनाए जाने की बात कही गई थी,

जिसमें तीसरे पक्ष को भी शामिल किया गया हो। इन दिशा-निर्देशों को भारतीय संविधान की धारा 141 के रूप में कानूनी दर्जा दिया गया है।

इन दिशानिर्देशों को व्यावहारिक रूप से प्रभावी बनाने हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में, दिशानिर्देश में किए गए उल्लेख के अनुसार, कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के सभी सचिवों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों की दिशा निर्देशों का वितरण किया जाना शामिल है। इनमें से अधिकतर प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि दिशानिर्देशों के अनुरूप कदम उठाए गए हैं।

सरकार ने सरकारी कार्यालयों में दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तथा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर लागू होने वाली आचरण नियमावली में संशोधन किया है। औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 में भी संशोधन किए गए हैं ताकि निजी क्षेत्र के कार्य स्थलों पर महिलाओं के यौन-शोषण को अपराध माना जा सके, जिसके लिए कामगार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

इस संबंध में प्रत्येक कार्यालय की शिकायतों के आंकड़े नहीं रखे जाते।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

3409. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वलु : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में इस समय कुल कितने अधिकारी और कर्मचारी हैं;

(ख) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के स्वामित्व अथवा कब्जे में कुल कितने एकड़ भूमि है;

(ग) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र ने सरकार को कोई भूमि सौंपी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) 30.11.99 की स्थिति के अनुसार विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में अधिकारियों सहित कामगारों की कुल संख्या 17,292 है।

(ख) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के कब्जे में कुल 20,422 एकड़ भूमि है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का "एश-पौन्ड"

3410. श्री सुनील खां : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का "एश-पौन्ड" बना दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अनुबंध/करार को बदलने के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में कृषि और ग्रामीण उद्योगों में निवेश

3411. श्री सिमरनजीत सिंह मान: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में आज की तारीख तक कृषि और ग्रामीण उद्योगों में कुल कितना निवेश किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने पंजाब राज्य में विभिन्न लाभों/रियायतों हेतु अर्हता प्राप्त कृषि और ग्रामीण उद्योगों की कोई सूची तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत लाभान्वितों की संख्या कितनी है तथा ऋणस्वरूप कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ङ) इस उद्देश्य हेतु कितने आवेदन लंबित हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी

कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने पंजाब को कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों (जिसमें खादी कार्यक्रम शामिल है) के लिए दिनांक 31.3.1999 तक अनुदान के रूप में रु. 950.85 लाख रुपये तथा ऋण के रूप में रु. 1268.16 लाख रुपये वितरित किए।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) पंजाब को वर्ष 1998-99 के दौरान उपलब्धि कराए गए रोजगार तथा ऋण के संबंध में विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ङ) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण उद्योगों को ऋण सीधे बैंकों द्वारा दिया जाता है। बैंकों के पास लंबित ऋण आवेदनों के संबंध में, कोई केन्द्रीकृत सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण

वर्ष 1998-99 के दौरान के.वी.आई.सी. द्वारा उद्योगवार संवितरित किए गए ऋण

पंजाब राज्य

(लाख रुपयों में)

(रोजगार लाख व्यक्तियों में)

क्रम सं.	उद्योग	रोजगार	खादी ग्रामोद्योग आयोग		
			अनुदान	ऋण	सी बी सी
1	2	3	4	5	6
	क. खादी				
1.	सूती	0.71	345.73	11.45	–
2.	ऊनी	0.06	–	–	–
	ख. ग्रामीण उद्योग				
1.	मिट्टी के बर्तन	0.20	–	–	–
2.	चूना	0.01	–	–	–
3.	अगरबत्ती	*	–	–	–
4.	एच एम पी	*	–	–	–
5.	बम्बू व केन	0.06	–	–	–
6.	मधुमक्खी पालन	*	–	–	–
7.	घानी तेल	*	–	–	–

1	2	3	4	5	6
8.	गुड़ व खांडसारी	0.11	–	–	–
9.	पी सी पी आई	0.04	–	–	–
10.	वनीय पौधे व फल	0.02	–	–	–
11.	फल प्रसंस्करण	0.01	–	–	–
12.	फाइबर	0.17	–	–	–
13.	सोप	0.01	–	–	7.96
14.	चर्म	0.14	2.50	–	–
15.	पोलीमर	*	–	–	–
16.	बायो-गैस	–	–	–	–
17.	सी एंड बी	0.17	–	–	–
18.	एल्यूमिनियम	*	–	–	–
19.	इलैक्ट्रोनिक्स	*	–	–	–
20.	वस्त्रोद्योग	0.01	–	–	–
21.	सेवा	0.01	–	–	–
22.	पोली वस्त्र	–	7.78	1.21	–
	अन्य (आरईजीपी) एसटी बोर्ड आदि	–	3.11	591.73	1247.54
	जोड़	1.73	359.12	604.39	1255.50

*500 से कम सूचित करता है।

[हिन्दी]

ड्रिप-सिंचाई के लिए राजसहायता

3412. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ड्रिप-सिंचाई योजना को प्रोत्साहन दे रही है और इस प्रयोजनार्थ अधिकतम राजसहायता भी उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी राजसहायता उपलब्ध कराई गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) जी, नहीं। कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत टपका सिंचाई के लिए सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है। छोटे, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला किसानों

को 25000 रु. प्रति हैक्टेयर की अधिकतम सीमा के अधीन टपका सिंचाई प्रणाली की कुल लागत की 90% तथा अन्य वर्गों के किसानों को 25000 रु. प्रति हैक्टेयर की अधिकतम सीमा के अधीन लागत की 70% सहायता दी जाती है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान, उक्त स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को आबंटित धनराशि का विवरण संलग्न है।

विवरण

कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 के लिए परिव्यय

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	कुल परिव्यय	टपका प्रणाली की स्थापना हेतु परिव्यय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1277.50	1251.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	42.20	9.45
3.	असम	14.95	7.20
4.	बिहार	34.70	15.30
5.	गोवा	22.33	10.58
6.	गुजरात	230.23	210.60
7.	हरियाणा	96.70	74.25
8.	हिमाचल प्रदेश	33.43	2.66
9.	जम्मू व कश्मीर	483.30	11.93
10.	कर्नाटक	2372.88	2331.00
11.	केरल	365.43	348.30
12.	मध्य प्रदेश	221.13	205.88
13.	महाराष्ट्र	2703.95	2652.75
14.	मणिपुर	30.10	14.85
15.	मेघालय	34.20	13.95
16.	मिजोरम	38.10	13.95
17.	नागालैण्ड	41.85	19.35
18.	उड़ीसा	14.85	12.60
19.	पंजाब	98.68	82.80
20.	राजस्थान	309.70	297.90
21.	सिक्किम	43.20	5.85
22.	तमिलनाडु	1052.25	1026.00
23.	त्रिपुरा	26.67	11.52
24.	उत्तर प्रदेश	234.58	227.70
25.	पश्चिम बंगाल	8.43	1.80
26.	दादरा व नागर हवेली	5.59	4.45
27.	दमन व दीव	5.86	4.45
28.	दिल्ली	1.10	0.95
29.	लक्षद्वीप	5.86	4.45
30.	चण्डीगढ़	0.00	0.00
31.	अण्डमान व निकोबार	0.00	0.00
32.	पाण्डिचेरी	1.86	1.40
	कुल	9851.57	8874.85

[अनुवाद]

स्थानांतरण संबंधी मानदंड

3413. श्री अशोक प्रधान:
श्री रामसागर रावत:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय भंडार में स्थानांतरण संबधी मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आज की स्थिति के अनुसार कितने सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय भंडार, ''पी'' ब्लॉक, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर हैं और वे अपने वर्तमान पद पर कब से कार्यरत हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केन्द्रीय भण्डार, दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 1972 के अधीन पंजीकृत एक समिति है। कुछ शर्तों के अधीन, अपने प्रचालन-कर्मचारियों के बारी-बारी से स्थानांतरण (रोटेशन) के बारे में इसने (केन्द्रीय भण्डार ने) नवंबर, 1998 में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत अपनाए। भविष्य में अपने कर्मचारियों का स्थानांतरण करते समय केन्द्रीय भण्डार द्वारा ये मार्गदर्शी सिद्धांत ध्यान में रखे जाएंगे।

(ग) मौजूदा स्थिति के अनुसार, ''पी'' ब्लॉक में स्थित केन्द्रीय भण्डार में कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद

3414. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद ने योजनागत विकास निधि के संबंध में अब तक क्या मांगें की हैं; और

(ख) उन मांगों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) किसी क्षेत्र की आयोजना और विकास तथा इस प्रयोजनार्थ निधियों का आबंटन, मूलत: संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। तथापि, योजना आयोग पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों के विकास में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करता है। इस कार्यक्रम (एचएडीपी) के अंतर्गत दार्जिलिंग जिले के नामोदिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों को निधियाँ आबंटित की जाती हैं। योजना आयोग को चालू सत्र में दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद से अतिरिक्त निधियों के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इस्पात संयंत्र

3415. श्री रामदास आठवले: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थानवार लघु, मझौले और बड़े कितने संयंत्र हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त क्षेत्रों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हेतु कितने लाइसेंस जारी किये गये और कितने आवेदन-पत्र अब भी लंबित हैं; और

(ग) लंबित आवेदनों पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) देश में मध्यम और बड़े क्षेत्रों में इस्पात संयंत्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अतिरिक्त मुख्यत: लघु क्षेत्र में प्रेरण-भट्टी आधारित अनेक इस्पात संयंत्र हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं।

(ख) और (ग) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार नीति के अनुसार लोहा और इस्पात उद्योग को कतिपय स्थान-स्थिति संबंधी प्रतिबंधों को छोड़कर अनिवार्य लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया गया है। इस नीति के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस के लिए संघ सरकार का अनुमोदन तभी अपेक्षित है जब परियोजना को 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर के मानक शहरी क्षेत्र की परिसीमा से 25 कि.मी. के भीतर स्थापित करने का प्रस्ताव हो और वह स्थान-स्थिति 25 जुलाई, 1991 से पूर्व राज्य सरकारों द्वारा नामजद ''औद्योगिक क्षेत्र'' में नहीं हो। पिछले तीन वर्षों के दौरान संयंत्र स्थापित करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है। इस समय कोई आवेदन लंबित नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	ईकाई का राज्य	कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	9
2.	असम	2
3.	बिहार	8
4.	चंडीगढ़	1
5.	दिल्ली	2
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	9
8.	हरियाणा	13
9.	हिमाचल प्रदेश	4
10.	जम्मू कश्मीर	2
11.	कर्नाटक	14
12.	केरल	1
13.	मध्य प्रदेश	18
14.	महाराष्ट्र	33
15.	उड़ीसा	3
16.	पांडिचेरी	3
17.	पंजाब	9
18.	राजस्थान	7
19.	तमिलनाडु	7
20.	उत्तर प्रदेश	27
21.	पश्चिम बंगाल	27

[अनुवाद]

बुनियादी क्षेत्र की समीक्षा

3416. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों विशेषत: बुनियादी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार तत्संबंधी क्षेत्र-वार परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या बुनियादी क्षेत्र में कोई खामियां पाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य के कोर क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक की, केन्द्रीय क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा से ज्ञात होता है कि कार्यान्वयनाधीन ऐसी 25 परियोजनाओं में से, 1 परियोजना अनुसूची से आगे चल रही है, 4 परियोजनाएं समय पर चल रही हैं, तथा शेष 20 परियोजनाएं अपनी अद्यतन अनुमोदित तिथियों की तुलना में 3 से 69 माह तक विलंबित हैं। 25 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं में अद्यतन अनुमोदित लागत की तुलना में 9% से 195% की लागत वृद्धि होने की सूचना मिली है। इन परियोजनाओं की कुल प्रत्याशित लागत 16880.6 करोड़ रुपए की तुलना में 1.11.1999 तक 4187.12 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

(घ) परियोजना के कार्यान्वयन में खामियों के कारण परियोजना दर परियोजना भिन्न होते हैं। सामान्य तौर पर कारणों में शामिल हैं भूमि अधिग्रहण में विलंब, परियोजनाओं का कार्य देरी से शुरू होना, कार्य ठेके देने में विलंब, उपस्करों की आपूर्ति में विलंब,

खराब परियोजना प्रबंधन तथा निधियों की कमी/लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उठाए गए उपचारी कदमों में शामिल हैं:

(1) सरकार द्वारा मासिक तथा त्रैमासिक प्रबोधन/अवरोधों को अभिज्ञात करने में ये प्रबोधन अभिकरणों को समर्थ बनाते हैं तथा प्रबंधकों को उपचारात्मक उपाय करने में सहायता प्रदान करते हैं।

(2) परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहन आलोचनात्मक समीक्षा, विलंब को कम करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों, उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा संबधित अभिकरणों के समन्वय।

(3) आपूर्तिकर्ताओं साथ ही टर्नकी ठेकेदारों के उपस्करों के निर्माण की स्थिति की समीक्षा।

(4) अंतर-मंत्रालयी समन्वय तथा संबंधित पक्षों के बीच सुविधा बैठकें।

(5) संविदा पैकेजों को शीघ्र अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण में विलंब तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अधिकृत समितियों का गठन; तथा

(6) परियोजनाओं को अनुसूचीनुसार पूरा करने हेतु निधियां उपलब्ध करवाना।

कृषि विज्ञान केन्द्र

3417. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बंद पड़े कृषि विज्ञान केन्द्र को पुन: खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक पुन: खोलने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कोई कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित नहीं किया है।

(ग) से (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कोंकण कृषि विद्यापीठ डपोली के तहत मौजूदा क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र की कृषि विज्ञान केन्द्र का अतिरिक्त कार्यों को संभालने के लिए पहचान की है। इससे प्रौद्योगिकी सृजन मूल्यांकन तथा परिशोधन एवं उसके प्रसार के बीच मजबूत सम्पर्क कायम हो सकेगा।

बांधों का निर्माण

3418. श्री अनंत नायक: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार हाल में आए चक्रवात को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा में विभिन्न नदियों के तटों पर बड़े बांधों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अतिरिक्त धनराशि को कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कृषि रसायनों के बिना खेती

3419. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई किसान कृषि-रसायनों के बिना खेती कर रहे हैं और रिकार्ड उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को हाल ही में प्रो. एस.ए. धावोलकर द्वारा "प्लेन्टी फॉर ऑल" प्रकाशित पुस्तक की जानकारी है जिसमें रिकार्ड उत्पादन करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने और जल का संरक्षण करने पर जोर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) विभिन्न उत्पादन प्रणालियों, जिसमें फसल, बागवानी और पशुपालन का घटक भी शामिल है, में देशभर में कई नई रीति अपनाने वाले किसानों द्वारा बिना कृषि रसायनों के प्रयोग के कार्बनिक कृषि करने की कोशिश की जा रही है।

तथापि, इसे दर्शाने वाले पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि केवल कार्बनिक पदार्थों के प्रयोग से रिकार्ड उत्पादन लिया जा सकता है।

(ग) जी, हां।

(घ) वैज्ञानिक रूप से कार्बनिक कृषि के गुणों को सिद्ध करने हेतु अनुसंधान शुरू करने के लिए एक कार्य नीति विकसित करने हेतु प्रो. एस.ए. धाबोलकर और देशभर के प्रमुख कार्बनिक कृषि करने वाले किसानों को शामिल करके एक सामूहिक विचार-विमर्श का आयोजन किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कुछ कार्यक्रमों में केवल कार्बनिक कृषि के मुद्दों पर ही ध्यान दिया जा रहा है। कार्बनिक कृषि पर एक नेटवर्क कार्यक्रम का भी प्रस्ताव किया जा रहा है।

तुर्की के साथ सुरक्षा मामलों पर बातचीत

3420. श्री आर.एल. भाटिया: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और तुर्की ने एक दिसम्बर, 1999 को सुरक्षा मामलों पर सहयोग के लिए और बातचीत करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में विकास के संबंध में भी बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो दोनों देशों की बातचीत और सहमति के अन्य मुद्दों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) तुर्की सरकार के विदेश मंत्रालय के अण्डर सेक्रेट्री विदेश कार्यालय से परामर्शों के सिलसिले में 29 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 1999 तक नई दिल्ली की यात्रा पर आए। द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं तथा आपसी हित के क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मसलों सहित सुरक्षा मसलों, दक्षिण एशिया क्षेत्र की घटनाओं और संयुक्त राष्ट्र की पुनर्संरचना के बारे में बातचीत हुई।

एम.पी.एल.ए.डी.एस. में वृद्धि

3421. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान महाचक्रवात से उड़ीसा के प्रभावित क्षेत्रों के लिए एम.पी.एल.ए.डी.एस. के अंतर्गत आबंटित धनराशि बढ़ाए जाने संबंधी कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) हाल ही में आए चक्रवात से प्रभावित उड़ीसा के तेरह (13) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में वर्ष 1999-2000 के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों का आवंटन 2 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रु. करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रति निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष केवल 2 करोड़ रुपए आबंटित किये जा सकते हैं। तथापि चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के सहायतार्थ वैकल्पिक प्रस्ताव अग्रेषित किये गए हैं। ये विचाराधीन हैं।

बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियां

3422. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियां तेजी से भारतीय बीज कंपनियों को अधिगृहीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां बीज वितरण में एकाधिकार कायम कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और साथ ही इसका खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) केन्द्र सरकार का बीज व्यापार में विदेशी भागीदारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सरकार ने बीजों और रोपण सामग्री के आयात एवं निर्यात के लिए एक स्पष्ट नीति प्रतिपादित की है। बीजों एवं रोपण सामग्री का निर्यात आयात-निर्यात (एक्जिम) नीति से नियंत्रित होता है जिसमें कुछ चयनित फसलों को निर्यात के लिए प्रतिबंधित मद के रूप में निरूपित किया जाता है। सब्जियों एवं पुष्पों के बीजों के अतिरिक्त, बीजों एवं रोपण सामग्री का निर्यात नई बीज विकास नीति, 1988 जिसे पौधे, फल एवं बीज आदेश, 1989 के साथ पढ़ा जाए, से नियंत्रित होता है जिसमें थोक आयात के लिए निर्मुक्ति से पहले, आयात हेतु प्रस्तावित सामग्री का उत्पादकता एवं अन्य गुणों के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित बहु-स्थानिक जाँच में परीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग की एक्जिम समिति देश में बीजों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर बीजों/रोपण सामग्री के आयात एवं निर्यात के प्रस्तावों पर विचार करती है। इस प्रकार, बीज व्यापार में विदेशी भागीदारी के नियंत्रण के लिए स्पष्ट प्रक्रिया विद्यमान है।

[हिन्दी]

पुष्पों का उत्पादन

3423. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पुष्पों का उत्पादन राज्य-वार कितना है;

(ख) पुष्पों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पुष्पों की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(घ) क्या मुंबई विमानपत्तन पर पुष्पों के भंडारण हेतु शीतागार की सुविधा उपलब्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संकलित उत्पादन अनुमानों के अनुसार वर्ष 1997-98 में खुले फूलों का उत्पादन 365685.6 मी. टन तथा कटे फूलों का उत्पादन 6121.52 लाख फूल था। उत्पादन के राज्यवार आंकड़े विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग वाणिज्यिक पुष्पकृषि के लिए पूरे देश में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

1. आदर्श पुष्पकृषि क्षेत्र
2. क्षेत्र विस्तार
3. नर्सरियों की स्थापना
4. किसानों को प्रशिक्षण
5. शेड नेट्स तथा ग्रीन हाउस सहित संरक्षित खेती
6. रखरखाव यूनिटें।

कृषि एवं सहकारिता विभाग के अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा भी अपने विभिन्न कार्यक्रमों जैसे "सुलभ ऋण में सहभागिता के माध्यम से बागवानी उत्पादों के विपणन का विकास' तथा 'बागवानी में नई प्रौद्योगिकी तथा अवधारणाएँ लागू करना' के माध्यम से पुष्पकृषि के विकास के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

(ग) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमानों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए फूलों का मूल्य इस प्रकार है:

वर्ष	करोड़ रुपये
1996-97	63.00
1997-98	81.00
1998-99	97.00

(घ) और (ङ) जल्द खराब होने वाले उत्पादों के भण्डारण के लिए इस समय मुम्बई विमानपत्तन पर एक वॉक-इन-टाइप कोल्ड स्टोरेज है।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान फूलों का उत्पादन

	खुले फूल (मी. टन में)	कटे फूल (लाख में)
आंध्र प्रदेश	32900	
असम	79	
बिहार	1710	3
दिल्ली	10274	
हरियाणा	33040	483
हिमाचल प्रदेश	589	185
जम्मू व कश्मीर	1.6	78.5
कर्नाटक	124290	
मध्य प्रदेश	13127	
महाराष्ट्र	33250	
मणिपुर	29	
पंजाब	3355	
राजस्थान	2585	
सिक्किम	1	0.023
तमिलनाडु	92097	
उत्तर प्रदेश पहाड़ी	195	
उत्तर प्रदेश मैदानी	–	160
पश्चिम बंगाल	17685	5312
दमन व दीव	51	
पाण्डिचेरी	427	
कुल	365685.6	6121.523

[अनुवाद]

सुपर स्पेशिल्टी अस्पताल का निर्माण कार्य

3424. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्विलोन, केरल में सुपर स्पेशिल्टी अस्पताल का निर्माण कार्य समयानुसार प्रगति पर है;

(ख) यदि नहीं, तो इस निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण क्या हैं;

(ग) क्या ई.एस.आई. कारपोरेशन ने इस कार्य में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) असरामम जिला कोल्लम, केरल में सुपर स्पेशिल्टी अस्पताल की स्थापना के प्रस्ताव का कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत इस प्रकार के अस्पताल हेतु कार्यात्मक जरूरों पर चिकित्सा विशेषज्ञों, इंजीनियरों तथा वास्तुविदि वाली एक समिति ने विचार किया था। प्रस्तावित अस्पताल के स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है तथा इसके डिजाइन और अन्य कार्यात्मक जरूरतों को अंतिम रूप दे दिया गया है। शुरू में, परियोजना राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपी जानी थी। बाद में, केरल सरकार के अनुरोध के आधार पर परियोजना केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दी गई है। इसके अलावा आकलन की संस्वीकृति के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ताकि अस्पताल के निर्माण का कार्य के.लो.नि. विभाग से, इसके प्राप्त होते ही, शुरू करवाया जा सके।

लाल केला का उत्पादन

3425. श्री विष्णु पद राय: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अंडमान द्वीपों में लाल केला का उत्पादन कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाल केला के उत्पादन में कमी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) सरकार द्वारा लाल केले के उत्पादन संबंधी आंकड़े अलग से नहीं रखे जा रहे हैं। बहरहाल, केले की चीना तथा चम्पा जैसी किस्मों, जो भारी वर्षा तथा तेज रफ्तार से बहने वाली हवा जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उगाई जा सकती है, की लोकप्रियता के कारण तथा किसानों को लाल केले की तुलना में इनके अधिक लाभकारी मूल्य मिलने के कारण अण्डमान द्वीप समूह में लाल किले के उत्पादन में गिरावट आ रही है।

(ग) लाल केले तथा केले की अन्य स्वदेशी किस्मों के जर्मप्लाज्म भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर द्वारा रखे जा रहे हैं। शोतीष्ण, उष्ण कटिबंधीय तथा शुष्क क्षेत्रीय फलों के विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, जिसमें केला भी शामिल है फलों के उत्पादन कार्यक्रम के लिए अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह की संघ राज्य सरकार सहित सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सरकार सहायता दे रही है। चालू वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्र शासित प्रदेश अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए 14.69 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

केरल में काजू उत्पादन में लगे श्रमिकों हेतु भविष्य निधि पेंशन

3426. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में हाल ही में शुरू की गई भविष्य निधि पेंशन के तहत काजू उत्पादन में लगे कुल कितने श्रमिकों को पेंशन मिल रही है;

(ख) काजू उत्पादन में लगे श्रमिकों से कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) कितने आवेदन स्वीकृत तथा अस्वीकृत किए गए हैं;

(घ) इन्हें अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार काजू उत्पादन में लगे सभी श्रमिकों को पेंशन योजना में शामिल करने हेतु इस पर पुनर्विचार करने का है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने आयु सीमा तथा निर्धारण तिथि को वापिस ले लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) 30 नवम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार, केरल क्षेत्र में काजू उद्योग में कार्य करने वालों से संबंधित 12,155 पेंशन मामले थे। कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने जन्मतिथि, नामांकन में गलती पाये जाने तथा पात्रता शर्तों को पूरा न करने के कारण 2217 मामले अस्वीकृत कर दिए हैं।

(ङ) से (च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार फार्मर्स चीप एस गवर्नमेंट स्लीप

3427. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 दिसम्बर, 1999 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'बिहार फार्मर्सवीय एस गवर्नमेंट स्लीप' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में बताए गए तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार में किसानों को ऊंची दरों पर घटिया सड़े-गले बीजों को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप गेहूँ के उत्पादन में गिरावट आई है और मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(घ) क्या बिहार में बाढ़-प्रभावित जिलों में बीजों का वितरण करने के मामले में बड़ा घोटाला किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) चूँकि संदर्भित विषय राज्य

सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है, अत: भारत सरकार को उक्त समाचार में वर्णित तथ्यों की जानकारी नहीं है।

(ग) बिहार सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य में गेहूँ के बीजों की आवश्यकता 2 लाख क्विंटल हैं, जबकि उपलब्धता 2.003 लाख क्विंटल है। चूँकि बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, अत: किसानों को ऊंची दरों पर घटिया/मिलावटी बीज खरीदने की कोई विवशता नहीं रही है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार को बीजों के वितरण के बारे में किसी बड़े घोटाले की जानकारी नहीं है।

मवेशियों के लिए होमियोपैथिक/आयुर्वेदिक औषधियां

3428. डा. संजय पासवान: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होमियोपैथिक/आयुर्वेदिक औषधियां मवेशियों के इलाज में भी उपयोगी पाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सच्चाई क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो मवेशियों के लाभ के लिए जल्द ही इस नई पद्धति को शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) इन औषधियों का उपयोग करते हुए मवेशियों पर किये गये अनुसंधान के उत्साहवर्धक परिणाम दिखाई पड़े हैं और उन्हें उपयोगी पाया गया है। मवेशियों के रोगों के उपचार के लिए इन औषधियों का उपयोग किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पुनर्वास नीति

3429. श्रीमती शीला गौतम: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापित परिवारों के लिए देश में कोई राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति को कब तक प्रभावी बनाए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) इस समय कोई भी राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति नहीं है। तथापि, वर्ष 1980 में, तत्कालीन केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय ने सभी राज्यों को मुख्य जलाशय परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों की पुनर्स्थापना करने संबंधी निदेश जारी किए थे। इस समय जलाशय परियोजनाओं द्वारा प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए कार्यक्रम राज्य सरकारों/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अपनी नीतियों के आधार पर परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में चलाए जाते हैं जो कि राज्य और परियोजना के आधार पर भिन्न-भिन्न होते हैं। पुनर्वास और पुनर्स्थापना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए जलाशय परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना संबंधी राष्ट्रीय नीति अपनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय जल बोर्ड ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद से विचार करने के लिए इस संबंध में एक नीति संबंधी दस्तावेज का मसौदा तैयार किया है। तथापि, "अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के कारण बुरी तरह प्रभावित या विस्थापित लोगों या परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना संबंधी राष्ट्रीय नीति" और "भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन" जो कि अभी सरकार के विचाराधीन है, को राज्यों और विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के साथ परामर्श कर अंतिम रूप दिए जाने के बाद उक्त नीति पर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा विचार करना/इसे अपनाना, यदि आवश्यक समझा गया तो और संशोधनों पर निर्भर करेगा।

रोजगार योजना

3430. डा. रमेश चंद तोमर: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार की एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार दिया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उक्त योजना के तहत प्रत्येक परिवार से ऐसे कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार योजना को कार्यान्वित नहीं कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केस्कर और प्रीतम सिंह समिति

3431. श्री अधीर चौधरी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने देश में गंगा नदी और इसकी सहयोगी नदियों से होने वाले भूक्षरण और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में ''केस्कर और प्रीतम सिंह समिति रिपोर्ट'' को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा/पद्मा नदी के तट कटाव समस्या की जांच के लिए योजना आयोग ने सितम्बर, 1996 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है जिसने पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में फरक्का बैराज के प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह में आने वाली विभिन्न धाराओं में हो रहे कटाव को रोकने के वास्ते 315 करोड़ एवं 612 करोड़ रु. की लागत से क्रमश: अल्पावधि एवं दीर्घावधि उपाय करने की सिफारिश करते हुए दिसम्बर, 1996 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। दीर्घ एवं अल्पावधि उपायों को प्राथमिकता दी गई तथा इन स्कीमों को योजना आयोग द्वारा निधियां मुहैया कराने एवं इसके बाद इनके कार्यान्वयन के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार के आधार पर केन्द्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आबंटित किया गया है। प्रीतम सिंह समिति द्वारा की गई सिफारिशों में विशेषज्ञ समिति द्वारा सुधारात्मक उपायों के संबंध में दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा गया है।

बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना एवं निष्पादन राज्य सरकार द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकता के अनुसार राज्य बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के तहत दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता एवं योजना आयोग द्वारा आबंटित निधियों से किया जाता है।

राज्य सरकार के अनुरोध पर, अल्पावधि उपायों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को विशेष मामले के रूप में केन्द्र द्वारा 30 करोड़ रु. की राशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में मुहैया करायी गयी थी।

[हिन्दी]

भारत को परमाणु राष्ट्रों में शामिल करना

3432. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी सीनेट द्वारा व्यापक परमाणु निषेध संधि के अस्वीकार करने के बाद भारत को परमाणु देश की श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) सरकार ने कहा है कि भारत एक नाभिकीय शस्त्र संपन्न राष्ट्र है। यह सीधा-सादा एक तथ्य-परक प्रश्न है और यह अमरीकी सीनेट द्वारा व्यापक परीक्षण निषेध संधि के अनुसमर्थन को अस्वीकार किये जाने से संबंधित नहीं है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा एकीकृत कश्मीर लिबरेशन आर्मी का गठन

3433. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जुलाई, 1999 के 'द हिन्दू' में ''शरीफ लीव्ज फॉर एस. अरेबिया'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कश्मीर जेहाद में संलिप्त गुरिल्ला संगठनों ने ''कश्मीर लिबरेशन आर्मी'' का गठन करने का निर्णय लिया था ताकि वे अपना उद्देश्य हासिल करने के लिए भारतीय सेना के खिलाफ एकीकृत होकर संघर्ष कर सकें;

(ग) यदि हां, तो क्या एकीकृत कश्मीर लिबरेशन आर्मी के गठन के बारे में सूचना सही है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) सरकार को जम्मू एवं कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी समूहों की जानकारी है।

सरकार ने कश्मीर लिबरेशन आर्मी नामक नए आतंकवादी संगठन के बारे में 19 जुलाई, 1999 को ''दि हिन्दू' में छपी खबर भी देखी है। तथापि, इस प्रकार के किसी दल के बारे में अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है। सरकार देश की सुरक्षा एवं प्रादेशिक अखंडता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी।

खादी ग्रामोद्योग आयोग पर बुनकरों का निर्भर होना

3434. **श्री एच.जी. रामुलू:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में खादी ग्रामोद्योग पर निर्भर बुनकरों और अन्य श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या खादी उद्योग वित्तीय संकट में है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में विशेषकर कर्नाटक में खादी को सुरक्षा प्रदान करने और इसे लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) कर्नाटक में 46,000 व्यक्ति (अनुमानत:) खादी कार्यक्रम में तथा 1.96 लाख व्यक्ति (अनुमानत:) ग्रामीण उद्योगों में लगे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

यूरेनियम सर्वेक्षण

3435. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कोई यूरेनियम सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष रहा; और

(ग) यूरेनियम का पता लगाने में सरकार को कितनी सफलता मिली है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग के एक संघटक यूनिट, परमाणु ऊर्जा खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (ए एम डी) ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सोलन, सिरमुर, बिलासपुर, कांगड़ा तथा मंडी जिलों के हिस्सों में यूरेनियम के लिए अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण किए हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप सोलन जिले के कुछ हिस्सों में बलुआ पत्थर के साथ सम्बद्ध विभिन्न विमाओं वाली यूरेनियम विसंगतियों का प्रारंभिक रूप से पता लगा है, आगे और विस्तृत अन्वेषण करना जिसमें भू-वेधन भी शामिल है, जरूरी है और तदनुसार ए एम डी ने इन विसंगातया की व्यवहार्यता को स्थापित करने के लिए योजना बनाई है।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र हेतु निधियां

3436. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र में विभिन्न विकास संबंधी कार्यों हेतु वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त इस्पात संयत्र द्वारा शुरू किए गए विकास संबंधी कार्यों की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र (बी.एस.एल.) को सेल द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिए आबंटित राशि और बी.एस.एल. द्वारा किए गए कार्यों का

ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये)

विकास कार्यों के लिए आबंटित राशि

1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
190.00	160.00	115.00	58.00

किए गए कार्यों का ब्यौरा

कार्य का स्वरूप	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
स्कूल भवनों का निर्माण	8	3	–	–
हैण्ड पम्प लगाना	50	50	51	30
सामुदायिक सिंचाई कुओं का निर्माण/मरम्मत	22	3	–	–
काजवे का निर्माण	1	–	–	–
सड़कों का निर्माण/मरम्मत	40 कि.मी.	20 कि.मी.	7 कि.मी.	2 कि.मी.

(ग) और (घ) सरकार सेल के इस्पात संयंत्रों द्वारा किए गए परिसरीय विकास कार्यों की समीक्षा नहीं करती।

[अनुवाद]

आस्ट्रिया के साथ मसझौता

3437. श्री पी.सी. थामस: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आस्ट्रिया के साथ व्यापार और अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आस्ट्रिया में रह रहे भारतीयों को दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत को इस प्रकार की भागीदारी से लाभ होगा; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हाँ।

(ख) आस्ट्रिया के आर्थिक मामलों के संघीय मंत्री डाक्टर हेन्स फार्नलीट्नर की 8—14 फरवरी, 1999 की भारत यात्रा के दौरान भारत और आस्ट्रिया के बीच एक द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग करार सम्पन्न हुआ था। इस करार में दोनों देशों के बीच आर्थिक, औद्योगिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय सहयोग बनाए रखने, विकसित करने और उन्हें विस्तार देने का प्रावधान है।

राष्ट्रपति की आस्ट्रिया यात्रा के दौरान 8 नवम्बर, 1999 को भारत और आस्ट्रिया के बीच दोहरे कराधान से परिहार संबंधी एक करार और द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार पर हस्ताक्षर हुए थे। दोहरे कराधान से परिहार संबंधी इस करार ने 1963 में सम्पन्न हुए दोहरे कराधान से परिहार के लिए अभिसमय का स्थान लिया है और इसमें मौजूदा दरों की तुलना में करों की निम्न दरों की व्यवस्था है। द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार में विदेशी निवेश के संरक्षण का प्रावधान है और उनके लिए राष्ट्रीय व्यवहार शामिल है।

(ग) से (च) आस्ट्रिया में भारतीय निवासी वियना में भारतीय राजदूतावास के साथ, विशेषकर विभिन्न भारतीय संघों के पदाधिकारियों के माध्यम से नियमित रूप से सम्पर्क में रहते हैं। उनके सुझावों और प्रयासों को ध्यान में रखा जाता है और वे द्विपक्षीय संबंधों में अपना योगदान करते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी विकास

3438. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पशुपालन और डेयरी विकास क्षेत्र पर और अधिक जोर देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पश्चिमी राजस्थान की थार मरुभूमि जहां आय का मुख्य स्रोत पशुपालन है में डेयरी विकास क्षेत्र के विकास के लिए चिलिंग प्लांट्स कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटिड वाहनों को मुहैया कराने की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) यद्यपि पशुपालन और डेयरी विकास की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है, इस संबंध में राज्य सरकार के प्रयासों को समर्थन देने के लिए भारत सरकार ने योजनाएं बनाई हैं।

नौवीं योजना में केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों पर बल दिया है:

* आनुवंशिक संसाधनों का उन्नयन।
* आहार और चारे का विकास।
* पशु स्वास्थ्य देखभाल और प्रबंधन।
* पशुधन उत्पादों का प्रसंस्करण और विपणन; और
* पशुपालन सांख्यिकी और सूचना प्रणाली का विकास।

(ग) और (घ) राजस्थान में दुग्ध संघों ने "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" के तहत विभिन्न क्रियाकलापों के लिए दी जाने वाली निधि के लिए संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी आर डी ए) को योजनाएं प्रस्तुत की हैं।

क्रियाकलापों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

(1) मौजूदा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना और डेयरी संयंत्रों की क्षमता का विस्तार करना।

(2) गांवों से खरीदे गए दूध के रख-रखाव के लिए दूध के बर्तनों की खरीद।

(3) ग्रामीण स्तर के सहकारी समितियों पर दूध इकट्ठा करने वाले स्वचालित केन्द्रों (ए एम सी एस) और इलैक्ट्रानिक मिल्कोटैस्टर्स (ई एम टी) की स्थापना।

पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में जिलों से संबंधित योजना प्रस्तावों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

दुग्ध संघ	जिला	राशि (लाख रु. में)
जोधपुर	जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर	210.62
जालौर-सिरोही	जालौर, सिरोही	100.00
पाली	पाली	96.55

राजस्थान सहकारी दुग्ध परिसंघ (आर सी डी एफ) ने जोधपुर और जालौर मिल्क शेडों जिनमें जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जालौर और सिरोही जिले कवर किए गए हैं, के लिए कुछ कूलर, रेफ्रिजरेटिड वैन, इलैक्ट्रानिक मिल्कोटेस्टर्स आदि की खरीद के लिए वर्ष 1998-99 में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी आर डी ए) से वित्तीय सहायता प्राप्त की है। इसका ब्यौरा इस प्रकार है:

जोधपुर	—	119 लाख रुपए
जालौर	—	5 लाख रुपए

परमाणु हथियारों का उन्नयन

3439. डा. एस. जगतरक्षकन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में थिएटर मिसाइल डिफेन्स सिस्टम (टीएमडी) मुहैया कराने की अमेरिकी योजना के अंतर्निहित तथ्यों की व्याख्या की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने न्यूनतम परमाणु निवारण को बनाये रखने हेतु परमाणु हथियारों के उन्नयन के लिए कोई कारगर कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सरकार एशिया प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने के लिए इस क्षेत्र में टीएमडी न मुहैया कराने हेतु अमेरिकी सरकार पर दबाव डालेगी;

(घ) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे पर चीन के विचारों का पता लगाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र को परमाणु हथियारों की होड़ से मुक्त रखने के लिए संयुक्त कूटनीतिक प्रयास किये जायेंगे; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सरकार इस क्षेत्र में तथा इससे बाहर सामरिक आधुनिकीकरण कार्यक्रमों पर सावधानीपूर्वक नजर रखती है। सरकार भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की प्रभावी सुरक्षा करने के लिए अपने खतरे अवधारणाओं के अनुरूप सभी आवश्यक उपाय करने के प्रति पूर्णरूप से वचनबद्ध रहती है।

(ग) सरकार ने निरस्त्रीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बद्ध बैलिस्टिक मिसाईल रक्षा व्यवस्था तैनात करने से संबंधित अमरीकी योजनाओं के संभावित प्रयासों के बारे में अमरीका के साथ द्विपक्षीय रूप से चर्चा की है।

(घ) से (च) संयुक्त राष्ट्र महासभा के निरस्त्रीकरण और प्रथम समिति के सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में, भारत और चीन ने बैलिस्टिक मिसाईल सुरक्षा व्यवस्था से संबद्ध घटनाओं और बाह्य अन्तरिक्ष में हथियार दौड़ प्रतिबंध (पारोस) संबंधी जेनेवा में निरस्त्रीकरण संबंधी सम्मेलन में एक तदर्थ समिति के गठन पर चर्चा की है। भारत ने इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महा-सभा में रूस, चीन और बेलारूस द्वारा प्रवर्तित बैलिस्टिक मिसाईल रोधी संधि के संरक्षण संबंधी संकल्प के पक्ष में भी मतदान किया है। जून, 1999 में विदेश मंत्री की चीन यात्रा के दौरान, भारत और चीन सुरक्षा संबंधी मसलों पर बातचीत आरम्भ करने के लिए सहमत हुए। सरकार को आशा है कि इस संवाद के दौरान चीन के साथ परस्पर हित के मसलों पर चर्चा होगी।

[हिन्दी]

इस्पात क्षेत्र में साझा उपक्रम

3440. श्री रामपाल सिंह : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत और चीन के बीच इस्पात क्षेत्र में साझा उपक्रम स्थापित करने संबंधी कोई बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बातचीत का परिणाम क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (ग) चीन के एक प्रतिनिधिमंडल ने 22 से 26 नवम्बर, 1999 तक भारत का दौरा किया। दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श के दौरान लोहा और इस्पात क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वर्धित सहयोग पर बातचीत हुई।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर बांध

3441. श्री दिनशा पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ.ई.सी.एफ.) से सहायता न मिलने के कारण सरदार सरोवर परियोजना (एस.एस.पी.) के रीवर बैड पावर हाऊस के लिए टर्बो-जनरेटिंग सेटों की खरीद में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संकट को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई या करने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल बिजली घर के वास्ते 6/200 मेगावाट के टर्बो जनरेटिंग (टी.जी.) सेटों की खरीद के लिए विस्तृत बातचीत और परियोजना मूल्यांकन के बाद भारत सरकार और ओ.ई.सी.एफ.-जापान के बीच 25.11.85 को एक ऋण समझौते आई.डी.पी. 33 पर हस्ताक्षर किये गए थे। इसके परिणामस्वरूप मैसर्स सुमितोपो कारपोरेशन लिमिटेड, जापान के साथ 24.64 बिलियन येन के साथ (प्लस) 35.51 करोड़ रुपये (भारतीय घटक) की नियत संविदा राशि पर 13.8.1987 को हस्ताक्षर किये गए। तथापि, जापान में पर्यावरण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास मुद्दों पर उठी आपत्तियों के कारण ओ.ई.सी.एफ. ने 2.85 बिलियन येन के 10% अग्रिम भुगतान के पहले भाग को जारी करने के बाद ऋण सहायता रोक दी। ओ.ई.सी.एफ. ऋण के रोके जाने पर जारी किया गया साख पत्र प्राप्त करना और टी.जी. सेटों के आयात की व्यवस्था करना संभव नहीं था।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने वार्ता हेतु एक दल का गठन किया। इस दल में मैसर्स सुमितोमों कारपोरेशन लिमिटेड के साथ विभिन्न विवादास्पद मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सरकार के प्रतिनिधि और भारत सरकार की एजेंसियां शामिल थे। वार्ताकार दल द्वारा लम्बे समय तक बातचीत करने के बाद, इस मामले को नवम्बर, 1998 में अंतिम रूप दिया गया और सभी पक्षकारों को स्वीकार्य शर्तों पर टर्बो-जनरेटर सेटों की लागत के जापानी भाग को पूरा करने के लिए मैसर्स सुमितोमो कारपोरेशन लिमिटेड ने 22.11 बिलियन येन को जापानी सप्लायर्स क्रेडिट प्रदान करने का प्रस्ताव किया। इसके बाद गुजरात सरकार ने गारंटी दी, बाद में भारत सरकार द्वारा काउंटर गारंटी दिए जाने पर टीजी सेटों की खेप 25.5.99 से गुजरात में केवाडिया में पहुंचनी शुरू हो गई है।

उद्योगों को बन्द किया जाना

3442. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार कितने उद्योगों को बंद घोषित किया गया;

(ख) क्या अधिकांश मामलों में ये उदारीकरण की नीति के बाद बंद किए गए;

(ग) इनके बंद होने से राज्यवार कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं; और

(घ) इन प्रभावित श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान बंद घोषित उद्योगों तथा उनके कारण प्रभावित कामगारों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

उदारीकरण के पूर्व और पश्चात् बंद हुई इकाइयों के नियमों में बहुत ज्यादा विविधता है और इसके कई कारण हो सकते हैं।

(घ) सरकार ने पुनर्निर्माण या बंद के कारण औद्योगिक इकाइयों के प्रभावित कर्मचारियों को, जरूरत होने पर, क्षतिपूर्ति देने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की है। इस कोष से आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा औद्योगिक पुनर्निर्माण के कारण प्रभावित हुए कामगारों के पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्तैनाती की लागत को पूरा करने के लिए धन भी मुहैया कराया जाता है।

विवरण

वर्ष 1997-99 के दौरान बंद घोषित उद्योगों तथा उनके कारण प्रभावित कामगारों की संख्या

	1997(अ)		1998(अ)		1999(अ) (जन.-सित.)	
	क	ख	क	ख	क	ख
	1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	1	84	—	—	1	65
अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—		..
असम	—	—	—	—	—	—
बिहार	2	43	4	219	3	90
गोवा	2	71	2	36	2	29
गुजरात	21	848	34	1,067	9	189
हरियाणा	—	—	2	83	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	2	159	3	182	2	91
केरल	3	53	—	—	3	147
मध्य प्रदेश	2	2,888	4	274	3	83
महाराष्ट्र	7	207	1	70	—	—
मणिपुर	—	—	—	—	—	—
मेघालय	—	—	—	—	..	
मिजोरम	—	—		..		
नागालैंड	—	—	—	—		
उड़ीसा	4	352	13	2,537	2	139
पंजाब	1	19	1	1,425	51	8,202
राजस्थान	8	1,489	1	350	2	180

	1	2	3	4	5	6
सिक्किम	—	—	—	—		
तमिलनाडु	2	176	7	94	1	39
त्रिपुरा	55	3,247	42	742	3	19
उत्तर प्रदेश	22	3,003	38	5,190	3	198
पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	..	..
चंडीगढ़	—	—	—	—	..	..
दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	2	192	2	807	—	—
दमन और दीव	—	—	—	—	—	—
लक्षद्वीप	—	—			—	—
पांडिचेरी	20	353	21	510	—	—
कुल योग	154	12,944	175	13,386	85	9,471

क - बंद घोषित उद्योगों की संख्या
ख - प्रभावित कामगारों की संख्या
- - शून्य
.. - उपलब्ध नहीं
अ - अनन्तिम
स्रोत: श्रम ब्यूरो, शिमला

राज्यों के लिए योजना कोष

3443. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों ने योजना आयोग द्वारा नियत योजना बजट का उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य योजना खर्च को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने हेतु उपाय करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित योजना परिव्यय की तुलना में वास्तविक व्यय के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है जो यह इंगित करता है कि कई राज्य योजना परिव्यय का उपयोग करने में समर्थ नहीं रहे हैं। इन राज्यों द्वारा योजना परिव्यय का उपयोग न कर पाने का मुख्य कारण, राज्यों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों को अनुमानित स्तरों तक न बढ़ा पाना है।

(ग) और (घ) योजना आयोग, राज्यों पर, अन्य बातों के अलावा, राज्य स्तर पर उद्यमों के निष्पादन को सुधार कर एवं अपने गैर-योजना व्यय में कटौती करके और अधिक संसाधन

जुटाने के लिए जोर डालता रहा है जिससे योजना को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध हो सकें। बेहतर आउटपुट हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के डिजाइन एवं कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए विभिन्न सुझाव भी दिए गए हैं, जिनके ब्यौरे नौवीं योजना दस्तावेज में दिए गए हैं जिसे संसद भवन पुस्तकालय में रखा गया है।

विवरण

1996-97, 1997-98 और 1998-99 की वार्षिक योजनाओं हेतु अनुमोदित परिव्यय/वास्तविक व्यय संबंधी ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय			वास्तविक व्यय		
		1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2989.00	3579.55	4678.95	3052.26	3707.23	4678.95
2.	अरूणाचल प्रदेश	520.00	600.00	625.00	430.93	489.38	471.58
3.	असम	1434.00	1510.28	1650.00	1101.62	1283.18	1389.37
4.	बिहार	2143.91	2268.42	3768.74	1549.28	1711.43	1850.00
5.	गोवा	250.00	230.56	291.34	199.12	185.99*	234.77
6.	गुजरात	3378.00	4509.62	5450.00	3080.13	3905.07	5450.00
7.	हरियाणा	1433.65	1576.04	2260.00	1235.29	1303.61	1800.00
8.	हिमाचल प्रदेश	900.50	1008.00	1440.00	918.33	1294.33	1444.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1250.00	1551.81	1900.00	1260.46	1496.28	1750.00
10.	कर्नाटक	4360.00	4153.59	5353.00	3972.54	4424.48	5131.54
11.	केरल	2207.27	2851.10	3100.00	2106.73	2867.62	3039.09
12.	मध्य प्रदेश	3144.80	3718.15	3700.00	2759.71	3343.91	3426.12
13.	महाराष्ट्र	8319.67	8393.19	11600.73	6856.77	7938.03	11600.73
14.	मणिपुर	350.00	410.00	425.00	367.17	345.28	406.08

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मेघालय	370.00	382.00	400.00	253.88	248.83	302.50
16.	मिजोरम	281.00	290.00	333.00	286.77	295.25	284.55
17.	नागालैण्ड	290.00	291.00	300.00	265.67	236.13	300.00
18.	उड़ीसा	2205.50	2529.46	3084.43	2003.97	2037.14	3084.43
19.	पंजाब	1857.05	2100.01	2500.00	1794.39	2008.80	2500.00
20.	राजस्थान	3310.49	3514.42	4300.00	3131.41	3987.35	4025.00
21.	सिक्किम	192.00	220.00	237.00	192.78	190.12	218.00
22.	तमिलनाडु	3719.05	4004.90	4500.00	3726.37	4010.63	4500.00
23.	त्रिपुरा	370.00	439.91	440.00	369.96	412.59	379.00
24.	उत्तर प्रदेश	6549.03	7246.57	10260.00	5674.73	5652.36	5887.32
25.	पश्चिम बंगाल	3158.63	3907.62	4594.85	2426.51	2840.10	2749.45
	जोड़ (राज्य)	54983.55	61286.20	77192.04	49016.79	56215.12	66902.48

*वास्तविक व्यय उपलब्ध नहीं है। संशोधित परिव्यय लिया गया है।

लौह अयस्क का उत्पादन

3444. **श्री अजय सिंह चौटाला : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितनी मात्रा में लौह-अयस्क उपलब्ध है और दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार राज्यवार कुल कितने लौह-अयस्क का उत्पादन हुआ;

(ख) वर्तमान में देश में इस अयस्क की मांग और पूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में अयस्क की कितनी मात्रा का आयात और निर्यात किया जा रहा है;

(घ) क्या चीन भारत से लौह-अयस्क का आयात करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इसका भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव होगा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) 1.4.95 की स्थिति के अनुसार देश में लौह अयस्क के खनन योग्य निक्षेपों की कुल मात्रा 134600 लाख टन है। अप्रैल-सितंबर, 1999 के दौरान 31774 हजार टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ। इसका राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	मात्रा (हजार टन)
भारत	31774
आंध्र प्रदेश	166
बिहार	5763
गोवा	5380
कर्नाटक	7216
मध्य प्रदेश	8070
महाराष्ट्र	11
उड़ीसा	5165
राजस्थान	3

(ख) इस्पात मंत्रालय द्वारा जुलाई, 1996 में नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गठित लोहे और इस्पात से संबंधित कार्यदल के उप दल-2 की रिपोर्ट के अनुसार लौह अयस्क की आपूर्ति और मांग की स्थिति निम्नानुसार है:

(1) 2001-02 तक इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 420.2 लाख टन है। इसी प्रकार 2002 तक स्पंज लोहे के उत्पादन का लक्ष्य 66.8 लाख टन और कच्चे लोहे के उत्पादन का लक्ष्य 46.5 लाख टन है।

(2) उपर्युक्त उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 2001-02 तक 650 से 700 लाख टन वार्षिक लौह अयस्क/पैलोटों की विभिन्न श्रेणियों/विनिर्दिष्टियों इसमें निर्यात लक्ष्य शामिल नहीं है आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है जिसमें प्रति टन तप्त धातु/स्पंज लोहे के लगभग 1.6 टन लौह अयस्क के मानक की अवधारणा की गई है।

(3) 2001-02 तक लौह अयस्क (डले/चूरा/सांद्रण/पैलेट) की अनुमानित उपलब्धता 1065.9 लाख टन है। 2006-07 तक (10वीं योजना के अंत में) ये उपलब्धता लगभग 1212.7 लाख टन होगी।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क के निर्यात और आयात की मात्रा निम्नानुसार है:-

निर्यात/आयात	1995-96	1996-97	1997-98
निर्यात (हजार टन)	31770	29650	35260
आयात (हजार टन)	879	853	372

(घ) चीन भारत से लौह अयस्क का आयात कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एम.एम.टी.सी. द्वारा चीन को निर्यात किए गए लौह अयस्क की मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा (लाख टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1996-97	15.23	87.03
1997-98	25.23	152.41
1998-99	25.21	175.61

(ङ) देश से उच्च श्रेणी के लौह अयस्क के उसी उत्पादन को निर्यात करने की अनुमति है जो घरेलू मांग की पूर्ति के बाद अधिशेष हो। अत: लौह अयस्क के निर्यात का घरेलू लोहा और इस्पात उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि से घरेलू खनन उद्योग को मदद मिलेगी।

अखिल भारतीय वन सेवा

3445. श्री जार्ज ईडन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य वन सेवा के अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय वन सेवा में कोई विशेष कोटा है;

(ख) यदि हां, तो चयन के लिए मानदंड सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय वन सेवा के लिए चयन में कोई असमानता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) सभी राज्यों में, राज्य-वन-सेवा से भारतीय-वन-सेवा में समय-समय पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, भारतीय-वन-सेवा (संवर्ग-संख्या-निर्धारण) विनियम, 1966 में किसी राज्य-विशेष के संबंध में निर्धारित, राज्य-सरकार, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति-रिजर्व, राज्य-प्रतिनियुक्ति-रिजर्व और प्रशिक्षण-रिजर्व में वरिष्ठ ड्यूटी पदों की संख्या के $33^{1}/_{3}$ तक की जाती है। राज्य-वन-सेवा के अधिकारियों की भारतीय-वन-सेवा में पदोन्नति के मानदण्ड, समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय-वन-सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 में निर्धारित हैं। उपर्युक्त चयन, वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर राज्य-वन-सेवा के उन स्थायी सदस्यों में से किया जाता है जिन्होंने राज्य-वन-सेवा में सम्मिलित पदों पर कम से कम आठ वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जांच हेतु दिशा निदेश

3446. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 नवम्बर, 1999 को ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''एच.सी. आस्क्स सेन्टर टू ले डाउन गाइडलाइन्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) संदर्भित समाचार, गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल, नई दिल्ली द्वारा उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं की केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल के बारे में, दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका की सुनवाई के बारे में है। इस न्यायाधीन मामले में केन्द्रीय सरकार को जांच-पड़ताल के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

बेपोर-कल्लाइ नहर

3447. श्री के. मुरलीधरन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की बेपोर-कल्लाइ नहर के विकास के संबंध में केरल सरकार से कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ग) परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ग्रामीण और शहरी गरीबी

3448. श्री अरुण कुमार :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान, दिनांक 3 सितम्बर 1999 के ''बिजनिस स्टैण्डर्ड'' में ''रूरल, अर्बन पावर्टी अप इन पोस्ट-रिफार्म्स पीरिअड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रिपोर्ट किए गए तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां। 3 सितम्बर, 1999 के ''बिजनेस स्टैण्डर्ड'' में प्रकाशित समाचार ''रूरल अरबन पावर्टी अप इन पोस्ट-रिफोर्म्स पीरिअड'', इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आई.जी.आई.डी.आर.) मुम्बई द्वारा मई, 1999 में तैयार की गई भारत विकास रिपोर्ट, 1999-2000 पर आधारित है।

(ख) समाचार में कहा गया है:

(1) सुधारों के बाद की अवधि के प्रथम दो वर्षों में ग्रामीण व शहरी गरीबी बढ़ी।

(2) 1991 के बाद की अवधि में गरीबों की कुल संख्या में वृद्धि होती जा रही है। यह स्थिति 1980 के दशक की स्थिति के बिलकुल विपरीत है जब गरीबों की संख्या में, वास्तव में, गिरावट आई थी।

(3) सुधारों के बाद ग्रामीण गरीबी की तुलना में शहरी गरीबी में अधिक तेजी से गिरावट आई। 1980 के दशक में ग्रामीण गरीबी में तेजी से आ रही गिरावट का सिलसिला 1991 के बाद की अवधि में रुक गया।

(4) अभी तक भारत में आर्थिक सुधारों का गरीबों पर असर कुछ लेटिन अमेरिकी देशों की तुलना में बेहतर रहा है परन्तु कुछ पूर्व एशियाई देशों की तुलना में बदतर रहा है।

(ग) रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां, योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए गरीबी अनुमानों पर आधारित हैं तथा रिपोर्ट की तालिका 3.3 (पृष्ठ 52) में उद्धृत की गई है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के प्रतिशत में, जोकि तालिका में उद्धृत है, ग्रामीण क्षेत्रों में, 1987-88 के 39.1 प्रतिशत से 1993-94 में 37.3 प्रतिशत तक गिरावट आई है तथा शहरी क्षेत्रों में उसी अवधि के दौरान 38.2 प्रतिशत से 32.4 प्रतिशत तक गिरावट आई है। पूरे देश में, समग्र रूप से, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत 1987-88 के 38.9 प्रतिशत की तुलना में गिरकर 1993-94 में 36 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार यह सही नहीं है कि इस अवधि के दौरान गरीबी बढ़ी है। हालांकि इस अवधि के दौरान जनसंख्या में वृद्धि के कारण गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की कुल संख्या में लगभग 13 मिलियन की वृद्धि हुई है। यह भी सच है कि शहरी गरीबी में ग्रामीण गरीबी की तुलना में तेजी से गिरावट आई है।

जहां तक अन्य देशों की तुलना में भारत में गरीबों पर आर्थिक सुधारों के प्रभाव का प्रश्न है पद्धति में भिन्नता के कारण भारत के गरीबी अनुमान अन्य देशों के गरीबी अनुमानों के साथ तुलनीय नहीं है।

चूंकि गरीबी के नवीनतम अनुमान वर्ष 1993-94 के लिए ही उपलब्ध हैं, सुधारों के बाद की अवधि के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के एक बड़े प्रतिदर्श सर्वेक्षण से तैयार किए जाते हैं, गरीबों पर आर्थिक-सुधारों के प्रभाव को तभी समझा जा सकता है जब राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 56वें दौर (जुलाई 1999 से जून 2000) के उपभोक्ता व्यय के वृहत सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध हो जाएंगे।

[अनुवाद]

पाटन-रोधी उपबंध

3449. श्री विकास चौधरी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने अपने देश में पाटन-रोधी उपबंध के अंतर्गत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के विरुद्ध मामला दायर किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यूरोप और अमरीका में उन्नत देशों द्वारा भारतीय इस्पात उत्पादकों के विरुद्ध ऐसे कितने मामले दायर किए गए हैं और इसमें कितना इस्पात शामिल है और इससे कुल कितना नुकसान हुआ;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) भारत में इस्पात की डम्पिंग तत्काल रोकना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) जी, हां। अमरीका के वाणिज्य विभाग ने अमरीका को सी.टी.एल. प्लेटों की आपूर्ति हेतु अनन्तिम शुल्क निम्न प्रकार घोषित किए हैं:

पाटन-रोधी शुल्क	—	58.5 प्रतिशत
प्रतिकारी शुल्क	—	14.45 प्रतिशत

(ग) इस समय भारतीय इस्पात कम्पनियों के विरुद्ध निम्नलिखित मामलों की जांच चल रही है:-

क्र.सं.	उत्पाद	देश
1.	तप्त बेल्लित क्वायलें	यूरोपियन यूनियन
2.	क्वारटों प्लेटें	यूरोपियन यूनियन
3.	कार्बन इस्पात प्लेटें	अमरीका
4.	कार्बन इस्पात प्लेटें	कनाडा

इस चरण पर उपर्युक्त जांच के अन्तर्गत इस्पात की मात्रा और मूल्य का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। तथापि, भविष्य में निर्यात करने का अवसर मामलों के परिणाम पर निर्भर करेगा और अच्छे बाजार को खोने से होने वाली हानि की मात्रा और मूल्य दोनों पर असर पड़ सकता है।

(घ) विभिन्न देशों में पाटन-रोधी जांच "पाटन-रोधी संबंधी विश्व व्यापार संगठन समझौता" के प्रावधानों के तहत की जाती है। पाटन-रोधी जांच करते समय किसी भी देश द्वारा समझौते का उल्लंघन करने की स्थिति में भारत सरकार विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटारा तंत्र का सहारा ले सकती है।

(ङ) भारत सरकार ने पदनामित प्राधिकारी की अध्यक्षता में वाणिज्य मंत्रालय में "पाटन रोधी और सम्बद्ध शुल्क महा निदेशालय" गठित किया है। पदनामित प्राधिकारी स्वदेशी उद्योग अथवा अन्य किसी की ओर से आवेदन प्राप्त होने पर जांच हेतु आवश्यक कार्रवाई करता है और पाटन-रोधी शुल्क तब लगाता है जब इस बात के पर्याप्त प्रमाण हों कि आयात से पाटे जाने से समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाले भारतीय उद्योग को हानि हो रही है अथवा हानि होने का खतरा है। सेल और अन्यों से प्राप्त एक याचिका पर भारत ने सी.आई.एस. देशों से तप्त वेल्लित क्वायलों के आयात पर पहले ही पाटन-रोधी शुल्क लगा दिया है।

कर्नाटक दुग्ध परिसंघ

3450. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान सितम्बर, 1999 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा कर्नाटक दुग्ध परिसंघ को कुल कितनी सहायता/ऋण राशि दी गई है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा दी गई धनराशि का दुरूपयोग किया गया है और इसको अन्य प्रयोजनार्थ खर्च किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और अब तक ऋण पुनर्भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कर्नाटक दुग्ध परिसंघ को दी गई वित्तीय सहायता/ऋण राशि के दुरुपयोग के मामले में कोई जांच शुरू करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने कर्नाटक दुग्ध परिसंघ एवं इसके सम्बद्ध संघों को सहायता/ऋण के रूप में निम्नलिखित धनराशि प्रदान की है:-

कुल सहायता (लाख रुपए में)		
1997-98	1998-99	1999-2000
280.15	490.83	854.71

उपर्युक्त के अतिरिक्त इन तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के तहत कर्नाटक दुग्ध परिसंघ एवं इसके संघों को दी गई सहायता निम्नानुसार है:-

(लाख रुपए में)

		1997-98	1998-99	1999-2000
(1)	"सहकारिताओं को सहायता" योजना के तहत धारवाड़ दुग्ध संघ को अग्रिम।	250.54	शून्य	शून्य
(2)	डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन।	138.41	22.11	34.61
(3)	ई.ई.-सी.पी.आई.ए. कार्यक्रम	शून्य	1.13	21.44

(ख) और (ग) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने सूचित किया है कि कर्नाटक दुग्ध संघ परिसंघ द्वारा राशि के दुरुपयोग या अन्य प्रयोजन के लिए इसके अंतरण की कोई शिकायत उन्हें नहीं मिली है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा इन तीन वर्षों के लिए स्वीकृत सहायता/ऋण में नवम्बर, 1999 में दी जाने वाली प्रथम किश्त के लिए दो वर्ष का ऋण स्थगन हुआ। कर्नाटक दुग्ध परिसंघ द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को 4.12 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कृषि परियोजनाओं के लिए सहायता

3451. **श्री कृष्णम राजू :**
श्री भर्तृहरि मेहताब :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 1999-2000 के लिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र सरकारों से विभिन्न कृषि परियोजनाओं के लिए सहायता संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग को आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र राज्य सरकारों से चालू केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत प्रस्तावों के अलावा अलग से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। चालू स्कीमों के अधीन 30.9.99 तक निर्मुक्त धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

राज्य	निर्मुक्त धनराशि (करोड़ रु. में)
आंध्र प्रदेश	38.67
उड़ीसा	13.49
महाराष्ट्र	44.95

आंध्र प्रदेश और न्यू जरसी के बीच संबंध

3452. **श्री बी.वी.एन. रेड्डी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आर्थिक विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश और न्यू जरसी, अमरीका के बीच समरूपी संबंधों को मंजूरी देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी, हां, आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यटन, संस्कृति आदि क्षेत्रों में अमरीका के न्यू जरसी स्टेट के साथ समरूपी संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। ऐसे प्रस्तावों को पिछले अनुभव और हित के क्षेत्रों के देखते हुए, आन्ध्र प्रदेश सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि वह चैम्बर ऑफ कामर्स आदि के सहयोग से न्यू जरसी के साथ आर्थिक संबंध स्थापित करे। संशोधित प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

3453. **श्री रामशकल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापक फसल बीमा योजना में विदेशी बीमा कम्पनियों के शामिल होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कौन सी विदेशी बीमा कम्पनियों ने सरकार से बात की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) फसल बीमा में विदेशी बीमा कम्पनियों का शामिल होना प्रस्तावित बीमा विनियमन तथा विकास प्राधिकरण (इरडा) विधेयक में फसल बीमा कारोबार के लिए निजी बीमा कम्पनियों के लिए बनाए गए प्रावधानों पर निर्भर है।

(ग) फसल बीमा हेतु किसी भी विदेशी कम्पनी ने सम्पर्क नहीं किया है।

[अनुवाद]

इस्पात का उत्पादन

3454. **श्री विजय गोयल :**
श्री अजय सिंह चौटाला :
डा. बलिराम :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक इस्पात का उत्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम घाटे तथा लाभ में चल रहे हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक इस्पात संयंत्र को कितना घाटा हुआ है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस्पात संयंत्र को लाभकारी बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में इस्पात का उत्पादन करने वाली दो कम्पनियां नामत: स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) हैं। पिछले तीन वर्षों और 1999-2000 की प्रथम छमाही का इनके निवल लाभ/हानि(-) का संयंत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए)

संयंत्र	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 की प्रथम छमाही
क-सेल				
भिलाई इस्पात संयंत्र	684	701	301	(-)173
बोकारो इस्पात संयंत्र	357	367	(-)165	(-)176
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	(-)236	(-)509	(-)719	(-)378
राउरकेला इस्पात संयंत्र	(-)316	(-)374	(-)765	(-)536
मिश्र इस्पात संयंत्र	(-)67	(-)88	(-)179	(-)87
सेलम इस्पात संयंत्र	(-)38	(-)120	(-)180	(-)87
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड*	(-)102	(-)84	(-)74	(-)35
इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि.	(-)213	(-)395	(-)357	(-)173.03
महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड	(-)1.16	1.5	(-)11.1	(-)16.79
ख-आर.आई.एन.एल.				
विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र	(-)246	(-)177	(-)469	(-)399.47

*1.4.1998 से वी.आई.एस.एल. का सेल में विलय हो गया।

हानि के कारण अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं:-

(1) इस्पात की मांग में मन्दी

(2) आयात से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा

(3) आदान लागतों में वृद्धि

(4) मुख्यत: आधुनिकीकरण और अन्य पूंजीगत योजनाओं के पूंजीकरण के कारण उच्च ब्याज और मूल्यह्रास लागत।

(ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) दोनों ही अपने निष्पादन की सतत् रूप से समीक्षा कर रहे हैं तथा अपनी हानि

को नियंत्रित करने और लाभप्रदता बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, वित्तीय स्थिति में सुधार करने और व्यापक वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना योजना तैयार करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

मत्स्यन प्रशिक्षण केन्द्र

3455. चौधरी तेजवीर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की प्रत्येक राज्य में मत्स्यन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को वर्षवार कितनी सहायता दी गई है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) भारत सरकार ने संलग्न विवरण-I में दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत स्थापना/उन्नयन के लिए 66 मात्स्यिकी प्रशिक्षण केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान की है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य को प्रत्येक वर्ष दी गई केन्द्रीय सहायता का विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत सरकार द्वारा अब तक स्थापना/उन्नयन के लिए स्वीकृत राज्यवार प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	योजना का नाम								कुल
		ताजा जल जलकृषि		खारा जल जलकृषि		विश्व बैंक सहायतित झींगा व मछली पालन परियोजना		मात्स्यिकी प्रशिक्षण तथा विस्तार		
		सं.	स्थान	सं.	स्थान	सं.	स्थान	सं.	स्थान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1.	मछलीपत्तनम	1	पोलेकुरू	–		2	वारंगल, पदमपुडी	4
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–		1	इमची	1
3.	असम	1	सिबसागर	–	–	–		–		
4.	बिहार	–	–	–	–	–		2	पटना, मधुबनी	2
5.	गोवा	–	–	1	दौजी	–		1	इला, दौजी	2
6.	गुजरात	–	–	1	मटवाड	–		2	फदवलख, गटवाड	3
7.	हरियाणा	1	ज्योतिसार	–	–	–		1	लाहली, बनियानी	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	हिमाचल प्रदेश	1	बिलासपुर	–		–		2	देवली, बिलासपुर	3
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1	धोमनासन	–		–		2	कोकेरनाग कथुआ	3
10.	कर्नाटक	1	रायचूर	1	कुम्ता	–		2	सिमोगा, मालपे	4
11.	केरल	1	पालोम	1	मुलावकु	–		1	पालोम	3
12.	मध्य प्रदेश	1	छत्तरपुर	–		–		2	रायपुर, छतरपुर	3
13.	महाराष्ट्र	1	नवगांवखेरी	1	बड़ा-पोखरण	–		–		2
14.	मणिपुर	1	इम्फाल	–		–		2	लाम्फेल, कुन्द्राकप्म	3
15.	मेघालय	1	मावपन	–		–		2	शिलांग, तुरा	3
16.	मिजोरम	1	थेंजावल	–		–		1	तांडिल	2
17.	नागालैंड	1	दीमापुर	–		–		1	घासपानी	2
18.	उड़ीसा	1	कौशल्यागंगा	1	पारादीप	1	चंद्रभागा	2	बोमालई, बालूगांव	5
19.	पंजाब	1	संगरूर	–		–		2	नथाना, फिरोजपुर	3
20.	राजस्थान	1	गुवाडी	–		–		–		1
21.	तमिलनाडु	1	चेन्नई	1	करंगाडू	–		2	मद्रास, सथानुर दम	4
22.	त्रिपुरा	1	उदयपुर	–		–		1	लेम्बूचेरा	2
23.	उत्तर प्रदेश	1	जौनपुर	–		–		2	गोमती, परिचितगढ़	3
24.	पश्चिम बंगाल	1	एस-24 परगना	1	नजत	1	दीघा	1	कुलिया	4
25.	अंड. एवं. निको. द्वीप समूह	–		–		–		1	मरीनाहिल्स	1
	कुल	20		9		2		35*		66

*मौजूदा केन्द्रों के उन्नयन के लिए स्वीकृति

विवरण-II

भारत सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता			कुल
		1996-97	1997-98	1998-99	
1.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	2.50	2.50
2.	बिहार	–	3.75	–	3.75
3.	गोवा	–	2.50	–	2.50
4.	कर्नाटक	–	5.00	–	5.00
5.	केरल	–	2.50	–	2.50
6.	मध्य प्रदेश	2.50	–	–	2.50
7.	मेघालय	–	1.00	2.50	3.50
8.	राजस्थान	2.00	–	–	2.00
9.	तमिलनाडु	2.50	2.50	–	5.00
10.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	0.60	–	0.60
	कुल	7.00	17.85	5.00	29.85

निर्यात संवर्धन परिषदें

3456. **डा. वी. सरोजा** : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद की तर्ज पर कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों के लिए निर्यात संवर्धन परिषदें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विद्यमान निर्यात संवर्धन परिषदें सभी श्रेणी के उत्पादों को कवर करती हैं।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर के बारे में विदेशी प्रसारण सेवा द्वारा दुष्प्रचार का द्वेषपूर्ण अभियान

3457. योगी आदित्यनाथ : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी प्रसारण सेवाएं भारत से जम्मू और कश्मीर राज्य को विवादग्रस्त क्षेत्र दिखला रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार का द्वेषपूर्ण अभियान रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ विदेशी दूरदर्शन नेटवर्क जम्मू और कश्मीर राज्य की सीमा सहित भारत की सीमाओं को गलत ढंग से चित्रित करते हैं।

सरकार ने प्रेस को दी गई जानकारी के माध्यम से और विदेशी दूरदर्शन नेटवर्क के साथ सीधे सम्पर्कों के जरिए इन्हें ठीक करने के हर संभव प्रयास किए हैं।

[अनुवाद]

बीजों को विकसित करना

3458. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बीजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने के वास्ते, राष्ट्रीय बीज परियोजना-III (एन.एस.पी. III) के अन्तर्गत राष्ट्रीय बीज निगमों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय बीज परियोजना-3 के तहत विभिन्न राज्य बीज निगमों को प्रदत्त सहायता निम्नवत् है:-

(लाख रुपये)

क्र.सं.	निगम का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1.	आन्ध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम	114.72	-	-
2.	असम राज्य बीज निगम	714.00	100.00	-
3.	गुजरात राज्य बीज निगम	4.00	-	-
4.	मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम	313.00	-	-
5.	महाराष्ट्र राज्य बीज निगम	223.00	-	-
6.	उड़ीसा राज्य बीज निगम	348.00	-	-
7.	राजस्थान राज्य बीज निगम	280.00	-	-

कृषि अनुसंधान

3459. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों को कृषि अनुसंधान संस्थानों के लिए धन प्रदान करने का है;

(ख) इस संबंध में तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई/स्वीकृति की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) राज्यों को उनके कृषि अनुसंधान में संलग्न संस्थानों के लिए सीधे ही निधि उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के अन्य संस्थानों में चल रही अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के केन्द्रों को निधि प्रदान कर दी गई है।

(ख) इस संबंध में तैयार की गई नीति के अनुसार क्रमश: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/ अन्य केन्द्रों के बीच क्रमश: 75:25 के अनुपात से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य केन्द्रों को निधि प्रदान की जानी है।

(ग) चूंकि निधि राज्यों को नहीं दी गई बल्कि अनुसंधान परियोजनाओं के केन्द्रों को दी गई है, अत: दी गई राशि का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा गया है।

सार्क में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाना

3460. श्री नारायण दत्त तिवारी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) द्वारा भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह दर्जा कब तक दिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) भारत सार्क का एक संस्थापक सदस्य है और इसका पूर्ण सदस्य बना रहेगा।

वर्षा जल संग्रहण

3461. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्षा जल संग्रहण हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1998-99 और 1999-2000 की अवधि के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, नदी घाटी परियोजनाओं एवं बाढ़ प्रवण नदियों के जलगृहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, पूर्वोत्तर राज्यों के झूम कृषि क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 (राज्यवार) के दौरान प्रदत्त सहायता का विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 (नवम्बर, 1999 तक) में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, नदी घाटी परियोजना, बाढ़ प्रवण नदियों एवं झूम कृषि क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रदत्त सहायता का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शा. प्रदेश	रा.प.वि.प.		न.घा.प.		बा.प्र.न.		ए.वि.प. (झूम)	
		1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	900.00	600.00	553.00	503.70	—	—	—	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	61.00	17.00	—	—	—	—	150.00	50.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	125.00	—	10.00	—	—	—	35.00	50.00
4.	बिहार	125.00	—	—	—	—	—	—	—
5.	गोवा	8.00	3.00	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	2000.00	2000.00	400.00	344.40	—	—	—	—
7.	हरियाणा	220.00	35.00	—	—	218.00	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	175.00	106.00	400.00	200.00	373.20	80.00	—	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	38.00	15.00	599.00	492.40	—	150.00	—	—
10.	कर्नाटक	2000.00	1308.00	1115.00	924.60	—	—	—	—
11.	केरल	1434.00	350.00	—	40.00	—	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	1609.00	1683.00	1050.00	700.00	812.00	610.90	—	—
13.	महाराष्ट्र	3060.00	650.00	1300.00	350.00	—	—	—	—
14.	मणिपुर	200.00	100.00	—	—	—	—	65.00	41.00
15.	मेघालय	200.00	165.00	—	—	—	—	160.00	50.00
16.	मिजोरम	700.00	260.00	—	—	—	—	440.00	268.00
17.	नागालैण्ड	500.00	337.00	—	—	—	—	500.00	270.00
18.	उड़ीसा	550.00	200.00	50.00	300.00	—	—	—	—
19.	पंजाब	45.00	8.00	—	—	51.00	20.00	—	—
20.	राजस्थान	4000.00	1990.00	800.00	644.10	680.00	250.00	—	—
21.	सिक्किम	150.00	97.66	—	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	1650.00	1070.00	640.00	300.00	—	—	—	—
23.	त्रिपुरा	300.00	240.00	30.00	29.60	—	—	150.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	उत्तर प्रदेश	1750.00	850.00	250.00	161.20	2179.70	842.10	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	600.00	425.00	—	—	—	—	—	—
26.	दादर व नागर हवेली	1.00	—	—	—	—	—	—	—
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	65.00	32.00	—	—	—	—	—	—
28.	दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.)	—	—	400.00	268.80	—	—	—	—
	कुल	22436.00	12541.66	7597.00	5258.80	4313.90	1953.00	1500.00	829.00

[हिन्दी]

फल और सब्जियां

3462. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन से फल और सब्जियां खाद्य प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त पाए गए हैं; और

(ख) इन फलों और सब्जियों की कहां पर खेती की जाती है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) आम, अनानास, सेब, अंगूर, नींबू, अमरूद, केला, लीची, आलू, टमाटर, हरी मटर, प्याज, लहसुन, खीरा, फूलगोभी और खुम्बी प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त पाए गए मुख्य फल और सब्जियां हैं।

(ख) ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

1995-96 के दौरान भारत में प्रमुख फल और सब्जियों का उत्पादन

(1000 टन में उत्पादन)

राज्य	फल							सब्जियां					
	सेब	केला	सिट्रस	अंगूर	अमरूद	आम	अनानास	फूलगोभी	टमाटर	प्याज	मटर	आलू	खीरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश	—	1035	943	46	114	3164	176	—	477	374	—	—	3
असम	—	570	110	—	—	—	200	120	284	—	—	505	—
बिहार	—	—	188	—	328	1806	52	1139	1128	137	185	1508	—
गुजरात	—	1071	—	—	143	293	—	103	184	444	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
हिमाचल प्रदेश	277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	—	—
हरियाणा	—	—	—	18	—	—	—	136	145	106	93	—	—
जम्मू एवं कश्मीर	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	—	1671	391	162	159	994	—	—	913	440	—	—	30
केरल	—	—	—	—	—	266	47	—	—	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	—	586	171	—	139	164	—	131	375	235	—	518	—
महाराष्ट्र	—	2917	865	275	106	380	—	—	520	1121	—	—	—
मणिपुर	—	—	—	—	—	—	66	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	—	—	—	—	—	372	—	—	647	380	55	—	—
पंजाब	—	—	329	63	—	—	—	—	139	—	80	796	—
राजस्थान	—	—	119	—	—	—	—	—	—	162	—	—	—
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	35	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	—	3692	213	31	—	570	65	—	232	232	—	—	6
उत्तर प्रदेश	210	—	—	—	156	2074	—	222	—	396	1728	7466	—
पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	472	233	271	146	—	31	6258	—
मेघालय	—	—	—	—	—	—	90	—	—	—	—	—	—

[अनुवाद]

कृषि के विकास के लिए निधि

3463. **श्री आजूबन रियान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कृषि के विकास हेतु राज्य-वार और योजना-वार कितनी धनराशि जारी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): कृषि के विकास के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत जारी धनराशि का राज्यवार तथा स्कीमवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि का विवरण

गेहूं आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	533.00	279.10	267.27
7.	हरियाणा	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	86.00	111.13	65.58
9.	जम्मू एवं कश्मीर	15.00	—	24.16
10.	कर्नाटक	—	—	—
11.	केरल	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	—	—	—
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैण्ड	—	—	—

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	—	248.49	122.2
20.	राजस्थान	69.00	66.02	42.71
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	—	—	—
23.	त्रिपुरा	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	902.00	867.14	289.71
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
	कुल	1605.00	1571.88	811.63

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि का विवरण

चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	719.00	749.74	414.60
2.	अरूणाचल प्रदेश	36.00	21.10	22.45
3.	असम	—	—	45.00
4.	बिहार	34.00	—	—
5.	गोवा	7.00	10.00	14.75
6.	गुजरात	—	—	—
7.	हरियाणा	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	—	—	—

1	2	3	4	5
11.	केरल	134.00	131.00	71.64
12.	मध्य प्रदेश	29.00	203.00	90.00
13.	महाराष्ट्र	—	—	—
14.	मणिपुर	46.00	42.86	43.83
15.	मेघालय	17.00	8.00	12.00
16.	मिजोरम	36.00	28.00	24.27
17	नागालैण्ड	41.00	41.60	18.00
18.	उड़ीसा	998.00	740.00	349.12
19.	पंजाब	—	—	—
20.	राजस्थान	—	—	—
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	628.00	615.44	369.69
23.	त्रिपुरा	30.00	22.00	35.05
24.	उत्तर प्रदेश	1195.00	821.66	520.70
25.	पश्चिम बंगाल	144.00	80.00	90.00
	कुल	4094.00	3514.40	2121.10

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि का विवरण

स्कीम का नाम : समेकित अनाज विकास कार्यक्रम - मोटा अनाज

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	—	—	—

1	2	3	4	5
4.	बिहार	—	—	—
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	118.50	136.27	65.20
7.	हरियाणा	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	214.00	235.00	314.95
11.	केरल	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	597.00	482.24	217.10
13.	महाराष्ट्र	541.50	954.00	339.65
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैण्ड	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	—	—
19.	पंजाब	—	—	—
20.	राजस्थान	739.00	742.41	542.43
21.	सिक्किम	6.00	21.50	13.32
22.	तमिलनाडु	—	—	—
23.	त्रिपुरा	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
	कुल	2216.00	2571.42	1492.65

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि का विवरण

स्कीम का नाम : समेकित कपास विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	100.00	153.00	144.14
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	92.00	14.00	26.00
7.	हरियाणा	43.00	66.77	39.00
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	37.50	92.00	76.60
11.	केरल	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	56.00	60.00	18.00
13.	महाराष्ट्र	348.50	307.00	105.00
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैण्ड	—	—	—
18.	उड़ीसा	45.00	41.00	14.00

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	196.00	259.00	171.00
20.	राजस्थान	244.50	323.00	30.00
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	251.00	112.00	62.00
23.	त्रिपुरा	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	28.00	64.00	23.00
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
	कुल	1441.50	1581.77	708.74

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि का विवरण

स्कीम का नाम : विशेष पटसन विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	44.00	12.50	21.24
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	9.50	88.50	20.00
4.	बिहार	2.00	—	6.47
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	—	—	—
7.	हरियाणा	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	—	—	—
11.	केरल	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	—	—	—
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	1.00	51.00	5.00
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैण्ड	—	—	—
18.	उड़ीसा	66.00	68.00	23.13
19.	पंजाब	—	—	—
20.	राजस्थान	—	—	—
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	—	—	—
23.	त्रिपुरा	43.50	—	5.00
24.	उत्तर प्रदेश	35.00	—	5.00
25.	पश्चिम बंगाल	169.00	180.50	55.00
	कुल	370.00	400.50	140.84

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि का विवरण

स्कीम का नाम : गन्ना आधारित फ़सल प्रणाली का सतत विकास

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	148.00	41.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—

1	2	3	4	5
3.	असम	—	—	5.00
4.	बिहार	70.67	—	23.00
5.	गोवा	—	—	3.00
6.	गुजरात	18.00	105.00	29.00
7.	हरियाणा	75.00	71.00	23.00
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	100.00	127.00	59.00
11.	केरल	20.00	38.00	9.00
12.	मध्य प्रदेश	27.00	73.00	23.00
13.	महाराष्ट्र	284.00	580.00	134.00
14.	मणिपुर	5.00	20.00	6.00
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिजोरम	10.00	21.30	6.00
17.	नागालैण्ड	11.00	23.00	6.00
18.	उड़ीसा	40.00	27.00	10.00
19.	पंजाब	—	43.00	15.00
20.	राजस्थान	12.00	69.00	24.00
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	65.00	94.00	38.00
23.	त्रिपुरा	3.00	12.00	5.00
24.	उत्तर प्रदेश	256.00	91.00	135.00
25.	पश्चिम बंगाल	6.00	12.00	9.00
	कुल	1002.67	1554.30	603.00

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि का विवरण

स्कीम का नाम : राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	221.00	245.00	45.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	5.00	5.00	2.00
3.	असम	—	10.00	3.00
4.	बिहार	—	—	—
5.	गोवा	1.00	1.00	0.78
6.	गुजरात	90.00	208.00	56.25
7.	हरियाणा	60.00	35.00	23.00
8.	हिमाचल प्रदेश	15.00	15.00	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	30.00	30.00	10.00
10.	कर्नाटक	130.00	150.00	60.00
11.	केरल	12.00	12.00	7.20
12.	मध्य प्रदेश	555.00	485.00	210.00
13.	महाराष्ट्र	412.00	430.00	144.00
14.	मणिपुर	25.00	35.00	20.00
15.	मेघालय	5.00	5.00	6.00
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैण्ड	18.00	30.00	21.60
18.	उड़ीसा	45.00	180.00	60.00

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	25.00	22.00	7.00
20.	राजस्थान	690.00	525.00	264.00
21.	सिक्किम	15.00	15.00	5.00
22.	तमिलनाडु	165.00	150.00	37.77
23.	त्रिपुरा	25.00	25.00	25.37
24.	उत्तर प्रदेश	543.00	630.00	100.00
25.	पश्चिम बंगाल	13.25	25.00	8.00
	कुल	3100.25	3268.00	1116.87

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि का विवरण

स्कीम का नाम : तिलहन उत्पादन कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1502.00	1200.00	651.81
2.	अरूणाचल प्रदेश	40.00	40.00	46.88
3.	असम	—	200.00	67.00
4.	बिहार	—	—	—
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	1142.00	1030.00	377.00
7.	हरियाणा	296.36	280.00	138.65
8.	हिमाचल प्रदेश	—	40.00	13.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	80.00	27.00

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	595.00	700.00	300.72
11.	केरल	50.00	50.00	33.33
12.	मध्य प्रदेश	1249.00	1241.50	430.00
13.	महाराष्ट्र	1050.00	1100.00	367.00
14.	मणिपुर	110.00	100.00	44.90
15	मेघालय	20.00	25.00	30.00
16.	मिजोरम	—	—	48.00
17.	नागालैण्ड	—	80.00	72.00
18.	उड़ीसा	500.00	500.00	167.00
19.	पंजाब	100.00	100.00	—
20.	राजस्थान	1650.00	1230.00	648.95
21.	सिक्किम	55.00	60.00	20.00
22.	तमिलनाडु	832.50	625.00	375.00
23.	त्रिपुरा	35.00	58.50	58.16
24.	उत्तर प्रदेश	921.00	704.00	200.00
25.	पश्चिम बंगाल	250.00	246.00	83.00
	कुल	10397.86	9690.00	4199.40

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि का विवरण

स्कीम का नाम : आयल पाम विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	125.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—

1	2	3	4	5
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—
5.	गोवा	22.17	—	—
6.	गुजरात	—	—	—
7.	हरियाणा	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	—	135.00	30.00
11.	केरल	—	90.11	—
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	—	—	—
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैण्ड	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	100.00	10.00
19.	पंजाब	—	—	—
20.	राजस्थान	—	—	—
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	204.09	50.00	30.00
23.	त्रिपुरा	5.78	—	2.66
24.	उत्तर प्रदेश	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
	कुल	232.04	375.11	197.66

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि का विवरण

स्कीम का नाम : त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	32.50	40.00	20.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	31.00	30.00	15.00
3.	असम	36.82	50.00	10.00
4.	बिहार	4.00	—	—
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	21.94	—	10.00
7.	हरियाणा	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	25.75	—	10.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	25.75	—	10.00
10.	कर्नाटक	29.05	40.00	20.00
11.	केरल	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	4.00	—	15.00
13.	महाराष्ट्र	2.82	60.00	20.00
14.	मणिपुर	48.10	37.00	10.00
15.	मेघालय	7.10	—	5.00
16.	मिजोरम	12.10	11.05	5.00
17.	नागालैण्ड	10.10	10.50	5.00
18.	उड़ीसा	31.50	63.00	10.00

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	—	—	—
20.	राजस्थान	59.83	—	20.00
21.	सिक्किम	14.12	—	5.00
22.	तमिलनाडु	14.99	24.15	5.00
23.	त्रिपुरा	7.10	9.00	5.00
24.	उत्तर प्रदेश	128.87	30.00	45.00
25.	पश्चिम बंगाल	7.20	—	5.00
	कुल	554.64	404.70	250.00

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि का विवरण

स्कीम का नाम : वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	700.00	900.00	300.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	10.00	31.00	17.00
3.	असम	—	125.00	—
4.	बिहार	—	125.00	—
5.	गोवा	—	8.00	3.00
6.	गुजरात	700.00	2000.00	2000.00
7.	हरियाणा	80.00	220.00	35.00

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	120.00	175.00	106.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	108.00	38.00	15.00
10.	कर्नाटक	2100.00	2000.00	1308.00
11.	केरल	500.00	1434.00	350.00
12.	मध्य प्रदेश	1434.00	1609.00	1683.00
13.	महाराष्ट्र	2500.00	3060.00	650.00
14.	मणिपुर	250.00	200.00	100.00
15.	मेघालय	—	200.00	165.00
16.	मिजोरम	225.00	700.00	130.00
17.	नागालैण्ड	160.00	500.00	337.00
18.	उड़ीसा	1200.00	550.00	—
19.	पंजाब	40.00	45.00	8.00
20.	राजस्थान	2581.00	4000.00	1350.00
21.	सिक्किम	90.00	150.00	97.66
22.	तमिलनाड़	900.00	1650.00	1070.00
23.	त्रिपुरा	130.00	300.00	130.00
24.	उत्तर प्रदेश	1000.00	1750.00	850.00
25	पश्चिम बंगाल	10.00	600.00	425.00
	कुल	14838.00	22370.00	11129.66

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि का विवरण

स्कीम का नाम : छोटे किसानों में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	152.10	98.10	63.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.00	4.50	3.00
3.	असम	36.40	—	15.90
4.	बिहार	107.70	24.40	44.10
5.	गोवा	0.60	1.20	1.50
6.	गुजरात	100.80	84.30	41.70
7.	हरियाणा	38.10	52.50	15.60
8.	हिमाचल प्रदेश	11.10	13.20	4.50
9.	जम्मू एवं कश्मीर	10.50	2.60	4.50
10.	कर्नाटक	156.30	138.60	54.60
11.	केरल	11.10	13.80	4.50
12.	मध्य प्रदेश	196.50	273.60	81.30
13.	महाराष्ट्र	240.30	298.80	99.60
14.	मणिपुर	3.00	4.50	3.00
15.	मेघालय	5.10	6.60	2.10
16.	मिजोरम	101.20	2.10	2.10
17.	नागालैण्ड	3.00	4.50	3.00
18.	उड़ीसा	80.40	41.70	27.90

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	32.70	40.50	13.50
20.	राजस्थान	142.80	149.10	49.80
21.	सिक्किम	1.20	—	—
22.	तमिलनाडु	69.90	80.40	29.10
23.	त्रिपुरा	—	4.50	3.00
24.	उत्तर प्रदेश	207.90	287.94	72.30
25.	पश्चिम बंगाल	51.60	—	21.40
	कुल	1663.30	1627.44	661.00

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि का विवरण

स्कीम का नाम : नदी घाटी परियोजनाओं के ग्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	668.00	651.50	503.73
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	20.00	10.00	—
4.	बिहार	50.00	—	—
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	266.00	433.00	194.46
7.	हरियाणा	—	—	—

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	400.00	520.00	200.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	458.00	599.00	492.46
10.	कर्नाटक	950.00	115.00	924.63
11.	केरल	—	68.88	40.00
12.	मध्य प्रदेश	900.00	1592.58	600.00
13.	महाराष्ट्र	820.00	1300.00	250.00
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैण्ड	—	—	—
18.	उड़ीसा	100.00	112.39	50.00
19.	पंजाब	—	—	—
20.	राजस्थान	870.00	879.00	544.12
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	600.00	580.00	100.00
23.	त्रिपुरा	31.00	30.00	29.64
24.	उत्तर प्रदेश	100.00	254.72	161.28
25.	पश्चिम बंगाल	100.00	—	—
	कुल	6333.00	7146.07	4090.32

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि का विवरण

स्कीम का नाम : बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	48.00	—	—
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	—	—	—
7.	हरियाणा	90.00	218.00	80.00
8.	हिमाचल प्रदेश	250.00	373.20	150.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	—	—	—
11.	केरल	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	694.00	812.08	610.00
13.	महाराष्ट्र	—	—	—
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैण्ड	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	—	—
19.	पंजाब	30.00	51.00	20.00

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	747.00	680.00	250.00
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	—	—	—
23.	त्रिपुरा	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	2000.00	2179.72	650.00
25.	पश्चिम बंगाल	—	20.00	—
	कुल	3859.00	4334.00	1760.00

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि का विवरण

स्कीम का नाम : क्षारीय मृदा का सुधार

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	—	—	—
7.	हरियाणा	10.00	27.77	43.66
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	—	—	—

1	2	3	4	5
11.	केरल	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	—	228.00	—
13.	महाराष्ट्र	—	—	—
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैण्ड	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	—	—
19.	पंजाब	172.60	225.00	—
20.	राजस्थान	—	—	—
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	—	—	—
23.	त्रिपुरा	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	155.40	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
	कुल	338.00	477.77	43.68

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि का विवरण

स्कीम का नाम : कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1070.00	1410.00	400.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	46.00	8.00

1	2	3	4	5
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—
5.	गोवा	3.00	19.00	7.00
6.	गुजरात	100.00	191.49	142.52
7.	हरियाणा	44.00	105.42	25.00
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	570.00	262.00	—
10.	कर्नाटक	2234.00	2995.00	1574.45
11.	केरल	304.00	415.65	123.60
12.	मध्य प्रदेश	80.00	183.10	122.55
13.	महाराष्ट्र	2447.00	3194.13	1690.75
14.	मणिपुर	34.00	63.00	10.00
15.	मेघालय	—	45.00	—
16.	मिजोरम	38.00	88.00	—
17.	नागालैण्ड	70.00	96.60	—
18.	उड़ीसा	125.00	—	—
19.	पंजाब	—	93.00	30.00
20.	राजस्थान	287.00	270.00	101.95
21.	सिक्किम	38.00	45.32	15.00
22.	तमिलनाडु	515.00	1095.00	701.50
23.	त्रिपुरा	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	—	115.59	88.01
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
	कुल	7949.00	10733.30	5040.33

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि का विवरण

स्कीम का नाम : मशरूम का विकास

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	5.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	21.60	8.75	3.66
3.	असम	9.85	—	—
4.	बिहार	41.00	65.90	—
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	—	—	29.80
7.	हरियाणा	3.20	3.00	3.00
8.	हिमाचल प्रदेश	—	36.77	3.30
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	—	37.00	5.33
11.	केरल	1.50	21.00	8.00
12.	मध्य प्रदेश	—	1.50	1.60
13.	महाराष्ट्र	1.50	—	3.33
14.	मणिपुर	41.60	—	1.66
15.	मेघालय	6.50	—	—
16.	मिजोरम	—	4.00	0.80
17.	नागालैण्ड	13.10	4.00	—
18.	उड़ीसा	41.00	2.00	4.93

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	40.00	—	—
20.	राजस्थान	—	—	—
21.	सिक्किम	11.50	—	—
22.	तमिलनाडु	1.00	8.50	1.60
23.	त्रिपुरा	6.05	5.50	1.60
24.	उत्तर प्रदेश	49.96	—	28.00
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
	कुल	289.36	197.92	101.61

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि का विवरण

स्कीम का नाम : शीतोष्ण, उष्ण-कटिबंधीय तथा शुष्क क्षेत्रीय फलों का समेकित विकास

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	41.00	80.00	35.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	22.00	39.00	15.00
3.	असम	5.00	20.00	—
4.	बिहार	71.72	20.00	—
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	—	30.00	30.00

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	34.80	75.00	30.00
8.	हिमाचल प्रदेश	22.00	—	20.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	232.00	—	—
10.	कर्नाटक	80.00	140.00	65.00
11.	केरल	98.50	216.19	—
12.	मध्य प्रदेश	108.00	133.50	—
13.	महाराष्ट्र	100.00	214.00	—
14.	मणिपुर	182.00	—	25.00
15.	मेघालय	10.30	10.00	—
16.	मिजोरम	30.00	19.00	—
17.	नागालैण्ड	50.00	113.00	20.00
18.	उड़ीसा	299.00	500.00	100.00
19.	पंजाब	25.00	39.00	—
20.	राजस्थान	40.00	70.00	25.00
21	सिक्किम	10.30	14.00	20.00
22.	तमिलनाडु	80.00	183.00	45.00
23.	त्रिपुरा	15.00	27.00	10.00
24.	उत्तर प्रदेश	—	20.00	40.00
25.	पश्चिम बंगाल	70.00	—	—
	कुल	1626.62	1962.69	480.00

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि का विवरण

स्कीम का नाम : समेकित काजू विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	70.00	83.61	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	—	—	1.00
4.	बिहार	—	—	—
5.	गोवा	38.00	170.52	123.78
6.	गुजरात	—	—	—
7.	हरियाणा	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	98.61	113.84	81.30
11.	केरल	119.93	89.30	57.29
12.	मध्य प्रदेश	23.50	48.90	—
13.	महाराष्ट्र	544.38	690.20	437.48
14.	मणिपुर	16.60	19.75	—
15.	मेघालय	4.00	14.30	4.28
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैण्ड	--	9.00	2.90
18.	उड़ीसा	162.30	109.02	141.70
19.	पंजाब	—	—	—

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	—	—	—
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	140.35	183.90	89.26
23.	त्रिपुरा	4.20	14.30	4.00
24.	उत्तर प्रदेश	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	2.00
	कुल	1221.87	1546.64	944.99

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार जारी धनराशि का विवरण

स्कीम का नाम : समेकित मसाला विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (लाख रुपये)		
		1997-98	1998-99	1999-2000 (30.9.99 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	105.00	120.00	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	95.00	117.74	57.29
3.	असम	24.00	16.00	25.00
4	बिहार	30.00	35.00	14.30
5.	गोवा	2.79	1.95	2.00
6.	गुजरात	99.00	30.00	30.00
7.	हरियाणा	46.33	70.90	22.87
8.	हिमाचल प्रदेश	15.00	20.00	10.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	5.41	—	2.00

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	285.00	171.90	271.31
11.	केरल	1349.92	852.33	500.00
12.	मध्य प्रदेश	40.00	64.00	70.00
13.	महाराष्ट्र	147.62	88.12	56.11
14.	मणिपुर	8.79	26.27	17.90
15.	मेघालय	40.05	25.00	15.00
16.	मिजोरम	30.38	52.55	26.04
17.	नागालैण्ड	14.84	15.00	14.87
18.	उड़ीसा	100.00	116.25	50.00
19.	पंजाब	8.00	10.72	15.00
20.	राजस्थान	100.00	95.45	50.00
21.	सिक्किम	74.00	110.00	72.53
22.	तमिलनाडु	136.00	143.70	198.61
23.	त्रिपुरा	41.00	9.98	25.00
24.	उत्तर प्रदेश	38.00	14.00	35.70
25.	पश्चिम बंगाल	40.00	20.00	12.00
	कुल	2876.13	2224.86	1593.53

[हिन्दी]

मछुआरों के लिए आवास

3464. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग ने मध्य प्रदेश में मछुआरों के लिए आवास के निर्माण हेतु 50.50 लाख रुपए की राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण निधि योजना कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत की है;

(ख) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) वर्तमान योजना के कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के

आदर्श मछुआरा गांवों के घटक के विकास के अंतर्गत 1998-99 के दौरान एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जो केन्द्रीय सहायता की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में 25.25 लाख रुपए जारी करने के संबंध में था।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के उक्त प्रस्ताव पर केन्द्रीय हिस्सेदारी की पहली किश्त के रूप में राज्य सरकार को 6.80 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। शेष राशि राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।

[अनुवाद]

ब्रिटेन के मंत्री की यात्रा

3465. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री सुशील कुमार शिन्दे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल कार्य राज्य मंत्री ने नवम्बर, 1999 में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन मुद्दों पर बातचीत की गई थी और इसके क्या परिणाम रहे थे?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हाँ। ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य मंत्री श्री पीटर हेंन ने 17-19 नवम्बर, 1999 तक प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर के विशेष दूत के रूप में भारत की यात्रा की।

(ख) इस यात्रा से आपसी हित और समसामयिक प्रसांगिकता के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और विश्वजनीन मामलों पर व्यापक चर्चा करने का अवसर मिला। इन चर्चाओं से यूनाइटेड किंगडम के साथ जारी राजनैतिक वार्ता को बढ़ाने में योगदान मिला और इससे पड़ोस में हुई घटनाओं, सीमा-पार के आतंकवाद, निरस्त्रीकरण और सुरक्षा से संबंधित घटनाओं सहित विभिन्न मसलों पर भारत के हितों के प्रति बेहतर समझबूझ पैदा हुई।

मम्बई से करांची वाया कच्छ स्टीमर सेवा

3466. श्री पी.एस. गड्डवी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई से कराची वाया कच्छ स्टीमर सेवा (समुद्री मार्ग) शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरदार सरोवर बांध

3467. **श्री उत्तमराव ढिकले:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि सभी निकटवर्ती गांवों के सरपंचों ने सरदार सरोवर बांध को समय पर पूरा करने के लिए कार सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी हाँ।

(ख) किसान नेता शरद जोशी के नेतृत्व में नर्मदा जन आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने 4.12.99 को सरदार सरोवर बांध स्थल पर एक टोकन "कार सेवा" की। श्री शरद जोशी, श्री सनत मेहता, श्री सत्यजीत गायकवाड, श्रीमती उर्मिला बेन, श्री शैलेश साता और श्री टी.पी. भील 20-25 कार सेवकों के साथ प्रात: 8.30 बजे नहर शीर्ष बिजली घर (कैनाल हैड पावर हाऊस) पहुँचे और उन्होंने नहर शीर्ष बिजली घर के आफ्टर-बे से बाल्टियों में पानी निकाला और कार सेवा करने का दावा करते हुए इसे टेल रेस चैनल (टी.आर.सी.) में डाला। सभी मार्ग बंद कर दिए गए थे परन्तु वे नहर शीर्ष बिजली घर के पास की पहाड़ियों से इस स्थान तक पहुँच गए। क्योंकि वहाँ पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद सभी 30 कार सेवकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके पुलिस सुरक्षा में राजपिपला भेज दिया गया।

[हिन्दी]

बिना पासपोर्ट के विदेशों में जाने वाले लोग

3468. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक लोग बिना पासपोर्ट के अन्य देशों में जाते हैं?

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पता लगाए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने ऐसे भ्रमण को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) उत्प्रवासन जांच केन्द्र से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट अथवा किसी वैध यात्रा दस्तावेज के बिना देश से बाहर नहीं जा सकता है। तथापि, नेपाल अथवा भूटान जाने के लिए किसी भारतीय राष्ट्रिक को पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है।

[अनुवाद]

डेयरी विकास के लिए धनराशि

3469. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना में पशुपालन और डेयरी विभाग के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) नौवीं योजना में प्रशीतित वीर्य प्रौद्योगिकी एवं गर्भ परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार, राष्ट्रीय सांड प्रजनन कार्यक्रम गैर-आपरेशन फ्लड और पहाड़ी क्षेत्रों में समेकित डेयरी विकास परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं और प्रत्येक योजना के लिए आबंटित धनराशि और उनके निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ग) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या उक्त योजनायें शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन योजनाओं के क्रियान्वयन प्राधिकरण का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) नौवीं योजना के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग का आबंटन 2345.64 करोड़ रुपए है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राज्यों को निधियां प्रस्तावों की व्यवहार्यता तथा पहले जारी की गई राशियों, यदि कोई हो, के उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जारी की जाती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। ये 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं जिन्हें राज्यों के पशुपालन विभागों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	योजना	नौवीं योजना			योजना की मुख्य विशेषताएं
		आबंटन	लक्ष्य	संख्या	
1	2	3	4	5	6
1.	हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा संतति परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार	320.00	1. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या	43000	1. उत्पादकता बढ़ाने के लिए गोपशु तथा भैंस का आनुवंशिक सुधार
			2. नए हिमित वीर्य बैंकों की स्थापना	112	2. राज्य सांड केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
			3. स्पर्म केन्द्रों की स्थापना	63	3. प्रजनन आदानों तथा सेवाओं का विस्तार

1	2	3	4	5	6
			4. संतति परीक्षण कार्यक्रम एककों की स्थापना	12	4. कृत्रिम गर्भाधान क्षमता में सुधार तथा प्रजनन योग्य पशुधन संख्या का कवरेज
			5. नए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	63	
2.	राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम	82.00	1. गोशालाओं का सुदृढ़ीकरण	50	1. चयनित प्रजाति तथा स्वदेशी नस्लों में सुधार
					2. ड्राफ्ट नस्लों का संरक्षण
					3. समागम परीक्षित सांडों का उत्पादन
3.	गैर-ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना	250.00	1. डेयरी सहकारी समितियों का संगठन	9549	1. दुधारू गोपशु का विकास तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि
			2. कृषक सदस्य	5,97,000	2. ऑपरेशन फ्लड के तहत अब तक कवर न किए गए पत्रों में डेयरी सहकारिताओं का संगठन
			3. दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का विकास (000 लीटर प्रतिदिन)	956	3. देश के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की पौषणिक, सामाजिक-आर्थिक दशा में सुधार

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग

3470. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अब तक वर्ष 1999-2000 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर मणिपुर राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु कोई नई योजना बनाई है और यदि हां, तो योजना वार क्या प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में आबंटित धनराशि कितनी है; और

(ग) योजना को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) केन्द्र

सरकार ने वर्ष 1999-2000 के दौरान ऐसी कोई स्कीम तैयार नहीं की है जो विशिष्ट रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार की ओर लक्षित हैं। तथापि, 1.4.99 से सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें पुन: तैयार किया है तथा इनका पुन: निर्धारण किया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) और मिलियन वैल्स स्कीम (एमडब्ल्यूएस) सहित सम्बद्ध कार्यक्रमों को एक सकल स्व-रोजगार कार्यक्रम-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) में मिला दिया गया है। इसी प्रकार जवाहर रोजगार योजना को सामुदायिक ग्राम आधारिक संरचना के सृजन के उद्देश्य से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) के रूप में पुन: तैयार किया गया है। रोजगार आश्वासन स्कीम को भी सुदृढ़ बनाया गया है तथा उसमें सुधार किया गया है जिससे यह एकल मजदूरी रोजगार कार्यक्रम हो जाएगा। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पिछले 3 वर्षों अर्थात् 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के लिए आईआरडीपी, जेआरवाई और ईएएस के अंतर्गत किए गए कुल आबंटन नीचे दिया गए हैं:

(लाख रुपये में)

	1996-97			1997-98			1998-99 (अनंतिम)		
राज्य	आईआरडीपी	जेआरवाई	ईएएस*	आईआरडीपी	जेआरवाई	ईएएस*	आईआरडीपी	जेआरवाई	ईएएस*
अरूणाचल प्रदेश	623.43	178.30	2126.25	644.07	199.21	2362.50	403.62	321.65	2675.00
असम	2743.5	5718.18	13525.00	21834.27	6389.03	10740.00	10492.72	8357.73	13772.50
मणिपुर	449.59	228.53	1350.00	464.47	255.34	1012.50	703.42	560.30	1112.50
मेघालय	477.57	267.40	612.50	493.36	298.78	275.00	788.10	627.74	762.50
मिजोरम	201.82	112.65	1500.00	208.50	125.86	1000.00	182.36	146.26	1000.00
नागालैण्ड	335.69	286.64	3482.50	346.81	320.26	2625.00	540.60	430.60	2625.00
सिक्किम	55.95	104.36	275.00	57.79	116.60	275.00	201.90	160.83	400.00
त्रिपुरा	641.42	296.83	2700.00	662.64	331.65	1800.00	1270.06	1011.64	1800.00

*कुल जारी निधियां क्योंकि कार्यक्रम के अंतर्गत कोई आबंटन नहीं किया जाता।
स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय।

क्षेत्र कल्याण अधिकारी

3471. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में क्षेत्र कल्याण अधिकारी के अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए जाने हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) भारत-सरकार के

अंतर्गत क्षेत्रीय कल्याण-अधिकारी का कोई भी पद नहीं होता तथा क्षेत्रीय कल्याण-अधिकारी, विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तथा इन कर्मचारियों को सेवाएं प्रदान करने वाले संबंधित नागरिक तथा अन्य अभिकरणों में समन्वय रखने के लिए एक कार्यात्मक व्यवस्था-स्वरूप ही होता है। दो वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्रीय कल्याण-अधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अवैतनिक तथा स्वैच्छिक आधार पर क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक अधिकारियों द्वारा अपने संबंधित मंत्रालयों/विभागों के माध्यमों से आवेदन किया जाना अपेक्षित होता है। प्राप्त आवेदनपत्रों तथा उनकी उपयुक्तता के आधार पर इस वर्ष दिल्ली/नई दिल्ली की विभिन्न कॉलोनियों/क्षेत्रों में दो वर्ष की अवधि अर्थात् वर्ष 1999 और 2000 हेतु 61 क्षेत्रीय कल्याण-अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

राष्ट्रीय रोजगार नीति

3472. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रोजगार नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) और (ख) पिछले 40 वर्षों से रोजगार, विकास योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। नौवीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन क्षेत्रों, उप-क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकियों में संकेन्द्रण से अधिकाधिक उत्पादक रोजगार स्वत: ही विकास प्रक्रिया में सृजित होगा। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए विशेष रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

इसलिए सरकार एक पृथक राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार करने का प्रस्ताव नहीं कर रही है।

सहकारी बैंकों को ब्याज मुक्त ऋण

3473. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश में सहकारी बैंकों को 174.50 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी के लिए आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश में सहकारी बैंकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने संबंधी कोई स्कीम नहीं है। तथापि, कृमि आक्रमण के कारण आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में फसल क्षति से होने वाली व्यापक हानि को ध्यान में रखते हुए, प्रभावित किसानों के लिए नाबार्ड द्वारा कुछ राहत उपाय किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, आंध्र प्रदेश की सहकारी संस्थाओं को, जिनमें दो वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा ऋण के पुन: भुगतान पर रोक, 7 वर्ष की अवधि के लिए अल्प/मध्यम अवधि ऋण के अधीन बकायों का रूपान्तरण/पुन: अनुसूचन तथा गैर-अधिबकाया-कवर मानदण्ड आदि में उदारता, जैसी कुछ रियायतें दी गयी थीं।

[हिन्दी]

कोसी बांध के विस्थापित व्यक्ति

3474. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में कोसी नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या बांध के कारण विस्थापित सभी लोगों को फिर से बसाया जा चुका है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सभी विस्थापितों को कब तक पुनर्वासित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस पर कुल कितना व्यय किया गया है/किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आई.एम.बी.एस.बी. द्वारा अपमानजनक वक्तव्य

3475. श्री रामचन्द्र बैंदा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अमेरिका आधारित 'इंटरनेशनल मिशन बोर्ड सदर्न बायटिस्ट कन्वेंशन' ने अक्तूबर 1999 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी विषय-वस्तु पर ध्यान दिया है जो हिन्दू भावनाओं के प्रति अपमानजनक एवं आहत करने वाला है;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस पुस्तक के प्रकाशन एवं प्रसार की अनुमति देने के लिए अमेरिकी सरकार से विरोध व्यक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पुस्तक की प्रतियों को जब्त किए जाने की भी मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी हाँ। दक्षिणी बैप्टिस्टों के अन्तर्राष्ट्रीय मिशन बोर्ड ने मुसलमानों, हिन्दुओं और यहूदियों के लिए तीन प्रार्थना दिशा निर्देश प्रकाशित किए थे। हिन्दुओं की प्रार्थना अक्तूबर 1999 में प्रकाशित की गई थी। यह पम्फलेट बैप्टिस्टों को उन हिन्दू समूहों के लिए प्रार्थना करने के लिए आह्वान करता है जिनसे अभी तक संपर्क नहीं किया जा सका है। वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के पश्चात विभिन्न भारतीय अमरीकी संगठनों ने अमरीकी राष्ट्रपति, आटर्नी जेनरल, सीनेटरों और कांग्रेस के सदस्यों को शिकायती पत्र लिखे हैं। पम्फलेट के विरुद्ध बोस्टन और होस्टन में हिन्दुओं ने विरोध प्रदर्शन भी किये हैं।

(ग) से (ङ) प्रार्थना पुस्तकों की आपत्तिजनक भाषा की निन्दा अमरीकी हिन्दुओं द्वारा ही नहीं अपितु अमरीका स्थित विभिन्न ईसाई चर्चों के प्रमुखों द्वारा भी की गयी है। इनट्रफेथ कन्फ्रेंस के पवित्र क्लार्क रोबेन्सटीन ने कहा कि विश्व के सबसे प्राचीन धर्म के भद्दे चित्रण से हम अत्यन्त आहत हुए हैं। डी सी बैप्टिस्ट कंफ्रेंस जो दक्षिणी बैप्टिस्ट कन्वेंशन से संबद्ध है, के कार्यकारी निदेशक पवित्र जेरे एलेन ने कहा है कि उन्हें इस बात का 'खेद है कि यह प्रार्थना पुस्तक हिन्दुओं की खुल्लमखुल्ला आलोचना करती है।'

वाशिंगटन स्थित भारत का राजदूतावास भारतीय अमरीकी संगठनों के नेताओं के साथ निकट संपर्क में है और अमरीकी सरकार के समक्ष इस मामले को उठाने के उनके प्रयासों में उन्हें परामर्श दे रहा है। भारत सरकार ने भारतीय संगठनों की चिंताओं से अमरीकी प्राधिकारियों को भी अवगत करा दिया है।

इस मामले पर अमरीकी सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि राष्ट्रपति क्लिंटन ने 'धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आवश्यकता पर भावपूर्व वक्तव्य दिया और कहा कि ये ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारे यहाँ भी अमल किया जाना चाहिए'।

(च) भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है जिसमें सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति आदर की सुप्रसिद्ध सामाजिक परंपराएं परिलक्षित होती हैं। सरकार धार्मिक सद्भाव की सभी अभिव्यक्तियों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखती है।

तमिलनाडु में औद्योगिक सम्पदा

3476. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में वर्तमान औद्योगिक सम्पदा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार चिंगलोपुट, तमिलनाडु में कोई औद्योगिक सम्पदा स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा तमिलनाडु में 73 औद्योगिक सम्पदाओं को स्थापित किया गया है। केन्द्र सरकार का चिंगलोपुट (तमिलनाडु) में कोई औद्योगिक सम्पदा स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रोजगार कार्यालय

3477. **डा. बलिराम:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यक्रमों में पंजीकृत लोगों की संख्या कितनी है; और

(ख) इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) और (ख) 31 सितम्बर, 1999 को उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों, जिनमें से आवश्यक नहीं की सभी बेरोजगार हों, की संख्या 26.5 लाख के लगभग थी। इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की संख्या क्रमश: 5.1 लाख तथा 0.11 लाख के लगभग थी।

[अनुवाद]

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में भ्रष्टाचार

3478. **श्री अकबर अली खांदोकर: क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी एस पी) में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु सरकार द्वारा किसी जांच के आदेश दिए गए हैं; और

(घ) भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (घ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। तथापि, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के तीन अधिकारियों और एक कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामले लम्बित हैं जिनमें आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई शुरू की गई है।

पशुपालन और उद्यान विकास

3479. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति और वित्तीय सहायता के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के पशुपालन और उद्यान के कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(ख) ये प्रस्ताव कब से लंबित पड़े हुए हैं और इनके लंबित पड़े रहने के कारण क्या हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

गेहूं और चावल का उत्पादन

3480. **श्री राजो सिंह: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर बिहार में गेहूं और चावल का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या गेहूं और धान उत्पादकों की समस्याएं हल करने हेतु किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है;

(ग) क्या विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश एवं बिहार में गेहूं और चावल का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(मिलियन मी. टन में)

	चावल		गेहूं	
वर्ष	बिहार	अखिल भारत	बिहार	अखिल भारत
1996-97	7.28	81.74	4.56	69.35
1997-98	6.77	82.30	4.16	65.91
1998-99	6.46	84.74	4.18	71.01

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि, गेहूं एवं चावल के उत्पादन एवं इनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार गेहूं/चावल में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत; किसानों को उच्च उत्पादकता वाली बीजों के किस्मों का प्रयोग, समेकित कृमि प्रबंध का उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई सहित वैज्ञानिक जल प्रबंध का प्रचार एवं उन्नत कृषि उपकरणों के लिए प्रोत्साहन दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी के प्रभावी हस्तांतरण के लिए किसानों एवं कृषक मजदूरों के प्रशिक्षण सहित किसानों की जोतों पर क्षेत्र प्रदर्शन भी आयोजित किये जाते हैं।

कोष का आवंटन

3481. श्री रामदास आठवले: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र विशेषकर वहां के जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए प्रति व्यक्ति कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ख) राज्य सरकारों ने कुल कितनी राशि की मांग की और योजना आयोग ने इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि संस्वीकृत की है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान कृषि के लिए महाराष्ट्र राज्य को आबंटित की गई धनराशि क्रमश: 313.14 करोड़ रुपये, 330.66 करोड़ रुपये और 283.69 करोड़ रुपए थी। ग्रामीण विकास हेतु आबंटन क्रमश: 717.42 करोड़ रुपये, 774.46 करोड़ रुपये और 1019.08 करोड़ रुपये थे। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राशियां न तो प्रति व्यक्ति आधार पर और न ही जनजातियों/अनुसूचित जातियों/पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से आबंटित की जाती हैं।

(ख) जनजातियों/अनुसूचित जातियों/पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि और ग्रामीण विकास के आबंटन हेतु राज्य सरकारों द्वारा अलग से मांग नहीं की जाती।

[अनुवाद]

समेकित चावल विकास कार्यक्रम

3482. श्री ब्रजमोहन राम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से समेकित चावल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि को बढ़ाने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार का क्या निर्णय है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) भारत सरकार को "चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों" में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम पर केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत धनराशि के आवंटन में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव मात्र त्रिपुरा राज्य से ही प्राप्त हुआ है। चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत त्रिपुरा को 60 लाख रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय धनराशि आवंटित की गई है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

3483. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995 के बाद से महाराष्ट्र के प्रत्येक संसद सदस्य को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रतिवर्ष मंजूर की गई, आवंटित की गई और जारी की गई कुल राशि कितनी है;

(ख) क्या राशि जारी करने में कोई विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) महाराष्ट्र को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत निधियां शीघ्र जारी करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

योजना मंत्रालय में राज्यों मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री) (श्री अरुण शौरी): (क) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान प्रत्येक पदस्थ सांसद को 1 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी। 13/12/99 तक वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान महाराष्ट्र के प्रत्येक सांसद को जारी की गई निधियों का विवरण संलग्न हैं। संलग्न विवरण के विभिन्न कालमों में दी गई तिथियां 50 लाख रुपए प्रति किश्त की दर से उन सांसदों को जारी की गई किश्तों के जारी होने की तिथियां इंगित करती हैं, जिनके नाम संलग्न विवरण के कॉलम-2 में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) 50 लाख रु. से कम अस्वीकृत शेष होने का व्यय विवरण प्राप्त होने पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों का अवमोचन किया जाता है। इस प्रयोजन से सभी जिला कलेक्टरों को एक प्रपत्र पहले ही परिचालित किया जा चुका है। जिला कलेक्टरों को यह भी सुझाव दिया गया है कि वे इस मंत्रालय से निधियां प्राप्त होने की प्रतीक्षा किये बिना सांसदों द्वारा उनकी पात्रता के अनुसार अनुशंसित कार्यों को संस्वीकृति प्रदान करें तथा हर माह निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट भेजें ताकि निधियों को पूरी तरह से जारी किया जा सके। सांसदों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों के पूर्ण उपयोग के लिए अपनी पात्रता के अनुसार संबंधित जिला कलेक्टरों को पर्याप्त कार्य अनुशंसित करें।

विवरण

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

13.12.1999 तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जारी की गई वर्ष 1997-98 की पहली और दूसरी किस्तों, 1998-99 की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्तों, और 1999-2000 की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्तों का ब्यौरा

क्र.सं.	निर्वाचन क्षेत्र का नाम/जिले का नाम मंसद सदस्य का नाम	(1997-98) किश्त		(1998-99) किश्त				(1999-2000)• किश्त			
		पहली	दूसरी	पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी	पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राज्य महाराष्ट्र (लोक सभा)											
1.	अहमदनगर										
	मारूति देवराम सालके	25/6/97	4/12/97								
	ई.वी.एलियास बालासाहेब विखे पाटील	—	—	23/6/98	17/3/99	26/4/99	—	—	—	—	—
	दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	—	—	—	—	—	4/11/99	—	—	—	—
2.	एकोला										
	पुण्डकुर पांडुरंग पुंडलिक	—	—								
	एवं बेडकर प्रकाश यशवंत	31/3/98	3/3/99	—	—	—	—	—	—	—	—
	एबंबेडकर प्रकाश यशवंत	—	—	2/12/99	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	अमरावती										
	अनंतराव एम. गोडे	24/11/97	—								
	रामकृष्ण सूर्यभान गवई	—	24/3/98	15/10/98	—	—	—	—	—	—	—
	गोडे अनंत महादेवपारा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	औरंगाबाद										
	प्रदीप जयसवाल	30/7/97	—								
	रामकृष्ण बाबा पाटिल	—	30/3/98	21/7/98	29/12/98	—	—	—	—	—	—
	चन्द्रकांत खरे	—	—	—	—	4/11/99	—	—	—	—	—
5.	बारामती										
	शरदचन्द्र गोविन्द राव पवार	15/9/97	—								
	पवार शरदचंद्र गोविन्दराव	—	28/7/98	23/2/99	7/7/99	—	—	—	—	—	—
	पवार शरदचंद्र गोविन्द राव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	भंडारा										
	प्रफुल्ल एम. पटेल	—	—								
	पटेल प्रफुल्ल मनोहरभाई	24/3/98	31/3/98	8/12/98	7/7/99	—	—	—	—	—	—
	चुन्नी लाल भाऊ ठाकुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	बिड										
	रजनी अशोकराव पाटिल	—	—								
	जयसिंहराव गायकवाड़ पाटिल	24/3/98	31/3/98	28/7/98	17/3/99	30/3/99	7/7/99	—	—	—	—
	जयसिंहराव गायकवाड पाटिल	—	—	—	—	—	—	4/11/99	—	—	—
8.	मुंबई नार्थ										
	राम नाईक	—	—								
	राम नाईक	18/8/98	12/1/99	18/5/98	26/3/99	7/7/99	—	—	—	—	—
	राम नाईक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	मुंबई नार्थ सेंट्रल										
	नारायण जी अठवाले	29/10/97	—								
	रामदास अठवाले	—	24/3/98	21/7/98	15/10/98	7/7/99	—	—	—	—	—
	मनोहर गजानन जोशी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	मुंबई नाथ ईस्ट										
	प्रमोद महाजन	—	—								
	गुरुदास कामत	24/3/98	18/8/98	25/1/99	26/3/99	30/3/99	7/7/99	—	—	—	—
	कीर्ति सोमाया	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	मुंबई नार्थ वेस्ट										
	मधुकर सरपोतदार	30/7/97	—								
	मधुकर सरपोतदार	—	23/6/98	18/8/98	26/3/99	27/3/99	7/7/99	—	—	—	—
	सुनील दत्त	—	—	—	—	—	—	4/11/99	—	—	—
12.	मुंबई साऊथ										
	जयावंती बेन मेहता	6/8/97	—								
	देवड़ा मुरली	—	24/3/98	15/10/98	26/4/99	7/7/99	—	—	—	—	—
	जयावंती मेहता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	मुंबई साऊथ सेंट्रल										
	मोहन विष्णु रावले	6/8/97	—								
	मोहन विष्णु रावले	—	15/10/98	18/5/98	—	—	—	—	—	—	—
	मोहन विष्णु रावले	—	—	—	4/11/99	—	—	—	—	—	—
14.	थुलधाना (अ.जा.)										
	अडसूल आनंदराव विठोबा	11/7/97	—								
	बासनिक मुकुल बालकृष्णा	—	24/3/98	16/12/98	7/7/99	—	—	—	—	—	—
	अडसूल आनंदराव विठोबा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	चन्द्रपुर										
	अहिर हंसराज गंगाराम	6/8/97	—								
	पुगलिया नरेश कुमार चुन्नालाल	—	15/10/98	26/10/98	—	—	—	—	—	—	—
	पुगलिया नरेश कुमार चुन्नालाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	चिमोर										
	दिवाथे नामदेव हरबाजी	—	—								
	जोगेन्द्र कवाडे	24/3/98	26/4/99	26/4/99	—	—	—	—	—	—	—
	दिवाथे नामदेव हरबाजी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	धानू (अ.ज.जा.)										
	एडवोकेट चिंतामन वानगा	29/10/97	4/12/97								
	नाम शंकर साखाराम	—	—	18/5/98	15/10/98	30/3/99	7/7/99	—	—	—	—
	एडवोकेट चिंतामन वानगा	—	—	—	—	—	—	4/11/99	—	—	—
18.	धूले (अ.ज.जा.)										
	बागुल साहिबराव सुखराम	12/11/97	—								
	डी.एस. अहरे	—	31/3/98	3/3/99	26/4/99	26/4/99	26/4/99	—	—	—	—
	रामदास रूपला गवित	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	एरनडोल										
	अन्ना साहिब एम.के. पाटिल	11/7/97	—								
	अन्ना साहिब एम.के. पाटिल	—	30/3/98	24/9/98	7/7/99	—	—	—	—	—	—
	अन्ना साहिब एम.के. पाटिल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	हिंगोली										
	माने शिवाजी ज्ञानोबाराव	22/9/97	—								
	सूर्यकांत पाटिल	—	24/3/98	28/8/98	23/2/99	7/7/99	—	—	—	—	—
	माने शिवाजी ज्ञानोबाराव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	इचलकारांजी										
	कल्लप्पा बी. अवाडे	25/6/97	—								
	अवाडे कलप्पा बाबूराव	—	24/3/98	15/10/98	14/1/99	26/4/99	9/7/99	—	—	—	—
	माने निवेदिता शंभाजीराव	—	—	—	—	—	—	4/11/99	—	—	—
22.	जलगांव										
	जी.आर. झरोडे	11/7/97	—								
	उल्हास वासुदेव पाटिल	—	24/3/98	23/6/98	7/7/99	7/7/99	—	—	—	—	—
	वाई.जी. महाजन (सिर)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	जलना										
	उत्तमसिंह आर. पवार	25/6/97	—								
	पवार उत्तमसिंह राजधरसिंह	—	24/3/98	18/6/98	15/10/98	7/7/99	—	—	—	—	—
	धनवे रावसाहेब दादाराव पाटिल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	कराड										
	पृथ्वीराज डी. चावन	25/6/97	—								
	चावन पृथ्वीराज वाजीसाहेब	—	18/6/98	15/10/98	7/7/99	7/7/99	—	—	—	—	—
	श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल (मरूलका)	—	—	—	—	—	2/12/99	—	—	—	—
25.	खेड़										
	शरकर एन. नामदेव	—	—								
	मोहोल अशोक नामदेवराव	24/3/98	29/12/98	26/3/99	7/7/99	—	—	—	—	—	—
	अशोक नामदेवराव मोहोल	—	—	—	—	22/11/99	—	—	—	—	—
26.	कुलाबा										
	ए.आर. अंतुले	11/7/97	—								
	रामसेठ ठाकुर	—	24/3/98	10/11/98	17/3/99	30/3/99	7/7/99	—	—	—	—
	रामसेठ ठाकुर —	—	—	—	—	—	4/11/99	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	कोल्हापुर										
	उदयसिंहराव एन. गायकवाड़	25/6/97	—								
	मांडलिक सदाशिव राव दादोबा	—	24/3/98	23/6/98	8/12/98	30/3/99	26/4/99	—	—	—	—
	मांडलिक सदाशिवराव दादोबा	—	—	—	—	—	—	4/11/99	22/11/99	—	—
28.	कोपरगांव										
	बडाडे भीमराव विष्णुजी	25/6/97	—								
	तानपुरे प्रसाद बाबूराव	—	30/3/98	15/10/98	7/7/99	—	—	—	—	—	—
	ई.वी. एलियास बाला साहेब विखे पाटिल	—	—	—	—	4/11/99	—	—	—	—	—
29.	लातूर										
	शिवराज वी. पाटिल	15/9/97	—								
	पाटिल शिवराज विश्वनाथ	—	23/6/98	15/10/98	7/7/99	—	—	—	—	—	—
	पाटिल शिवराज विश्वनाथ	—	—	—	—	2/12/99	—	—	—	—	-
30.	मालेगांव (अ.ज.जा.)										
	राउत कचारू भाऊ	25/6/97	—								
	खण्डोले जमास मंगलू	—	31/3/98	15/10/98	14/1/99	27/3/99	—	—	—	—	—
	महाले हरीबाहू शंकर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	नागपुर										
	बनवारी लाल पुरोहित	25/6/97	—								
	विलास मुटेमवार	—	28/8/98	—	—	—	—	—	—	—	—
	विलास मुटेमवार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	नामदेड										
	जी.एम. देशमुख कनदुरकर	24/11/97	4/12/97								
	पाटिल भास्कर राव बापूराव	—	—	10/9/98	15/10/98	7/7/99	—	—	—	—	—
	खटगांवकर भास्करराव बापूराव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	नंदुरबार (अ.ज.जा.)										
	गावित मानिक राव होडलया	11/7/97	—								
	गावित मानिकराव होडलया	—	24/3/98	15/10/98	1/2/99	—	—	—	—	—	—
	गावित मानिकराव होडलया	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.	नासिक										
	गोडसे राजा राम पारशराम	25/6/97	—								
	पाटिल मकाव बलवंत	—	31/3/98	26/11/98	26/3/99	—	—	—	—	—	—
	धिकाले उत्तमराव नाथूजी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	उस्मानाबाद (अ.जा.)										
	शिवाजी विट्ठलराव काम्बले	11/7/97	—								
	अरविन्द तुलसीराम कमिले	—	24/3/98	28/8/98	15/10/98	7/7/99	—	—	—	—	—
	कामले शिवाबी विट्ठलराव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36.	पंढारपुर (अ.जा.)										
	संदीपन बी. थोरट	25/6/97	—								
	थोरट संदीपन भगवान	—	24/3/98	18/6/98	9/2/99	7/7/99	7/7/99	—	—	—	—
	अठवाले रामदास बन्धू	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37.	प्रभानी										
	सुरेश आर. जाधव	6/8/97	—								
	वरपूडकर सुरेशराव अंबादासराव	—	24/3/98	15/10/98	15/2/99	—	—	—	—	—	—
	जाधव सुरेश रामराव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38.	पूणे										
	सुरेश कलमाडी	—	—								
	तुपे विट्ठल बाबूराव	24/3/98	28/7/98	23/2/99	7/7/99	—	—	—	—	—	—
	प्रदीप रावत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	राजापुर										
	सुरेश प्रभु	—	—								
	सुरेश प्रभु	30/3/98	15/10/98	26/3/99	7/7/99	—	—	—	—	—	—
	सुरेश प्रभाकर प्रभु	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40.	रामटेक										
	दत्ताराय आर. मेघे	25/6/97	—								
	रानी चित्रलेखा भोसले	—	28/8/98	—	—	—	—	—	—	—	—
	सुबोध मोहिते	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41.	रत्नागिरी										
	अनंत गंगाराम गिते	22/9/97	—								
	अनंत गंगाराम गिते	—	23/6/98	16/12/98	26/4/99	—	—	—	—	—	—
	अनंत गंगाराम गिते	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42.	संगली										
	मदन बी. पाटिल	25/6/97	—								
	पाटिल मदन विश्वनाथ	—	24/3/98	23/6/98	17/3/99	7/7/99	—	—	—	—	—
	प्रकाश (बाबू) वसंतराव पाटिल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43.	सतरा										
	नाईक एच.एन. निंबालकर	25/6/97	—								
	अभयसिंह शाहुमहाराज भोंसले	—	24/3/98	26/10/98	10/11/98	30/3/99	26/4/99	—	—	—	—
	लक्ष्मणराव पांडुरंग जाधव (पाटिल)	—	—	—	—	—	—	4/11/99	—	—	—
44.	सौलापुर										
	लिंगराज बी. वालयल	30/7/97	—								
	सिंधे सुशीलकुमार संभाजीराव	—	24/3/98	15/10/98	26/3/99	7/7/99	—	—	—	—	—
	सिंधे सुशीलकुमार संभाजीराव	—	—	—	—	—	2/12/99	2/12/99	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	थाणे										
	परांजपे प्रकाश विश्वनाथ	15/9/97	4/12/97								
	परांजपे प्रकाश विश्वनाथ	—	—	18/5/98	15/10/98	26/4/99	7/7/99	—	—	—	—
	प्रकाश परांजपे	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46.	वरधा										
	मुंडे विजय अन्नाजी	11/7/97	—								
	दत्ता मेघे	—	24/3/98	15/10/98	26/4/99	7/7/99	—	—	—	—	—
	प्रभा राव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47.	वसीम										
	गवाली पुंडालीकरा रामजी	—	—								
	नाईक सुधाकरराव राजूसिंह	31/3/98	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	भावना पुंडलिकराव गवाली	—	4/11/99	22/11/99	—	—	—	—	—	—	—
48.	यावटमल										
	राजाभाऊ ठाकरे	13/8/97	—								
	उत्तमराव देवराव पाटिल	—	23/6/98	9/2/99	—	—	—	—	—	—	—
	उत्तमराव देवराव पाटिल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49.	नोमिनेटेड	—	—								
	जन. (अवकाश) एन.फोले (नामित)	—	—	25/1/99	26/4/99	7/7/99	—	—	—	—	—
	जन. (अवकाश) एन.फोले (नामित)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

नोट: पहला नाम 11वीं लोक सभा के सांसद का है।
दूसरा नाम 12वीं लोक सभा के सांसद का है।
तीसरा नाम 13वीं लोक सभा के सांसद का है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

13.12.1999 तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जारी की गई वर्ष 1997-98 की पहली और दूसरी किस्तों, 1998-99 की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्तों, और 1999-2000 की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्तों का ब्यौरा

क्र.सं.	निर्वाचन क्षेत्र का नाम/जिले का नाम संसद सदस्य का नाम	(1997-98) किस्त		(1998-99) किस्त				(1999-2000) किस्त			
		पहली	दूसरी	पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी	पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राज्य: महाराष्ट्र (राज्य सभा)											
संसद के वर्तमान सदस्य											
1.	पुणे										
	(श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला	29/10/97	28/7/98	26/4/99	11/11/99	—	—	—	—	—	—
2.	रामगढ़										
	अदिक नरायण शिरोडकर	26/3/99	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	लातूर										
	गोपलराव विट्ठलराव पाटिल	22/9/97	18/3/98	25/6/98	16/12/98	31/5/99	10/6/99	26/11/99	26/11/99	—	—
4.	अहमदनगर										
	गोविन्दराव अदिक	25/6/97	4/12/97	23/6/98	18/9/98	31/5/99	—	—	—	—	—
5.	मुंबई										
	केशवानी सुरेश अलटराय	22/7/98	11/10/99	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	धूले										
	मुकेश आर. पटेल	11/7/97	18/3/98	15/10/98	26/10/98	5/7/99	9/12/99	—	—	—	—
7.	नागपुर										
	एन.के.पी. साल्वे	25/6/97	15/7/98	31/5/99	—	—	—	—	—	—	—
8.	नागपुर										
	निरूपम संजय	11/11/97	15/7/98	16/12/98	31/5/99	10/6/99	—	—	—	—	—
9.	मुंबई सबर्बन										
	प्रमोद महाजन	—	—	24/9/98	—	—	—	—	—	—	—
10.	मुंबई सिटी										
	प्रीतीश नंदी	—	—	17/3/99	—	—	—	—	—	—	—
11.	मुंबई सिटी										
	राम जेठमलानी	18/3/98	21/7/98	9/2/99	10/6/99	11/10/99	—	—	—	—	—
12.	ननदेड़										
	एस.बी. चवन	25/6/97	18/3/98	10/9/98	10/11/98	31/5/99	5/7/99	26/11/99	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	नागपुर										
	सरोज खापारड़े	11/10/99	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	थाने										
	सतीश चन्द्र सीताराम	20/7/98	15/10/98	26/10/98	3/3/99	31/5/99	11/10/99	—	—	—	—
15.	मुंबई सिटी										
	शाबना आजमी (एन)	29/10/97	18/9/98	—	31/5/99	—	—	—	—	—	—
16.	पुणे										
	सुरेश कलमाड़ी	—	—	14/1/99	—	—	—	—	—	—	—
17.	अहमदनगर										
	सूर्यभान पाटिल बहदानी	25/6/97	4/12/97	16/12/98	26/4/99	26/4/99	—	—	—	—	—
18.	पुणे										
	वी.एन. गडगिल	28/7/98	26/4/99	11/11/99	—	—	—	—	—	—	—
19.	रायगढ़										
	वेदप्रकाश पी. गोयल	11/7/97	23/6/98	10/11/98	30/3/99	10/6/99	26/11/99	—	—	—	—
20.	यावतमल										
	विजय दर्डा	—	—	7/9/98	5/7/99	—	—	—	—	—	—
	राज्य सभा के पूर्व सदस्य										
21.	अकोला										
	प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	बीड										
	प्रमोद महाजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	पुणे										
	आर.के. करनजिया	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	थाणे										
	राम कापसी	30/7/97	25/3/98	1/11/99	1/11/99	—	—	—	—	—	—
25.	धूली										
	शिवाजीराव जी. गिरधर पाटिल	12/11/97	18/3/98	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	नागपुर										
	श्रीकांत रामचन्द्र जिचकर	30/7/97	4/12/97	6/8/98	—	—	—	—	—	—	—
27.	सोलापुर										
	सुशील कुमार संभाजीराव सिंधे	25/6/97	18/3/98	—	—	—	—	—	—	—	—

भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना

3484. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भैंसों, बकरियों, भेड़ों, घोड़ों, ऊंटों, याक, मिथुनों, कुक्कुटों, पक्षियों, मछलियों आदि के लिए अलग-अलग अनुसंधान संस्थान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद स्थापित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि पशु परियोजना निदशालय का उन्नयन करके राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पशुपालन और डेयरी पालन विशेष रूप से गाय और इसके बछड़ों के लिए क्या विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से भुखमरी और गरीबी समाप्त की जा सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत जाति विशिष्ट के लिए अनुसंधान संस्थानों की स्थापना अनुसंधान, शिक्षण और प्रसार के कार्य को बढ़ाने हेतु की गई है। ऐसे संस्थानों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र
झरनापानी-797196 जिला-कोहिमा, नागालैंड
दूरभाष सं. 91-3862-62340
फैक्स : 91-3862-62341

राष्ट्रीय याक अनुसंधान केन्द्र,
दिरांग, प. कमांग-790101 अरूणाचल प्रदेश
ई.मेल : याक, डायरेक्टर@हॉटमेल.कॉम

राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र
पोस्ट बैग-07, जोरबीर, बीकानेर-334001 (राजस्थान)
दूरभाष : 91-151-522183, 5288585
फैक्स : 91-151-522183
ई.मेल निरककेमल@×400 निकजी डब्ल्यू.निक.इन

केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, राजस्थान-304501
दूरभाष सं. 91-1437-8163
ई.मेल : सिसवरी@400.निकजी डब्ल्यू.निक.इन

केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान
सिरसा रोड, हिसार-125001 (हरियाणा)
दूरभाष सं. 91-1662-39604, 38831, 33710
फैक्स : 91-1662-39604
ई.मेल : सिरब @×400 निकजीडब्ल्यू.निक.इन

केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान
इज्जतनगर-243122 (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष सं. 91-581-4464420, 447223
फैक्स : 41-581-4477321
ई.मेल : कावरी@400 निकजीडब्ल्यू.निक.इन

राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र
सिरसा रोड, हिसार-125001 (हरियाणा)
दूरभाष सं. 91-1662-32787, 327748, 38151
फैक्स : 91-1662-33217
ई मेल : निकसीक्वीन@400 निकजीडब्ल्यू.निक.इन

मुर्गी पालन परियोजना निदशालय
राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030 (आंध्र प्रदेश)
दूरभाष सं. 91-40-4015651, 4017000
फैक्स : 91-40-4017002
ई.मेल : पी डी पोलटरी @ × 400 निकजीडब्ल्यू.निक.इन

केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान
मखदुम, पी.ओ. फराह, मथुरा (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष सं. 91-565-763380
फैक्स : 91-565-783246
ई.मेल : सिरग @ × 400 निकजीडब्ल्यू.निक.इन.

यूरोपीय संघ के साथ वार्ता

3485. श्री आर.एल. भाटिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने दिसम्बर, 1999 में हेलसिंकी की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ 'त्रोइका' वार्ता में भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार को गिराने की निन्दा की थी तथा वहां शीघ्र ही लोकतन्त्र बहाल करने का आह्वान किया था; और

(घ) यदि हां, तो भारत-यूरोपीय संघ "त्रोहका" वार्ता में भारत द्वारा अपनाए गए रवैये का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी हाँ। भारत-यूरोपीय संघ ट्रोइका की मंत्री-स्तरीय बातचीत 3 दिसम्बर, 1999 को हेलसिंकी में हुई थी।

(ग) और (घ) यूरोपीय संघ की फिनिश प्रेजीडेन्सी ने 13 अक्तूबर, 1999 को जारी किए गए अपने बयान में कहा था कि यूरोपीय संघ पाकिस्तान में हुई घटनाओं के लिए अत्यन्त खेद प्रकट करता है और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके सैन्य तख्ता-पलट की निन्दा करता है। उसमें असैनिक सरकार की तुरन्त बहाली की भी मांग की गई।

3 दिसम्बर, 1999 को हेलसिंकी में यूरोपीय संघ-ट्रोइका की मंत्री-स्तरीय बैठक में भारत ने अपने पड़ौस में हुई घटनाओं और सीमा पार से आतंकवाद की त्रासदी के प्रति अपनी गहरी चिन्ता दोहराई है। बैठक की समाप्ति पर जारी संयुक्त प्रैस वक्तव्य में भी इसका उल्लेख किया गया। यूरोपीय संघ ने भारत के रूख के प्रति अपनी सहमति और सहानुभूति प्रकट की है।

सूचना का लीक होना

3486. श्री दाऊद अहमद: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अक्तूबर, 1999 के राजस्थान पत्रिका में "केन्द्रीय जांच ब्यूरो कार्यालय में मार-पीट के मामले की जांच शुरू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच को प्रेस ने हाल ही में उजागर कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा जांच संबंधी ब्यौरे के इस प्रकार लीक होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हाँ। संदर्भित समाचार 23.10.99 को प्रकाशित हुआ था।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा दो व्यक्तियों से दुर्व्यवहार किये जाने की शिकायत की आरंभिक जांच-पड़ताल के बाद संबंधित उप-महानिरीक्षक द्वारा इस बारे में एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया। इसके परिणामस्वरूप, विभागीय कार्रवाई किए जाने तक, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो का एक निरीक्षक और एक उप-निरीक्षक पहले ही निलंबित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) आरंभिक जांच पड़ताल संख्या 7(क)/99/के.अ.ब्यू./जोधपुर का कुछ ब्यौरा 19.11.99 को समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ था। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने इस मामले में जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

कच्चे काजू का उत्पादन

3487. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में खराब मौसम के कारण कच्चे काजू का उत्पादन कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कच्चे काजू का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.डी.पी.डी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) मानसून के समय में वृद्धि हो जाने तथा इसी समय फूलों के प्रस्फुटन एवं पराग निर्माण, प्रस्फुटन तथा परागण के समय सापेक्षिक आर्द्रता तथा तापमान में उतार-चढ़ाव होने और टी मास्क्यूटों के भयंकर प्रकोप के कारण वर्ष 1998-99 के दौरान कच्चे काजू का उत्पादन प्रभावित हुआ। 7.32 लाख हैक्टेयर क्षेत्र से 5 से 5.2 लाख मीटरी टन के प्रत्याशित उतपादन के मुकाबले वास्तविक उत्पादन 4.60 लाख मीटरी टन रहा।

(ग) सरकार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "समेकित काजू विकास कार्यक्रम" कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत काजू का उत्पादन

बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों जैसे क्षेत्रीय नर्सरियों की स्थापना, नए रोपण के विकास, रुग्ण उद्यानों के पुनर्रोपण/पुनरुद्धार, आदर्श क्लोनल गार्डनों के विकास, पौध संरक्षण उपायों तथा किसानों के प्रशिक्षण के लिए सहायता दी जा रही है। इस स्कीम के लिए चालू वर्ष 1999-2000 के दौरान 17.50 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं।

कुओं की खुदाई

3488. श्री विष्णु पद राय: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नील/हेवलोक द्वीप समूह के लघु कृषकों द्वारा सिंचाई के उद्देश्य से अस्थायी कुओं का निर्माण किया जाता है जो प्रतिवर्ष क्षतिग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि ये लघु कृषक वित्तीय कठिनाइयों के कारण स्थाई कुओं का निर्माण करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन द्वीप समूह के लघु कृषकों के लाभ हेतु स्थाई कुओं का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रकाशन को नील हैवलाक द्वीप समूह (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) के छोटे किसानों से इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग को सहायता

3489. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान तथा आज की तारीख तक केरल में खादी और ग्रामोद्योग आयोग को दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा केरल राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	(रुपये लाख में) अनुदान
1997-98	04.73
1998-99	356.70*

*335.94 लाख रुपए की उपांत राशि (मार्जिन मनी) अनुदान शामिल है।

कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी

3490. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान और चीन में उनकी मुद्रा में संगत न्यूनतम मजूरी कितनी है और भारतीय रुपए में उनका अद्यतन परिवर्तित मूल्य कितना है;

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिए कोई मानदण्ड और मात्रा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) जी, हाँ। अनुसूचित रोजगारों के संबंध में कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल श्रमिकों के लिए राज्य-वार न्यूनतम मजदूरी दरों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) संगत न्यूनतम मजदूरी संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि श्रम सांख्यिकी, 1998 के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इयर बुक के आधार पर इन देशों में विनिर्माण की औसत मजदूरी दरों पर एक विवरण-II संलग्न है।

(घ) और (ङ) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय संख्या 131 न्यूनतम मजदूरी के संबंध में मूल मानक नियत करने से संबंधित है, इसका उद्देश्य अत्यन्त कम मजदूरी की अदायगी से रक्षा करना है। इस अभिसमय के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के स्तर का निर्धारण करते समय कर्मकारों तथा उनके परिवारों तथा आर्थिक कारकों, जिनमें आर्थिक विकास की जरूरतें एवं उच्च स्तरीय नियोजन भी शामिल हैं के तत्वों पर विचार किया जाना है।

विवरण-I

केन्द्रीय/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों पर विवरण

(रुपये प्रतिदिन में)

क्र.सं.	राज्य/के.शा.क्षे.	कर्मकारों की श्रेणी			तिथि को स्तंभ सं. 3, 4, 5 के लिए दरें
		अकुशल	अर्द्धकुशल (1.1.99 को चालू दरें)	अकुशल	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	27.00 से 63.19	38.46 से 52.11	40.76 से 54.03	25.05.96
2.	अरूणाचल प्रदेश	35.60 से 37.60	41.60 से 43.60	44.60 से 46.60	11.03.98
3.	असम	32.80 से 55.80	54.70	65.70	1998
4.	बिहार	38.61 से 51.00	53.30	62.30	25.05.98
5.	गोवा	21.00 से 125.00	60.00	70.00	25.03.97
6.	गुजरात	58.80 से 79.20	57.40 से 67.70	59.50 से 62.10	01.05.97
7.	हरियाणा	70.12 से 73.12	63.40	66.28	01.07.97
8.	हिमाचल प्रदेश	26.00 से 45.75	56.19	59.12	06.11.96

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू व कश्मीर	30.00	40.00 से 46.00	48.00 से 60.00	06.11.96
10.	कर्नाटक	26.00 से 74.00	54.35 से 71.80	59.53 से 75.80	01.04.98
11.	केरल	30.00	उ.न.	उ.न.	उ.न.
12.	मध्य प्रदेश	49.46 से 56.48	59.34	63.57	01.04.97
13.	महाराष्ट्र	9.23 से 85.92	28.89 से 56.65	29.23 से 57.29	30.06.97
14.	मणिपुर	44.65 से 49.50	49.90 से 52.90	51.65 से 54.65	08.07.96
15.	मेघालय	35.00	40.00	45.00	10.07.96
16.	मिजोरम	48.00	80.00	90.00	23.11.99
17.	नागालैण्ड	25.00	28.00	उ.न.	1993
18.	उड़ीसा	42.50	50.50	58.50	01.05.99
19.	पंजाब	54.07 से 62.96	57.55	63.65	01.07.95
20.	पांडिचेरी	19.25 से 65.00	65.00	75.00	10.04.97
21.	राजस्थान	32.00 से 44.00	47.00	50.00	19.11.98
22.	तमिलनाडु	22.40 से 82.72	उ.न.	उ.न.	उ.न.
23.	त्रिपुरा	17.70 से 36.00	55.00	65.00	1998

1	2	3	4	5	6
24.	उत्तर प्रदेश	42.02 से 64.21	48.62 से 64.96	52.12 से 73.85	01.01.97
25.	पश्चिम बंगाल	36.55 से 79.99	35.99 से 68.32	36.76 से 69.09	मार्च 97
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	80.76 से 86.76	59.00 से 65.00	72.00 से 80.00	07.02.97
27.	चंडीगढ़	52.09 से 71.93	70.87	77.87	30.09.98
28.	दादर व नागर हवेली	38.00 से 44.00	44.00	55.00	19.02.98
29.	दिल्ली	108.36	116.04	127.92	07.06.99
30.	दमन व दीव	50.00 से 60.00	60.00	70.00	01.02.99
31.	लक्षद्वीप	41.40	46.46	51.46	जन. 96
	केन्द्रीय क्षेत्र	46.22 से 84.12	56.26 से 92.12	71.33 से 92.12	12.07.94

उ.न. - उपलब्ध नहीं है।

नोट - मजदूरी की दरों में परिवर्ती महंगाई भत्ते भी, जहां कहीं इसके लिए प्रावधान है, शामिल हैं।

विवरण-II

विनिर्माण में प्रति कर्मकार औसत मजदूरी

देश	मुद्रा	अवधि	औसत मजदूरी (वर्ष)	भारतीय रुपये में मजदूरी
यू.एस.ए.	डालर	प्रति घंटा	13.17 (1997)	489.46
यू.के.	पाउंड	प्रति घंटा	8.53 (1997)	520.53
जर्मनी	मार्क	प्रति घंटा	26.78 (1997)	561.34
फ्रांस	फ्रैंक	प्रति घंटा	50.63 (1993)	276.59
जापान	येन	प्रति माह	3,71,356.00 (1993)	1,08,064.60
चीन	यूआन	प्रति माह	494.42 (1997)	

जैव कृषि

3491. डा. संजय पासवान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.सी.ए.आर. ने भारतीय पशु संसाधन विकास प्रतिष्ठान (बी.सी.आर.डी.एफ.) के सहयोग से जैव कृषि पर एक गहन सत्र का आयोजन किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशें क्या हैं और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

प्रमुख सिफारिशें

1. जैव फार्मिंग के उपलब्ध संसाधनों का सूचीकरण।
2. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली नार्स के तहत "जैव फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता के केन्द्र" की स्थापना।
3. "जैव फार्मिंग पर अनुसंधान के लिए नैट-वर्क" की पूरे देश में स्थापना।
4. भारत में जैव फार्मिंग के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान केन्द्रों/गैर सरकारी संगठनों/ वैयक्तिक संगठनों द्वारा विकसित अन्य प्रौद्योगिकियों तथा उपलब्ध देसी प्रौद्योगिकी संबंधी ज्ञान (आई.टी.के.) का प्रलेखन।
5. विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य कृषि संस्थानों में स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में "जैव फार्मिंग की संकल्पना एवं व्यवहार" विषय संबंधी कोर पाठ्यक्रम की शुरूआत।
6. जैव फार्मिंग क्रियाओं से जुड़े सफल किसानों के पास जाने के लिए प्रख्यात कृषि व सामाजिक वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों को लेकर विशेषज्ञ दल बनाएं जाएं। यह दल जैव फार्मिंग के विभिन्न पक्षों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
7. "जैव फार्मिंग" की उपयुक्त ढंग से जांच/वर्गीकरण के लिए क्रियाविधि/तरीकों का मानकीकरण।
8. देश में महत्वपूर्ण उत्पादन प्रणालियों के लिए जैव फार्मिंग के क्षेत्र में उपयुक्त कृषि क्रियाओं का निर्माण।
9. कृषि विज्ञान केन्द्रों, खेत प्रदर्शनों, दूर-दर्शन कार्यक्रमों तथा अन्य उपयुक्त प्रचार माध्यमों के द्वारा जैव फार्मिंग से संबंधित जानकारी का प्रसार।
10. जो किसान "जैव फार्मिंग" को सफलतापूर्वक अपना रहे हैं, खेती कर रहे है उनके पास किसानों को जाने के लिए बढ़ावा देना।

सहभागिता कृषि प्रबन्धन

3492. श्रीमती शीला गौतम : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए कोई योजना लागू की है जो जल उपयोगकर्ता संघ के माध्यम से सहभागिता कृषि प्रबन्धन को क्रियान्वित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को कुल कितना निधियां जारी की गई हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) देश में एक केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृत और कार्यकारी किसान संगठनों (जल प्रयोक्ता संघों) को 500/- रु. प्रति हेक्टेयर की दर से एकमुश्त कार्यकारी अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जोकि सिंचाई जल के कुशल प्रबन्धन से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों के वास्ते केन्द्र, राज्य और किसान संघों द्वारा क्रमशः 225/- रु. 225/- रु. और 50/- रु. वहन किया जाता है।

(ग) इस कार्यक्रम के तहत भागीदार राज्यों को जारी कार्यकारी अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी कार्यकारी अनुदान का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	पिछले तीन वर्षों (1996-97 से 1998-99 के दौरान जारी कुल कार्यकारी अनुदान लाख रु.
1.	आंध्र प्रदेश	3125.25
2.	हरियाणा	74.52
3.	मध्य प्रदेश	18.00
4.	महाराष्ट्र	18.36
5.	तमिलनाडु	85.00
6.	उत्तर प्रदेश	44.51
		3365.64

खान श्रमिकों के लिए कल्याण योजना

3493. श्री अशोक प्रधान : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में विशेषरूप से उत्तर प्रदेश के पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों में खनन क्षेत्र में श्रमिकों की अद्यतन संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा उन श्रमिकों के कल्याण के लिए कौन-सी कल्याण योजनाएं तैयार की गई हैं और अब तक इन योजनाओं से राज्यवार कितने श्रमिक लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) प्रत्येक राज्य के खनन क्षेत्र (परमाणु खनिजों व छोटे खनिजों को छोड़कर) के कामगारों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खानों, लौह अयस्क/मैंग्नीज अयस्क/क्रोम अयस्क खानों तथा अभ्रक खानों से जुड़े कामगारों तथा उनके पारिवारिक सदस्यों को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, मनोरंजन तथा जलापूर्ति संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। ऐसी योजनाओं की सूची संलग्न विवरण-II में है। योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वाले कामगारों की संख्या संलग्न विवरण-III पर है।

(ग) निधियां राज्यवार नहीं दी जाती हैं। इन योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रवार आवंटित निधियों का विवरण संलग्न विवरण-IV पर है।

विवरण-I

देश के खान कामगारों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य का नाम	खान कामगारों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	17795
अरूणाचल प्रदेश	5
असम	6654
बिहार	268245
दिल्ली	1839
गोवा	7714
गुजरात	38756
हरियाणा	6625
हिमाचल प्रदेश	5694
जम्मू व कश्मीर	166
कर्नाटक	44917
केरल	2531
मध्य प्रदेश	400728
महाराष्ट्र	19067
मणिपुर	18

1	2
मेघालय	930
नागालैंड	57
उड़ीसा	107626
पांडिचेरी	0
राजस्थान	73952
सिक्किम	77
तमिलनाडु	14997
त्रिपुरा	0
उत्तर प्रदेश	9745
पश्चिम बंगाल	154000

विवरण-II

खान कामगारों (चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खान कामगार, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान तथा अभ्रक खान) से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की सूची

स्वास्थ्य

1. टी.बी. अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना
2. मानसिक रोगग्रस्त खान कामगारों के उपचार की योजना
3. कुष्ठपीड़ित खान कामगारों के उपचार की योजना
4. टी.बी. ग्रस्त खान कामगारों के घरेलू उपचार की योजना
5. महिला खान कामगारों के लिए प्रसूति लाभ योजना
6. कैंसर पीड़ित खान कामगारों के उपचार की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति
7. चश्में की खरीद हेतु खान कामगारों को आर्थिक सहायता अनुदान
8. खान कामगारों को विसंक्रमित करने हेतु अश्रिक्त आर्थिक क्षतिपूर्ति के भुगतान की योजना
9. हृदय रोग पीड़ित खान कामगारों को व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता
10. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में खान कामगारों को व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता
11. घातक तथा गंभीर दुर्घटना की स्थिति में खान कामगारों को क्षतिपूर्ति के भुगतान की योजना
12. खान कामगारों को कत्रिम अंग मुहैया कराने की योजना
13. लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क तथा चूना पत्थर व डोलोमाइट खान प्रबंधकों को एम्बूलेंस गाड़ियों की खरीद के लिए आर्थिक सहायता अनुदान

आवास

1. कामगारों को कार्यस्थल के पास कम लागत वाले टाइप-I तथा टाइप-II मकानों के निर्माण हेतु खान प्रबंधनों को वित्तीय सहायता।
2. अपना घर स्वयं बनाओ योजना : अपना घर बनाने के लिए खान कामगारों को ब्याजमुक्त ऋण तथा सब्सिडी।

शिक्षा

1. खान कामगारों के स्कूल/कॉलेज जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति।
2. खान कामगारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को एक सेट ड्रेस, स्लेटें, कॉपियां तथा किताबें खरीदने के लिए वित्तीय सहायता की व्यापक योजना।
3. केन्द्रीय पुस्तकालय को चलाने के लिए खान मालिकों को सहायता।
4. खान प्रबंधनों को स्कूल बसों की खरीद हेतु सहायता।
5. पुस्तकालयों के रखरखाव हेतु खान प्रबंधनों को सहायता।
6. लौह अयस्क, मैंगनीय अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान क्षेत्रों के मान्यताप्राप्त विद्यालयों को फर्नीचर तथा उपकरणों की खरीद के लिए आर्थिक सहायता अनुदान।

7. दोपहर के भोजन की योजना।

8. हाईस्कूल से विश्वविद्यालय/बोर्ड की परीक्षाएं पास करने पर आर्थिक सहायता का भुगतान।

9. खान कामगारों की बेटियों को विद्यालय में प्रतिदिन की उपस्थिति के आधार पर, प्रतिदिन 1/- रु. का प्रोत्साहन/आर्थिक सहायता देने की योजना।

मनोरंजन

1. खान कामगारों के लिए खेलकूद, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन।

2. खान कामगारों के आवागमन हेतु बस मुहैया कराने की योजना।

3. दृश्य-श्रव्य सैटों की स्थापना/सिनेमा वैनों तथा फिल्मों का प्रदर्शन।

4. भ्रमण-सह-अध्ययन यात्राएं।

5. टी.वी. सैटों की आपूर्ति।

6. बहुद्दशीय संस्थानों/विकसित बहुद्देश्यीय संस्थानों की स्थापना।

7. कल्याण केन्द्रों की स्थापना।

8. एम.पी.आई./डी.एम.पी.आई./कल्याण केन्द्रों को अनुदान।

9. खेल का मैदान।

10. अवकाश गृह।

जलापूर्ति

1. कुएं खोदने के लिए छोटे खान मालिकों को वित्तीय सहायता।

2. जलापूर्ति योजना शुरू करने के लिए छोटे खान मालिकों को वित्तीय सहायता।

3. जलापूर्ति योजना शुरू करने के लिए बड़े खान मालिकों को वित्तीय सहायता।

विवरण-III

1998-99 वर्ष के दौरान चूनापत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	इलाहाबाद*	बंगलौर*	भीलवाड़ा*	भुवनेश्वर*	कलकत्ता*	हैदराबाद*	जबलपुर*	कर्मा*	नागपुर*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. स्वास्थ्य										
1.	निपटाये गये घातक दुर्घटना मामले	0	0	0	10	0	2	0	0	0
2.	औषधालयों में इलाज किए गए रोगी	2093	0	208455	21738	0	42781	47788	19820	3630
3.	क्षय रोग अस्पतालों में बिस्तरों की धारिता	0	0	10	0	0	0	2	0	0
4.	घर में उपचार किये गये क्षय रोगी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	केन्सर हेतु खान कर्मकारों का उपचार	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6.	चश्मों की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	हृदय रोग का उपचार	0	0	1	0	0	0	0	0	0
8.	औषधालयों के रख-रखाव हेतु जी.आई.ए.	3	5	11	5	0	28	14	3	3
9.	एम्बूलेन्स की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**शिक्षा**									
10.	बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना	11	117	1603	937	140	171	197	0	67
11.	वर्दी/किताबों आदि के एक सेट की आपूर्ति	11	0	2689	976	34	194	196	0	21
12.	प्रतिशतता प्रोत्साहन	0	0	17	28	0	7	1	0	0
13.	हाजिरी प्रोत्साहन	0	29	334	532	43	66	11	0	25
14.	पुस्तकालयों को अनुदान	0	0	0	0	0	0	0	0	1
III.	**मनोरंजन**									
15.	सामाजिक, सांस्कृतियां तथा खेलकूद गतिविधि का संगठन	0	0	0	1	0	29	7	0	2
16.	चल चित्र प्रदर्शन	0	0	0	5	0	9	1	0	1
17.	टी.वी. सेट की आपूर्ति	0	0	0	2	0	1	0	0	0
18.	कर्मकारों के लिये अवकाश गृह	0	0	0	74	0	0	0	0	0
19.	भ्रमण-सह-अध्ययन दौरे	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	कल्याण केन्द्रों की स्थापना	0	0	0	0	0	0	0	0	1
IV.	**आवास**									
21.	अपना घर स्वयं बनाओं योजना (ऋण)	0	2	0	3	0	0	0	0	0
22.	अपना घर स्वयं बनाओ योजना (आ.सहायता)	0	2	0	3	0	0	0	0	0
23.	समूह आवास योजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	टाइप-II आवास योजना	0	48	0	0	0	0	0	0	0
25.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	**जल आपूर्ति योजना**									
26.	खोदे गए कुएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1998-99 के दौरान लौह-अयस्क, क्रोम अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	योजना का नाम	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	नागपुर
1	2	3	4	5	6	7
I. स्वास्थ्य						
1.	औषधालयों में इलाज किये गये रोगी	45259	204430	26166	54375	8058
2.	औषधालयों के रखरखाव हेतु जी.आई.ए.	3	19	0	4	12
3.	क्षय रोगियों का घर घर उपचार	0	0	0	0	0
4.	घातक तथा गम्भीर दुर्घटना मामले	0	1	0	0	1
5.	चश्मों की खरीद	0	0	0	0	0
6.	एम्बूलेंस की खरीद	0	1	0	0	0
7.	केन्सर हेतु खान कर्मकारों का उपचार	7	1	0	0	0
II. शिक्षा						
8.	बच्चों का छात्रवृत्ति प्रदान करना	1540	1012	38	95	957
9.	वर्दी/किताबों आदि के एक सेट की आपूर्ति	390	1706	124	0	844
10.	प्रतिशतता प्रोत्साहन	47	53	0	8	14
11.	हाजिरी प्रोत्साहन	627	419	0	29	334
12.	स्कूल बस प्रोत्साहन	0	0	0	1	1
13.	पुस्तकालयों को अनुदान	0	0	0	0	0
14.	दिन का भोजन	0	1969	0	0	0
III. मनोरंजन						
15.	सामाजिक, सांस्कृतिक तथा खेलकूद गतिविधि का संगठन	0	26	0	0	7
16.	चल चित्र प्रदर्शन	0	9	0	3	56
17.	टी.वी. सेट की आपूर्ति	1	1	0	0	0
18.	कर्मकारों के लिए अवकाश गृह	0	1197	0	0	0
19.	भ्रमण-सह-अध्ययन दौरे	0	0	0	0	0
20.	बहुद्देश्यीय संस्था की स्थापना	0	27	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
21.	कल्याण केन्द्रों की स्थापना	0	0	0	0	7
22.	सिनेमा वैन	0	0	0	0	0
IV. आवास						
23.	अपना घर स्वयं बनाओ योजना (ऋण)	4	5	0	0	0
24.	अपना घर स्वयं बनाओं योजना (आर्थिक सहायता)	0	5	0	0	0
25.	समूह आवास योजना	25	0	0	0	0
26.	टाइप-II आवास योजना	0	84	0	0	0
27.	टाइप-I आवास योजना	0	450	0	0	0
V. जल आपूर्ति योजना						
28.	खोदे गए कुएं	0	1	0	0	0

वर्ष 1998-99 के दौरान अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि के अन्तर्गत लाभानुभोगियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	भीलवाड़ा	हैदराबाद	कर्मा
I. स्वास्थ्य				
1.	औषधालयों में रोगियों का उपचार	9359	0	21900
II. शिक्षा				
2.	बालकों को छात्रवृत्ति दिया जाना	1	146	26
3.	एक जोड़ा वर्दी/स्लैटों/पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति	0	98	37
III. मनोरंजन				
4.	सामाजिक/खेलकूद गतिविधियों का आयोजन	1	0	0
5.	फिल्मों का प्रदर्शन	0	0	0

*राज्य वार सूचना नहीं रखी जाती है।
इलाहाबाद क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं।
भीलवाड़ा क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा शामिल हैं।
बंगलौर क्षेत्र में कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप शामिल हैं।
भुवनेश्वर क्षेत्र में उड़ीसा शामिल है।
कलकत्ता क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल, मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम शामिल हैं।
हैदराबाद क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।
जबलपुर क्षेत्र में मध्य प्रदेश शामिल है।
कर्मा क्षेत्र में बिहार शामिल है।
नागपुर क्षेत्र में महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली शामिल हैं।

विवरण-IV

1996-97, 1997-98 और 1998-99 वर्षों के लिये खान श्रमिकों हेतु निधियों का क्षेत्रवार आबंटन

(रुपये हजारों में)

क्र.सं.	क्षेत्र	एल.एस.* डी.एम.	आई.एम.* सी.	माइका*	एल.एस.* डी.एम.	आई.एम.* सी.	माइका*	एल.एस.* डी.एम.	आई.एम.* सी.	माइका*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	इलाहाबाद	3996	0	0	4133	0	0	4516	0	0
2.	बंगलौर	6039	14623	0	6131	22739	0	5537	19992	0
3.	भीलवाड़ा	18133	0	1672	18074	0	2098	20888	0	1763
4.	भुवनेश्वर	4061	27338	0	6072	30313	0	6511	41787	0
5.	कलकत्ता	1512	0	0	2510	0	0	4677	0	0
6.	हैदराबाद	19228	5056	8061	10701	2634	8693	13526	2138	7092
7.	जबलपुर	14741	20643	0	13869	16045	0	14690	18606	0
8.	कर्मा	2600	25007	17480	1577	15016	17305	1904	19571	14845
9.	नागपुर	2420	12448	0	1748	11993	0	1595	10616	0
	कुल	72730	105175	27213	64815	98740	28096	73844	112710	23700

*एल.एस.डी.एम. - चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि

*आई.एम.सी. - लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि

*माइका - माइका श्रमिक कल्याण निधि

जर्मनी में भारतीयों का बेरहमी से पीटा जाना

3494. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी की यात्रा पर गए एक भारतीय पर हमला किया गया था और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या जर्मनी में रह रहे अनेक भारतीय अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को जर्मन सरकार से इस मामले के बारे में पूरी रिपोर्ट मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं के बाद जर्मनी में रह रहे भारतीय की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) अन्य राष्ट्रीयताओं, विशेषकर जर्मनी के पूर्वी भागों में लोगों पर अलग-

अलग हमले की घटनाओं की कुछ खबरें मिली हैं। भारतीय मूल के कुछ लोगों पर भी हमले हुए हैं और उन्हें चोट पहुंची है। तथापि, ऐसे किसी हमले में किसी भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने का कोई दृष्टान्त नहीं है।

(ग) से (ङ) जर्मनी स्थिति हमारा मिशन स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। जर्मनी के प्राधिकारियों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों की पहल की है।

आई.बी.एम. कम्पनी

3495. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आई.बी.एम. कम्पनी को देश में विशेष रूप से पाण्डिचेरी में कम्प्यूटर निर्माण एकक स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस एकक के निर्माण से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश योजना के अन्तर्गत विदेशी सहयोग के इन प्रस्तावों को अनुमोदित किया है- (1) कर्नाटक राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों तथा सेवाओं की एक यूनिट स्थापित करने के लिए मेसर्स आईबीएम ग्लोबल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, तथा (2) महाराष्ट्र राज्य में कम्प्यूटर प्रणालियों के विनिर्माण, विपणन एवं निर्यात के लिए मेसर्स आईबीएम इंडिया लिमिटेड। ये कम्पनियां प्रतिभावान सॉफ्टवेयर व्यवसायविदों तथा अन्य इंजीनियरी स्टाफ को रोजगार के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अवसर प्रदान करेंगी।

सरदार सरोवर बांध

3496. श्री दिन्शा पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार और सरदार सरोवर बांध परियोजना के लाभानुभोगी दूसरे राज्यों ने केन्द्र सरकार से ओवरसीज इक्नामिक कॉपरेशन फंड सहायता के समान अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने परियोजना के लिए कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा परियोजना के नदी की तल (खिरबेड) पर बने बिजली घर को समय पर चालू किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) सरदार सरोवर परियोजना में नदी तल बिजली घर में रिवर्सिबल टरबाइन मुहैया कराये जाने की योजना है। ये टरबाइन व जनरेटर्स मैसर्स सुमितोमी कारपोरेशन, जापान द्वारा मुहैया कराये जाने थे। तथापि, इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ऋण के रोके जाने के कारण टरबो जनरेटर सेटों का भुगतान नहीं किया जा सका। दीर्घकालीन बातचीत के बाद मैसर्स सुमितोमी कारपोरेशन, जापान सभी छः यूनिटों की बकाया आपूर्ति करने के लिए 20.06 बिलियन येन का ऋण देने पर सहमत हो गया है। इस ऋण समझौते पर 30.09.1998 को हस्ताक्षर किये गए थे। वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) ने गुजरात सरकार द्वारा ऋण के लिए दी गई गारंटी पर काउंटर गारंटी दे दी है। इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ ही मैसर्स सुमितोमी कारपोरेशन, जापान से आपूर्तियां शुरू हो गई और 608 बिलियन येन मूल्य की पहली खेप स्थल पर 25 मई, 1999 को प्राप्त की गई थी। नदी तल बिजली घर को पहली यूनिट शुरू किए जाने के लिए दिसम्बर, 2002 तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है और शेष इकाइयां इसके 4 महीनों के अंतराल के बाद तैयार होंगी।

[हिन्दी]

दामोदर नदी की धारा परिवर्तन

3497. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के अधीन दामोदर नदी की धारा परिवर्तन संबंधी परियोजना के कार्य में प्रगति की सरकार द्वारा समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना की लागत व्यय में वृद्धि हो रही है और कार्य लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो अनुमानित मूल लागत और वर्तमान लागत वृद्धि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कब तक इस परियोजना को पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ङ) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की दामोदर नदी डाइवर्जन परियोजना के लिए अग्रिम कार्रवाई प्रस्ताव (ए.ए.पी.) केन्द्र सरकार द्वारा मूल रूप से 2 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से अप्रैल, 1983 में स्वीकृत किया गया था। कोल कंपनी इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा कर रही है। इस परियोजना के लागत व्यय में वृद्धि हुई है मगर काम जारी है। इस परियोजना की नवीनतम संशोधित लागत 9.97 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को मार्च, 2002 तक पूरा किया जाना है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकरण

3498. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यकरण की गंभीर आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यकरण को सुधारने हेतु क्या कार्रवाई की है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) सिविल रिट याचिका संख्या 3376/1998 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 28.07.99 के फैसले में अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक के विरूद्ध आरंभ की गई भारी शास्ति की कार्यवाही के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता-आयोग द्वारा दी गई सलाह पर प्रतिकूल टिप्पणी की थी कि केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने अपनी सलाह देते समय मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा।

उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध, भारी-उद्योग-विभाग द्वारा एक अपील पहले ही दायर कर दी गई है। केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय में अपने विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणी को निकाल दिए जाने की अपील दायर करना तय किया है।

इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड

3499. श्री के. मुरलीधरन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड को दी जा रही राज सहायता वापस लेने और आई.आर.ई. इकाई कोचीन में कार्य कर रहे श्रमिकों की छंटनी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो आई.आर.ई. लिमिटेड की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जायेंगे?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग का एक-एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (आई.आर.ई.एल.), केरल में उद्योगमंडल, आल्वे में अपने रेअर अर्थ्स प्रभाग (आर.ई.डी.) का संचालन करता है। रेअर अर्थ्स प्रभाग विरल मृदा यौगिकों और थोरियम तथा यूरेनियम के यौगिकों के उत्पादन हेतु विकिरण सक्रिय मोनाजाइट को संसाधित करता है। विरल मृदा उत्पाद मुख्यत: निर्यात किए जाते हैं। इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड को इस प्रभाग के परिचालन के लिए सरकार से कोई इमदादी-सहायता नहीं दी जाती है। पिछले कुछ समय में ही, रेअर अर्थ्स प्रभाग के विरल मृदा उत्पादों का निर्यात, अन्य देशों से तीव्र प्रतिस्पर्धा होने की वजह से काफी घट गया है, जिनमें से कम से कम एक के पास उन विरल मृदाओं के अन्य खनिज स्रोतों के विशाल भंडार है, जो विकिरण सक्रिय नहीं हैं। विरल मृदा उत्पादों के निर्यात में गिरावट आ जाने के परिणामस्वरूप और फलत: तैयार उत्पादों के भंडार के इकट्ठा हो जाने से, रेअर अर्थ्स प्रभाग को वर्ष 1996-97 से लगातार अधिकाधिक हानि होती आ रही है। संचित हानि तथा रेअर अर्थ्स प्रभाग की वर्ष 1999-2000 में प्रत्याशित हानि को ध्यान में रखते हुए, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के प्रबन्धकों ने मिले-जुले बेहतर उत्पाद प्राप्त करने के

लिए हाल ही में स्थापित एक संयंत्र के परिचालन हेतु, कर्मचारी संघ के समक्ष, कुछ मितव्ययता बरतने के उपायों और मौजूदा कार्मिकों में से कुछ की नियुक्ति एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर करने के बारे में कुछ प्रस्ताव रखे थे, क्योंकि कर्मचारी संघ सहयोग करने के लिए राजी नहीं था, अत: इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के पास सिवाय कार्मिकों को निकालने के लिए अनुमति मांगने हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। बहरहाल, बाद में, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, एरनाकुलम, के हस्तक्षेप से हुई बातचीत के दौरान, औद्योगिक विवाद अधनियम, 1948 की धारा 12(3) के अधीन एक समझौता हुआ। जिसके अंतर्गत संघ मौजूदा कार्यबल की पुनर्नियुक्ति के लिए और मितव्ययता बरतने संबंधी कुछ उपायों को क्रियान्वित करने के लिए राजी हो गया। आशा है कि इस व्यवस्था से रेअर अर्थ्स प्रभाग की हानि घटेगी और इसलिए इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड ने किसी भी कर्मचारी को न निकालने का फैसला कर लिया है।

निधियों का उपयोग

3500. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकारें सिंचाई परियोजनाओं हेतु जारी की गई केन्द्रीय निधियों का सही उपयोग नहीं कर रही हैं और इस निधि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार ने ऐसी राज्य सरकारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) केन्द्र ने ऐसी सिंचाई परियोजनाओं जो कि पूरा होने के अन्तिम चरण में हैं या ऐसी बड़ी परियोजनाओं जो कि राज्य की संसाधन क्षमताओं से बाहर हैं, को पूरा करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.ए.ल.ए.) उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) शुरू किया है। ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत निधियां वर्ष-दर-वर्ष आधार पर जारी की जाती हैं बशर्ते कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विधिवत जारी किया गया उपयोग प्रमाण पत्र राज्यों द्वारा भेजा जाए।

मुल्ला पेरियार बांध

3501. श्री पी. कुमारासामी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल राज्य से मुल्ला पेरियार बांध का जल स्तर 152 फीट करने के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामें को वापिस लेने का अनुरोध किया है, क्योंकि बांध में पाए गई ढांचागत त्रुटियों के कारण 1979 में जल स्तर 136 फीट कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मही सिंचाई परियोजना

3502. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मही परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से आरम्भ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना को पूरा करने के कार्य में अत्यधिक विलंब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना को कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि

3503. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के लखीमपुर (खीरी) जिले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उप-क्षेत्रीय कार्यालय शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक शुरू हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत शामिल स्थापनाओं/कर्मचारियों की संख्या, प्राप्त/निपटाये गए दावों की संख्या, वित्तीय व्यवहार्यता इत्यादि जैसे पैरामीटर को दृष्टिगत रखते हुए उप क्षेत्रीय कार्यालयों को खोला जाता है। प्रस्ताव पर विचार करते समय, इस संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन समिति की सिफारिश को भी ध्यान में रखा जाता है। मौजूदा मानकों के आधार पर, लखीमपुर (खीरी) उत्तर प्रदेश में उप क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

महाराष्ट्र में रुग्ण उद्योग

3504. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में विशेषकर विदर्भ क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है और ऐसी इकाइयों में रूके हुए विनिवेश का ब्यौरा क्या है और इनसे प्रभावित लोगों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित डाटा के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में रुग्ण इकाइयों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

मार्च के अंत में	ल.उ. इकाइयों की संख्या	बकाया राशि (रु. करोड़ में)	गैर ल.उ. इकाइयों की संख्या	बकाया राशि (रु. करोड़ में)
1993	20863	728.96	367	1701.35
1994	21350	768.44	350	1735.55
1995	21346	738.85	357	1652.44
1996	20100	744.14	337	1688.84
1997	19360	764.53	340	1614.88

रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के कारण प्रभावित व्यक्तियों की संख्या के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य में क्षेत्रवार आंकड़े नहीं रखता है।

(ख) औद्योगिक रुग्णता की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने ''रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के नाम से व्यापक कानून बनाए हैं तथा इस अधिनियम के अंतर्गत ''औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) नामक अर्द्ध न्यायिक निकाय का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की परिभाषा में आशोधन करने, पुनर्वास हेतु ब्याज दर कम करने, पहचान की गई रुग्ण इकाइयों के तात्कालिक व्यवहार्यता अध्ययन/नर्सिंग कार्यक्रम, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के साथ बर्ताव (डील) करने हेतु मुख्यालयों तथा मुख्य क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रकोष्ठों की स्थापना तथा उनमें तकनीकी कर्मचारियों सहित अनुभवी स्टाफ सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

फालतू कामगारों की पुन: तैनाती

3505. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अतिरिक्त श्रमिकों को फिर से प्रशिक्षित करने और उन्हें फिर से रोजगार देने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कोष का उपयोग राष्ट्रीय नवीकरण कोष से करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जुलाई 1991 में भारत सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति के उदारीकरण के फलस्वरूप प्रभावित कामगारों को सुरक्षा संजाल उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि स्थापित की गई। 24.7.91 में अर्थात् जुलाई 1991 में भारत सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति के उदारीकरण के पश्चात् संगठित क्षेत्र के स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त अथवा छंटनी कर दिए गए या अधिशेष घोषित कर दिए गए तर्कबुद्धिपरक कामगारों को परामर्श, पुन: प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनकी पुन: तैनाती हेतु राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता उपलब्ध कराई गई है। वेतन अथवा स्व-रोजगार में रोजगार के अवसरों वाले व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा करने पर, प्रशिक्षित कामगारों की वेतन/स्व-रोजगार में पुन: तैनाती हेतु प्रयत्न किए जाते हैं। 30.11.1999 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एन.आर.एफ.) की सहायता से स्थापित कर्मचारी सहायता केन्द्रों ने 57,991 कामगारों को परामर्श एवं 40,591 कामगारों को पुन: प्रशिक्षण तथा 12,867 कामगारों को पुन: तैनाती दी है।

1999-2000 के बजट आकलनों में भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा 8 करोड़ रुपए की कुल राशि उपलब्ध कराई गई है।

पुनर्भिमुखीकरण अनुसंधान कार्यक्रम हेतु योजना

3506. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1999-2000 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अन्य विकसित/विकासशील देशों के सहयोग से कृषि अनुसंधान कार्यक्रम का पुनर्भिमुखीकरण करने के लिए एक कार्यनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधाओं का स्तर उन्नत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय-वार कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा संस्वीकृत/जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है और इसमें से कितनी राशि का विश्वविद्यालयों द्वारा वास्तविक रूप में उपयोग किया गया; और

(घ) इस आवंटित धनराशि का विश्वविद्यालयों द्वारा कम उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान अन्य देशों के सहयोग से कृषि अनुसंधान कार्यक्रम को नया रूप देने के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, नौवीं योजना के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों में सुविधाओं को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ''कृषि विश्वविद्यालयों का विकास तथा सुदृढ़ीकरण'' स्कीम के अन्तर्गत 131.30 करोड़ रु.

का कुल परिव्यय निम्नलिखित शीर्षों के तहत रखा गया है:-

(रु. करोड़ में)

1.	सिविल कार्य	
	(क) महिला छात्रावासों का निर्माण (ख) अकादमी तथा भवन का नवीकरण (ग) शिक्षण संबंधित फार्मों का विकास तथा सुदृढ़ीकरण	38.00
2.	पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षण को प्रायोगिक शिक्षा के लिए आकस्मिक अनुदान	36.00
3.	संकाय क्षमता में सुधार (संकाय की अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार में भागेदारी)	7.00
4.	आधारभूत ढांचे का विकास, पूर्व-स्नातक प्रायोगिक शिक्षा तथा कम्प्यूटर	15.00
5.	पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण	7.00
6.	केन्द्रीय इन्स्ट्रूमेन्टेशन प्रयोगशाला की स्थापना	15.00
7.	छात्रों एवं संकाय हेतु सुविधाएं	6.10
8.	संकाय अध्यक्षों द्वारा शिक्षा का विकास और सुदृढ़ीकरण जिसके लिए एक लाख रु. प्रति वर्ष प्रति संकाय अध्यक्ष को दिए जाएंगे	7.20
	कुल	131.30

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियों का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) विश्वविद्यालयों द्वारा निधियों का कारगर ढंग से उपयोग किया जा रहा है।

विवरण

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, मानद विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय का विवरण तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन विश्वविद्यालयों को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	146.00	80.00	90.00
2.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	—	270.00	100.00
3.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची	146.74	95.00	70.00
4.	विधान चन्द कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर	153.55	61.00	110.00
5.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	35.00	71.00	96.00
6.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	—	63.00	88.00
7.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, बनासकांठा	56.04	85.00	100.00

1	2	3	4	5
8.	गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	49.70	95.00	120.00
9.	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	64.00	62.00	80.00
10.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि नगर, रायपुर	36.28	69.00	75.00
11.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	115.36	108.00	175.00
12.	कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली	56.71	75.00	80.00
13.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर	15.24	70.00	95.00
14.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी	30.53	68.00	76.00
15.	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी	49.80	72.00	90.00
16.	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	58.00	55.00	60.00
17.	उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	—	70.00	100.00
18.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	57.00	70.00	100.00
19.	डा. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला	33.95	57.00	75.00
20.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	51.00	150.00	140.00
21.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	30.00	70.00	112.00
22.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	109.78	80.00	110.00
23.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	57.69	55.00	80.00
24.	तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई	61.00	60.00	70.00
25.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	49.31	80.00	110.00
26.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	105.37	60.00	94.17
27.	पश्चिम बंगाल पशु और मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, कलकत्ता	25.00	60.00	105.00
28.	डा. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	77.26	99.00	92.00
	योग	1670.31	2315.00	2693.17

1	2	3	4	5
मानद विश्वविद्यालय				
1.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली	25.00	48.00	53.50
2.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	25.00	32.00	42.00
3.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	25.00	30.00	30.00
4.	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई	25.00	38.00	74.50
	योग	100.00	148.00	200.00
केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय				
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	50.00	20.00	25.00
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	25.00	20.00	25.00
3.	विश्व भारती शांति निकेतन, प. बंगाल	25.00	20.00	25.00
	योग	100.00	60.00	75.00

फसल-जनकीय स्रोत

3507. **श्री कृष्णमराजू** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दक्षेस देशों के फसल-जनकीय स्रोतों का संरक्षण करने के लिए उन्हें अपने जीन-बैंकों का उपयोग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मुद्दे पर दक्षेस देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 22 से 25 मार्च, 1999 को नई दिल्ली में आयोजित ''जननद्रव्य विनिमय और बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई.पी.आर.) पर आम सहमति का विकास'' पर सार्क कार्यशाला के दौरान विचार-विमर्श के लिए कार्यसूची के मदों में से एक मद सदस्य देशों द्वारा उस क्षेत्र में मौजूदा जीन बैंक सुविधाओं और क्षमताओं का उपयोग करने के बारे में था। भारत के पास उपलब्ध जीन बैंक विश्व के सबसे बड़े जीन बैंकों में से है, जिसमें दस लाख से ऊपर जननद्रव्य के नमूने रखने की क्षमता है। इस प्रकार भारत का अपनी जीन बैंक की क्षमता और दीर्घावधि आधार पर व्यापक स्पैक्ट्रम के फसल आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करने की तकनीकी सामर्थ्य के रूप में ''सार्क'' क्षेत्र में प्रमुख है। अनेक विकसित देश और अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों दूसरे देशों को उनके आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए अपने जीन बैंक की सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया से न केवल आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है बल्कि मेजबान देश के लिए भी परस्पर सहमत शर्तों पर बहुमूल्य आनुवंशिक संसाधनों को प्राप्त करने और अन्यों को सुलभ कराने की दृष्टि से यह लाभप्रद रहती है। इस प्रकार ''सार्क'' देशों को अपनी जीन बैंक सुविधाएं पेश करना भारत के हित में होगा।

(ग) कार्यशाला में दिये गये सुझावों के जबाव में भाग लेने वाले देशों से अभी तक कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

ब्राजील के साथ संयुक्त अनुसंधान

3508. श्री रामशकल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि मवेशी और मत्स्यपालन के क्षेत्र में ब्राजील के साथ संयुक्त अनुसंधान करने के लिए सहमत हुई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) कृषि मंत्रालय ने ब्राजील सरकार के साथ कृषि पशुधन और मात्स्यिकी के क्षेत्र में संयुक्त रूप से अनुसंधान करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ब्राजीलियन, कृषि अनुसंधान निगम (ई.एम.बी.आर.ए.पी.ए.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर 30.8.1995 को हस्ताक्षर किए हैं, ताकि पौध विज्ञान, मृदा विज्ञान, कृषि जैव-प्रौद्योगिकी और तत्संबंधित अन्य व्यापक क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ किया जा सके और अभिरूचि को प्रोत्साहित किया जा सके। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए भा.कृ.अ.प. ने 1996-97 के लिए द्विवार्षिक कार्य योजना तैयार की है। इसकी वैधता 31 दिसम्बर, 1999 तक बढ़ा दी गई है। इस कार्य योजना के अंतर्गत अध्ययन दौरों के लिए भा.कृ.अ.प. और ई.एम.बी.आर.ए.पी.ए. के मध्य वैज्ञानिकों के पारस्परिक आवागमन के क्षेत्रों में प्रशिक्षण सहयोग के लिए पहचाने गए पारस्परिक हित शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ''रोगमुक्त नर्सरी पौधों के उत्पादन और नीबूं वर्गीय फलों में फाइटाप्थोरा रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधिता की जांच'' पर एक संयुक्त अनुसंधान परियोजना का प्रस्ताव है। कार्य योजना के अन्तर्गत पारस्परिक आवागमन के दौरे किए गए है। वर्तमान कार्य योजना के समाप्त होने पर नवीन कार्य योजना तैयार की जाएगी।

सकल घरेलू उत्पाद

3509. श्री अरुण कुमार :
श्री जे.एस. बराड़ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औसत वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद कितना है;

(ख) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के औसत वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का भी अनुमान किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) औद्योगिक, कृषि और सेवा क्षेत्रों का औसत वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद कितना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-93 से 1996-97 तक की अवधि को कवर करती है। आठवीं योजना के प्रथम वर्ष, अर्थात् 1992-93 के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमान 1980-81 के आधार पर उपलब्ध हैं। आठवीं योजना के शेष चार वर्षों के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान 1993-94 के आधार पर उपलब्ध हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जीडीपी के वार्षिक अनुमान संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना, 1997-2002 के पांच वर्षों के लिए कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद को 1996-97 की कीमतों पर 6902.5 हजार करोड़ रु. अनुमानित किया गया है जो 1380.5 हजार करोड़ रु. का औसत वार्षिक आंकड़ा प्रदान करता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना की पांच वर्ष की अवधि के लिए कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों में 1996-97 की कीमतों पर 1692.8 हजार करोड़ रु., उद्योग में, 1996-97 की कीमतों पर 2124.2 हजार करोड़ रु. तथा सेवा क्षेत्रक में, 1996-97 की कीमतों पर 3085.5 हजार करोड़ रु. अथवा कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रकों के लिए क्रमश: 338.6 हजार करोड़ 424.8 हजार करोड़ तथा 617.1 हजार करोड़ रु. का औसत वार्षिक अनुमान किया गया है।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) द्वारा उपलब्ध कराए गए नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्रक के, सकल घरेलू उत्पाद के, 1993-94 की कीमतों पर अनुमान संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

वर्ष	वर्तमान कीमतों-आधार वर्ष 1980-81 पर जीडीपी (करोड़ रुपये)
1992-93	630772
वर्ष	**वर्तमान कीमतों-आधार वर्ष 1993-94 पर जीडीपी (करोड़ रुपये)**
1993-94	799077
1994-95	943408
1995-96	1103238
1996-97	1285259

विवरण-II

कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (1993-94 की कीमतों पर करोड़ रुपये)

क्षेत्रक	1997-98 (त्वरित अनुमान)	1998-99 (संशोधित अनुमान)
कृषि	277418	298381
उद्योग	283444	295147
सेवा	488329	518678
योग	1049191	1112206

स्रोत: वार्षिक राष्ट्रीय आय के संशोधित अनुमान तथा सकल घरेलू उत्पाद, 1998-99 के त्रैमासिक अनुमान के संबंध में प्रेस नोट, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

[अनुवाद]

क्षेत्रीय असंतुलन

3510. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों और इन्हें कम करने के लिए उपाय सुझाने हेतु अध्ययन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में उत्तरी बंगाल और सुंदरवन क्षेत्र को शेष बंगाल के साथ क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में क्या अध्ययन किया गया है;

(ग) इसके परिणाम क्या रहे; और

(घ) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं। किसी क्षेत्र की आयोजना और विकास तथा इस प्रयोजनार्थ निधियों का आवंटन, मूलत: संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार, सामान्य केन्द्रीय सहायता के वितरण हेतु उपयोग किए जाने वाले फार्मूले में पिछड़ेपन को उपयुक्त महत्व देते हुए पिछड़े क्षेत्रों के विकास में पश्चिम बंगाल सहित, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल सरकार को विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों अर्थात् पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत भी विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार भी उत्तर बंगाल और सुन्दरवन क्षेत्र की विकास समस्याओं से निपटने के लिए अलग से विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

हैदराबाद में अमरीकी और विदेश वाणिज्यिक सेवा कार्यालय

3511. श्री के. येरनाथयडू : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद में अमरीकी और विदेश वाणिज्यिक सेवा कार्यालय खोलने का कोई अनुरोध सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो यह अनुरोध सरकार के पास कब से लम्बित है और उसके क्या कारण है; और

(ग) इस कार्यालय के कब तक खोल दिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) अमरीकी सरकार ने 1996 में हैदराबाद सहित कुछ भारतीय शहरों में विदेश वाणिज्यिक सेवा कार्यालय खोलने का अनुरोध किया था। भारत सरकार ऐसे सभी प्रस्तावों पर समग्र भारत-अमरीकी वाणिज्यिक संबंधों, अमरीका में ऐसे भारतीय कार्यालयों की स्थापना तथा सुझाए गए स्थानों पर व्यापार की मात्रा को ध्यान में रखकर विचार करती है। बंगलौर, पुणे तथा अहमदाबाद में कार्यालय खोलने के संबंध में लिए गए निर्णय के बारे में सूचित कर दिया गया है। हैदराबाद के संबंध में मामला सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का दौरा

3512. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत के दौरे पर आए नीदरलैंड के प्रधान मंत्री के साथ सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद के खतरे पर चर्चा की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर नीदरलैंड के प्रधान मंत्री की क्या प्रतिक्रिया रही?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी हां। डच प्रधानमंत्री सीमापार से फैलाए जा रहे अनवरत तथा व्यापक आतंकवाद के खतरे से संबंधित भारत की गम्भीर चिन्ता के प्रति संवेदनशील हैं। डच पक्ष ने इस पर सहानुभूति और समर्थन जताया।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3513. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्यवन के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस योजना के लिए कितनी धनराशि जारी की है और आज तक प्रत्येक राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष क्या उपलब्धियां हासिल की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में कोई राज्य-वार सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, यह मंत्रालय इस कार्यक्रम के राज्य-वार कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996-97 से 1998-99 के दौरान इस कार्यक्रम के कोर घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी निधियां और प्रत्येक भागीदार राज्य की उपलब्धियां संलग्न विवरण I से V में दी गई हैं।

विवरण-I

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत केन्द्र द्वारा जारी राज्यवार राशियां

(इकाई : लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1996-97 के दौरान जारी की गई राशि	वर्ष 1997-98 के दौरान जारी की गई राशि	वर्ष 1998-99 के दौरान जारी की गई राशि	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	99.40	3839.57	0.00	3938.97
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
3.	असम	0.00	124.00	0.00	124.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	39.00	20.00	0.00	59.00
6.	गुजरात	444.38	97.11	324.19	865.68
7.	हरियाणा	1247.18	1116.85	1294.63	3658.66
8.	हिमाचल प्रदेश	44.02	73.07	52.90	169.99
9.	जम्मू और कश्मीर	252.23	189.90	233.99	676.12
10.	कर्नाटक	845.59	437.87	668.00	1951.46
11.	केरल	466.96	200.00	806.04	1473.00
12.	मध्य प्रदेश	65.00	6.25	245.99	317.24
13.	महाराष्ट्र	1439.92	298.30	1719.15	3457.37
14.	मणिपुर	130.69	86.91	132.33	349.93
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00	6.43	6.43
17.	उड़ीसा	353.99	231.47	774.40	1359.86
18.	पंजाब	0.00	0.00	500.00	500.00
19.	राजस्थान	3948.17	2226.65	3834.87	10009.69
20.	तमिलनाडु	2081.99	552.46	2507.27	5141.72
21.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	2022.60	3057.83	3959.24	9039.67
23.	पश्चिम बंगाल	112.19	90.00	275.00	477.19
24.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	13593.31	12648.24	17334.43	43575.98

दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन गुजरात की दमन गंगा परियोजना के अंतर्गत आता है। तद्नुसार इस परियोजना के लिए जारी की गई राशि गुजरात राज्य के तहत दर्शायी गयी हैं।

विवरण-II

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत फील्ड चैनलों के संबंध में वास्तविक उपलब्धियां

(इकाई : हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1996-97 के दौरान उपलब्धि	वर्ष 1997-98 के दौरान उपलब्धि	वर्ष 1998-99 के दौरान उपलब्धि (*)	वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक के दौरान का कुल योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.03	2.15	3.34	5.52
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.15	0.44	0.83	1.42
4.	बिहार	0.00	0.00	0.54	0.54
5.	गोवा	0.10	0.00	0.00	0.10
6.	गुजरात	10.53	7.24	20.60	38.37
7.	हरियाणा	35.79	28.21	23.65	87.65
8.	हिमाचल प्रदेश	0.55	1.41	0.00	1.96
9.	जम्मू और कश्मीर	4.52	6.97	5.39	16.88
10.	कर्नाटक	23.75	11.03	10.35	45.13
11.	केरल	14.39	7.89	7.12	29.40
12.	मध्य प्रदेश	1.41	4.23	10.86	16.50
13.	महाराष्ट्र	20.88	25.23	27.67	73.78
14.	मणिपुर	2.24	3.33	4.48	10.05
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00	0.05	0.05
17.	उड़ीसा	18.66	7.00	12.89	38.55

1	2	3	4	5	6
18.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	राजस्थान	69.39	54.25	65.95	189.59
20.	तमिलनाडु	41.61	46.61	53.82	142.04
21.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	126.87	112.20	71.54	310.61
23.	पश्चिम बंगाल	5.35	0.82	3.36	9.53
24.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	376.22	319.01	322.44	1017.67

(*) अनन्तिम

दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन गुजरात की दमन गंगा परियोजना के तहत आता है। तद्नुसार इस परियोजना की उपलब्धियां गुजरात राज्य के तहत दर्शायी गयी हैं।

विवरण-III

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत खेत नालियों के संबंध में वास्तविक उपलब्धियां

(इकाई : हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1996-97 के दौरान उपलब्धि	वर्ष 1997-98 के दौरान उपलब्धि	वर्ष 1998-99 के दौरान उपलब्धि (*)	वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक के दौरान का कुल योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.01	0.52	0.00	0.53
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.02	0.02
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.43	0.00	0.43
9.	जम्मू और कश्मीर	1.40	2.27	2.45	6.12
10.	कर्नाटक	0.66	0.25	2.82	3.73
11.	केरल	4.48	16.37	32.54	53.39
12.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	9.81	0.00	13.27	23.08
14.	मणिपुर	0.47	0.07	0.08	0.62
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00	0.06	0.06
17.	उड़ीसा	8.23	5.06	3.96	17.25
18.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	राजस्थान	2.60	2.78	9.76	15.14
20.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	27.66	27.75	64.96	120.37

(*) अनन्तिम

दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन गुजरात की दमन गंगा परियोजना के तहत आता है। तद्नुसार इस परियोजना की उपलब्धियां गुजरात राज्य के तहत दर्शायी गयी हैं।

विवरण-IV

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत वाराबन्दी के संबंध में वास्तविक उपलब्धियां

(इकाई : हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1996-97 के दौरान उपलब्धि	वर्ष 1997-98 के दौरान उपलब्धि	वर्ष 1998-99 के दौरान उपलब्धि (*)	वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक के दौरान का कुल योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11.49	4.80	10.24	26.53
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.02	0.86	0.00	0.88
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	1.50	0.00	1.44	2.94
6.	गुजरात	12.43	5.87	8.38	26.68
7.	हरियाणा	2.17	0.00	0.00	2.17
8.	हिमाचल प्रदेश	0.25	2.38	0.00	2.63
9.	जम्मू और कश्मीर	30.92	45.64	90.69	167.25
10.	कर्नाटक	7.49	16.29	8.20	31.98
11.	केरल	11.15	9.11	20.28	40.54
12.	मध्य प्रदेश	0.00	0.17	1.18	1.35
13.	महाराष्ट्र	4.87	21.24	8.69	34.80
14.	मणिपुर	0.51	0.57	0.16	1.24
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	0.00	15.00	13.40	28.40
18.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
19.	राजस्थान	69.39	54.25	0.00	123.64
20.	तमिलनाडु	60.84	75.91	81.82	218.57
21.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	204.61	176.26	89.29	470.16
23.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	417.64	428.35	333.77	1179.76

(*) अनन्तिम

दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन गुजरात की दमन गंगा परियोजना के तहत आता है। तद्नुसार इस परियोजना की उपलब्धियां गुजरात राज्य के तहत दर्शायी गयी हैं।

विवरण-V

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत भूमि समतलन के संबंध में वास्तविक उपलब्धियां

(इकाई : हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1996-97 के दौरान उपलब्धि	वर्ष 1997-98 के दौरान उपलब्धि	वर्ष 1998-99 के दौरान उपलब्धि (*)	वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक के दौरान का कुल योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6.00	3.89	4.30	14.19
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.01	0.04	0.05
6.	गुजरात	0.05	0.03	0.00	0.08

1	2	3	4	5	6
7.	हरियाणा	0.51	0.47	0.00	0.98
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1.91	2.27	1.26	5.44
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	5.41	5.41
11.	केरल	0.08	0.23	0.12	0.43
12.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	1.45	0.00	0.00	1.45
14.	मणिपुर	0.00	0.35	0.15	0.50
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	0.16	0.00	0.00	0.16
18.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	राजस्थान	0.60	3.98	11.28	15.86
20.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	10.76	11.23	22.56	44.55

(*) अनन्तिम

दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन गुजरात की दमन गंगा परियोजना के तहत आता है। तद्नुसार इस परियोजना की उपलब्धियां गुजरात राज्य के तहत दर्शायी गयी हैं।

पादप संरक्षण संबंधी विधान

3514. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार किसानों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु पादप किस्म संरक्षण विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय किसानों को बीज उत्पादक विदेशी कम्पनियों के चंगुल से मुक्त कराने हेतु अन्य क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। पौध किस्म संरक्षण तथा किसान अधिकार विधेयक, 1999, 14.12.1999 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक वाणिज्यिक विपणन व्यवस्था के तहत पुनरूत्पादन के उद्देश्य के लिए बिक्री के सिवाय अन्य बातों के साथ-साथ अपनी संरक्षित किस्म के फार्म उत्पाद को बचाने, उपयोग, विनिमय, भागीदारी अथवा बेचने के लिए किसानों के अधिकारों की सुरक्षा करता है।

(ग) भारतीय किसान फसल की किसी भी किस्म के उत्पादन के लिए स्वतंत्र हैं चाहे वह स्वदेशी तरीके से अथवा विदेशी बीज उत्पादन करने वाली कम्पनियों द्वारा विकसित हों।

क्षारीय भूमि का सुधार

3515. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में क्षारीय भूमि के सुधार के लिए कोई केन्द्र प्रायोजित योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यों को कितनी राशि जारी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, हां

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-86) से हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में क्षारीय मृदा सुधार संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम को गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में भी लागू किया गया था। इस स्कीम में मृदा सुधार के अनुप्रयोग, विक्षालन हेतु सुनिश्चित सिंचाई के प्रावधान, हरी खाद के प्रयोग, गेहूं तथा चावल की लवण-सह-किस्मों की खेती, फलों, जलाऊ लकड़ी तथा चारे के पेड़ों की लवण-सह-प्रजातियों के रोपण युक्त प्रौद्योगिकी पैकेज को अपनाकर क्षारीय मृदा के सुधार का प्रावधान है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्यों को जारी धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपये)

वर्ष	जारी धनराशि
1996-97	261.64
1997-98	338.00
1998-99	252.77
कुल	852.41

फ्रेंच भाषी अफ्रीकी देशों के साथ संबंध

3516. श्री नारायण दत्त तिवारी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि फ्रेंच भाषी अफ्रीकी देशों के साथ समस्त संबंधों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): फ्रेंच भाषी अफ्रीकी देशों के साथ भारत के मधुर संबंध हैं। कोट डी आयवरी, सेनेगल, बुरकीना फासो तथा मेडागास्कर स्थित हमारे आवासी मिशनों के प्रयासों से इन संबंधों में और भी सुधार आ रहा है। विकास की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के जरिये तथा उनके मानव संसाधनों के विकास में उनकी सहायता करने के जरिए भारत सरकार इन देशों को वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करती रही है। जरूरत पड़ने पर मानवीय आवश्यकता की विभिन्न वस्तुओं का दान भी किया जाता है।

[हिन्दी]

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज

3517. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में किन स्थानों पर माडर्न फूड इंडस्ट्रीज की इकाइयां स्थापित हैं और इनमें कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित इकाइयां भारी घाटे में चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या विभिन्न इकाइयों को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए उनके पास की अतिरिक्त भूमि को बेचने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इन इकाइयों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लिमिटेड की विभिन्न यूनिटों के स्थानों एवं उनमें बनाई जाने वाली वस्तुओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इंदौर (मध्य प्रदेश) स्थित बेकरी यूनिट घाटे में नहीं चल रही है। जबकि जयपुर (राजस्थान) स्थित यूनिट भारी घाटे में चल रही है।

(ग) और (घ) वर्तमान में मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लि. की किसी भी यूनिट के पास मौजूद अतिरिक्त भूमि को बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

स्थान जहां मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लि. की विभिन्न यूनिटें स्थित हैं

क्र.सं.	राज्य	स्थान	उत्पादन की मदें
1	2	3	4
1.	गुजरात	अहमदाबाद	ब्रेड
2.	कर्नाटक	बंगलौर	ब्रेड
3.	महाराष्ट्र	मुम्बई	ब्रेड और केक
4.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	ब्रेड
5.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	ब्रेड
6.	केरल	कोचीन	ब्रेड और केक
7.	दिल्ली	(क) लॉरिन्स रोड	ब्रेड
		(ख) कीर्ति नगर	मार्च, 99 में यूनिट बंद कर दी गई है।
		(ग) एफजेबीपी, लॉरिन्स रोड	पोषणात्मक खाद्य
8.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	ब्रेड

1	2	3	4
9.	मध्य प्रदेश	(क) इंदौर (ख) उज्जैन	ब्रेड 31.03.94 से यूनिट बंद कर दी गई है।
10.	राजस्थान	जयपुर	ब्रेड तथा एक्सट्रूडिड खाद्य
11.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	ब्रेड तथा पौषणिक खाद्य
12.	बिहार	(क) रांची (ख) भागलपुर	ब्रेड अक्तूबर, 98 से यूनिट बंद कर दी गई है।
13.	हरियाणा	(क) फरीदाबाद (ख) पेय यूनिट	पौषणिक खाद्य अक्तूबर 92 से यूनिट बंद कर दी गई है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में मछली बाजार

3518. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने आंध्र प्रदेश में मछली बाजारों को वित्तपोषित करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आंध्र प्रदेश में मछुआरों के लिए विपणन संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, नहीं। तथापि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में सहकारी समितियों द्वारा मत्स्य विपणन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान शुरू की गई अर्न्तस्तरीय मत्स्य विपणन के लिए अवसंरचना सुदृढ़ीकरण की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत मत्स्य विपणन अवसंरचना के विकास के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को 89.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद

3519. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने यूरोपीय संघ से सम्पर्क किया है और इस बात पर दबाव डाला है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादी गुटों से पृथक करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यूरोपीय संघ द्वारा भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरों, इसके वित्तपोषण और इससे मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु आगे बातचीत करने की कोई मांग की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) यूरोपीय संघ अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संकट तथा भारत में सीमापार आतंकवाद के संबंध में भारत की चिन्ताओं से पूरी तरह अवगत है। यूरोपीय संघ इन चिन्ताओं से पूरी तरह से सहमत है। 3 दिसम्बर 1999 को हेलसिंकी में भारत-यूरोपीय संघ ट्रायका मंत्री-स्तरीय बैठक के अन्त में जारी संयुक्त प्रैस वक्तव्य में भारत और यूरोपीय संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर संयुक्त रूप से जोर दिया।

यूरोपीय संघ ने आतंकवाद के संबंध में हमारी स्थिति का समर्थन किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में यूरोपीय संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर विस्तृत अभिसमय संबंधी भारतीय प्रस्ताव पर समर्थनकारी रुख अपनाया था।

पेंशन के मामले

3520. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार प्रत्येक मंत्रालय के पास पेंशन का निर्धारण करने हेतु कितने मामले लंबित हैं;

(ख) इन मामलों को निर्धारित समय सीमा में निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने पेंशनधारियों/वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कोई नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) देश भर में रक्षा-सेवा, रेल, डाक, तथा दूरसंचार और केन्द्रीय सिविल विभागों से संबद्ध 38 लाख से अधिक केन्द्रीय पेंशनभोगी हैं। पेंशन-भुगतान की प्रणाली अत्यधिक विकेन्द्रीकृत है और पेंशन का भुगतान, देश भर में स्थित बैंकों, कोषागारों, डाक-घरों तथा भुगतान और लेखा-कार्यालयों के जरिए किया जाता है। अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियंत्रित, विभिन्न श्रेणियों के पेंशनभोगियों की पेंशन के मामलों के निबटारे के बारे में इस मंत्रालय में कोई केन्द्रीकृत रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है। फिर भी, प्रत्येक मंत्रालय द्वारा अपने अधीन विभागों/कार्यालयों से संबंधित पेंशन के मामलों के निबटारे का मॉनीटर किया जाना अपेक्षित होता है।

(ख) सरकार ने पेंशन के लंबित चल रहे मामलों का निबटारा शीघ्र किए जाने के सिलसिले में अनेक कदम उठाये हैं। इन कदमों में—प्रत्येक मंत्रालय में पेंशन से संबंधित मामलों की प्राप्ति और उनके निबटाये जाने पर लगातार कड़ी नजर रखने की दृष्टि से एक मॉनीटर-तंत्र का स्थापित किया जाना, जहां कहीं संभव हो वहां आवेदन-पत्र मांगे बिना ही पेंशन संवितरण प्राधिकारियों द्वारा पेंशनभोगियों की पेंशन का अपनी ओर से संशोधित कर दिया जाना, जहां आवश्यक हो, वहां निर्धारित आरूप (फॉर्मेट) से संबंधित जानकारी का प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना, पेंशन से संबंधित विभिन्न मुद्दे निबटाने के प्रयोजन से, बैंकों से समन्वय रखा जाना और पेंशन के संशोधन के लंबित चल रहे मामलों की इस मंत्रालय द्वारा समग्र समीक्षा की जानी शामिल है।

(ग) और (घ) जी, हां। वयोवृद्ध व्यक्तियों का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने हेतु सरकार ने जनवरी, 1999 में वयोवृद्ध व्यक्तियों के बारे में राष्ट्रीय नीति घोषित की। इस नीति के अनुसरण में पहल कदमी के तौर पर अनेक कदम उठाये गये हैं/उपाय किये गये हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, "वयोवृद्ध व्यक्तियों के संबद्ध में एकीकृत कार्यक्रम" और "पंचायती राज-संस्थाओं/स्वैच्छिक संस्थाओं/वृद्धाश्रमों के निर्माण हेतु स्वयंसेवी दलों/वयोवृद्ध व्यक्तियों की बहुविध सेवा के केन्द्रों को आर्थिक सहायता दिए जाने से संबंधित योजना" भी कार्यान्वित कर रहा है। पहले की योजना के तहत, स्वैच्छिक संगठनों को वृद्धाश्रमों, दिन के समय वृद्धों की देखभाल के केन्द्रों, चलते-फिरते चिकित्सा-एककों के स्थापित किये जाने और उनके रख-रखाव हेतु वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाती है। बाद की योजना के अंतर्गत, वृद्धाश्रमों और बहुविध सेवा-केन्द्रों के निर्माण हेतु एक बारगी वित्तीय अनुदान मुहैया करवाया जाता है।

बाड़मेर से पाकिस्तान के लिए सीधी रेलगाड़ी/बस मार्ग

3521. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाड़मेर (राजस्थान) से पाकिस्तान के लिए सीधी रेलगाड़ी/बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) बाड़मेर से पाकिस्तान में किसी भी स्थान के लिए फिलहाल बस या रेल सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकार ने मुन्नाबाओ और खोकरापढ़ के बीच रेल सम्पर्क को फिर से खोलने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान से कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

पशुधन और मत्स्य पालन का विकास

3522. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की कोई नई योजना है जिससे कि ग्रामीण लोगों के लिए और रोजगार के अवसर पैदा हों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पशुधन क्षेत्र का कृषि सकल घरेलू उत्पाद और देश के सकल घरेलू उत्पाद में क्या योगदान है;

(घ) वर्ष 1998-99 में दूध, अंडा, ऊन और मछली का कुल कितना उत्पादन हुआ और वर्ष 1999-2000 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ङ) वर्ष 1999-2000 में पशुधन/मत्स्य पालन क्षेत्र में निर्यात से कुल कितनी आय हुई है और 1999-2000 में इस क्षेत्र से कितनी आय होने का अनुमान है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) विभाग ने पशुधन तथा मात्स्यिकी क्षेत्रों में त्वरित विकास हासिल करने तथा ग्रामीण लोगों को और अधिक रोजगार प्रदान करने तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक दशा में सुधार लाने के उद्देश्य से एक विशेष कार्य योजना तैयार की है।

(ख) विशेष कार्य योजना के लिए अभिज्ञात 17 योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सूचना नीचे दी गई है:

1997-98 में सकल घरेलू उत्पाद

(करोड़ रुपए में)

कुल	1426670
कृषि क्षेत्र	392134
पशुधन क्षेत्र	84126
कुल में प्रतिशत पशुधन	5.9 प्रतिशत
कृषि में प्रतिशत पशुधन	21.5 प्रतिशत

(घ) सूचना नीचे दी गई है:

	1998-99 (प्रत्याशित)	1999-2000 (लक्ष्य)
दूध (मी.ट.)	74.66	78.12
अंडे (बिलियन)	30.14	31.32
मछली (मी.ट.)	5.25	5.59
ऊन (मी. किलोग्राम)	45.50	46.10

(ङ) निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

	पशुधन उत्पाद	मात्स्यिकी उत्पाद
1998-99	874.06	4626.87
1999-2000 (लक्ष्य)	निश्चित नहीं	5200.00

विवरण

विशिष्ट कार्य योजना स्कीमों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	नौवीं योजना के लिए आबंटन
1.	हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार एवं संतति परीक्षण कार्यक्रम	320.00
2.	राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम	82.20
3.	राष्ट्रीय मृग/मेढ़ा एवं खरगोश विकास कार्यक्रम	21.05
4.	समेकित सूअर विकास के लिए राज्यों को सहायता	44.00
5.	कुक्कुट/बत्तख फार्मों के लिए राज्यों को सहायता	16.20
6.	चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता	50.00
7.	पशुधन रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	119.00
8.	रोगमुक्त क्षेत्रों का सृजन	48.00
9.	गैर ऑपरेशन फ्लड एवं पहाड़ी क्षेत्रों में समेकित डेयरी विकास परियोजनाएं	250.00
10.	सहकारिताओं को सहायता	150.00
11.	नई डेयरी सहकारिताओं का गठन	20.00
12.	विद्या डेयरियों की स्थापना	25.00
13.	पत्तनों पर मत्स्यन बंदरगाहों की स्थापना	150.17
14.	ताजा जल जलकृषि का विकास	150.32
15.	समुद्री मात्स्यिकी का विकास	86.55
16.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण	100.36
17.	भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण	130.77
	कुल	1763.62

[हिन्दी]

धान और मक्का की बेहतर किस्में

3523. श्री ब्रह्मानंद मंडल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिक धान और मक्का की बेहतर किस्मों की खोज करने के लिए कोई अनुसंधान कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धान और मक्का की इन बेहतर किस्मों को कब तक किसानों को उपलब्ध कराने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) अनुसंधान के क्षेत्र में धान और मक्का की सुधरी किस्मों का विकास अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र हैं। बेहतर उत्पादन, गुणवत्ता, रोगों तथा कीटों के प्रति प्रतिरोधिता तथा अन्य वांछनीय विशेषताओं वाली सुधरी किस्मों तथा संकरों को विभिन्न कृषि जलवायु दशाओं में उगाने के लिए विकसित किया जा रहा है। धान में संकरों के विकास, दोनों की गुणवत्ता में सुधार तथा उपज में स्थिरता पर जोर दिया जाता है। मक्का में अनुसंधान का प्रबलित क्षेत्र इकहरी संकर का विकास है। इस कार्य को पूरा करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के बहुविषयक दल संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं।

(ग) बेहतर उत्पादन क्षमता तथा विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों में खेती के लिए उपयुक्त चावल तथा मक्का की अनेक उन्नत किस्में तथा संकर समय-समय पर जारी की जा चुकी हैं। इनमें से अनेक किस्मों को काफी बड़े क्षेत्रों में उगाया जाता है। तथापि किस्म का सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है तथा इसके जारी करने के बाद नई किस्मों को तुरंत बीज उत्पादन श्रृंखला में रखा जाता है ताकि किसानों को उनका बीज उपलब्ध कराया जा सके।

[अनुवाद]

तिपाईमुख बांध

3524. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिपाईमुख बांध का निर्माण कार्य शुरू हो गया था;

(ख) यदि हां, तो बांध का कार्य किस चरण में है; और

(ग) बांध का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने बराक घाटी में मणिपुर-मिजोरम सीमा पर बराक नदी पर एक बहुउद्देश्यीय परियोजना संबंधी अन्वेषण कार्य तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है। तिपाईमुख बांध परियोजना (बराक बांध) नामक इस परियोजना को कुछ शर्तों के अध्यधीन वर्ष 1995 में तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दी गई है। इससे संबंधित राज्यों अर्थात् मणिपुर, मिजोरम और असम के बीच समझौता न हो सकने के कारण इसमें और प्रगति नहीं की जा सकी।

सी.आई.ए. सुनियोजित घुसपैठ

3525. श्री माधव राव सिंधिया: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मई, 1999 को ट्रिब्यून में सी आई ए प्लान्ड इनफिल्ट्रेशन शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान द्वारा कारगिल में कराई गई व्यापक घुसपैठ के पीछे सी.आई.ए. का भी हाथ होने की संभावना की कोई जाँच की है; और

(ग) यदि हाँ, तो जाँच के क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) खबर में किसी स्रोतों को उद्धृत नहीं किया गया है और न ही किसी अन्य प्रकार से यह सूचना किसी से सम्बद्ध होती है। कारगिल में घुसपैठ से संबंधी सभी मसलें किसी समिति द्वारा समीक्षा के विषय हैं।

वेतनमान का पुनरीक्षण

3526. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च श्रेणी लिपिकों/आशुलिपिक ग्रेड "डी" के वेतनमानों में संशोधन करने की मांग के संबंध में विवाचन मंडल की सिफारिशों को मान लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसे कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) विवाचन बोर्ड ने अपने 30.07.1998 के आदेश द्वारा, 1992 की सिविल अपील संख्या 10 में की गई केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च श्रेणी-लिपिकों का वेतनमान संशोधित किए जाने की मांग अस्वीकार कर दी है। उपर्युक्त विवाचन बोर्ड ने अपने 30.07.1998 के आदेश द्वारा, 1992 की सिविल अपील संख्या 11 में की गई केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के समूह ''घ'' आशुलिपिकों का वेतनमान संशोधित किए जाने की मांग स्वीकार कर ली है। बोर्ड का उपर्युक्त अधिनिर्णय स्वीकार/अस्वीकार किए जाने के बारे में संयुक्त परामर्शदायी तंत्र-योजना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि इसमें अन्य संवर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाना भी शामिल है, अत: उपर्युक्त अधिनिर्णय, स्वीकार/अस्वीकार किए जाने के बारे में कोई निश्चित समय-सीमा बता पाना कठिन है।

एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.

3527. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जलसिंचित क्षेत्र हेतु पनधारा विकास योजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.) के अंतर्गत महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में इस योजना के क्रियान्वयन के बाद इसके अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य सरकारों को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के तहत महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्यों के लिए वास्तविक लक्ष्य, उनकी उपलब्धियां एवं उन्हें निर्मुक्त धनराशि का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1996-97 से 1998-99) के दौरान महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्यों के लिए वास्तविक लक्ष्य प्राप्त उपलब्धियां तथा निर्मुक्त धनराशि का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	वास्तविक उपलब्धियां (हैक्टे. में)		निर्मुक्त धनराशि (लाख रुपये)
		लक्ष्य	उपलब्धियां	
1.	महाराष्ट्र	2,63,759	2,46,613	8314.00
2.	कर्नाटक	2,02,900	2,32,684	5195.00

[हिन्दी]

बिहार में केन्द्र-प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन

3528. श्री राजो सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में कृषि के विकास के लिए किसी केन्द्र-प्रायोजित योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं पर अनुमानित रूप से कितना व्यय किया गया और इसका क्या परिणाम निकला?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) कृषि विकास के लिए बिहार में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) गत तीन वर्षों में बिहार को निर्मुक्त निधियों तथा उससे प्राप्त परिणामों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	निर्मुक्त निधियां (करोड़ रु.)	खाद्यान्नों के तहत क्षेत्र (000' है.)	उत्पादन (000' मी. टन)	उपज (कि.ग्रा./है.)
1996-97	16.39	9048.70	14418	1593
1997-98	11.99	8834.60	12899	1460
1998-99	5.91	8838.00	12920	1462

विवरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा बिहार में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची

क्र.सं.	स्कीम का नाम
1	2
1.	चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
2.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत् विकास
3.	विशेष पटसन विकास कार्यक्रम
4.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
5.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
6.	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम
7.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
8.	उर्वरकों का संतुलित तथा समेकित उपयोग
9.	छोटे किसानों में कृषि मशीनरी का संवर्धन
10.	नदी घाटी परियोजनाओं के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
11.	बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
12.	कृषि में प्लास्टिक का उपयोग
13.	वाणिज्यिक पुष्प कृषि का विकास
14.	खुम्बी का विकास

1	2
15.	उष्टकटिबन्धी, शुष्क, शीतोष्ण अंचल फलों का समेकित विकास
16.	काजू की गिरी के लिए समेकित विकास कार्यक्रम
17.	प्याज, आलू तथा अन्य मूल एवं कन्दीय फसलों समेत समेकित सब्जी विकास
18.	समेकित मसाला विकास
19.	अ.जा./अ.ज.जा. के लिए विशेष स्कीमें
20.	महिला सहकारी समितियों को सहायता
21.	समयबद्ध सूचना स्कीम
22.	फसल सांख्यिकी सुधार
23.	पशुधन संगणना

[अनुवाद]

खाद्यान्नों और अनाजों का उत्पादन

3529. श्री आर.एल. भाटिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को खाद्यान्नों और अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हेतु आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार का क्या निर्णय है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) भारत सरकार को त्रिपुरा, पंजाब एवं राजस्थान राज्य सरकारों से चावल एवं गेहूं के लिए केन्द्र प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधि आबंटन वृद्धि संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन राज्यों को वर्ष 1999-2000 के दौरान आबंटित अतिरिक्त केन्द्रीय धनराशि का विवरण निम्नवत् है:

(लाख रु. में)

राज्य	आबंटित अतिरिक्त धनराशि
त्रिपुरा	60.000
पंजाब	150.000
राजस्थान	15.735

जमीन को क्षति

3530. श्री विष्णु पद राय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटी-छोटी नदियों में प्रति वर्ष बहुत पानी आ जाने के कारण अंडमान में खेती योग्य जमीन के एक बहुत बड़े भू-भाग को नुकसान पहुंचता है;

(ख) यदि हां, तो खेती योग्य उस क्षेत्र को होने वाली क्षति और प्रभावित किसानों को होने वाले नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में दो छोटी नदियां हैं-एक दिगलीपुर में कलपोंग नदी तथा दूसरी ग्रेट निकोबार में गैलेटनिया नदी, और केवल कुछ ही मौसमी नाले विद्यमान हैं। इन नदियों/नालों में पानी ऊफन कर तभी बाहर आता है, जब लगातार भारी वर्षा होती है। जलावरोध 4-5 घंटे के लिए ही होता है, जो कि ज्वार पर निर्भर करता है। कभी-कभी खड़ी फसल में नुकसान हो जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। ऐसी घटना के समय नुकसान की सीमा का निरीक्षण एवं मूल्यांकन अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा गठित प्राधिकृत समिति द्वारा किया जाता है। वर्ष 1998-99 के दौरान, मध्य अंडमान से ऐसी घटना की सूचना मिली है, तथा समिति ने इसका सर्वेक्षण किया। 14 गांवों के 259 किसान प्रभावित हुए तथा फसलों, बीजों, पौधों इत्यादि को हुए नुकसान का ब्यौरा

निम्नवत है:

धान	35.9 है.
सब्जियां	1.9 है.
पान की बेल	0.4 है.
धान के बीज	12,460 कि.ग्रा.
सुपारी पौद	431 सं.
सुपारी	249.5 कि.ग्रा.
नारियल पौद	53 सं.
केला पौद	1102 सं.
आम के वृक्ष	3 सं.
कटहल	1 सं.
संतरा/सब्जी पौद	20,002 सं.

नुकसान की कुल धनराशि 4.12 लाख रु. आंकी गई है।

(घ) (1) पानी के ऊफान से बचने के लिए सरकार ने प्रवण क्षेत्र के आधार पर पनधारा स्कीमें बनाई हैं, जिसमें सतही बहाव को न्यूनतम करने के लिए जमीन के नीचे पानी के संचरण के लिए वनरोपण तथा जल निकासी उपचार शामिल है।

(2) वर्षा जल के भंडारण के लिए तालाबों का निर्माण भी शुरू होगा जिससे यह जल बहकर नदियों में न जाने पाए तथा जलस्तर को बढ़ाकर नुकसान न पहुंचा पाए।

पॉम आयल (खजूर तेल) का उत्पादन

3531. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1999-2000 के दौरान पॉम आयल (खजूर तेल) के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसी योजना पर विचार किया है;

(ख) भारत में अभी तक कुल कितने हेक्टेयर जमीन पर पॉम आयल की खेती होती है;

(ग) क्या केरल सरकार ने केरल में पॉम आयल की खेती करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(घ) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान पाम ऑयल उत्पादन संवर्धन की दृष्टि से सरकार, चयनित राज्यों को पौध रोपण सामग्री प्रजनन काल के दौरान खेती, टपका सिंचाई संस्थापना, विस्तार कर्मी तथा कृषक प्रशिक्षण, प्रचार व प्रसार तथा स्थापना व कर्मचारी संबंधी ऑयल पाम विकास कार्यक्रम नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करा रही है। वर्ष 1998-99 तक 53,106 है. क्षेत्र ऑयल पाम की खेती के अंतर्गत लाया गया है। वर्ष 1999-2000 तक 17,500 है. क्षेत्र को ऑयल पाम की खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) से (ङ) केरल सरकार ने ऑयल पाम विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से कोट्टयम तथा कोल्लम जिलों के 1000 है. क्षेत्र को पाम की खेती के तहत लाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वर्ष 1998-99 के दौरान केन्द्रीय हिस्से के रूप में 85.00 लाख रु. की धनराशि निर्मुक्त की गई थी। वर्ष 1999-2000 में केन्द्रीय हिस्से की निर्मुक्ति हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल सरकार ने 189.96 लाख रु. की राशि से कोट्टयम जिले के कारिलैण्ड के 200 है. क्षेत्र में एक प्रदर्शन प्लॉट की स्थापना हेतु एक दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

बागवानी का विकास

3532. श्री रामदास आठवले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में विशेष रूप से आदिवासी और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में बागवानी, फल, वृक्षारोपण आदि क्षेत्रों में कार्यान्वित की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथवा किसी अन्य अनुसंधान संस्थान ने इन क्षेत्रों में किसी नयी प्रौद्योगिकी का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग महाराष्ट्र तथा अन्य सभी राज्यों में फलों, सब्जियों कन्द एवं मूल फसलों, मसालों, काजू एवं कोको, औषधीय तथा सुगंधित पौधों, वाणिज्यिक पुष्पकृषि, नारियल तथा खुम्बी के विकास के लिए स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। प्लास्टिक के प्रयोग तथा मधुमक्खीपालन को प्रोत्साहन देने के लिए भी सहायता दी जा रही है। इन सभी स्कीमों में जनजातीय लोगों को लाभान्वित करने पर जोर दिया जाता है। वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 (बजट अनुमान) के दौरान इन स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा फलों, सब्जियों, आलू, कन्द फसलों, सजावटी फसलों, नारियल, काजू, मसालों तथा अन्य बागवानी फसलों की अनेक अधिक पैदावार देने वाली तथा श्रेष्ठ किस्मों का विकास किया गया है और इन्हें देश के विभिन्न कृषि मौसमीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक खेती के लिए जारी किया गया है। केले, अन्नानास तथा पपीते के उच्च घनत्व के रोपण का मानकीकरण किया गया है। आलू में टू पोटेटो सीड प्रौद्योगिकी, जिब्बरलिक अम्ल द्वारा अंगूर में गुणवत्ता विकास पैक्लोब्यूटेजोल द्वारा आम के नियमित बौर की शुरुआत, आम तथा काजू में सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, आम तोड़ने की मशीन तथा नारियल से गोला निकालने की मशीन का विकास किया गया है। इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय केन्द्रों राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा बागवानी निदेशालय की विस्तार विंग द्वारा विभिन्न राज्यों में लागू किया जा रहा है।

विवरण

(लाख रु. में)

स्कीम का नाम	1997-98 (जारी)		1998-99 (जारी)		1999-2000 (आबंटन)	
	महा.	अ.भारत	महा.	अ.भारत	महा.	अ.भारत
1	2	3	4	5	6	7
फलों का विकास	100	1672.42	214	1983.69	204.54	2500
काजू व कोको विकास	544.38	1260.75	692.51	1621.09	662.42	1770.94
सब्जी कन्द एवं मूल फसलों का विकास	10.00	226.4	0	109.44	19.5	580.50
मसालों का विकास	147.62	2896.5	86.12	3261.27	135.23	3123.00
खुम्बी का विकास	1.50	294.46	0	197.92	5	400.00
वाणिज्यिक पुष्प कृषि का विकास	0.00	146.7	12	563.82	27	500.00

1	2	3	4	5	6	7
औषधीय तथा सुगन्धित पौधे	1.05	10.2	6.5	67.78	6.5	90.00
मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन	11.50	34.00	0.00	5.00	0	200.00
प्लास्टिक का विकास	2447.00	7970.5	3194.13	10744.05	2703.95	9851.53
नारियल का विकास	0	3090.78	3.58	2106.35	3.5	2100.00

उत्प्रवासी संरक्षक

3533. श्री के. मुरलीधरन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कोजीकोड में उत्प्रवासी संरक्षक का कार्यालय खोलने संबंधी कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यालय के कब तक खुल जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) काम के लिये कई कारणों से बहुत कम कामगारों के विदेश जाने तथा इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि केरल के तिरूवनंतपुरम और कोचीन में उत्प्रवास संरक्षी के दो कार्यालयों के पहले से ही कार्यरत होने के कारण कोझीकोड में उत्प्रवास संरक्षी का कार्यालय खोला जाना फिलहाल व्यवहार्य नहीं है।

तिरपाल की खरीद में घोटाला

3534. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 नवम्बर, 1999 के ''नवभारत टाइम्स'' में ''उड़ीसा में तिरपाल खरीद सौदे में करोड़ों की दलाली का आरोप'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा सरकार ने समाचार में प्रकाशित रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का खण्डन किया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. को हुआ घाटा

3535. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सल्फर और फॉसफोरस की कम मात्रा वाले लौह अयस्क की बेहतर गुणवत्ता पर अतिरिक्त प्रभार न लगाने के कारण अत्यधिक घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त धनराशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (ग) जी, नहीं। खनिजों (खण्ड 3)(ई) में परिभाषित लघु खनिजों को छोड़कर (पर रॉयल्टी खान एवं खनिज (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची के तहत अधिसूचित है। अधिनियम के खण्ड 9 के अनुसार केन्द्रीय सरकार दूसरी अनुसूची को सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा संशोधित कर सकती है ताकि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से किसी भी खनिज के संबंध में देय रॉयल्टी की दरों में वृद्धि अथवा कमी की जा सके। तथापि, केन्द्रीय सरकार किसी भी खनिज की रॉयल्टी की दर तीन साल की अवधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं बढ़ाएगी।

अधिकांश खनिजों को रॉयल्टी की दरें पिछली बार 11.4.97 को संशोधित की गई थीं। इसलिए 10.4.2000 तक उपरीगामी संशोधन अपेक्षित नहीं है। उल्लेखनीय है कि रॉयल्टी की दरें केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती हैं परन्तु पट्टाधारिती रॉयल्टी का भुगतान सीधे राज्य सरकारों को करते हैं।

[अनुवाद]

फसल बीमा योजना

3536. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में किन-किन राज्यों में फसल बीमा योजना लागू की जा रही है;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन से राज्यवार वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना से प्रत्येक राज्य में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने कुछ संशोधनों के बाद भी उक्त योजना को लागू नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी राज्यों द्वारा इसको लागू किये जाने को अनिवार्य घोषित करने का विचार है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो देश भर में इस योजना को कब तक लागू कर दिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) खरीफ 1999 मौसम तक प्रचालित व्यापक फसल बीमा योजना स्कीम रबी 1999-2000 "मौसम से राष्ट्रीय फसल बीमा योजना" नामक नई स्कीम से प्रतिस्थापित कर दी गई है। नौ राज्यों असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा तमिलनाडु ने रबी 1999-2000 मौसम से इसके कार्यान्वयन की सहमति दी है। इसके अलावा, मेघालय तथा संघ शासित प्रदेश अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सरकारों ने भी खरीफ 2000 मौसम से इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सहमति दी है।

(ख) नई स्कीम अर्थात राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू है, में अनाज, तिलहन तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों की खेती करने वाले सभी किसानों (ऋणग्राही) तथा गैर ऋणग्राही को कवर किए जाने का प्रावधान है, बशर्ते उनके द्वारा की गयी पैदावार के पुराने आंकड़े उपलब्ध हों। क्षेत्र कवरेज, किसानों के कवरेज तथा बीमा राशि के बारे में राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) व्यापक फसल बीमा योजना (खरीफ 1999 मौसम के लिए) तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (रबी 1999-2000 मौसम के लिए) से लाभान्वित किसानों का ब्यौरा इन योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसलों/क्षेत्रों से संबंधित पैदावार के अन्तिम आंकड़े प्राप्त होने पर ही ज्ञात हो सकेगा, जिसके आधार पर किसानों को अनुमत्य दावों/प्रतिपूर्ति का हिसाब लगाया जाएगा। खरीफ 1999 से संबंधित पैदावार के अंतिम आंकड़े 31 जनवरी, 2000 तथा 15 अप्रैल, 2000 के बीच प्राप्त होने की आशा है, जबकि रबी 1999-2000 के लिए पैदावार संबधी आंकड़े प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2000 है।

(घ) और (ङ) इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित दस राज्यों तथा एक केन्द्र शासित प्रदेश को छोड़कर शेष राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में नई योजना के कार्यान्वयन की सहमति नहीं दी है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया है। इस योजना को लागू करने के संबंध में संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा ही निर्णय लिया जाना है। फसल बीमा को अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

योजना परिव्यय

3537. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान राजस्थान का वार्षिक योजना परिव्यय कितना है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार राजस्थान हेतु अतिरिक्त आवंटन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) चालू वर्ष के लिए राजस्थान का वार्षिक योजना परिव्यय 4750 करोड़ रु. है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. को घाटा

3538. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री सुनील खां :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा लौह और इस्पात और लौह मिश्रित धातुओं के उत्पादन, आयात तथा निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस्पात के उत्पादन और निर्यात में कोई कमी आयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा विक्रेय इस्पात और कच्चे लोहे का उत्पादन निम्नानुसार रहा:-

इकाई : हजार टन

	1996-97	1997-98	1998-99
विक्रेय इस्पात	9635	9409	8887
कच्चा लोहा	1076	1208	1151

पिछले तीन वर्षों के दौरान सेल संयंत्रों का फैरो-मिश्र का उत्पादन निम्नानुसार है:-

इकाई : हजार टन

संयंत्र	मद	1996-97	1997-98	1998-99
महाराष्ट्र इलैक्ट्रो स्मैल्ट लि. (एम.ई.एल.)	फैरो मैंगनीज	99.7	114.9	105.8
विश्वैश्वरैया आयरन एंड स्टील लि. (बी.आई.एस.एल.)	फैरो सिलिकॉन	7.6	6.7	0

इकाई : हजार टन

	1996-97	1997-98	1998-99
निर्यात			
विक्रेय इस्पात	490.4	707.9	449.9
कच्चा लोहा	0.0	344.2	47.3

आयात

पिछले तीन वर्षों के दौरान सेलम इस्पात संयंत्र (एस.एस.पी.) द्वारा बेदाग इस्पात का किया गया आयात निम्नानुसार है:-

इकाई : हजार टन

	1996-97	1997-98	1998-99
एस.एस.पी.	42.0	62.2	13.8

टिप्पणी : सीमा शुल्क रहित आयात निर्यात अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया।

(ख) और (ग) बाजार मांग के अनुसार उत्पादन के विनियमन और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत चालू की गई सुविधाओं के अभी भी स्थिरीकरण के अंतर्गत रहने के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान सेल संयंत्रों के विक्रेय इस्पात के उत्पादन में कमी आई है।

यद्यपि 1996-97 की तुलना में 1997-98 के दौरान मृदु इस्पात के निर्यात में 46% की वृद्धि हुई है। तथापि, सेल द्वारा 1998-99 में मृदु इस्पात के किए गए निर्यात में 1997-98 की तुलना में लगभग 36% की कमी आई है।

1998-99 के दौरान निर्यात में आई गिरावट के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं:-

1. विभिन्न देशों में आर्थिक मंदी और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट;
2. दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में आर्थिक और मुद्रा संकट;
3. मांग से अधिक आपूर्ति और विश्व बाजार में मांग में कमी होने के कारण गहन प्रतिस्पर्धा; और
4. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेदाग इस्पात के अलाभकारी मूल्य।

सेल द्वारा फैरो मिश्र के किए गए आयात से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ट्रांसजेनिक क्राप

3539. श्री अरूण कुमार :
श्री अजित सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ट्रांसजेनिक क्राप्स की खेती शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इन फसलों का प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) देश में उत्पादित की जा रही ऐसी फसलों के नाम क्या हैं और उसकी उत्पादन की औसत लागत क्या है और उत्पादन की वर्तमान औसत लागत से यह किस सीमा तक कम है; और

(घ) बाजार में ऐसी पहली पैदावार की फसल कब तक आ जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) देश में वाणिज्यिक खेती के लिए कोई ट्रान्सजेनिक फसल अधिकृत नहीं की गई है।

(घ) जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जेनेटिक मैनीपुलेशन संबंधी समीक्षा समिति (आर.सी.जी.एम.) ने कुछ कम्पनियों को नियंत्रित खुले पर्यावरण में ट्रान्सजेनिक फसलों के प्रायोगिक परीक्षण करने की अनुमति प्रदान करती है। विद्यमान परीक्षणों का उद्देश्य मानव तथा पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण सुरक्षा संबंधी मानदण्डों का भी ध्यान रखना है। इन फसलों के वाणिज्यिक निर्गमन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि ये ट्रान्सजेनिक फसलें अभी परीक्षण के ही चरण में हैं।

[अनुवाद]

ब्रिटेन में जब्त पाकिस्तान को भेजी जा रही परमाणु सामग्री

3540. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्रिटेन सरकार ने जुलाई, 1999 में पाकिस्तान भेजी जा रही 20 टन परमाणु हथियार सामग्री जब्त की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में भी उत्तर कोरिया के एक पोत कु-वोल-सान को पकड़ा गया जो पाकिस्तान के लिए प्रक्षेपास्त्र के पुर्जे ले जा रहा था;

(ग) क्या पाकिस्तान को विभिन्न देशों से रक्षा संबंधी सामग्री प्राप्त हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत ने उन अन्य देशों से लगातार सम्पर्क बनाए रखा है जहां ऐसी परमाणु सामग्री को जब्त किया गया है; और

(ङ) सरकार का अन्य देशों से ऐसी परमाणु सामग्री जो पाकिस्तान भेजी जा रही है को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही करने का अनुरोध करने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हां।

(ख) जी हां। यह सन्देह प्रकट किया जाता है कि यद्यपि माल की बिलटी किसी और गंतव्य स्थान के लिए बताई गई थी, फिर भी इसका गंतव्य स्थान पाकिस्तान हो सकता था।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) सरकार आपूर्तिकर्ता देशों द्वारा मौजूदा विभिन्न निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं, संयम बरतने तथा प्रतिबन्धों की घोषणाओं के बावजूद, पाकिस्तान के नाभिकीय और प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रमों के लिए सामग्री की निरन्तर आपूर्ति मे भारत की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को विभिन्न मंचों पर निरन्तर उजागर करती रही है।

सरकार इन चिन्ताओं के प्रति सावधान करने के लिए संबंधित देशों से आग्रह करती रहेगी।

एपेक में भारत की भागीदारी

3541. श्री नारायण दत्त तिवारी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में भारत की सहभागिता के सम्बन्ध में प्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संबंधित देशों तथा संगठनों के साथ हो रही वार्ता की वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): नवम्बर 1997 में वेनकूवर में सम्पन्न एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) नेताओं की पांचवीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में आगामी 10 वर्षों के लिए एपेक सदस्यता को विलम्बित किया गया है। भारत ने शुरू में सियोल में एपेक की मंत्रिस्तरीय तीसरी बैठक की पूर्वसंध्या पर सितम्बर 1991 में इस समूह में शामिल होने के लिए आवाज उठाई थी। विलम्बन काल को ध्यान में रखते हुए, भारत ने इस संबंध में और कोई नया कदम नहीं उठाया है। तथापि, भारत ने एपेक ऊर्जा कार्य दल की अक्तूबर, 1996 में फिलीपीन्स और मई 1997 में चिली सम्पन्न दोनों बैठकों में भाग लिया था। इसके औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध कार्यदल तथा व्यापार संवर्द्धन से सम्बद्ध कार्यदल में भाग लेने के लिए अपनी रुचि के बारे में अवगत करा दिया था।

[हिन्दी]

श्रम न्यायालयों में लंबित मामले

3542. डा. संजय पासवान: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि श्रम संबंधी अनेक मामले विभिन्न श्रम न्यायालयों में लंबित है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) सरकार का विचार कितने नए न्यायालय स्थापित करने का है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां। इन मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने हेतु, सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के पदों को भरने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाते हैं। पीठासीन अधिकारियों से अपने-अपने केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में औद्योगिक विवाद के लम्बित मामलों की संख्या घटाने के लिए भी कहा जाता है।

(ख) 3 नये केन्द्रीय न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

लघु उद्योग वर्ष की घोषणा

3543. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 2000 को लघु उद्योग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करने हुए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए किसी नई पहल का प्रस्ताव किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ साथ, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए कार्यक्रम, औजार कक्षों, उत्पाद-सह-प्रक्रिया विकास केन्द्रों, लघु उद्योग सेवा संस्थानों, क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना, कलस्टर विकास, विक्रेता विकास, प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण निधि योजना आदि के अंतर्गत इकाइयों को उदारीकृत वित्तीय सहायता आदि जैसी सामान्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड

3544. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड (नेशनल बोर्ड फार हायर मेथेमेटिक्स, मुंबई) गणित में पी.एच.डी. की डिग्री प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करते हैं;

(ग) इस बोर्ड के अधीन कितनी संस्थाएं कार्यरत हैं; और

(घ) उक्त संस्थाओं में प्रवेश के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बोर्ड के अधीन कोई संस्थान काम नहीं कर रहा है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

व्यावसायिक विकलांग पुनर्वास केन्द्र

3545. श्री अशोक प्रधान: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पिछले तीन वर्षों से लेकर अब तक व्यावसायिक विकलांग पुनर्वास केन्द्रों का निर्माण करने के लिए कुछ भूखण्ड आवंटित किए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन भूखण्डों पर निर्माण कार्य शुरू किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन भूखण्डों पर निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है; और

(च) जब इन केन्द्रों का निर्माण कार्य सौंपा गया था, उस समय इनकी निर्माण लागत अनुमानत: कितनी थी?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (वीआरसी) दिल्ली के लिए भवन निर्माण हेतु कड़कड़ाडूमा, दिल्ली में 4.272 एकड़ भूमि आवंटित की है।

(ख) से (च) विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र हेतु कड़कड़डूमा, दिल्ली में आवंटित भूखण्ड पर 7,89,60,000 रुपये की लागत पर भवन निर्माण के प्रस्ताव को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्य 31.3.2001 तक पूर्ण कर लेने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने वास्तुशिल्पीय संरचना को अंतिम रूप दे दिया है तथा शहरी कला आयोग, दिल्ली से अनुमति ले ली गई है। वे प्रस्ताव को अनुमति लेने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेज रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुमति मिल जाने के बाद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

कावेरी जल विवाद

3546. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कावेरी जल के बंटवारे के विवाद के समाधान हेतु हाल ही में कोई बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस मुद्दे का कब तक समाधान कर लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) कावेरी जल विवाद अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 (आई.एस.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 1956) के प्रावधान के अंतर्गत अधिनिर्णय के लिए जून, 1990 में कावेरी जल विवाद अधिकरण को भेजा गया था। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में अधिकरण के लिए इसकी रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस अधिकरण ने 25 जून, 1991 को एक अंतरिम आदेश जारी किया है। उक्त अधिनियम की धारा 6क के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने अंतरिम आदेश को कार्यान्वित करने के लिए एक स्कीम बनाई है जिसमें कावेरी नदी प्राधिकरण और मानीटरिंग समिति को शामिल किया है। कावेरी मानीटरिंग समिति की 24.9.1999 को एक आपात बैठक बुलाई गई थी। इस समिति ने सिफारिश की है कि कर्नाटक जलाशयों से इस प्रकार जल छोड़ा जाये जिससे मैत्तूर जलाशय में अन्त:प्रवाह की कमी को पूरा किया जा सके।

तमिलनाडु में क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त कार्यालय

3547. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रम आयुक्त और श्रम कल्याण, महानिदेशक के अंतर्गत क्षेत्रीय कल्याण आयुक्तों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में क्षेत्रीय कल्याण कार्यालय शुरू करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) महानिदेशक (श्रम कल्याण) के अधीन फिलहाल 9 क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त हैं।

(ख) से (घ) तमिलनाडु में क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त का कार्यालय खोलने की फिलहाल कोई योजना नहीं है क्योंकि यह प्रशासनिक रूप से उपयुक्त नहीं पाया गया है।

उत्पादन की लागत

3548. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 1998-99 तथा चालू वर्ष के दौरान उत्पादन की लागत तथा उत्पादन के अपशिष्टों में कमी लाने हेतु अनेक उपाय किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 1998-99 तथा चालू वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धि क्या है; और

(ग) अगले दो वर्षों के लिए अंतिम रूप दी गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (ग) इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 1998-99 और चालू वर्ष के दौरान उत्पादन लागत में कमी करने और उत्पादन के अपशिष्टों को रोकने के लिए कई पहल की गई हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

1. कच्चे माल, भण्डार और अतिरिक्त कलपुर्जों की खपत में कमी।
2. उत्पादन में सुधार।
3. प्रशासनिक व्यय पर नियंत्रण।
4. प्रोद्भूत स्क्रैप पर नियंत्रण।
5. विलम्ब शुल्क के भुगतान में कमी।
6. प्रचालन घंटों और खरीद का इष्टतमीकरण।
7. मानक लागत की प्रणाली अपनाना।
8. अनुत्पादक और अपशिष्ट व्यय में कमी करना।
9. प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण योजनाओं का कार्यान्वयन।
10. स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के जरिए श्रम-शक्ति में कमी।
11. महंगी कच्ची सामग्री के स्थान पर सस्ती सामग्री का इस्तेमाल करना।

उत्पादन और संगत कार्यकलापों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लागत में की गई वास्तविक कमी के उपलब्ध आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1998-99 के दौरान लागत में लाभ
1.	सेल	902.0
2.	आर आई एन एल	16.8
3.	के आई ओ सी एल	3.0
4.	स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड	0.3

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उत्पादन लागत कई गत्यात्मक घटकों जैसे आदानों की लागत, भाड़ा दरों, विद्युत और ऊर्जा लागत तथा बाजार की पारस्परिक शक्तियों पर निर्भर करती है और ये घटक समय-समय पर बदलते रहते हैं। सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षर करते समय सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो उत्पादन लागत में कमी और अपशिष्टों में भी कमी करने को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये जाते हैं।

1998-99 से संबंधित समझौता ज्ञापन लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियां तथा 1999-2000 से संबंधित लक्ष्य विवरण के रूप में संलग्न हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

विवरण

इस्पात मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का वास्तविक और वित्तीय निष्पादन

उपक्रम का नाम	1998-99				1999-2000	
	समझौता ज्ञापन लक्ष्य		वास्तविक		समझौता ज्ञापन लक्ष्य	
	उत्पादन (हजार टन)/कारोबार (करोड़ रुपए)	सकल मार्जिन (करोड़ रुपए)	उत्पादन (हजार टन)/कारोबार (करोड़ रुपए)	सकल मार्जिन (करोड़ रुपए)	उत्पादन (हजार टन)/कारोबार (करोड़ रुपए)	सकल मार्जिन (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5	6	7
सेल	विक्रेय इस्पात 10026	3350	विक्रेय इस्पात 8545	1503	विक्रेय इस्पात 9500	2500

1	2	3	4	5	6	7
आरआईएनएल	विक्रेय इस्पात 2580	652.6	विक्रेय इस्पात 1933	(-)21.4	विक्रेय इस्पात 2305	467.8
एनएमडीसी	लौह अयस्क 14700 हीरे. 31000 कैरेट	285	लौह अयस्क 11564 हीरे 34185 कैरेट	211.1	लौह अयस्क 13650 हीरे 31000 कैरेट	215.8
केआईओसीएल	सान्द्रण 6200 पेलेट 2900	101	सान्द्रण 5042 पैलेट: 2525	113.6	सान्द्रण 5600 पेलेट. 3200	112
मॉयल	मैंगनीज (एम एन) अयस्क 670 *ई एम डी 0.8 फैरो मैंगनीज 3	22.2	मैगनीज (एम एन) अयस्क 617 *ई एम डी. 0.76 फैरो मैंगनीज 3.07	24.3	मैंगनीज (एम एन) अयस्क 650 *ई एम डी. 0.8 फैरो मैंगनीज 5	18.6
सिल	स्पंज लोहा 57	6.2	स्पंज लोहा 46	(-) 2.7	स्पंज लोहा: 48.3	(-)1.4
मेकॉन	समतुल्य कारोबार 110 करोड़ रुपए	8.8	समतुल्य कारोबार 83.4 करोड़ रुपए	(-) 2.2	समतुल्य कारोबार 118 करोड़ रुपए	(-)4.5
एचएससीएल	कारोबार 425 करोड़ रुपए	10	कोबार 220.5 करोड़ रुपए	(-)94.5	**	**

*इलैक्ट्रालेटिक मैंगनीज डाई आक्साइड।

**अभी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित नहीं हुआ है।

राज्यों में परमाणु ऊर्जा

3549. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में परमाणु ऊर्जा उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ख) और अधिक क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु कौन-कौन से कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) उन राज्यों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं जिन्हें परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

	यूनिट	वे राज्य जिन्हें बिजली की आपूर्ति की जा रही है
1.	तारापुर परमाणु बिजलीघर 1 और 2, तारापुर, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र तथा गुजरात
2.	राजस्थान परमाणु बिजलीघर 1 और 2, रावतभाटा, राजस्थान	राजस्थान
3.	मद्रास परमाणु बिजलीघर 1 और 2, कलपाक्कम, तमिलनाडु	तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी
4.	नरोरा परमाणु बिजलीघर 1 और 2, नरोरा, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश
5.	ककरापार परमाणु बिजलीघर 1 और 2, ककरापार, गुजरात	गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोआ, दमन तथा दीव, दादरा नगर

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना में परमाणु विद्युत के विकास संबंधी प्रस्तावों के अंतर्गत, कुल 880 मेगावाट क्षमता वाली चल रही परियोजनाओं जिनमें कैगा परमाणु विद्युत परियोजना-1 × ? (2 और 220 मेगावाट), राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-3 और 4 (2×220 मेगावाट) शामिल हैं, को पूरा करने और उन्हें चालू करने के अलावा, तारापुर में 2×500 मेगावाट क्षमता का संयंत्र (टीएपीपी 3 और 4), कैगा में 2×220 मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त यूनिट (कैगा 3 और 4) और तमिलनाडु में कुडानकुलम में रूसी सहायता से 2×1000 मेगावाट क्षमता के परमाणु बिजलीघर की स्थापना के लिए ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को चालू करना शामिल है।

वियतनाम के राष्ट्रपति की यात्रा

3550. श्री आर.एल. भाटिया: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 4 दिसम्बर 1999 को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में भारत और वियतनाम ने स्पष्ट किया है कि दक्षिण-दक्षिण सहयोग उनकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण घोषणा-पत्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिसम्बर, 1999 के प्रथम सप्ताह में वियतनाम के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत द्वारा कोई अन्य वक्तव्य जारी किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हाँ। 5 दिसम्बर, 1999 को (4 दिसम्बर, 1999 को नहीं) जारी किये गये एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने दोहराया है कि दक्षिण-दक्षिण सहयोग उनकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

(ख) संयुक्त वक्तव्य के अतिरिक्त और कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिहाड़ी मजदूर

3551. श्री विष्णु पद राय: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्डमान और निकोबार प्रशासन में कार्यरत दिहाड़ी मजदूरों की कुल संख्या कितनी है और ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है जिन्हें "अस्थायी-मजदूरों का दर्जा प्रदान किया गया है; और

(ख) शेष श्रमिकों को कब तक "अस्थायी मजदूर" का दर्जा प्रदान किये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र को निधि

3552. श्री रामदास आठवले: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों, विशेषकर आदिवासी/पिछड़े/ग्रामीण/पहाड़ी क्षेत्रों को वर्ष-वार कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त राशि की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अन्य राज्य सरकारों से क्या-क्या प्रस्ताव आए हैं; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी राशि स्वीकृत की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) योजना आयोग किसी राज्य के कुल योजना परिव्यय का संबंधित राज्य के परामर्श से समग्र रूप से निर्धारण करता है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस परिव्यय का आगे उप-विभाजन स्वयं राज्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत सरकार, जनजातियों के कल्याण के लिए जनजातीय उपयोजना और विनिर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता प्रदान करके भी विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता देती है। योजना आयोग में विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए आवंटनों से संबंधित सूचना का संकलन नहीं किया जाता। जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई केन्द्रीय सहायता, जनजाति विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए आवंटन क्रमश: संलग्न विवरण I से IV में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार अतिरिक्त सहायता हेतु राज्य सरकारों की कोई भी स्कीम योजना आयोग में लंबित नहीं है।

विवरण I

1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के संबंध में राज्य/संघ राज्य वार जारी की गई विशेष केन्द्रीय सहायता (एस सी ए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना (1996-97)	वार्षिक योजना (1997-98)	वार्षिक योजना (1998-99)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2287.52	2581.54	2078.47
2.	असम	1524.71	1460.00	2042.56
3.	बिहार	3364.00	0.00	0.00
4.	गुजरात	2642.95	2632.77	2989.70

1	2	3	4	5
5.	हिमाचल प्रदेश	622.44	521.89	489.44
6.	जम्मू और कश्मीर	681.54	521.80	412.97
7.	कर्नाटक	569.50	500.00	293.32
8.	केरल	153.71	196.12	208.17
9.	मध्य प्रदेश	7695.71	9207.83	7309.00
10.	महाराष्ट्र	3160.78	3400.89	2832.21
11.	मणिपुर	653.22	950.00	289.76
12.	उड़ीसा	4411.44	5576.27	4871.86
13.	राजस्थान	2467.32	2341.13	2775.72
14.	सिक्किम	138.41	60.00	60.00
15.	तमिलनाडु	238.81	243.71	226.31
16.	त्रिपुरा	594.48	885.00	516.76
17.	उत्तर प्रदेश	90.39	112.91	57.54
18.	पं. बंगाल	1558.07	1600.39	1675.20
19.	अंडमान व निकोबार द्वीप	95.18	118.00	113.03
20.	दमन व द्वीव	49.82	50.75	66.10
	योग	33000.00	147984.50	29308.12

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 1998-99, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

विवरण II

जनजातीय विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यवार जारी किए गए अनुदान

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक योजना (1996-97)	वार्षिक योजना (1997-98)	वार्षिक योजना (1998-99)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	460.50	453.50	707.00
2.	असम	315.00	305.00	210.00

1	2	3	4	5
3.	बिहार	725.25	641.75	483.50
4.	गुजरात	675.00	625.00	450.00
5.	हिमाचल प्रदेश	24.00	108.00	16.00
6.	जम्मू और कश्मीर	95.25	131.75	63.50
7.	कर्नाटक	210.00	270.00	140.00
8.	केरल	35.25	111.75	23.50
9.	मध्य प्रदेश	1687.50	1262.50	1125.00
10.	महाराष्ट्र	801.75	667.25	534.50
11.	मणिपुर	69.00	123.00	46.00
12.	उड़ीसा	771.00	657.00	514.00
13.	राजस्थान	600.00	600.00	400.00
14.	सिक्किम	9.75	103.25	6.50
15.	तमिलनाडु	63.00	121.00	42.00
16.	त्रिपुरा	93.75	231.25	62.50
17.	उत्तर प्रदेश	31.50	110.50	21.00
18.	पं. बंगाल	417.75	339.25	278.50
19.	अरूणाचल प्रदेश	60.00	120.00	40.00
20.	मेघालय	166.50	255.50	111.00
21.	मिजोरम	72.00	124.00	33.22
22.	नागालैण्ड	116.25	138.75	77.50
	जोड़	7500.00	7500.00	5385.22

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 1998-99, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

विवरण III

वार्षिक योजना 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु आवंटित की गई राशि

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	241.96	230.00	363.92
2.	अरूणाचल प्रदेश	20.18	23.93	29.24
3.	असम	132.41	131.28	154.18
4.	बिहार	726.68	826.41	1019.29
5.	गोवा	3.06	2.70	3.34
6.	गुजरात	182.55	200.59	306.79
7.	हरियाणा	35.42	57.00	74.76
8.	हिमाचल प्रदेश	39.19	48.60	67.37
9.	जम्मू एवं कश्मीर	44.69	60.37	80.61
10.	कर्नाटक	276.41	232.18	253.40
11.	केरल	191.19	91.56	70.34
12.	मध्य प्रदेश	317.68	379.59	352.89
13.	महाराष्ट्र	1002.95	717.42	774.46
14.	मणिपुर	11.17	11.73	9.28
15.	मेघालय	21.25	21.57	22.53
16.	मिजोरम	39.15	38.45	51.81
17.	नागालैण्ड	39.45	41.12	44.05
18.	उड़ीसा	220.02	132.89	228.56
19.	पंजाब	100.72	109.33	116.53

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	276.36	287.25	301.93
21.	सिक्किम	10.22	10.04	9.47
22.	तमिलनाडु	302.23	437.55	470.98
23.	त्रिपुरा	32.72	72.79	32.64
24.	उत्तर प्रदेश	1047.33	857.06	1066.87
25.	पश्चिम बंगाल	254.60	254.95	279.03
		5569.59	5276.36	6184.27

विवरण IV

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए आवंटन

(करोड़ रुपये)

राज्य/क्षेत्र	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
(क) निम्नलिखित राज्यों में पर्वतीय क्षेत्र			
असम	46.32	46.32	50.16
तमिलनाडु	19.62	19.62	21.70
उत्तर प्रदेश	217.07	217.07	237.41
पश्चिमी बंगाल	22.23	22.23	22.23
सर्वेक्षण और अध्ययन	0.25	0.25	0.00
उप जोड़ (क)	305.49	305.49	331.50
(ख) पश्चिमी घाट क्षेत्र			
केरल	9.52	9.96	11.91
महाराष्ट्र	15.27	15.67	19.11
तमिलनाडु	7.96	8.00	9.97

1	2	3	4
कर्नाटक	11.29	11.22	14.48
गोवा	2.34	2.33	2.95
सर्वेक्षण और अध्ययन और पश्चिमी घाट सचिवालय	0.13	0.43	0.43
उप जोड़ (ख)	46.51	46.51	58.5
कुल जोड़ (क+ख)	352.00	352.00	390.00

[अनुवाद]

खादी ग्रामोद्योग आयोग का कार्यनिष्पादन

3553. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्यनिष्पादन समीक्षा का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कार्यनिष्पादन में सुधार लाने हेतु की गई अथवा प्रस्तावित नई पहल का ब्यौरा क्या है;

(घ) बंद की गई योजनाओं तथा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में स्थापित मापदंडों के अनुसार परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन समीक्षा का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का पिछले तीन वर्षों का निष्पादन निम्नलिखित है:

वर्ष		उत्पादन (करोड़ रुपयों में)	रोजगार (लाखों में)
1996-97	खादी	626.40	14.79
	ग्रामोद्योग	3889.86	43.38
1997-98	खादी	624.10	14.01
	ग्रामोद्योग	3895.21	42.49
1998-99	खादी	655.30	14.36
	ग्रामोद्योग	4284.75	43.54

(ग) और (घ) ग्रामोद्योग क्षेत्र में 1.4.1995 से ब्याज सहायिकी स्कीम के स्थान पर मार्जिन मनी स्कीम चलाई गई है। ग्रामोद्योग क्षेत्र के सभी चालू कार्यक्रम मार्जिन मनी स्कीम में मिला दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत रुपये 10 लाख तक की परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत की दर से तथा रुपये 10 लाख से ऊपर किन्तु रुपये 25 लाख तक की परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मार्जिन मनी दी जाती है।

(ङ) महाराष्ट्र में खादी ग्रामोद्योग आयोग का 1995-96 से निष्पादन निम्नलिखित है:

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	उद्योग	संस्वीकृत की गई परियोजनाएं	संवितरित की गई राशि
1.	हस्तनिर्मित कागज उद्योग	2	14.69
2.	ग्रामीण इंजीनियरी उद्योग	1	03.70
3.	फल एवं वनस्पति प्रसंस्करण उद्योग	2	22.47
4.	ग्राम तेल उद्योग	1	03.86
	योग	6	44.72

[हिन्दी]

अम्ल पुनरूत्पादन इकाई की स्थापना

3554. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण की गंभीर समस्या को नियंत्रित करने के लिए 198.64 लाख रुपये की अनुमानित लागत से भिलाई इस्पात संयंत्र में एक अम्ल पुनरूत्पादन इकाई लगाने की योजना को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) क्या सरकार को इस इकाई के उपयोग न किये जाने के कारण 1.89 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कारगर उपाय किये जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भिलाई इस्पात संयंत्र में एक एसिड रीजैनरेशन यूनिट स्थापित करने की मंजूरी दी थी।

(ख) से (घ) सेल ने सूचित किया है कि संयंत्र चालू होने के बाद से प्रचालनरत है और संयंत्र में लगभग 2200 टन रीजैनरेटिड एसिड का उत्पादन किया है। तथापि, अम्ल गाद से उपस्कर के अप्रत्याशित संक्षारण/अपरदन के कारण रुक-रुक कर कार्य कर रही है। उपचारात्मक कदमों के रूप में संक्षारित पम्पों और वाल्वों को उपयुक्त स्थानापन्न सामग्री से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

बुनियादी ढांचागत क्षेत्र विकास

3555. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बुनियादी ढांचागत क्षेत्र का कार्यनिष्पादन किस स्तर का है;

(ख) बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की क्या योजना है; और

(ग) विशेषत: बिहार की बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में असंतुलन को कम करने के लिए क्या विशेष प्रयास किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में आधारिक संरचना क्षेत्रक अर्थात् विद्युत, रेल, सड़क, हवाई पत्तन, बंदरगाह और संचार के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

(1) *विद्युत:* आठवीं योजना अवधि के अंत में अखिल भारतीय रूप से स्थापित उपयोगिता सृजन क्षमता 85795 मेगावाट थी।

(2) *रेल:* आठवीं योजना के अंत में कुल मार्ग किलोमीटर 62725 था और ले जाया गया ट्रैफिक 357013 मिलियन किलोमीटर यात्री और 279992 निवल टन मिलियन किलोमीटर था।

(3) *सड़क:* 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार सड़कों की कुल लम्बाई 2465877 किलोमीटर थी।

(4) *बंदरगाह:* आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में उपलब्ध ट्रैफिक क्षमता 239.95 मीट्रिक टन थी और हैंडल किया जा रहा ट्रैफिक 252.19 मीट्रिक टन था।

(5) *हवाई पत्तन:* आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में हैण्डल किया जा रहा ट्रैफिक 365 लाख यात्री और 6.8 लाख मीट्रिक टन कारगो था।

(6) *दूरसंचार:* आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में सीधी एक्सचेंज लाइनें 145.43 लाख थीं।

(ख) और (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में विकास प्रक्रिया के लिए आधारिक संरचना विशेष रूप से विद्युत, दूरसंचार, रेल, सड़क और बंदरगाहों के महत्व को स्वीकार किया गया है। आधारिक संरचना हेतु निवेश की आवश्यकताएं संसाधनों की संभाव्य उपलब्धता से बहुत अधिक हैं। अत: नौवीं पंचवर्षीय योजना में आधारिक संरचना क्षेत्रकों में दूरगामी सुधारों, सार्वजनिक प्रयासों को सहायता देने के लिए निजी निवेश जुटाने, उच्च प्रचालनात्मक क्षमता प्राप्त करने और उपयुक्त प्रयोक्ता प्रभारों की शुरुआत करने पर बल दिया गया है। बिहार सरकार के अनुसार इसने भी सुधार शुरू करने, विशेषरूप से ऊर्जा क्षेत्रक में, की आवश्यकता को स्वीकार किया है।

विश्वव्यापी आतंकवाद

3556. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस को भी सितम्बर, 1999 में विश्वव्यापी आतंकवाद का शिकार होना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विश्वव्यापी आतंकवाद से अमेरिका भी प्रभावित हुआ था;

(ग) क्या अमेरिकी अधिकारियों ने, राज्य-पोषित आतंकवाद की बढ़ती समस्या और इससे निपटने के लिए कदम उठाने के लिए भारत का दौरा किया;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत रूस और अमेरिका, आतंकवाद की इस चुनौती का सामना करने के लिए एक संयुक्त कार्यनीति बनाने पर सहमत हो गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो किन मुख्य प्रस्तावों पर बातचीत की गई और इस कार्यनीति को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(च) तीनों देशों की संयुक्त कार्यवाही से विश्वव्यापी आतंकवाद को रोकने में कहां तक मदद मिली है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) रूसी परिसंघ के दागेस्तान और चैचेन्या गणराज्यों की घटनाएं अन्तर्राष्ट्रीय, आतंकवाद उग्रवाद और अलगाववाद के वास्तविक यथार्थ मसले की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति हैं। रूस की राजधानी मास्को और अन्य शहरों में आतंकवाद के विभिन्न कृत्य संचालित किए गए हैं।

(ख) अमरीका विदेशी आतंकवादी संगठनों, व्यक्तियों और प्रायोजित आतंकवादी राज्यों से निरन्तर खतरा महसूस कर रहा है। उसने कहा है कि इस समय अफगानिस्तान में तालीबान के नियंत्रणाधीन प्रदेश उसके लिए आतंकवादी खतरे का सबसे बड़ा स्रोत है।

(ग) से (च) भारत सरकार अमरीका के साथ सीमा-पार और राज्य द्वारा प्रवर्तित आतंकवाद तथा भारत के हित-चिन्ताओं को उससे उत्पन्न होने वाले खतरे सहित आतंकवाद पर विचार-विमर्श जारी रखे हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, भारत और अमरीका के बीच 2 और 3 सितम्बर, 1999 को वाशिंगटन में तथा 17 सितम्बर 1999 को राजदूत माइकेल शीहेन, अमरीका स्टेट डिपार्टमेंट में आतंकवाद विरोधी मुख्य समन्वयक की दिल्ली की यात्रा के दौरान सरकारी स्तर पर परामर्श हुए हैं। भारत सरकार और अमरीका आतंकवाद के खतरे का प्रतिकार करने में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं।

भारत और रूसी परिसंघ ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद धार्मिक कट्टरता और युद्ध संलग्नता से उत्पन्न प्रमुख खतरे का समाधान करने के उनके प्रयासों का एक-दूसरे ने समर्थन किया है। दोनों देशों ने इस खतरे को सार्वभौमिक रूप से समाप्त करने के लिए संगठित संयुक्त प्रयास और कृतसंकल्प कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया है। 30 जून, 1994 को भारत और रूसी परिसंघ द्वारा संपन्न बहुवादी राज्यों के हितों के संरक्षण से संबद्ध मास्को घोषणा में आक्रामक राष्ट्रवाद, धार्मिक और राजनीतिक उग्रवाद, आतंकवाद तथा पृथकतावाद की ताकतों से राज्यों और स्थापित व्यवस्था के प्रति उभरते हुए खतरे की बात कही गई थी। इस घोषणा में विधि द्वारा संस्थापित और उनके अपने-अपने संविधानों में प्रतिष्ठापित एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता के लिए समर्थन को दोहराया गया था।

[हिन्दी]

असंगठित श्रमिक

3557. डा. संजय पासवान : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जिनकी पहचान असंगठित श्रमिकों को नियोजित करने के रूप में की गई है और उनके कुल कृतक-बल में से इन श्रमिकों का प्रतिशत कितना है;

(ख) ढांचागत सुविधा के क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों की अद्यतन स्थिति क्या है तथा सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या किसी सरकारी एजेन्सी/स्वायतशासी संगठन ने इन लोगों के कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं पर निगरानी रखने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) 1991 की जनगणना के अनुसार, 286 मिलियन (मुख्य कामगार) में से लगभग 259 मिलियन असंगठित क्षेत्र में हैं। असंगठित कर्मकार मुख्य रूप से कृषि और उससे संबंधित कार्यकलापों, खनन क्षेत्र, भवन और निर्माण क्षेत्र, व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र तथा परिवहन, भंडारण और संचार के क्षेत्र में लगे हुए हैं। भवन और निर्माण कार्यकलाप, जो प्रमुख अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में से एक हैं, में लगभग 5.56 मिलियन कर्मकार नियोजित किए जाते हैं जिसमें से 78% (4.3 मिलियन) असंगठित क्षेत्र में हैं। परिवहन, भंडारण और संचार में, उस क्षेत्र में कुल रोजगार का 61.5 प्रतिशत (4.9 मिलियन) असंगठित क्षेत्र में आता है।

इन कामगारों को विधायी संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण मुहैया करवाने के लिए सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण उपाय शुरू किए हैं। इन उपायों में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 और भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 जैसा लागू हो, शामिल हैं। इन कामगारों के लिए सरकार अनेक कल्याण योजनाओं को भी कार्यान्वित कर रही है। इनमें से कुछ मुख्य योजनाएं हैं– रोजगार आश्वासन योजना, गरीब परिवारों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना, झोपड़ी बीमा योजना आदि। आई.आर.डी.पी. ट्राइसेम और डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. जैसी पूर्ववर्ती कुछ योजनाओं को आमेलित करके अप्रैल, 1999 से "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना" नामक एक नया कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। यह एक पुनीत कार्यक्रम है जिसमें स्व-रोजगार के सभी तथ्य जैसे गरीबों को स्वावलम्बी ग्रुपों के रूप में संगठित करना, प्रशिक्षण, क्रेडिट, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना तथा विपणन शामिल किए जाते हैं। सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण किया जाता है।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के लिए ऋण

3558. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा लिए जा रहे 3000 करोड़ रुपये के ऋण को गारंटी प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण का मूल उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण अपनी आय से इस ऋण को वापस करने की स्थिति में होगा;

(घ) क्या सरकार का विचार विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को कुछ वित्तीय सहायता देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) पूंजी बाजार से बॉण्ड/आवधिक ऋणों के जरिए 500 करोड़ रुपए की राशि जुटाने के लिए भारत सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को अपनी गारंटी दी है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) वी.एस.पी. का एक व्यापक समग्र परिवर्तन प्रस्ताव फिलहाल भारत सरकार के विचाराधीन है।

विदेशों के साथ समझौते

3559. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार द्वारा जनवरी, 1998 से अगस्त, 1999 तक अन्य देशों के साथ हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन समझौतों के द्वारा भारत को संभवत: कौन से आर्थिक तथा अन्य लाभ मिलेंगे; और

(ग) इन समझौतों के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक दुर्घटनाएं

3560. श्री अशोक प्रधान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य में औद्योगिक प्रतिष्ठानों से कितनी दुर्घटनाओं की सूचना मिली;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को उचित सुरक्षा प्रबन्ध करने और दुर्घटनाओं में घायल श्रमिकों को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए निर्देश दिए हैं या देने का विचार है जिससे कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके; और

(ग) यदि हां, तो कितने औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने सुरक्षा उपाय किए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्रथम एशियाई सांसद सम्मेलन

3561. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने सितम्बर, 1999 में ढाका में आयोजित प्रथम एशियाई सांसद सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने से पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो क्या सभी सदस्य देशों ने इस सम्मेलन में कोई भी द्विपक्षीय मुद्दा नहीं उठाने का निर्णय लिया था; और

(ङ) यदि हां, तो सम्मेलन ने किस सीमा तक पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ङ) संसद सदस्यों का पहला एशियाई शान्ति सम्मेलन ढाका में 1-4 सितम्बर, 1999 तक हुआ था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान शिष्टमण्डल के नेता ने अपने देश के वक्तव्य में कश्मीर का उल्लेख किया था। भारत के इस संसदीय शिष्टमंडल में भाग नहीं लिया था क्योंकि उस समय लोक सभा भंग हो गई थी बताया जाता है कि पाकिस्तान ने प्रस्तावित एशियाई संसद शान्ति संघ के चार्टर के मसौदे में द्विपक्षीय और विवादास्पद मसलों की चर्चा पर रोक लगाने से संबंधित खण्ड को हटाने के लिए संशोधन की कार्यवाही की थी, संशोधन पारित नहीं किया गया था।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

3562. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने देश में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1999-2000 के लिए किसी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सहकारी विपणन प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए चालू और नई योजनाओं को विद्यमान संसाधन सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिये, इन इकाइयों को पुनर्जीवित करने, इनपुट्स के वितरण में सहकारिता के क्षेत्र को बढ़ाने आदि के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अपनी कार्ययोजना अर्थात वर्ष 1999-2000 के लिए कार्यकलापों का कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें देश में विभिन्न सहकारी विकास गतिविधियों के लिए 500 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल हैं।

उक्त कार्यक्रम में मौजूदा प्रसंस्करण सुविधाओं के आधुनिकीकरण/उन्नयन, सहकारी विपणन कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण, कृषि आदानों के वितरण में सहकारी समितियों की भूमिका में विस्तार, समेकित सहकारी विकास परियोजना के अलावा कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों नामत: मात्स्यिकी, डेयरी, कुक्कुटपालन, अ.जा./

अ.ज.जा. सहकारी समितियां, रेशम कीट पालन, हथकरघा, आदि के माध्यम से ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों को मदद करने पर जोर दिया गया है।

(ग) चालू तथा नई स्कीमों के लिए प्रदत्त धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

गतिविधि	धनराशि (करोड़ रुपये)
विपणन	114.54
आदान	11.45
प्रसंस्करण	169.53

[हिन्दी]

प्याज की कीमत

3563. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्याज की उत्पादन लागत के आधार पर किसानों को इसका बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) प्याज, जो शीघ्र नष्ट हो जाती है तथा जिसकी उत्पादन लागत अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होती है, जैसे कृषि उत्पादों के लिए एक मण्डी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। बाजार में प्याज आधिक्य के कारण मूल्यों में तेजी से गिरावट की स्थिति में सरकार इस स्कीम के तहत किसानों को उनके उत्पादों के उचित दाम सुनिश्चित करने हेतु हस्तक्षेप करती है। इस स्कीम को राज्य सरकारों के अनुरोध पर कार्यान्वित किया जाता है। हानि केन्द्र व राज्यों द्वारा 50 : 50 के आधार पर वहन की जाती है।

[अनुवाद]

सेलम इस्पात संयंत्र

3564. **श्री पी.डी. एलानगोवन** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सेलम इस्पात संयंत्र को वर्ष दर वर्ष उठाई जाने वाली हानि से बचाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सेलम इस्पात संयंत्र को हुई हानि के वैध कारण मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सेलम इस्पात संयंत्र के उत्पादन और बिक्री से संबंधित भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) सरकार सेलम इस्पात संयंत्र की बढ़ती हुई हानि के बारे में चिंतित है और वह सेल से लगातार बातचीत कर रही है तथा उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में वृद्धि करने और हानि में कमी करने के लिए इसके निष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा करती रही है। तदनुसार सेल की हानि को नियंत्रित करने और वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए कंपनी ने एक व्यापक वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना योजना तैयार की है। योजना में अन्य बातों के साथ-साथ उल्लिखित प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं:-

(1) आदान लागतों में कमी करके प्रचालन दक्षताओं में वृद्धि करना और कच्चे माल तथा अन्य आदानों की खपत में कमी करके प्रचालन लागतों में कमी करना।

(2) प्रौद्योगिकी-आर्थिक प्राचलों जैसे ईंधन और विद्युत की खपत में सुधार करना।

(3) स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) के जरिए श्रमशक्ति को युक्तिसंगत करना।

(4) परिसम्पत्ति पुनर्संरचना।

(5) निरर्थक परिसम्पत्तियों का निपटान; और

(6) सेलम इस्पात संयंत्र में संयुक्त उद्यम भागीदारी।

(ग) और (घ) सेलम इस्पात संयंत्र को मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से हानि हो रही है:

* स्टेकल मिल और अन्य योजनाओं में किए गए निवेश के कारण अधिक मूल्यह्रास और ब्याज

* औद्योगिक और इंजीनियरिंग उपयोग के लिए सेलम इस्पात संयंत्र (एच.एस.पी.) द्वारा उत्पादित उच्चतर गुणवत्ता के बेदाग इस्पात की स्थिर मांग जिससे लाभ पर दबाव पड़ता है।

(ङ) 2000-2001 के लिए सेलम इस्पात संयंत्र की उत्पादन योजना निम्नानुसार है:-

बेदाग इस्पात	56190 टन
कार्बन इस्पात	119000 टन

उत्पादन को बिक्री के आधार पर संतुलित बनाया जाएगा।

ग्रामसैट

3565. श्री रामदास आठवले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में ग्रामसेट योजना के अन्तर्गत राज्यवार अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रसारित किए जा रहे क्षेत्रीय कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को भी शामिल करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) ग्रामसैट योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में केवल एक पाइलट परियोजना शुरू की गई है। झाबुआ विकास संचार परियोजना (जे.डी.सी.पी.) पर खर्च की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्न प्रकार हैं:-

1996-97	261.00 लाख रुपये
1997-98	253.00 लाख रुपये
1998-99	283.00 लाख रुपये
वर्तमान वर्ष (अनुमानित)	228.00 लाख रुपये

वर्तमान वर्ष में धार और बरवानी के निकटवर्ती जिलों में लगभग 950.00 लाख रुपये की लागत से इस परियोजना का विस्तार किया गया है, जिसमें भोपाल में एक स्टूडियो और भू-केन्द्र की स्थापना का कार्य भी शामिल है।

झाबुआ परियोजना के परिणामों के मूल्यांकन के बाद, इसी प्रकार की पाइलट परियोजनाएं अन्य राज्यों में क्रियान्वित की जायेंगी।

(ख) इन कार्यक्रमों में निम्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है:

- कृषि, वानिकी, पशुपालन इत्यादि सहित जलविभाजक प्रबंध।
- शिशु और महिलाओं का स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और विविध बीमारियों की रोकथाम को आवृत्त करते हुए स्वास्थ्य।
- महिलाओं की भूमिका सहित पंचायती राज और इसके कार्य।
- अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा सहित शिक्षण।
- रोजगार, सरकारी विकास योजनाएं इत्यादि को आवृत्त करने वाले सामाजार्थिक-मामले।
- लोक और पारम्पारिक पहलुओं को आवृत्त करने वाली संस्कृति।

(ग) ये कार्यक्रम जिले की स्थानीय जनता की सहभागिता से निर्मित किए जाते हैं।

(घ) सभी कार्यक्रम झाबुआ में स्थल पर निर्मित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम स्थान-विशिष्ट स्थानीय समस्याओं से संबंधित होते हैं। इनमें स्थानीय भाषा और बोलियों का प्रयोग किया जाता है। इन कार्यक्रमों की प्रकृति सहभागिता वाली होती है और ये स्थानीय जनजातियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर होते हैं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कृषि श्रमिक

3566. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रत्येक राज्य में कृषि, औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रमिकों की राज्यवार संख्या और कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत कितना है;

(ख) प्रत्येक राज्य के लिए सरकार द्वारा राज्यवार कितनी न्यूनतम• मजदूरी निर्धारित की गई है;

(ग) क्या इन श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) कृषि कर्मकारों की राज्यवार संख्या और कुल जनसंख्या से उनकी प्रतिशतता तथा निर्धारित मजदूरी दरों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक श्रमिकों के सम्बन्ध में सूचना संकलित नहीं की जाती है। तथापि, राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन द्वारा 1993-94 (अद्यतन) में रोजगार, बेरोजगारी और उपभोक्ता व्यय के बारे में कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर विभिन्न राज्यों में विभिन्न औद्योगिक समूहों में प्रति हजार की जनसंख्या पर कामकाजी व्यक्तियों के वितरण को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है। अनुसूचित नियोजनों में राज्य-वार न्यूनतम मजदूरी संलग्न विवरण-III पर दी गई है।

(ग) से (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्र और राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में सभी अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्राधिकरण हैं। इस प्रयोजन के लिए, अधिनियम के सांविधिक उपबंधों के अन्तर्गत निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है। मजदूरी के भुगतान न किए जाने अथवा कम भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होने पर ये निरीक्षक निरीक्षण करते हैं और यदि आवश्यक होता है सांविधिक उपबंधों के उल्लंघन के लिए नियोजक पर अभियोजन चलाए जाते हैं।

विवरण-I

कृषि कर्मकारों की राज्यवार संख्या, कुल जनसंख्या में उनकी प्रतिशतता और उनके लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	कृषि कर्मकारों की संख्या (हजारों में)	कुल जनसंख्या में अनुपात	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (1.1.99 की स्थिति के अनुसार) (रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	11625	17.5	30.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	20	2.3	35.60
3.	असम	845	3.8	36.66 (भोजन सहित)
				45.00 (बिना भोजन)
4.	बिहार	9513	11.0	38.61
5.	गोवा	35	3	46.00
6.	गुजरात	2331	5.6	34.00
7.	हरियाणा	897	5.44	70.00

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	59	1.1	26.00
9.	जम्मू और कश्मीर	उ.न.	उ.न.	30.00
10.	कर्नाटक	5000	11.1	26.00
11.	केरल	2120	7.3	30.00
12.	मध्य प्रदेश	5863	8.9	38.50
13.	महाराष्ट्र	8313	10.5	23.00
14.	मणिपुर	47	2.6	44.65
15.	मेघालय	89	5.0	35.00
16.	मिजोरम	10	1.4	45.00
17.	नागालैण्ड	7	0.6	25.00
18.	उड़ीसा	2977	9.4	42.50
19.	पंजाब	1453	7.2	60.62 (बिना भोजन)
				54.07 (भोजन सहित)
20.	राजस्थान	1392	3.2	32.00
21.	सिक्किम	13	3.2	न्यूनतम मजदूरी अभी विस्तारित किया जाना है
22.	तमिलनाडु	7899	14.1	29.00
23.	त्रिपुरा	188	6.8	35.00
24.	उत्तर प्रदेश	7833	5.6	47.00
25.	पश्चिम बंगाल	5055	7.4	48.14 (भोजन सहित) या
				51.34 (बिना भोजन)
26.	पांडिचेरी	77	9.5	19.25 से 40.20
27.	अण्डमान और निकोबार	5	1.8	37.00 अंडमान
				40.00 निकोबार
28.	चण्डीगढ़	2	0.3	52.09 (भोजन सहित)
				60.15 (भोजन सहित)
29.	दादर और नागर हवेली	6	4.3	38.00
30.	दिल्ली	25	0.3	108.36
31.	दमण और दीव	1	1	60.00

विवरण-II

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से ली गयी मूल तथा आनुषंगिक स्थिति में सामान्यतया कामकाजी व्यक्तियों का प्रति 1000 वितरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थिति	खनन और उत्खनन	विनिर्माण	बिजली	निर्माण	थोक/ खुदरा व्यापार आदि	परिवहन, भंडारण आदि	वित्तीय बीमा आदि सेवाएं	सामुदायिक आदि सेवाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	ग्रामीण	7	69	—	17	45	10	2	56
	शहरी	19	191	11	79	198	87	28	224
अरूणाचल प्रदेश	ग्रामीण	1	8	8	26	2	16	4	68
	शहरी	—	133	36	93	150	53	29	425
असम	ग्रामीण	2	35	3	7	69	13	2	77
	शहरी	61	104	6	28	290	75	20	386
बिहार	ग्रामीण	5	34	3	13	45	10	1	45
	शहरी	38	167	37	47	230	83	26	282
गोवा	ग्रामीण	5	112	28	50	92	63	52	143
	शहरी	19	101	24	133	162	110	38	291
गुजरात	ग्रामीण	5	92	2	24	29	15	3	43
	शहरी	6	310	7	65	180	79	22	250
हरियाणा	ग्रामीण	6	40	4	43	53	35	2	98
	शहरी	2	249	6	82	189	76	22	263
हिमाचल प्रदेश	ग्रामीण	1	33	8	63	30	8	2	58
	शहरी	6	35	34	75	168	23	33	452
जम्मू और कश्मीर	ग्रामीण	1	36	11	60	25	27	5	75
	शहरी	3	80	26	64	199	64	31	393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कर्नाटक	ग्रामीण	7	67	2	15	37	7	2	50
	शहरी	25	231	15	64	170	64	41	224
केरल	ग्रामीण	15	128	3	57	90	40	11	92
	शहरी	5	188	6	80	167	78	30	193
मध्य प्रदेश	ग्रामीण	12	32	2	9	16	5	—	25
	शहरी	24	170	13	54	183	85	28	279
महाराष्ट्र	ग्रामीण	4	50	2	24	33	11	4	48
	शहरी	5	249	9	56	196	93	50	249
मणिपुर	ग्रामीण	1	123	3	28	45	15	9	137
	शहरी	—	144	11	26	137	31	22	333
मेघालय	ग्रामीण	5	10	3	16	38	11	—	58
	शहरी	1	22	5	80	252	17	18	569
मिजोरम	ग्रामीण	—	5	1	12	19	1	1	71
	शहरी	2	44	3	48	148	13	1	331
नागालैण्ड	ग्रामीण	8	2	2	18	45	6	—	171
	शहरी	5	41	4	78	220	37	17	535
उड़ीसा	ग्रामीण	11	64	1	18	44	7	1	46
	शहरी	21	166	20	57	163	100	21	293
पंजाब	ग्रामीण	—	49	12	35	49	26	4	79
	शहरी	—	242	16	50	256	59	27	257
राजस्थान	ग्रामीण	18	36	2	70	24	10	2	39
	शहरी	9	194	16	83	178	83	35	243
सिक्किम	ग्रामीण	22	44	7	35	59	20	2	224
	शहरी	—	81	4	71	354	10	10	458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तमिलनाडु	ग्रामीण	4	129	2	23	48	20	8	62
	शहरी	3	229	7	75	186	76	30	202
त्रिपुरा	ग्रामीण	—	54	2	68	107	32	—	257
	शहरी	7	87	3	28	173	60	39	538
उत्तर प्रदेश	ग्रामीण	2	64	1	20	43	15	2	53
	शहरी	1	236	10	41	217	72	33	240
प. बंगाल	ग्रामीण	2	161	1	24	75	27	4	72
	शहरी	21	302	10	53	177	83	37	265
अ.नि. द्वीपसमूह	ग्रामीण	4	53	13	81	67	28	6	115
	शहरी	6	72	58	129	125	128	20	318
चंडीगढ़	ग्रामीण	—	164	10	204	145	131	—	210
	शहरी	—	208	5	82	191	33	54	421
दादरा और	ग्रामीण	19	69	2	60	17	106	2	64
नगर हवेली	शहरी	2	270	4	56	151	29	31	185
दमण और दीव	ग्रामीण	—	261	—	6	62	29	11	107
	शहरी	—	184	7	35	250	67	—	358
दिल्ली	ग्रामीण	—	514	—	8	105	71	9	191
	शहरी	1	143	7	106	225	68	51	286
लक्षद्वीप	ग्रामीण	—	56	26	96	52	72	—	297
	शहरी	—	28	29	97	38	61	9	289
पांडिचेरी	ग्रामीण	—	138	—	35	49	25	—	105
	शहरी	—	205	23	111	162	31	35	274
अखिल भारत	ग्रामीण	6	70	2	24	43	14	3	54
	शहरी	12	236	10	63	194	79	34	248

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन-रिपोर्ट संख्या 409

विवरण-III

भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अकुशल कर्मकारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें

(1.1.1999 की स्थिति के अनुसार)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	न्यूनतम मजदूरी (प्रतिदिन)	अभ्युक्ति
	1	2	3
1.	हरियाणा	रु. 70.72 से 73.12 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं, परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित
2.	हिमाचल प्रदेश	रु. 26.00 से 45.75 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं
3.	जम्मू एवं कश्मीर	रु. 30.00	सभी रोजगार के लिए एकल दर
4.	पंजाब	रु. 54.07 से 60.96 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं, परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित
5.	राजस्थान	रु. 32.00 से 44.00 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं
6.	उत्तर प्रदेश	रु. 42.02 से 64.21 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं, परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित
7.	दिल्ली	रु. 108.36	सभी रोजगार के लिए एकल दर परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित
8.	चंडीगढ़	रु. 52.09 से 71.93 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं, परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित
9.	दादरा और नगर हवेली	रु. 38.00 से 44.00 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं: न्यूनतम मजदूरी सभी दरों की पूर्ण दर है और कोई मूल तथा परिवर्ती महंगाई भत्ता अलग से निर्धारित नहीं किया जाता।
10.	दमन और दीव	रु. 50.00 से 60.00 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं
11.	गोवा	रु. 21.00 से 125.00 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं
12.	गुजरात	रु. 58.80 से 79.20 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं, परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित
13.	मध्य प्रदेश	रु. 49.46 से 56.46 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं, परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित
14.	महाराष्ट्र	रु. 9.23 से 85.92 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं, परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित
15.	बिहार	रु. 38.61 से 51.00 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं, परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित

1	2	3
16. उड़ीसा	रु. 42.50	सभी रोजगार के लिए एकल दर परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित
17. पश्चिम बंगाल	रु. 36.55 से 79.99 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं, परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित
18. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	रु. 50.00 से 86.76 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं
19. अरूणाचल प्रदेश	रु. 35.60 से 37.60 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं
20. असम	रु. 32.80 से 55.80 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं, परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित
21. मणिपुर	रु. 44.65 (मैदान के लिए) रु. 49.50 (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए)	सभी रोजगारों के लिए दुगनी दरें : परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित
22. मेघालय	रु. 35.00	सभी रोजगार के लिए एकल दर परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित
23. मिजोरम	रु. 45.00	सभी रोजगार के लिए एकल दर
24. नागालैण्ड	रु. 25.00	सभी रोजगार के लिए एकल दर
25. त्रिपुरा	रु. 17.70 से 36.00 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं; केवल एक रोजगार में परिवर्ती महंगाई भत्ता शामिल है
26. आन्ध्र प्रदेश	रु. 27.00 से 63.19 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं, परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित
27. कर्नाटक	रु. 26.00 से 74.00 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं, परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित
28. केरल	रु. 30.00 से 157.81 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं, परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित
29. तमिलनाडु	रु. 22.40 से 82.72 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं, परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित
30. पाण्डिचेरी	रु. 19.25 से 65.00 प्रतिदिन	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं
31. लक्षद्वीप	रु. 41.46	सभी रोजगार के लिए एकल दर परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित
केन्द्रीय क्षेत्र	रु. 46.22 से 84.12 तक	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं (क्षेत्रों के अनुसार)

इस्पात आयात के लिए न्यूनतम मूल्य

3567. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्य मंत्रालय ने इस्पात आयात के लिए सुरक्षात्मक न्यूनतम मूल्य में संशोधन करने के निर्णय का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय लोक वित्त संस्थान के डा. अशोक लाहिड़ी की निम्नतम मूल्य को समाप्त करने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट की जांच की जा चुकी है; और

(घ) डा. लाहिड़ी की सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित कर दिये जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (घ) इस्पात की सात मदों के न्यूनतम मूल्यों को संशोधित करने का निर्णय इस्पात मंत्रालय के परामर्श से वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लिया गया था। यह निर्णय लेते समय अशोक लाहिड़ी रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था।

अनाज की कमी

3568. श्री आर.एल. भाटिया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 सितम्बर, 1999 के हिन्दुस्तान टाइम्स में ''सिरियल डिफिसिट इन इंडिया इम्मीनेन्ट स्टडी'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में प्रकाशित तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का अनाज तथा खाद्य उत्पादों में वृद्धि करने के लिए समुचित कृषि नीतियां बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.वी.पी.वी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अध्ययन में यह बताया गया है कि वर्ष 2020 तक भारत में अनाज का उत्पादन बढ़कर 260 मिलियन मी. टन हो जाएगा। इसके बावजूद पशु आहार की बढ़ी हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2020 तक अनाज की प्रति वर्ष 36 से 64 मिलियन टन कमी महसूस की जाएगी।

(ग) और (घ) अनाज तथा अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने तथा प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि की सम्पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए कृषि मौसमीय क्षेत्रीय नियोजन पर आधारित एक क्षेत्रीय नीति अपनाई जाएगी जिसमें सस्य, मौसम तथा पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों का ध्यान रखा जाएगा।

''अपर सकारी'' सिंचाई परियोजना

3569. डा. संजय पासवान : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार की ''अपर सकारी'' सिंचाई परियोजना काफी समय से केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना को कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई अपर सकारी परियोजना पर तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया और इसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति एवं राज्य वित्त विभाग की सहमति, बाढ़ डिजाइन की पुनरीक्षा आदि के अधीन सितम्बर, 1984 में इसे 123.81 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकार किया गया। इसके बाद, राज्य से अनुपालना प्राप्त न होने के कारण, इस परियोजना को राज्य सरकार को वापस कर दिया गया था जिसमें संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। इस संशोधित रिपोर्ट की पुन: जांच की गई और विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गयीं। राज्य को अपनी अनुपालना केन्द्रीय जल आयोग को भेजनी है।

सिंचाई राज्य का विषय है अत: सिंचाई परियोजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की तत्परता से अनुपालना करने तथा राज्य सरकार द्वारा परियोजना को दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करती है।

प्रजनन स्टॉक का आयात

3570. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुर्गी पालन उद्योग में जनकीय स्तर के प्रजनन स्टॉक का आयात करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति ने केन्द्र सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है ताकि हमारे मुर्गी पालन उद्योग को उससे होने वाली भारी हानियों से बचाया जा सके; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) कुक्कुट का जनक स्तरीय प्रजनन स्टॉक आयात की प्रतिबंधित सूची में है।

(ख) जी, हां।

(ग) जनक स्तरीय प्रजनन स्टॉक के आयात को मुक्त रूप से अनुमति नहीं दी जाती है तथा विशिष्ट सिफारिशों पर आयात लाइसेंस से ही इसकी अनुमति दी जाती है।

सूचना नेटवर्क

3571. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सभी अनुसंधान केन्द्रों, फार्म विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्रों को आपस में जोड़कर एक राष्ट्रव्यापी सूचना नेटवर्क बनाने के लिये कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नेटवर्क के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एन.ए.आर.एस.) में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ उपलब्ध कराने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली (ए.आर.आई.एस.) की स्थापना की है। यह कंप्यूटर नेटवर्क उपकरणों तथा दूरसंचार के उपयोग के माध्यम से देशभर में कृषि अनुसंधान, शिक्षा तथा विस्तार शिक्षा के क्षेत्र में सूचनाएं आदान-प्रदान करने का नेटवर्क है। कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली (एरिस) के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा अन्य सम्पर्क एजेंसिया शामिल हैं। अब तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 86 संस्थानों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय, कृषि भवन, कृषि अनुसंधान सूचना केन्द्र, कृषि अनुसंधान भवन, 27 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, 120 क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों में 235 राष्ट्रीय अनुसंधान सूचना प्रणाली कक्ष है।

(ग) नौवीं योजना के अंत तक नेटवर्क के पूरी तरह से कार्य करने की आशा है।

बाल मजदूर

3572. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु में बाल-मजदूरों संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में बाल-मजदूरों समस्या के उन्मूलन के लिए कोई विदेशी सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) सरकार तमिलनाडु सहित 10 बाल श्रमिक बहुल राज्यों के कामकाजी बच्चों के पुनर्वास हेतु परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। सभी परियोजनाओं की आवधिक रिपोर्टें प्राप्त होती हैं। इनमें परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी होती है।

(ग) और (घ) भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम में भाग लेता रहा है। कार्यक्रम के तहत, 1992-93 से 1998-99 की अवधि के दौरान 154 बाल श्रम परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा चुका है। योजना के तहत 90,500 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। इन परियोजनाओं के लिए 1992-99 की अवधि हेतु कुल 69,65,684/- अमेरिकी डॉलर की राशि निर्धारित की गई है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.)

3573. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्य, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की सिफारिश करते हैं और धन जारी करते हैं लेकिन वास्तविक कार्यान्वयन राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जाता है और संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश की गई परियोजनाओं पर किये गये व्यय का ब्यौरा कई जिला मजिस्ट्रेट नहीं देते;

(ख) यदि हां, तो बिहार के उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में से किए गए धन के व्यय का ब्यौरा देने से जिला मजिस्ट्रेट ने इन्कार किया है;

(ग) संसद सदस्यों ने कितनी परियोजनाओं की सिफारिश की और बिहार में उनमें से जिलावार कितनी परियोजनाएं पूरी हो गयी है और कितनी अब भी अधूरी पड़ी हैं; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कि जिला मजिस्ट्रेट परियोजनाओं में संसद सदस्यों को शामिल करें, क्या कदम उठाये है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सांसद परियोजनाओं की अनुशंसा करते हैं। जिला कलेक्टर से अपेक्षित है कि वह सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों की परिधि में आने वाले कार्यों को राज्य सरकार की सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार कार्यान्वित करें। दिशा निर्देशों में यह विहित है कि जिला कलेक्टर दो माह में एक बार प्रबोधन रिपोर्ट सांसदों को प्रस्तुत करें। पिछले दो वर्षों में जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा सांसदों को व्यय का ब्यौरा इत्यादि नहीं दिये जाने के बारे में बिहार के सांसदों से दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) सांसदों द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं की कार्य स्वीकृति/कार्य पूरा होने का कार्यवार ब्यौरा संबंधित जिलों में उपलब्ध होता है।

(घ) सभी राज्य सरकारों से जिला कलक्टरों तथा कार्यकारी अभिकरणों को दिशा निर्देशों में दी गई प्रबोधन व्यवस्था का दृढ़ता से पालन करने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

प्रति व्यक्ति आय

3574. श्री अधीर चौधरी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति की तुलना में कितनी है;

(ख) सबसे निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य कौन-कौन से हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के राज्यों के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एन एस डी पी) के साथ प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद (एन एन पी) का विवरण (1980-81 की कीमतों पर) संलग्न विवरण में दिया गया है। देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जो समग्र विकास प्रक्रिया से पर्याप्त रूप से लाभ उठाने में असमर्थ हैं। ऐतिहासिक कारणों से ऐसे क्षेत्रों के अधिकांश हिस्से व्यापक विकास प्रक्रिया में स्थानीय अर्थव्यवस्था के अपर्याप्त समाकलन दर्शाते हैं। संतुलित क्षेत्रीय विकास, भारतीय विकास कार्यनीति का आवश्यक घटक रहा है। चूंकि, देश के सभी हिस्से विकास अवसर के लाभ लेने के लिए समान रूप से सम्पन्न नहीं हैं, और चूंकि ऐतिहासिक असमानताएं दूर नहीं की गई हैं, इसलिए योजनागत मध्यस्थता अपेक्षित है। नौवीं योजना में कमजोर राज्यों के पक्ष में उपयुक्त नीतियों के माध्यम से सार्वजनिक और निजी निवेश के लिए उन्नत अवसर सुनिश्चित करने के वास्ते कदम उठाए गए हैं तथा सामाजिक और वास्तविक आधारिक संरचना, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और जल नीति के विशिष्ट पहलुओं, जिनके लिए पर्याप्त संसाधनों के माध्यम से कार्रवाई योग्य, समयबद्ध लक्ष्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष कार्य योजना विकसित की गई है, का चयन किया गया है।

विवरण

रैंक के हिसाब से सतत (1980-81) कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद की अखिल भारत प्रति व्यक्ति एनएनपी से तुलना

(रु. में)

रैंक	1994-95		1995-96		1996-97 (पी)	
1	2		3		4	
1.	दिल्ली	6609	दिल्ली	6629	दिल्ली	6612
2.	गोवा	5743	गोवा	6101	गोवा	6311
3.	महाराष्ट्र	4299	महाराष्ट्र	4635	महाराष्ट्र	4866
4.	पंजाब	4121	पंजाब	4176	पंजाब	4412
5.	हरियाणा	3686	हरियाणा	3679	हरियाणा	4029
6.	गुजरात	3531	अरूणाचल प्रदेश	3667	गुजरात	3799
7.	अंडमान व निकोबार	3404	गुजरात	3517	अंडमान व निकोबार	3546
8.	अरुणाचल प्रदेश	3265	अंडमान व निकोबार	3286	अरूणाचल प्रदेश	3444
9.	तमिलनाडु	2796	पांडिचेरी	2957	पांडिचेरी	3149
10.	पांडिचेरी	2793	तमिलनाडु	2820	तमिलनाडू	2918
11.	पं. बंगाल	2601	पं. बंगाल	2704	पं. बंगाल	2866
12.	कर्नाटक	2485	अखिल भारत	2608	अखिल भारत	2761
13.	अखिल भारत	2473	कर्नाटक	2558	कर्नाटक	2668
14.	हिमाचल प्रदेश	2395	हिमाचल प्रदेश	2518	आन्ध्र प्रदेश	2500

1	2		3		4	
15.	आंध्र प्रदेश	2289	आंध्र प्रदेश	2407	केरल	2325
16.	केरल	2153	केरल	2200	राजस्थान	2290
17.	राजस्थान	2101	त्रिपुरा	2111	त्रिपुरा	2197
18.	मणिपुर	1983	मणिपुर	1993	मणिपुर	2075
19.	त्रिपुरा	1912	राजस्थान	1974	जम्मू व कश्मीर	2009
20.	जम्मू व कश्मीर	1905	जम्मू व कश्मीर	1955	मध्य प्रदेश	1938
21.	मध्य प्रदेश	1792	मध्य प्रदेश	1854	मेघालय	1837
22.	मेघालय	1673	मेघालय	1808	उत्तर प्रदेश	1748
23.	उत्तर प्रदेश	1641	उत्तर प्रदेश	1654	असम	1661
24.	असम	1585	उड़ीसा	1634	उड़ीसा	1469
25.	उड़ीसा	1580	असम	1606	बिहार	1065
26.	बिहार	1037	बिहार	983	हिमाचल प्रदेश	एन.ए.
27.	मिजोरम	एन.ए.	मिजोरम	एन.ए.	मिजोरम	एन.ए.
28.	नागालैण्ड	एन.ए.	नागालैण्ड	एन.ए.	नागालैण्ड	एन.ए.
29.	सिक्किम	एन.ए.	सिक्किम	एन.ए.	सिक्किम	एन.ए.

टिप्पणी: 1. पी.: अस्थायी अनुमान

2. एन.ए.: संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

3. स्रोत: आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालयों द्वारा तथा अखिल भारत के आंकड़े केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

4. प्रयुक्त स्रोत सामग्री में भिन्नताओं के कारण विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़े पूरी तरह तुलनीय नहीं है।

5. मिजोरम राज्य इन अनुमानों को केवल वर्तमान कीमतों पर ही तैयार करता है।

6. चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र इन अनुमानों को तैयार नहीं करते।

[हिन्दी]

बिहार के लिए धनराशि

3575. श्री ब्रजमोहन राम: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 के लिए बिहार को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) क्या स्वीकृत की गई धनराशि और जारी की गई धनराशि में कोई अंतर हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आने वाले वर्ष में राज्य को वित्तीय संकट से बचाने के लिए क्या निवारक उपाय किये जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) वर्ष 1999-2000 के लिए बिहार का स्वीकृत योजना परिव्यय 3630.00 करोड़ रु. है जिसमें केन्द्रीय सहायता के 2390.27 करोड़ रु. तथा 1239.73 करोड़ रु. के राज्य के स्वयं के संसाधन शामिल हैं। सामान्य केन्द्रीय सहायता और साथ ही न्यूनतम बुनियादी सेवाओं तथा गन्दी बस्ती विकास हेतु सहायता भी समान मासिक किस्तों में जारी की जाती है। हालांकि, तीव्रीकृत सिंचाई लाभ कार्यक्रम हेतु तथा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए परियोजना निधियां उनके लिए बनाए गए मार्गनिर्देशों के आधार पर जारी की जाती हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 17.12.1999 तक बिहार को केन्द्रीय सहायता के रूप में 1587.47 करोड़ रु. की राशि (जनजातीय उप-योजना हेतु सहायता को छोड़कर) जारी की गई है। जनजातीय उप-योजना हेतु जारी सहायता के बारे में ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं तथा सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे।

(घ) भारत सरकार बिहार सरकार पर इस बात के लिए जोर डालती रही है कि किसी भी वित्तीय संकट से बचने के लिए वह और अधिक वित्तीय संसाधन जुटाए तथा गैर-योजना व्यय में कटौती करे।

[अनुवाद]

धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति

3576. श्री जी.एस. बसवराज: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अमेरिका के भारत में धार्मिक स्वतंत्रता हेतु एक विशेष दूत को भेजने के इरादे के पश्चात् उस रिपोर्ट के प्रकाशन पर गहरी चिंता व्यक्त की है जिसमें भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर शंका व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) मीडिया में इस आशय की खबरें कि धार्मिक स्वतंत्रता से सम्बद्ध अमरीकी विशेष दूत भारत की यात्रा करना चाहते हैं, के प्रत्युत्तर में सरकार ने 11 सितम्बर, 1999 को कहा कि इन मामलों में ऐसे किसी अधिकारी को भारत आमंत्रित करने अथवा किसी भी विदेशी सरकार अथवा अभिकरण के साथ बातचीत करने की इसकी कोई योजना अथवा इरादा नहीं है। हम अपना कार्य कैसे चला रहे हैं इसके बारे में किसी भी हस्तक्षेप की कार्रवाई को इसने अस्वीकार किया है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय भली-भाँति जानता है कि भारतीय संविधान देश के नागरिकों को सम्पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की गारन्टी देती है जो संयम की सुप्रसिद्ध सामाजिक परम्पराओं और सभी धर्मों के सम्मान को परिलक्षित करता है।

सिलिकोसिस के मामले

3577. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनन अथवा इनसे संबंधित उद्योगों में लगे श्रमिकों के "फाइब्रोसिस/सिलिकोसिस" से ग्रसित रहने के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे रोगों के प्रभाव का स्तर क्या है;

(ग) क्या कोई उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) खानों में सिलीकोसिस और अन्य न्यूमोकोनिकोसिस की घटनाओं पर अनेक अध्ययन एवं सर्वेक्षण किए गए हैं। सिलीकोसिस एक व्यवसायिक रोग है जो उद्योगों और खानों में उड़ती धूल के कारण होता है। फाइबरोसिस स्वयं में कोई रोग नहीं है, यह एक रोग विज्ञानी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के फाइबरोजेनिक धूल में रहने से

फेफड़ों में धूल जम जाने से कारण होता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न उद्योगों के कामगारों में सिलीकीसिटन की घटनाओं पर निम्नलिखित अध्ययन किये गये हैं:

क्र.सं.	इकाईयों के नाम	जांच किए गए कामगारों की संख्या	सिलीकोसिस मामलों की प्रतिशत संख्या
1.	स्माल स्केल क्वाटज ग्राइडिंग यूनिट	57	18.18
2.	रिफ्रैक्ट्रीज	158	3.16
3.	फाउन्ड्रीज	136	1 संदेहात्मक मामला
4.	सिरामिक पाइप एवं ब्रिक्स	29	20.7
4.	ग्लास (स्माल स्केल)	21	24.5

कोयला मजदूरों के मामले में, पश्चिम बंगाल और बिहार के झरिया और रानीगंज कोयला खानों में कोयला मजदूरों पर न्यूमोकोनोसिस की व्यापकता पर राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद ने एक विस्तृत अध्ययन 1986 से 1993 तक किया जिसने 2.8 प्रतिशत थी दर से व्यापकता की रिपोर्ट दी।

(ग) और (घ) सिलीकोसिस कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952 और गोदी मजदूर (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 के अधीन एक सूचनीय रोग है। यह कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 के अधीन एक मुआवजा देय रोग है। खान अधिनियम, 1952 के अधीन उपबंध बनाए गए हैं और खान वातावरण की संवीक्षा करने, और खानों आदि में कार्यरत मजदूरों की प्रारम्भिक और आवधिक चिकित्सीय जांच हेतु नियम और विनियमन बनाए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की खान कम्पनियां के सिलीकोसिस आदि की पहचान करने, पता लगाने और रोकने के भी अपने कार्यक्रम है।

धूल में सांस लेने और उसके प्रबोधन तथा धूल नियंत्रण उपायों को निर्धारण के लिए, धातु विज्ञान खान विनियम, 1961 और कोयला खान विनियम, 1957 में क्रमशः 1988 और 1990 में संशोधन किया गया। कारखाना अधिनियम, 1948 में व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपस्कर का भी प्रावधान है जिससे श्वसन प्रणाली की सुरक्षा की जा सके और मजदूरों के लिए चिकित्सा निगरानी कार्यक्रम का भी प्रावधान है जो सिली का युक्त धूल में रहते हैं।

असम प्लाइवुड श्रमिक

3578. श्री पवन सिंह घाटोवार: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में करीब 45000 प्लाईवुड श्रमिक प्लाईवुड कारखानों के बंद होने के कारण भुखमरी का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्लाईवुड श्रमिकों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके कारण प्लाइवुड विनिर्माताओं के पास कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। प्लाइवुड विनिर्माताओं द्वारा नियोजित कामगारों को नवम्बर, 1997 तक पूरी मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है अन्य राज्यों के कामगार काम छोड़कर जा चुके हैं और अब तक राज्य सरकार को भुखमरी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, प्लाइवुड कारखाने के पूर्व कामगारों को पुनर्वासित करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन, जिससे राष्ट्रीय नवीकरण कोष के तहत उपलब्ध कोष से मजदूरी नियोजन/स्व-रोजगार की संभावना बन सके।

[हिन्दी]

पश्चिमी भारत में सर्वाधिक उत्पादकता

3579. डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री अजित सिंह:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 नवम्बर, 1999 के "दि बिजेन्स स्टैंडर्ड में" 'प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट इन वेस्टर्न इंडिया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के वेस्टर्न पत्तन में प्रति श्रमिक उत्पादकता देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है;

(ग) यदि हां, तो देश में अधिकतम और न्यूनतम उत्पादकता के प्राकलन क्या है; और

(घ) विश्व की औसतन उत्पादकता की तुलना में देश का कौन सा राज्य उत्पादकता में अग्रणी है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, 1997-98 (अद्यतन) में उपलब्ध सूचना के आधार पर, कारखाना क्षेत्र स्थापनाओं के लिए प्रति कर्मचारी कुल संवर्द्धित

मूल्य को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इस विवरण से स्पष्ट है कि प्रति श्रमिक उत्पादकता असम में 82312 रु. से लेकर दादर नगर हवेली में 873168 रु. तक है। सकल राष्ट्रीय प्रति श्रम बल रूप में विश्व बैंक द्वारा की गई गणना के अनुसार, विश्व उत्पादकता 1998 में 10137.69 अमेरिकी डॉलर या 417166 रु. थी (जो प्रति कर्मचारी कुल संवर्द्धित सूचना के निकटतम है)

विवरण

राज्य	कुल संवर्द्धित मूल्य/कर्मचारी (रुपये में)
महाराष्ट्र	230509
गुजरात	164940
उत्तर प्रदेश	187162
तमिलनाडु	106157
आंध्र प्रदेश	96632
पश्चिम बंगाल	116899
बिहार	340623
कर्नाटक	134851
मध्य प्रदेश	184639
राजस्थान	189299
हरियाणा	150253
पंजाब	103208
उड़ीसा	209574
केरल	90791
दिल्ली	221254
दादर एवं नगर हवेली	873168
असम	82312

[अनुवाद]

कपास बोर्ड

3580. श्री के. येरननायडु: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तम्बाकू बोर्ड और दूसरे सांविधिक बोर्डों के समान कपास बोर्ड गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में कपास बोर्ड गठित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार से इस संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(घ) इस प्रस्ताव की जांच की गई परन्तु कपास प्रौद्योगिकी मिशन की स्कीम को देखते हुए इस मंत्रालय ने कपास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।

जापान के साथ विचार-विमर्श

3581. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनकी 28 जुलाई, 1999 को सिंगापुर में जापान के विदेश मंत्री से बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह बैठक सफल रही और जापान के विदेश मंत्री ने इसे सार्थक बातचीत बताया;

(ग) यदि हाँ, तो क्या जापान के मंत्री ने उन्हें अपने देश आने का आमंत्रण दिया था;

(घ) क्या उन्होंने अगस्त, 1999 में जापान का दौरा किया और जापान सरकार के साथ विचार-विमर्श किया;

(ङ) यदि हाँ, तो भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान उत्पन्न हुई सारी गलतफहमियाँ दूर कर दी हैं;

(च) यदि हाँ, तो क्या जापान ने भारत के दृष्टिकोण को भली भांति समझ लिया है और भारत के साथ संबंध सुधारने पर सहमत हो गया है:

(छ) यदि हाँ, तो क्या जापान ने भारत को सहायता देना जारी रखा है और उन परियोजनाओं को भी मदद देना जारी रखने का निर्णय लिया है जो कार्यान्वयनाधीन थीं और जिन्हें पोखरण की वजह से रोक दिया गया था; और

(ज) यदि हाँ, तो दोनों देशों के संबंधों में कहाँ तक सुधार आया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) (क) से (घ) जी हाँ। मैंने 28 जुलाई 1999 को जापान के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री मासाहिको कोमुरा से सिंगापुर में मुलाकात की। हमने तब जापान-भारत संबंधों के संवर्द्धन की महत्ता की पुष्टि की थी। उन्होंने जापान यात्रा के लिए मुझे पुन: निमंत्रण दिया। बाद में जापानी पक्ष ने 31 अगस्त, 1999 को यात्रा करने का प्रस्ताव रखा। भारत में चुनाव को देखते हुए मैं अगस्त, 1999 में जापान न जा सका।

(ङ) से (ज) मैंने 23-26 नवम्बर 1999 तक जापान की यात्रा की। मैंने प्रधानमंत्री श्री ओबुची, विदेश मंत्री श्री केनो, आंतरिक व्यापार तथा उद्योग मंत्री श्री टी. फुकाया तथा आत्मरक्षा एजेंसी के महानिदेशक श्री टी कवारा से मुलाकात की। मैंने जापान के सांसदों, अकादमिकों, भारत विज्ञों, प्रेस सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों में हमने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय मसलों तथा परस्पर हित के अन्तर्राष्ट्रीय मसलों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दोनों पक्ष इस बात से सहमत थे कि भारत-जापान संबंधों को सामान्य बनाया जाना चाहिए तथा इन्हें एशिया तथा विश्व में शांति और स्थायित्व के हितों के लिए विकसित किया जाना चाहिए। हम इस बात से भी सहमत थे कि एक-दूसरे के विचारों तथा चिन्ताओं के प्रति जागृति एवं समझ-बूझ विकसित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी रहनी चाहिए। नाभिकीय मसले पर मैंने भारत की स्थिति स्पष्ट की। जापानी पक्ष ने आशा व्यक्त की कि भारत शीघ्र ही सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर देगा। जापान के येन-ऋण कार्यक्रम के संबंध में जापानी पक्ष ने अपनी स्थिति को दोहराया कि भारत द्वारा सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर देने पर ही वे भारत पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की समीक्षा कर पाएंगे।

[हिन्दी]

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

3582. डॉ. बलिराम:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना से कितने औद्योगिक कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं और साथ ही लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 5,14,750 कर्मचारियों को परिधि में लिया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस दायरे में 27.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय योजनाएं

3583. श्री ब्रजमोहन राम:
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) राज्य में इन योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या कमियां पाई गई; और

(घ) सरकार द्वारा इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) केन्द्र प्रायोजित स्कीमें, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के साथ परामर्श करके, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार की जाती हैं तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ये कार्यान्वित की जाती हैं और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा इनकी मानीटरिंग की जाती है। योजना आयोग राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वार्षिक योजना विचार-विमर्श के दौरान योजना स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के कहने पर कुछ केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का मूल्यांकन अध्ययन कराया है। पिछले पांच वर्षों के दौराच कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा कराए गए मूल्यांकन अध्ययनों की एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (घ) प्रत्येक अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों/सुझावों का सारांश संलग्न विवरण II में दिया गया है। इन अध्ययनों की रिपोर्टें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को उनके विचारार्थ और कार्यान्वयन हेतु भेजी जाती है।

विवरण I

भारत सरकार

योजना मंत्रालय

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित अध्ययन

पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग द्वारा कराए गए मूल्यांकन अध्ययनों की सूची

1. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी) संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट
2. महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को समर्थन देने संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट (एसटीईपी)
3. महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट (संयुक्त अध्ययन)
4. त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) संबंधी मूल्यांकन अध्ययन
5. अनौपचारिक शिक्षा के प्रभाव संबंधी मूल्यांकन अध्ययन

विवरण II

भारत सरकार
योजना मंत्रालय

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के प्रभावशाली कार्यान्वयन संबंधी अध्ययन

निम्नलिखित अध्ययनों के कुछ मुख्य निष्कर्षों/सुझावों पर निम्नानुसार प्रकाश डाला जाता है:

I. महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट (जनवरी, 1996)

विश्लेषण से पता चलता है कि एकीकृत जलसंभर एप्रोच की अवधारणा का पूर्ण रूप से अनुसरण नहीं किया गया है, हालांकि विभिन्न कार्यकलापों के अलावा निधियों का मैक्रो-स्तरीय आवंटन संतुलित प्रतीत होता है। अध्ययन के लिए चयनित 32 जलसंभरों में, यह पाया गया है कि इनमें से अधिकांश के पास मुख्य क्षेत्रकों की मात्र एक अथवा दो गतिविधियां ही हैं। कई जलसंभरों के नियंत्रण के अंतर्गत लाभार्थियों ने सहायता सेवाओं जैसे कृषि इनपुटों की डिलीवरी, पशु-चिकित्सा सहायता केन्द्र विपणन सुविधाओं, पी एच सी आदि तक पहुंच के अभाव की रिपोर्ट की है। बहुत से लाभार्थियों द्वारा सामुदायिक क्रेडिट सोसाइटियों तक पहुंच की रिपोर्ट की गई है।

कार्यान्वयन एजेंसियों के विचारार्थ रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए थे:

(1) सतत् विकास की पूर्ण संभाव्यता को प्राप्त करने के लिए, केन्द्रीय दिशा-निर्देशों में यथा अभिकल्पित एकीकृत जलसंभर विकास एप्रोच का अनुसरण किया जाए;

(2) डब्ल्यू जी डी पी की मानिटरिंग में सुधार की आवश्यकता है। जिलास्तरीय समितियाँ पुनर्गठित की जानी चाहिएं ताकि विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में अंतरविभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। तालुका स्तर पर नोडल अधिकारी के नामांकन पर भी विचार किया जाए;

(3) मात्र 1/2 क्षेत्रकों पर जोर देने की वर्तमान पद्धति एकीकृत क्षेत्रीय विकास की अवधारणा के अनुकूल नहीं है। जलसंभर में विकास की आवश्यकता का वास्तविक अनुमान विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से पहले और वास्तविक और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए लगाए जाने चाहिए, विभिन्न क्रियाकलाप चरणबद्ध किए जा सकते हैं और जलसंभरों को प्राथमिकताएं प्रदान की जा सकती हैं।

(4) विभिन्न क्रियाकलापों के लक्ष्यों को वास्तविक बनाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि किसी भी मुख्य क्षेत्रक में लक्ष्यों और व्यय के बीच में साम्यता दिखाई नहीं देती। निधियों की प्राप्ति में हुई देरी, निधियों की अपर्याप्तता तथा एक व्यय-शीर्ष में निधियों का हस्तांतरण, जैसाकि कुछ जलसंभर स्तर के अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट की गई है, की जांच की जा सकती है और उनको सुधारा जा सकता है।

(5) नर्सरी स्तर पर तकनीकी स्टाफ को लगाए जाने की आवश्यकता है।

(6) डाटा और रिकार्डों के रखरखाव की पद्धति में सुधार की आवश्यकता है। जलसंभर और तालुका स्तर पर आवधिक विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त प्रपत्र बनाए जा सकते हैं। जबकि जलसंभर स्तर पर क्षेत्रीय क्रियाकलापों की विस्तृत सूचना मंगाई जानी चाहिए, तालुका स्तर पर विवरणियों में पश्चगामी और अग्रगामी सम्बद्ध क्रियाकलापों संबंधी सूचना तथा सहायक सेवाओं के लिए आवश्यकता का मूल्यांकन, जो एकीकृत क्षेत्र विकास को बढ़ावा देगा, शामिल होना चाहिए। जलसंभर/तालुक स्तर के इस डाटा की जिला स्तर पर प्रोसेसिंग की जा सकती है तथा राज्य स्तर पर डब्ल्यू जी डी पी सेल को जिलास्तरीय समितियों द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है।

(7) विपणन सुविधाओं अथवा पुन: क्रय व्यवस्था जैसी सहायक सेवाओं की व्यवस्था की संभाव्यता सहकारिताओं के माध्यम से सामाजिक वानिकी क्षेत्र में व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए निरूपित की जा सकती है। सामान्य रूप से, अन्य सहायक सेवाओं में भी सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, डब्ल्यू जी क्षेत्र में पशुधन में अत्यधिक वृद्धि पायी गई है, अत: इस वृद्धि को सतत बनाए रखने के लिए पशु-चिकित्सा केन्द्रों, चारागाहों के विस्तार और बाजार आधारिक संरचना जैसी सहायक सेवाओं और क्रियाकलापों की आवश्यकता है।

II. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट (1992-93)

(1) कार्यक्रम के कोर और लघु क्षेत्रक क्रियाकलापों दोनों पर निर्धारित व्यय सीमाएं सातवीं योजना अवधि के शुरू से ही बनाए रखी गई थीं।

(2) कोर क्षेत्रक कार्यकलापों के लक्ष्यों की उपलब्धियां संबंधित योजना अवधियों के दौरान उत्साहवर्धक थीं क्योंकि ये 93.35 प्रतिशत से 98.73 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न थीं।

(3) परियोजना स्तर पर क्षेत्र विकास के लिए आयोजना की एक मूल इकाई के रूप में जलसंभर सहित एकीकृत दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया था। परन्तु, कोर क्षेत्रक क्रियाकलाप प्रकीर्ण ढंग से शुरू किये गये। अत:, अध्ययन में सुझाव दिया गया था कि एक ओर नोडल एजेंसियों और प्रमुख विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए, तो दूसरी ओर विभिन्न कार्यान्वयन में लगे विभागों को सुदृढ़ बनाया जाए। जलसंभर समितियां और लाभप्रदायी सलाहकार बोर्डों का गठन भी नहीं किया गया था।

(4) जलसंभर एप्रोच में खेती के अंतर्गत क्षेत्र के विकास पर अथवा खेती प्रक्रिया में परिवर्तन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था।

(5) यह पाया गया था कि कुल मिलाकर, हालांकि चयनित क्षेत्रों में लोगों को किए गए कार्यों की जानकारी थी परन्तु कार्यक्रम को आरम्भ करने, उसे तैयार करने और कार्यान्वित करने में उनकी भूमिका सीमित थी। यह सुझाव है कि विभिन्न क्षेत्रकीय स्कीमों की उपयोगिता के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करके लोगों की भागीदारी को संचालित करने की आवश्यकता है तथा स्थानीय आवश्यकता के कार्यों को बड़े पैमाने पर शुरू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आयोजना, निरूपण और कार्यक्रमों के संपादन में पंचायतों और स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल किया जाना चाहिए।

(6) यह पाया गया था कि 8 जिलों में फील्ड दौरों के माध्यम से मानीटरिंग संतोषप्रद नहीं थी, जबकि मूल्यांकन 12 चयनित जिलों में से 4 जिलों में कराया गया था। अत: अध्ययन में मानीटरिंग और मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

(7) इस कार्यक्रम का काफी हद तक भूमि जल स्तर के संरक्षण पर विशिष्ट प्रभाव नहीं हुआ था तथा जल हारवेस्टिंग संरचना से निवल सिंचित क्षेत्रों पर अधिक प्रभाव नहीं हो सका था। अत: सुझाव दिया गया है कि क्षेत्र विकास के लिए मूल इकाई के रूप में जल संभर एप्रोच को प्रभावकारी रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा संबंधित राज्य सरकारों को भू-जल के अधिक दोहन के परिणामों से सचेत किया जाए।

(8) यह पाया गया था कि कार्यक्रम का ईंधन और चारे की उपलब्धता को बढ़ाने, पेयजल सुविधाओं, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के विस्तार तथा आधारिक स्तर पर कृषि विज्ञान की पद्धति अपनाने पर प्रभाव नहीं पड़ा था, तथापि इससे सूखा अवधि के दौरान लोगों के प्रवजन को रोकने में सहायता मिली थी। अत: सुझाव है कि वानिकी और चारागाह विकास के अंतर्गत क्रियाकलापों पर अधिक महत्व देते हुए बड़े पैमाने पर शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

III. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट (एसटीईपी) (1994-95)

(1) प्रशिक्षण पहलुओं का कार्यान्वयन प्रारम्भिक स्तर पर कमजोर पाया गया था। इसके अलावा तकनीकी और लिंग दोनों मुद्दों के अंतर्गत महिलाओं को दिया गया प्रशिक्षण बोधगम्य नहीं पाया गया था। अत: एसटीईपी के अंतर्गत महिलाओं के कौशल उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और लिंग दोनों मुद्दों के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण पक्षों को शामिल करते हुए प्रशिक्षण का एकीकृत दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है।

(2) क्रेडिट तक पहुंच सहित पश्चगामी और अग्रगामी संपर्कों, जिनका कार्यान्वयन स्तर पर अभाव पाया गया है, को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है ताकि हस्तकला, हथकरघा, वीविंग और स्पीनिंग आदि जैसे क्षेत्रकों में मजदूरी रोजगार के अंतर्गत कार्यरत महिलाएं स्व-सतत आधार पर अपने स्वयं के कार्यकलाप शुरू कर सकें। इससे महिलाओं के आय स्तर को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी, जैसाकि पाया गया था कि 63.87 प्रतिशत स्व-नियोजित और 77.67 प्रतिशत से अधिकांश महिलाएं 500 रुपये और उससे कम की रेंज में मासिक आय अर्जित कर रही थीं।

(3) यह पाया गया था कि बहुत सी प्रतिदर्श परियोजनाओं में महिलाओं की सहायक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अन्य सरकारी विभागों और स्वैच्छिक संगठनों के बीच संपर्क स्थापित नहीं किए गए थे। अत: अध्ययन में सहायक सेवाओं की डिलीवरी को सुनिश्चित करने के लिए संपर्क एजेन्सियों का पता लगाने की आवश्यकता का सुझाव दिया गया था।

(4) कई प्रतिदर्श परियोजनाओं में समन्वय और मानीटरिंग के लिए किए गए प्रबंध अपर्याप्त पाए गए थे। अत: अध्ययन से इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता का सुझाव दिया गया था जो कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुधार लाने में काफी सहायक होगा।

(5) व्यवहार्य समूह में महिलाओं को शामिल करने में विस्तार सेवाओं की भूमिका का अधिकांश प्रतिदर्श सोसायटियों में अभाव पाया गया था। इस प्रकार यह सुझाव दिया जाता है कि पहचान किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित विस्तृत कामगारों का मजबूत नेटवर्क बनाए जाने की आवश्यकता है।

(6) महिलाओं को विशेष रूप से छोटा परिवार प्रतिमानक और वैवाहिक अधिकार, संपत्ति अधिकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि के बारे में शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इन मुद्दों के प्रति प्रतिदर्श लाभार्थियों के बीच अधिकांश मामलों में जागरूकता का अभाव पाया गया था। इसके अलावा, विकासात्मक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी भी सीमित पायी गयी थी, जिसे जागृति पैदा करके संगठित किए जाने की आवश्यकता है।

IV. त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट (सितम्बर, 1996)

(1) ग्रामीण पेय जल आपूर्ति के निष्पादन का आकलन गांव और लोगों की कवरेज की मात्रा, सृजित सुविधाओं के क्रियान्वयन, सततता और निर्भरता तथा जल आपूर्ति की गुणवत्ता के लिए दिशा निर्देशों में उल्लिखित प्रतिमानकों के अनुसार किया गया था।

(2) क्षेत्रों और लोगों के कवरेज के सरकारी रिकार्डों का रखरखाव गांवों के बजाय आवासीय क्षेत्रों के रूप में किया जाना चाहिए, क्योंकि गांवों के कवरेज भ्रामक चित्र प्रस्तुत करते हैं। फील्ड सर्वेक्षणों में सरकारी रिकार्डों और वास्तविक कवरेज के बीच विसंगतियां पायी गयी थीं, क्योंकि बहुत से गांवों को केवल आंशिक रूप से कवर किया गया था।

(3) 'मोड्स से दूरी' और 'प्रति प्वाइंट आरक्षित किए जाने वाले लोगों की संख्या' संबंधी प्रतिमानकों में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से परिवार सार्वजनिक संसाधनों का असुविधाजनक स्थान और अधिक प्रतीक्षा समय के कारण उपयोग नहीं कर रहे थे।

(4) कार्यान्वयन प्रक्रिया की मानीटरिंग करना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तकनीकी मानदण्डों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। बहुत से मामलों में इन मानदण्डों के उल्लंघन की रिपोर्ट है। सृजित संसाधनों की जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की जानी चाहिए ताकि, लोगों को वैकल्पिक स्रोतों से असुरक्षित जल के प्रयोग से रोका जा सके।

(5) गांव वालों की सक्रिय भागीदारी के बिना पेय जल सुविधाओं के व्यापक नेटवर्क के ओ एण्ड एम की देखभाल करना मात्र सरकारी एजेंसियों के लिए संभव नहीं है। गांव के लोगों को दैनिक ओ एण्ड एम

कार्यकलापों को करने और मरम्मत तथा रखरखाव के लिए विधियों में अंशदान करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। कार्यान्वयन में उनकी सक्रिय भागीदारी से कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार की आशा है। प्रशिक्षित ग्रामीण स्तरीय केयरटेकरों को दैनिक रखरखाव और स्थापना के संरक्षण के लिए पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक जल आपूर्ति प्वाइंटों को अधिक आधारिक बनाया जा सके।

(6) जहां तक संभव हो, ग्रामीण क्षेत्रों में पी डब्ल्यू एस प्रणाली की स्थापना से बचा जाना चाहिए। सामान्य रूप से ऐसी प्रणाली अन्य स्रोतों के अलावा कम विश्वसनीय पायी गयी हैं।

(7) पेयजल संसाधनों की असततता सिंचाई के लिए भू-जल दोहन से जुड़ी हुई है। पेयजल स्रोतों को सतत् बनाए जाने के लिए उपयुक्त उपाय करना आवश्यक है। ऐसे उपाय दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम, सिंचाई के लिए भू-जल दोहन पर नियंत्रण करने के वास्ते राज्यों द्वारा नियामक उपायों को अपनाए जाने की आवश्यकता है द्वितीय, भू-जल के दो प्रतिस्पर्धी प्रयोगों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए जल संरक्षण और हारवेस्टिंग में लोगों की भागीदारी आवश्यक है। इस संबंध में, यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या महाराष्ट्र में श्री अन्ना हजारे के नेतृत्व में रैलीगन सिद्धि में एकीकृत जल संभर विकास मोडल से सीखे गए पाठों को दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर इस मोडल को दोहराने के लिए कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव में पंचायतों और लोगों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है।

V. अनौपचारिक शिक्षा के प्रभाव संबंधी मूल्यांकन अध्ययन

(1) अध्ययन के निष्कर्षों से यह सुझाव निकलता है कि एन एफ ई प्रणाली ने यू ई ई के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं किया है। फिर भी इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि गैर-स्कूली बच्चों में साक्षरता, संख्यात्मकता और जागरूकता पैदा करने में इसकी उपलब्धियां कम हैं। यदि औपचारिक शिक्षा प्रणाली तक शिक्षार्थियों को बाद में प्रवेश की सुविधा देने तथा प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की एन एफ ई से आशा की जाती है, तो स्कीम के डिजाइन और क्रियान्वयन में प्रमुख परिवर्तनों और वित्तीय आवंटनों में सतत् कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। यह निश्चित नहीं है कि इन परिवर्तनों से एन.एफ.ई. गैर स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के रूप में किफायती साधन होगा। इन सभी प्रवृत्तियों से पता चलता है कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता है। तथापि यह सुझाव देने का मतलब नहीं है कि एफ ई प्रणाली पूरी तरह ठीक है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली में गैर नामांकन की दर और कुछ जनसंख्या समूहों से संबंधित बच्चों को वापिस ले लेना अभी अस्वीकार्य है।

(2) यू ई ई प्राप्त करने हेतु उपयुक्त कार्य नीति की खोज करने के लिए उन कारकों का पता लगाना आवश्यक है जो शिक्षा तक पहुंच को प्रभावित करते हैं। विषय संबंधी साहित्य की समीक्षा यह सुझाव देने के लिए प्रेरित करती है कि एक ओर स्कूल आधारिक संरचना की गुणवत्ता (स्कूल सुविधाओं की उपलब्धता पर्याप्तता, शिक्षक-अध्ययन अनुपात, शिक्षिकाओं का हिस्सा, कुछ प्राथमिक स्तर पर लड़कों और लड़कियों के अलग से स्कूल, शिक्षकों की अर्हताएं और प्रशिक्षण द्वारा यथा निरूपित) तथा दूसरी ओर शिक्षा का लागत लाभ (माता-पिता द्वारा अनुमानित) पहुंच के सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। विगत में स्कूल आधारिक संरचना में सुधार करने के लिए (अर्थात आपरेशन ब्लैक बोर्ड) तथा निःशुल्क पुस्तकों, यूनीफार्म, स्टेशनरी, मध्याह्न भोजन, डे-केयर केन्द्र, छात्रवृत्ति आदि की आपूर्ति के माध्यम से शिक्षा के निजी लागत को कम करने के लिए प्रयास किये गये है। यद्यपि इन उपायों से नामांकन और सततता दर बनाए रखने में सुधार हुआ है, तथापि प्रगति कुछ तो अपर्याप्त वित्तीय प्रावधान के चलते और कुछ आयोजना और कार्यान्वयन में अपर्याप्तता के चलते असंतोषप्रद रही है। यदि संसाधनों, प्रशासनिक आयोजना और आपूर्ति प्रणाली के बीच की खाई को पाटा जाता है तो औपचारिक शिक्षा प्रणाली में नामांकन और सततता दर में प्रत्यक्ष सुधार होगा।

(3) बहरहाल, यू ई ई की सबसे बड़ी बाधा गरीबी-निरक्षरता संलक्षण है। गैर स्कूली बच्चों का एक बड़ा भाग गरीब परिवारों से है। गरीब परिवार मुख्य रूप से अधिक अवसर लागत के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं साथ ही इस तथ्य से कि शिक्षा से उन्हें तत्काल लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार गरीब और अशिक्षित माता-पिता को जागरूकता सृजन कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के मूल्य से जागरूक किया जाना होगा। दूसरे गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का संपूर्ण निजी व्यय (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) सरकार द्वारा वहन किया जाना होगा।

(4) उपर्युक्त कार्य नीति अधिकांशत: गैर स्कूली बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के प्रति निश्चित रूप से आकर्षित करेगी। बहरहाल, एफ.ई. प्रणाली में ऐसे परिवर्तन कम समय के भीतर नहीं लाए जा सकते तथा इसलिए गैर स्कूली बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को जो आर्थिक बाध्यता के कारण एफ.ई. प्रणाली में नामांकन नहीं करा पाते हैं, को पूरा किया जाना चाहिए। इस प्रकार एन.एफ.ई. की भूमिका समय के साथ कम हो जाएगी, यह विशिष्ट समूहों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगत बनी रहेगी। इस परिप्रेक्ष्य में एन.एफ.ई. प्रणाली में निम्नलिखित सुधार सुझाए जाते हैं।

(क) एन.एफ.ई. केन्द्र को चलाए जाने संबंधी लागत की गणना वास्तविक होनी चाहिए। एन.एफ.ई. प्रकार की शिक्षा उन्हीं अनुदेशको द्वारा दी जा सकती है जो योग्यताप्राप्त और प्रशिक्षित हैं। उनका मानदेय उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप निर्धारित होना चाहिए और उनके भुगतान में नियमितता अवश्य सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(ख) यह पाया गया है कि केन्द्र सरकार और राज्य, दोनों ही एन.एफ.ई. केन्द्र को चलाने के संबंध में सकल अंत:वर्णित 'मानक लागत' को भी जारी नहीं कर रही हैं। औसतन: केन्द्र अपने लिए उस राशि का आधा भाग ही प्राप्त करते हैं जिसके वे हकदार होते हैं। बहुत से केन्द्र यह भी समय पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मंत्रालय को चाहिए कि संबंधित मुद्दों पर ध्यान दे।

(ग) यदि एन.एफ.ई. प्रणाली से सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देने की आशा की जाती है तो इसे राज्य नीतियों को सक्षम बनाते हेतु औपचारिक शिक्षा प्रणाली से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जिसने सामान्य परीक्षा और प्रमाणीकरण के माध्यम से ऐसा प्रयास किया है, के अनुभव का शिक्षा लेने तथा उन उपायों और नीतियों जिनसे कि एन.एफ.ई. के शिक्षार्थियों को प्रवेश लेने में सुविधा हो सके, का पता लगाने की दृष्टि से अध्ययन किया जाए।

(घ) यह पाया गया है कि अन्य बातें तो वही हैं, परन्तु विद्यार्थियों के नामांकन और सततता की दर शिक्षिकाओं के अनुपात से संबंधित है। यह एन.एफ.ई. और एफ.ई. दोनों प्रणालियों के लिए सत्य है। यदि एन.एफ.ई. केन्द्र शिक्षिकाओं द्वारा संचालित होते हैं तो एन.एफ.ई. में नामांकन, सततता और सफलता दर में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है।

(ङ) 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पी.आर.आई. से आशा की जाती है कि वे स्कूल शिक्षा के प्रबंधन में भूमिका निभाएं। जहां कहीं भी पी.आर.आई. हैं, वित्तीय संसाधनों सहित एन.एफ.ई. केन्द्रों का प्रबंधन उन संस्थानों को सौंपा जा सकता है। अध्ययन के निष्कर्ष यह सुझाव देने के लिए प्रेरित करते हैं कि एन.एफ.ई. केन्द्रों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने में वी.ई.सी. प्रभावी नहीं है।

(च) यदि दो प्रकार के केन्द्रों में (राज्य और एन.जी.ओ. द्वारा चालित), एन.जी.ओ. द्वारा चालित नामांकन की सततता दर बेहतर प्रतीत होती है तो इसका कारण संभवत: अतिरिक्त संसाधनों को मुहैया कराने, सामुदायिक भागीदारी को आकर्षित करने तथा केन्द्रों के संचालन में लचीलापन प्रदान करने की उनकी योग्यता है। बहरहाल, इस दृष्टिकोण के सामान्यीकरण के लिए अधिक व्यापक प्रतिदर्श (अध्ययन में अपनाए गए से भिन्न) सहित गैर एन.जी.ओ. चालित केन्द्रों का गहन अध्ययन करना अपेक्षित होगा, क्योंकि पी.ई.ओ. फील्ड टीमों को कुछ प्रतिदर्श एन.जी.ओ. तक पहुंचने में मना किया गया था। तथापि, यह खोज करने की आवश्यकता है कि गैर-स्कूली बच्चों तक शिक्षा सेवाएं पहुंचाने में एन.जी.ओ. की सेवाओं का सफलतापूर्वक कैसे उपयोग किया जा सकता है तथा कुछ सफल एन.जी.ओ. से उपयोगी पाठ प्राप्त किए जा सकते हैं।

(छ) बहरहाल, एन.जी.ओ. संचालित केन्द्र अपनी वर्तमान भूमिका को जारी रखते हुए वित्त-पोषण, पर्यवेक्षण और मोनीटरिंग प्रक्रिया में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। प्रथम, एन.जी.ओ. के चयन का मापदण्ड राज्यों के परामर्श से तैयार किये जाने चाहिए और उनका चयन संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। द्वितीय, एन.जी.ओ. को निधियां सीधे एम.एच.आर.डी. से मिलने की बजाय राज्य सरकार के माध्यम से मिलनी चाहिए। तृतीय, एन.जी.ओ. के निष्पादन का मूल्यांकन या तो आवधिक रूप से राज्य और केन्द्र के मूल्यांकन संगठनों से संयुक्त रूप मे या फिर स्वतंत्र ख्याति प्राप्त संस्थानों से कराया जाना चाहिए।

(ज) जहां उपर्युक्त सुझायी गई एन.एफ.ई. प्रणाली की डिजाइन और क्रियान्वयन में किये गये सुधारों से प्रणाली की कार्यकुशलता में सुधार होने की सम्भावना है, वहीं अध्ययन के निष्कर्ष इस अवधारणा का समर्थन नहीं करते कि एन.एफ.ई. प्रणाली प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में लागत प्रभावी एक मुख्य तंत्र हो सकता है। निरक्षरता दूर करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एन.एफ.ई. की भूमिका के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है। सम्भवत: एन.एफ.ई. का उद्देश्य साक्षरता, संख्यात्मकता को उन गैर स्कूली बच्चों को प्रदान करना होना चाहिए जो एफ.ई. प्रणाली में शिक्षा के न्यूनतम निजी लागत (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) लाये जा सकते हैं।

अल्प सूचना प्रश्न

[हिन्दी]

पाकिस्तान के शासन द्वारा नई नीति अपनाया जाना

अ.सू.प्र. 2. श्री आर.एल. भाटिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 दिसम्बर, 1999 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'पाकिस्तान टफेन्स स्टैन्ड आन कश्मीर, एडोप्ट्स न्यू पालिसी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान के नये सैनिक शासन में कश्मीर पर एक नई पांच सूत्रीय नीति अपनाई है;

(ग) यदि हां तो क्या इसके अन्तर्गत कश्मीरी उग्रवादियों को अधिक सहायता प्रदान की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो क्या जब तक नई दिल्ली 'सार्थक और परिणामोन्मुखी वार्ता' के लिए सहमत नहीं होती तब तक पाकिस्तान, व्यापारिक, आर्थिक और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध फिर से कायम करने के लिए कोई वार्ता नहीं करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ङ) सदन के पटल पर एक वक्तव्य रख दिया गया है।

सरकार को मीडिया की इस आशय की रिपोर्टों की जानकारी है कि पाकिस्तान के सैनिक शासन ने कश्मीर के संबंध में एक ऐसी नयी नीति अपनायी है जिसमें भारत में आतंकवादी ग्रुपों को और अधिक समर्थन दिया जाना शामिल है। मीडिया की कुछ रिपोर्टों ने इस नयी नीति का उल्लेख कश्मीर के संबंध में नयी पांच सूत्री नीति के रूप में किया है।

जम्मू और कश्मीर पूरा राज्य भारत संघ का एक अभिन्न अंग है और हमारी राष्ट्रीयता के मूल का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य के क्षेत्र का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट से उस देश का भारत के प्रति अनिवार्य बैर-भाव का न तो दृष्टिकोण बदला है और न ही जम्मू और कश्मीर पर अपने अधिकार के दावों को छोड़ा है। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में और भारत में अन्य स्थानों पर भी सरकारी नीति के रूप में सीमा-पार से आतंकवाद को निरन्तर समर्थन दे रहा है और संचालित कर रहा है। जम्मू और कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तान की सशस्त्र घुसपैठ समाप्त हो जाने और भारत द्वारा इस घुसपैठ को समाप्त कर दिये जाने के बाद इस समर्थन को तेज किया गया है।

भारत ने पाकिस्तान के साथ सदैव एक स्थायी और सिद्धांतपूर्ण नीति अपनायी है। हम पाकिस्तान के लोगों के साथ शांति, मित्रता और सहयोग के संबंध स्थापित करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से पिछले वर्ष भारत ने एक ठोस वार्ता प्रक्रिया शुरू करने की पहल की थी जिसमें आपसी विश्वास और आस्था पैदा करने, सहयोग का एक स्थायी स्वरूप बनाने और अनसुलझे मसलों को सुलझाने की कोशिश की गयी है। पाकिस्तान ने कारगिल में अपनी सशस्त्र घुसपैठ के माध्यम से न सिर्फ नियंत्रण रेखा उल्लंघन और आक्रमण किया बल्कि विश्वास को भी तोड़ा है।

पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से चलाये जा रहे आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद करके और भारत के विरुद्ध वैरपूर्ण दुष्प्रचार रोक कर विश्वास और आस्था को बहाल करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार देश की रक्षा और क्षेत्रीय अखण्डता की संरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम निरन्तर उठा रही है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 1.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

मध्याह्न 12.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.03 बजे

लोक सभा एक बजकर तीन मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[श्री के. येरननायडू *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए। यह 'शून्य-काल' नहीं है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.03$^{1}/_{2}$ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): श्री प्रमोद महाजन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सोसाइटी फार एप्लाईड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फार एप्लाईड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1110/99]

(2) (एक) डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एक्रीडिएशन ऑफ कम्प्यूटर कोर्सेस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एक्रीडिएशन ऑफ कम्प्यूटर कोर्सेस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1111/99]

(3) (एक) सैंटर फॉर मेटेरियल्स फार इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नालॉजी के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैंटर फॉर मेटेरियल्स फार इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नालॉजी, के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1112/99]

(4) (एक) सोफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सोफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1113/99]

(5) (एक) सोसाइटी फार इलेक्ट्रानिक्स टैस्ट इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फार इलेक्ट्रानिक्स टैस्ट इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1114/99]

(6) (एक) सैन्टर फार लिक्विड रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैन्टर फार लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1115/99]

(7) (एक) नेशनल सैंटर फार सोफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सैंटर फार सोफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1116/99]

(8) (एक) इलैक्ट्रोनिक्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सैन्टर ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सैन्टर ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1117/99]

(9) (एक) नेशनल इन्फोरमैटिक्स सैंटर सर्विसिज इनकोरपोरेटिड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्फोरमैटिक्स सैंटर सर्विसिज इनकोरपोरेटिड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1118/99]

(10) (एक) सैन्टर फार डेवलपमेंट ऑफ एडवान्स्ड कम्प्यूटिंग, पूणे के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैन्टर फार डेवलपमेंट ऑफ एडवान्स्ड कम्प्यूटिंग, पूणे के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1119/99]

(11) (एक) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1120/99]

(12) (एक) सैन्टर फार इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजी आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैन्टर फार इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजी आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1121/99]

(13) (एक) रीजनल कम्प्यूटर सैंटर, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल कम्प्यूटर सैंटर, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1122/99]

(14) (एक) एजूकेशन एण्ड रिसर्च नेटवर्क, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एजूकेशन एण्ड रिसर्च नेटवर्क, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1123/99]

(15) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1124/99]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): श्री नीतीश कुमार की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1125/99]

जल संसाधन मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1126/99]

(3) (एक) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1127/99]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसिस (इंडिया) लिमिटेड, के वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1128/99]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, श्री दिलीप राय की ओर से मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1129/99]

(ख) (एक) एम.एस.टी.सी. लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम.एस.टी.सी. लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1130/99]

(ग) (एक) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1131/99]

(घ) (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1132/99]

(ङ) (एक) मेकन लिमिटेड के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकन लिमिटेड का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1133/99]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, श्रीमती वसुन्धरा राजे की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1134/99]

(ख) (एक) इंडियन रेयर अर्थ्स, लिमिटेड मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन रेयर अर्थ्स, लिमिटेड मुम्बई का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1135/99]

(ग) (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1136/99]

(2) (एक) सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैन्ट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1137/99]

(3) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1138/99]

(4) (एक) इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ इन्ट्रप्रानियरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ इन्टरप्रानियरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1139/99]

(5) (एक) सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ हैण्ड टूल्स, जालंधर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षिक लेखे।

(दो) सैन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ हैण्ड टूल्स, जालंधर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1140/99]

(6) (एक) फ्रैग्रेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्रैग्रेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1141/99]

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) यू.पी. प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) यू.पी. प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1142/99]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:

नौवीं लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 47 दूसरा सत्र, 1990

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1143/99]

(दो) विवरण संख्या 29 तीसरा सत्र, 1990

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1144/99]

(तीन) विवरण संख्या 33 छठा सत्र, 1990

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1145/99]

दसवीं लोक सभा

(चार) विवरण संख्या 42 पहला सत्र, 1991

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1146/99]

(पांच) विवरण संख्या 33 पांचवां सत्र, 1992

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1147/99]

(छह) विवरण संख्या 36 छठा सत्र, 1993

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1148/99]

(सात) विवरण संख्या 34 ग्यारहवां सत्र, 1994

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1149/99]

(आठ) विवरण संख्या 21 तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1150/99]

(नौ) विवरण संख्या 18 चौदहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1151/99]

(दस) विवरण संख्या 12 सोलहवां सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1152/99]

ग्यारहवीं लोक सभा

(ग्यारह) विवरण संख्या 13 दूसरा सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1153/99]

(बारह) विवरण संख्या 12 तीसरा सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1154/99]

(तेरह) विवरण संख्या 11 चौथा सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1155/99]

(चौदह) विवरण संख्या 9 पांचवां सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1156/99]

(पन्द्रह) विवरण संख्या 9 छठा सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1157/99]

बारहवीं लोक सभा

(सोलह) विवरण संख्या 7 दूसरा सत्र, 1998

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1158/99]

(सत्रह) विवरण संख्या 4 तीसरा सत्र, 1998

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1159/99]

(अट्ठारह) विवरण संख्या 3 चौथा सत्र, 1999

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1160/99]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1161/99]

(ख) (एक) नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1162/99]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1163/99]

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के प्रतिवेदन पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों और उक्त निगम के प्रबंध मंडल द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तरों पर उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग की टिप्पणियों के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1164/99]

(तीन) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1165/99]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1166/99]

(ख) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1167/99]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1168/99]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) कृषि विपरण केन्द्र, जयपुर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषि विपरण केन्द्र, जयपुर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1169/99]

(3) (एक) कृषि विपरण केन्द्र, जयपुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषि विपरण केन्द्र, जयपुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1170/99]

(5) (एक) कृषि विपरण केन्द्र, जयपुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषि विपरण केन्द्र, जयपुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1171/99]

(7) (एक) कृषि विपरण केन्द्र, जयपुर के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषि विपरण केन्द्र, जयपुर के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1172/99]

(9) (एक) कृषि विपरण केन्द्र, जयपुर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषि विपरण केन्द्र, जयपुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1173/99]

(11) (एक) कृषि विपरण केन्द्र, जयपुर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषि विपरण केन्द्र, जयपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1174/99]

(13) (एक) राष्ट्रीय कृषि विपरण संस्थान, जयपुर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विपरण संस्थान, जयपुर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1175/99]

(15) (एक) राष्ट्रीय कृषि विपरण संस्थान, जयपुर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विपरण संस्थान, जयपुर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1176/99]

(17) (एक) राष्ट्रीय कृषि विपरण संस्थान, जयपुर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विपरण संस्थान, जयपुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1177/99]

(19) (एक) नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1178/99]

(21) (एक) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1179/99]

(22) (एक) नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1180/99]

(23) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1999 जो 4 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1068(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1181/99]

(24) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवीं मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कापरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवीं मुंबई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1182/99]

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1183/99]

अपराह्न 1.07 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा 21 दिसम्बर, 1999 को पेश किए गये कार्यमंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 21 दिसम्बर, 1999 को पेश किये गए कार्यमंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं माननीय सदस्यों के नाम एक-एक कर पुकारूंगा। कृपया सहयोग करें। अब मैं डा. वी. सरोजा का नाम पुकारता हूँ।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

सभापति महोदय: मैंने पहले ही डा. वी. सरोजा को बोलने के लिए कह दिया है। कृपया सहयोग करें। कई माननीय सदस्यों ने सूचना दी है। मैं सबका नाम पुकारूंगा। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठिए।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, मैं यहां पर कीटापलायम पंचायत संघ के दलितों पर अत्याचार के संवेदनशील मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ी हुई हूं *...(व्यवधान)* तमिलनाडु में चिदम्बरम के निकट आयापल्ली गांव में उनके घरों व दुकानों को लूटा गया है। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज करने से इंकार कर दिया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर दंगा हो गया है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। कृपया बैठ जाइए। मैं आपका नाम पुकारूंगा। मैं आपको यह आश्वासन दे रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ ऑर्डर है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद, मैं आपको बाद में बोलने का मौका दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

डा. वी. सरोजा: दलित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के माध्यम से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हाल के लोक सभा चुनावों में 20,000 दलितों को मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रखा गया है। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 1.09 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए।]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं सबको बुलाऊंगा, आप बैठ जाइए, प्लीज।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा: भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य सूची का विषय है। आपराधिक मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच, उनका पता लगाना व उन्हें रोकना मुख्यतया राज्य सरकार का दायित्व है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं सबको बुलाऊंगा, पहले आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: पहले आप बैठ जाएं, मैं आपको बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा: तथापि, भारत सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार रोकना सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने पर ध्यान देने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह देती रहती है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बुलाऊंगा। कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

...(व्यवधान)

डा. वी. सरोजा: स्वतंत्र तथ्यान्वेषण लोक संगठन के अध्यक्ष श्री कृष्ण अय्यर ने इसकी पुष्टि की थी *...(व्यवधान)* उनके अनुसार गदि मताधिकार से वंचित रखा जाता है तो बन्दूक हावी हो जाती है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री यादव, कृपया बैठ जाइए।

डा. वी. सरोजा: इसलिए मैं सरकार से आग्रह करती हूँ तमिलनाडु में सत्तारूढ़ *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: महोदया, कृपया बैठ जाइए।

अपराह्न 1.11 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

संसदीय शिष्टाचार के पालन के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आज इस सदन में एक अशोभनीय घटना हुई जिसमें विपक्ष के एक सदस्य श्री देवेन्द्र सिंह यादव झपटकर सत्ता पक्ष की ओर लपके। मुझे मजबूर होकर यह

कहना पड़ रहा है कि सदस्य का आचरण संसदीय गरिमा के अनुकूल नहीं था। ऐसी घटनायें सदस्य के संसदीय आचरण को तो प्रतिबिम्बित करती ही है, साथ ही साथ सम्पूर्ण सदन की गरिमा को भी कम करती है।

मैं कठोरतम शब्दों में सदस्य के इस आचरण की निंदा करता हूं। सभी पार्टियों और ग्रुपों के नेताओं से मेरा अनुरोध है कि वे अपने सदस्यों को संसदीय गरिमा बनाये रखने की ताकीद करें। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि सभी सदस्य और मंत्रीगण अध्यक्षपीठ को ही सम्बोधित करें और सदन में चर्चा में भाग लेते समय सभा में संयम का परिचय दें। मैं समझता हूं कि यदि हम इस प्रकार की संसदीय परम्परा को बनाये रखेंगे तो भविष्य में सदन में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गीते, मैं आपका नाम पुकारूंगा।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, मेरा नाम पुकारा गया था। अभी मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में फलौदी में रेलवे के 40 वैगनों में गाय और बछड़े काटने के लिए बाहर भेजे जा रहे थे। वहां के लोगों ने गोहत्या रोकने के लिए इसको लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन किया। राजस्थान में गोहत्या पर प्रतिबंध है। मुझे वहां के लोगों से जानकारी मिली है कि वहां के पूर्व विधायक के नेतृत्व में फलौदी की जनता इसको लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रही थी और रेल को रोका गया था। रेलवे के अधिकारियों से यह मांग की गई कि जिस गाड़ी से गाय और बछड़े जा रहे हैं, उसको रोककर इन्हें उतार दिया जाए। इतने में ही कुछ लोगों ने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों पर पथराव करना शुरू कर दिया। रेलवे की पुलिस ने कुछ नहीं किया, वह सिर्फ देखती रही। *...(व्यवधान)* राजस्थान की सरकार ने भी उन पथराव कर रहे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच हमारे शिव सेना के प्रदेश अध्यक्ष मुरली बोहरा जी की निर्मम हत्या कर दी गई, उन्हें तलवार से काट दिया गया और उनकी लाश को रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया। रेलवे पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहां के एस.पी. ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके विपरीत जो लोग शांति से आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर डंडे बरसाए गए।

वहां वोहरा जी की हत्या की गई और वहां के एस.पी. इस कार्यवाही को रोकने की बजाए, जो हमला कर रहे थे, लाठीचार्ज कर रहे थे।*...(व्यवधान)* सभी विधायकों ने उनके खिलाफ कार्यवाही की एस.पी. से मांग की कि इसको रोका जाए, लेकिन एस.पी. ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी।*...(व्यवधान)* एस. पी. ने श्री वोहरा को बुलाया।*...(व्यवधान)* नेताओं के साथ बैठक हुई। सात घंटे तक जब वोहरा जी दिखाई नहीं दिए, वह कहीं मिले नहीं तो पूछताछ की गई। फिर सात घंटे के बाद एस.पी. ने कहा कि रेल के अंदर किसी की लाश पड़ी हुई है। वहां हमारे कार्यकर्ताओं ने जब वह लाश देखी तो पता चला कि वह वोहरा जी की लाश थी।*...(व्यवधान)* एस.पी. इस पूरे षडयंत्र में शामिल हो गए हैं। इसलिए हमने मांग की है कि उस एस.पी. का तुरंत वहां से तबादला होना चाहिए। महोदय, पूरे राजस्थान में आतंक फैला हुआ है।*...(व्यवधान)* वहां दंगे, आंदोलन होने की संभावना पैदा हो गई है।*...(व्यवधान)*

महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान की सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही है, इसलिए केन्द्र सरकार को इसमें दखल देने की आवश्यकता है। *...(व्यवधान)* राजस्थान की सरकार को निर्देश देना आवश्यक है। इसकी जांच होनी चाहिए। *...(व्यवधान)* इस पर उचित कार्यवाही होनी चाहिए। वहां जो दंगे होने जा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए केन्द्र को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने हमला किया, उन्हें एस.पी. बचा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया, साथ-साथ टिप्पणी मत कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई (जोधपुर): जोधपुर लोक सभा क्षेत्र फलोदी में परसों पूर्व विधायक बालकृष्ण थानवी के नेतृत्व में

[श्री जसवंत सिंह बिश्नोई]

कुछ लोग रेल की पटरी पर जाकर धरने पर बैठ गए, जिसमें मुरली वोहरा भी शामिल था। ये लोग सुबह नौ बजे से लेकर रात के आठ बजे तक धरने पर बैठे रहे। आठ बजे के करीब कुछ लोग तलवार लेकर गए और उन पर आक्रमण कर दिया, जिसमें मुरली वोहरा मारे गए। राजस्थान में रोज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। रोज एक हत्या, बलात्कार हो रहा है। बड़े दुख की बात है कि राजस्थान सरकार अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण दे रही है, इसके कारण प्रदेश में साम्प्रदायिक माहौल खराब हो गया है तथा फलौदी जैसे क्षेत्र में साम्प्रदायिक दंगे हो गए, इसके लिए राज्य सरकार दोषी है। इसलिए राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या सरकार कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट (दौसा): वे उस क्षेत्र के संसद सदस्य हैं। कृपया उनकी बात सुनें।

[हिन्दी]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लगातार अकाल पड़ता है। वहां इस साल भी अकाल पड़ा। वहां के लोगों का खाने-पीने का सबसे बड़ा धंधा पशुपालन है। मैं कहना चाहूंगा कि 70-80 परसैंट किसानों की रोजी-रोटी का साधन पशुपालन है। वहां पशुपालन का हर साल मेला लगता है। फलौदी में भी मेला लगा। मेले में सरकार की तरफ से सारा इंतजाम होता है। उन्होंने वहां बकरा भी खरीदा, बछड़ा भी खरीदा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह आपका काम नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 80 परसैंट खेती बैलों और ऊंटों से होती है। वह खेती के लिए उन्हें लेकर जा रहे थे। वहां ट्रैक्टर नहीं हैं। इन्होंने वहां पत्थरबाजी करवाई और किसानों की भावनाओं को भड़काया। *...(व्यवधान)* यह हिन्दू और मुसलमानों के बीच दंगा करवाना चाहते हैं।*...(व्यवधान)* यह किसानों के पेट पर लात मारना चाहते हैं।*...(व्यवधान)* यह कम्युनल हारमॉनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री जी उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले, बैठ जाइए। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष महोदय, फलौदी की इस घटना पर उत्तेजित सदस्यों को मैं इतना ही कह सकता हूं कि उन्होंने जो भी मुद्दे अभी सदन में उठाए, मैं केन्द्रीय गृह मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाऊंगा ताकि वह राजस्थान सरकार से इस संबंध में बात कर सकें।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं इस वातावरण में कैसे बोलूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले, अब मैं बोल रहा हूँ। आप पहले ही बोल चुके हैं। मुझे अध्यक्षपीठ ने बोलने की अनुमति दी है। कृपया मुझे बोलने दें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के अन्दर अशान्ति मची हुई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया है। कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं कैसे बोलूं? मंत्रीजी ने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है। राजग के घटक दल ऐसा कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? यदि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ऐसा करें तो मैं कैसे बोल सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने पहले ही उत्तर दे दिया है। कृपया इस तथ्य को समझें।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गुढे (अमरावती): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है ...*(व्यवधान)* राजस्थान सरकार को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यदि आप हमें बोलने नहीं देंगे तो हम भी आपको बोलने नहीं देंगे। हमें भी बोलने दीजिए। क्या बात है, क्या आप नहीं बोलेंगे? संसदीय कार्य मंत्री अपने सदस्यों को नियंत्रित करें। मैं कैसे बोलूं? ...*(व्यवधान)*

मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* वे क्या कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूं। वे मुझे बोलने से नहीं रोक सकते हैं? मुझे अभी बोलना है। वे मुझे बोलने से कैसे रोक सकते हैं? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह क्या है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यदि वे ऐसा करते हैं तो हम उन्हें भी बोलने नहीं देंगे। क्या यह कार्य करने का तरीका है। जब अध्यक्षपीठ ने मुझे बोलने की अनुमति दी है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सरकार पहले ही इसका उत्तर दे चुकी है ...*(व्यवधान)*

यह क्या तरीका है? आप ऐसा क्यों करते हैं। आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आज दिसम्बर माह की 22 तारीख है। सभा के स्थगित होने के लिए केवल एक दिन रह गया है। मैं सरकार का ध्यान एक अतिमहत्वपूर्ण मामले की ओर लाना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। सारा राष्ट्र महान जवानों को श्रद्धान्जलि अर्पित करता है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष महोदय, मैंने आज प्रात:काल पत्रों में खबर पढ़ी और राजस्थान के सांसदों से इस बारे में जानकारी प्राप्त की लेकिन प्रदेश सरकार से कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिली। यह अधिकृत जनकारी मिलने पर कल सदन को सूचना दूंगा। केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस प्रकार की परिस्थितियों में साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहे कि यदि कहीं भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो वहीं उस पर अंकुश लगाया जा सके, वह फैले नहीं। इसलिये मैं इतना ही कहूंगा कि प्रदेश सरकार से अधिकृत जानकारी प्राप्त करके सदन को सूचित करूंगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा समाप्त हो गया है कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सर, वहां कभी भी दंगे हो सकते हैं, एस.पी. ने खुद बोला है।...*(व्यवधान)* बोहरा जी की लाश पटरी पर मिली है, एस.पी. मिला हुआ है, उस पर दफा 302 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले जी, कृपया बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

अब, श्री दासमुंशी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आज 22 दिसंबर है। हमारे पास इस देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए केवल कल का एक दिन बचा है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और यह बताना चाहूंगा कि जब हमारे बहादुर जवान कारगिल में देश की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे तो पूरा देश अलग-अलग जाति-प्रजाति या धर्म के होते हुए भी इस संकट की घड़ी में सरकार के साथ एक चट्टान की तरह खड़ा था। पूरे राष्ट्र, सरकार और सभी राजनैतिक पार्टियों ने सशस्त्र सेना, वायु सेना और पैरामिलिटरी बलों के जवानों तथा उन नागरिकों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जिन्होंने कारगिल में अपनी जानें दीं।

जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा पाकिस्तान में सत्ता हथियाने के तुरंत बाद से पाकिस्तान लगातार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीमा पर धमकी देता रहा है और कई घटनाएं घट चुकी हैं। हमारे जवानों ने पाकिस्तान समर्थक घुसपैठियों के हाथों अपनी जानें दीं।

महोदय, स्वयं प्रधानमंत्री ने सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया था कि, जैसा कि कई स्थानों पर समाचार-पत्रों में बताया गया है यदि गुप्तचर सेवा में कोई चूक होगी तो श्री सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता वाली समिति इस पर विचार करेगी। समाचार-पत्रों में यह बताया गया था कि इस सत्र के शुरू होने से पहले श्री सुब्रह्मण्यम प्रधानमंत्री से मिले थे। यह पता नहीं है कि वे प्रधानमंत्री से इस रिपोर्ट के साथ मिले थे या इस रिपोर्ट के बिना। परंतु यह बताया गया था कि 15 दिसंबर तक इस रिपोर्ट को सरकार के समक्ष रख दिया जाएगा और संसद इस मामले पर चर्चा कर सकेगी। देश को यह जानने का पूरा अधिकार है कि इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में देर क्यों हुई। कल संसद का सत्र समाप्त हो जाएगा, और हम जल्दी ही अगली सहस्राब्दि में प्रवेश कर रहे हैं।

यह बात पाकिस्तान की भारी धमकी को देखते हुए भी महत्वपूर्ण है। अगर गुप्तचर विभाग या अन्य किसी क्षेत्र में कोई कमी दिखाई देती है तो सेवा का उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार को, सभा के पूरे विश्वास के साथ ऐसी कमियों को दूर करने की स्थिति में होना चाहिए जिससे भविष्य में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो देश स्थिति को समझ सके, सेना स्थिति को समझ सके और वायुसेना स्थिति को समझ सके तथा गुप्तचर के मामले में एक प्रकार का समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।

महोदय, मैंने प्रसार भारती के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी को एक पत्र लिखा था ताकि दूरदर्शन द्वारा 23 नवंबर को समाचार प्रसारण की एक प्रति मिल सके कि रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। अंत में, यह पाया गया कि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए मैंने प्रमुख कार्यकारी अधिकारी को उसकी शब्दश: प्रति देने के लिए कहा। मुझे आज तक वह नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास छियासठ नाम हैं। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं एक मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करूंगा।

यह बताया गया था कि कारगिल मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले श्री सुब्रह्मण्यम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे। हम माननीय प्रधानमंत्री की निष्ठा पर प्रश्न नहीं करते। वे इस सभा के नेता हैं और वे प्रधानमंत्री हैं। परंतु औचित्य की मांग यह है कि ऐसी रिपोर्ट पूरी करने से पहले आमतौर पर समिति का प्रमुख प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री के साथ वार्ता नहीं करता। ऐसा हुआ था कि वे प्रधानमंत्री से मिले थे। समाचार-पत्रों में यह बताया गया है और सरकार के प्रवक्ता ने इसका खंडन नहीं किया था। यह भी बताया गया था कि 15 दिसंबर तक सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। आज 22 दिसंबर हो गया है। मैं सरकार से सही स्थिति जानना चाहूंगा कि बताई गई बात सही है या नहीं और यह भी कि इस देश को समिति के निष्कर्षों के बारे में कब पता लगेगा क्योंकि यह देश इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक है क्योंकि इसे पाकिस्तान से एक बार फिर भारी धमकी मिल चुकी है। मैं जानता हूं कि रक्षा मंत्री उत्तर देंगे, 'सब कुछ तैयार होगा। हमें अपनी सेना पर गर्व है हमें अपनी

वायुसेना पर गर्व है, हमें अपनी पैरामिलिटरी सेना पर गर्व है क्योंकि उन्होंने एक बार फिर अपने जीवन का बलिदान कर दिया। हम केवल नीति बनाते हैं, परंतु वे लोग अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं और वे शहीद हो जाते हैं। हम उन्हें सलाम करते हैं।

भविष्य में उनका मनोबल बनाए रखने के लिए देश की यह मांग है कि रिपोर्ट को जितनी जल्दी हो सके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार अभी तक इस रिपोर्ट को नहीं ला सकी है।

अध्यक्ष महोदय : पीठाध्यक्ष ने अभी-अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को कहा था कि पीठासीन अधिकारी को संबोधित करें, सदस्यों को नहीं क्योंकि इससे समस्याएं पैदा होती हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैंने पीठासीन अधिकारी को संबोधित किया था।

मैंने ऐसा किया, यह बात नहीं है। मैंने केवल आपको संबोधित किया है। महोदय, मैं हमेशा आप को संबोधित करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं भी उनकी बात से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप भी उनके साथ सहमत हो सकते हैं।

अपराह्न 1.35 बजे

भारतीय वायुसेना के विमानों, विशेषत: मिग विमानों की दुर्घटनाओं में वृद्धि के बारे में

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर विस्तार से चर्चा करना चाहता था परन्तु आप बहुत उदार हैं कि आपने मुझे इसे उठाने की अनुमति दी और माननीय रक्षा मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे सके। हम सभी को देश के बारे में गंभीर चिन्ता है कि भारतीय वायुसेना के विमानों, विशेषकर मिग विमानों में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। हमने अच्छे पायलट खो दिए हैं। हमने इस वर्ष लगभग 18 वायुयान खो दिए हैं और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मुझे लगता है कि 18 में से 15 मिग विमान हैं। मुझे याद है कि यह वायुयान व्यक्ति और मशीन के साथ उड़ रहा था। व्यक्ति और मशीन को दुरुस्त होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि इन वायुयानों की ये मशीनें 35 से 36 वर्ष पुरानी हैं। वे 35 वर्ष पुरानी है। उन्होंने मिग स्क्वैड्रान के 20 स्क्वैड्रान पार कर लिए हैं। उन्होंने अपनी डिजाइन सीमा पार कर ली है और वे निर्धारित समय के बाद भी कार्य कर रही हैं। पायलटों को इसकी जानकारी है।

मैं एक पायलट रह चुका हूं। जब मैं वायुयान में बैठता हूं तो मेरा मनोबल सही होता है। परन्तु मैं यह भी जानता हूं कि मशीन उतनी दुरुस्त नहीं है जितनी मुझे चाहिए। इसलिए यह एक चिंता का विषय है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुझे बताया गया है कि उन्हें प्रत्येक फ्लाइंग मशीन और मिग विमान के लिए अतिरिक्त कल-पुर्जे तक नहीं मिल रहे हैं। मुझे इसका कारण नहीं पता। मैं नहीं जानता कि क्या इसका कारण समझौते में कमी है या वित्तीय समस्या।

मुझे यह भी बताया गया है कि उन्नत जेट ट्रेनर की खरीद का काम लंबित पड़ा है। ठीक है, मैं यह भी मानता हूं क्योंकि हमारी सरकार के समय भी इस पर चर्चा की गई थी। यह एक बात है। प्रतिक्रियाओं और क्रियाओं में बहुत अधिक परिवर्तन आता है जब कोई पायलट किरण, जोकि एक जेट ट्रेनर है, से सीधे मिग उड़ाने लगता है। माननीय रक्षा मंत्री इस बात को समझेंगे। मैंने किरण उड़ाया है। मैं मिग विमान में बैठा हूं। किरण और मिग विमानों की तुलना नहीं हो सकती। उन्नत जेट ट्रेनर की मांग होती रही है। मुझे याद है जब 1982-83 में ला फोंटेन एयर चीफ मार्शल थे तो उन्होंने इसकी सिफारिश की थी। सरकार ने इसे मान लिया था परंतु अभी तक उन्नत जेट ट्रेनर को नहीं खरीदा गया है। यही पहली बात है। मैं समझता हूं कि यह देश किरण से और जगुआर में परिवर्तन करने जैसे परिवर्तन अचानक करती है। हमारी वायु सेना के बहादुर पायलट इसका सामना कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि 1995 में जब हम सत्ता में थे तो हमने आत्मनिर्भरता की शुरुआत की थी। हमने इन बातों में 30 प्रतिशत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली थी। हमने यह वचन दिया था कि हम 70 प्रतिशत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे। मैं माननीय मंत्री से आत्मनिर्भरता में हुई प्रगति के बारे में जानना चाहता हूं। क्या आपने वास्तव में आत्मनिर्भरता 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक कर ली है? या हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में 30 प्रतिशत से कम ही हैं। ये सभी रक्षा के क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं।

अंतिम बात उस व्यक्ति के बारे में है जो काकपिट में बैठता है। मुझे यह जानकारी है कि वायु सेना में पायलटों और निचले स्तर के अन्य अधिकारियों की संख्या में 10 प्रतिशत की कमी है। क्या सरकार को इस कमी की जानकारी है? यह कमी क्यों है? और पायलट क्यों नहीं आ रहे हैं? रक्षा सेवाओं में अधिकारी क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी-अभी मेरे मित्र श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने बताया कि देश की रक्षा और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।

पूरी संसद ने पांचवें वेतन आयोग पर चर्चा की। और हम सभी के इसे पारित कर दिया था। महोदय, मुझे बताया गया है कि पायलटों को उड़ान के दौरान मिलने वाले वेतन को अभी तक

[श्री राजेश पायलट]

लागू नहीं किया गया है। इस संबंध में कुछ विवाद थे। श्री मुलायम सिंह यादव यहां उपस्थित नहीं हैं। वे उस समय रक्षा मंत्री थे। रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने 2 वर्ष पहले रिपोर्ट भी दे दी थी। अभी भी पायलटों को उड़ान के दौरान मिलने वाले वेतन का फैसला नहीं किया गया है।

अब उस काकपिट में बैठे व्यक्ति के मनोबल की कल्पना करें। वह क्या महसूस कर रहा होगा? उसके पास उड़ाने के लिए मशीन नहीं है। उसके पास दुरुस्त मशीन नहीं है; और आप उसके मनोबल की कल्पना कीजिए। वह अच्छी तरह जानता है कि सरकार को उसकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप इसकी तुलना सिविल विमानचालकों से करें। यदि सिविल विमान चालक विमान दुर्घटनाओं के कारण सेवा के लिए असमर्थ घोषित कर दिया जाता है तो उसके लाइसेंस का कुछ लाख रुपए का बीमा होता है किंतु वायु सेना में विमान चालक का लाइसेंस रद्द किया जाता है। मैं नहीं जानता कि उसे कुछ मिलता है या नहीं सिवाए इसके कि उसकी शाखा बदल दी जाती है और वह वायु सेना में बना रहता है।

मैंने इस सूचना को यहां सरकार का ध्यान आकर्षित करने और उनकी चिन्ता जताने के लिए रखा है ताकि सरकार मशीन व व्यक्ति दोनों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे और हमारी वायु सेना के विमान चालक राष्ट्र की रक्षा करने के लिए चुस्त-दुरुस्त रहें। मेरे विचार से मंत्री जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे।

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। यह मुद्दा प्रश्नों या ऐसे हस्तक्षेप के माध्यम से कई बार इस सभा में उठाया गया है।

मैं वक्तव्य देने के बजाए माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों का एक-एक कर उत्तर दूंगा। जहां तक पायलटों की संख्या और कमी का संबंध है वर्तमान में भारतीय वायु सेना में पायलटों के कुल स्वीकृत पदों में से 95.9 प्रतिशत पद भरे हुए हैं। जहां तक कम्बैट स्क्वाड्रन का संबंध है उनमें पायलटों के पद शत-प्रतिशत भरे हुए हैं। अत: पायलटों की कोई कमी नहीं।

जहां तक कम्बैट स्क्वाड्रन का संबंध है हमारी वायुसेना पूरी तरह सुसज्जित है। मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भर्ती और तैनाती दोनों मामलों में किसी प्रकार की शिथिलता या कमी नहीं है। तथापि इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि वायु सेना में बेहतर प्रतिभाएं आए। इसीलिए जिन 60 पायलटों को प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है उनमें से अधिकतर को परिवहन स्क्वाड्रन और हेलीकाप्टर स्क्वाड्रन में शामिल किया जाता है। लड़ाकू पायलटों के लिए हम सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभाओं को चुनते हैं।

जहां तक दुर्घटनाओं का संबंध है यह सच है कि भारी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये दुर्घटनाएं तब भी हो रही थी जब मिग विमान 20 वर्ष से कम पुराने थे और शायद जब वे 10 वर्ष पुराने थे। वस्तुत: साठ के दशक में प्रतिवर्ष औसतन 40 दुर्घटनाएं होती थी बाद के दो दशकों अर्थात सत्तर व अस्सी के दशक में औसतन 30 दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष हुई। इस दशक में जो अब समाप्त हो रहा है दुर्घटनाओं का औसत 22 रहा है। अत: कुल मिलाकर ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: कृपया, आप उड़ान घंटे कार्य में तुलना को स्पष्ट करें। आपके द्वारा गठित कार्यबल ने 1960 की तुलना में 1999 में उड़ान कार्य घंटों को कम कर दिया है। साठ के दशक में स्क्वाड्रन का उड़ान कार्य काफी अधिक होता था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: ठीक है, मेरे विचार से साठ के दशक की तुलना में आज हमारे यहां एक विशाल वायु सेना है।

श्री राजेश पायलट: उड़ान कार्य कम कर दिया गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: इसमें उड़ान कार्य भी शामिल है। विगत वर्षों में विभिन्न कारणों से हमारी वायु सेना में सुधार हुआ है। क्योंकि साठ के दशक में हमारी वायु सेना नवयौवन थी जो सीख रही थी, प्रशिक्षण ले रही थी और गलतियां कर रही थी। सत्तर के दशक में इसमें सुधार हुआ। अस्सी के दशक में इसमें और सुधार हुआ और इस दशक में इसने क्षमता प्राप्त की है जिसका प्रदर्शन आपने देखा है। आप पायलट रह चुके हैं और आपने कार्यवाही देखी है और आप जानते हैं कि कैसे...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): वे राजेश पायलट हैं ...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: हां, श्री राजेश पायलट ने अपना उपनाम उसी से लिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से वे राजनीतिक पायलट हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नांडीज: अत:, केवल उड़ान कार्य ही नहीं है। आज पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है। मशीनों को संचालित करने वाले व्यक्ति की गुणवत्ता में सुधार के कारण इन दुर्घटनाओं में कमी हुई है।

अब मैं इस बिन्दु पर आता हूँ कि आपने कहा है कि जिस विमान की दुर्घटना होती है वह अनिवार्यत: मिग श्रेणी का विमान होता है या बड़ी संख्या में मिग श्रेणी के विमानों की दुर्घटनाएं हुई हैं। आपने कहा है कि जो 18 विमान दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें से 15 मिग श्रेणी के थे। हमारी वायु सेना में लगभग 80 प्रतिशत विमान मिग श्रेणी के है। हमारी वायु सेना में मिग-2 से मिग-29 तक के तीन मिग श्रेणियों के विमान हैं। अत:, कार्यवाही चाहे प्रशिक्षण हो या अन्य क्षेत्र हों, अधिकतर ये ही विमान होते हैं। माननीय सदस्य स्वयं भी उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान न होने के कारण वास्तविक समस्या से परिचित हैं।

उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान ऐसा विषय है जिसके बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने काफी समय तक छानबीन की। रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने इस विषय पर लगभग चार वर्षों तक विचार किया और अन्तत: इस वर्ष के आरंभ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। महोदय, उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान का प्रस्ताव 1982 में रखा गया था और वायु सेना इस विमान की पहचान के लिए तुरंत हरकत में आई थी वह बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान को तलाशने लगी क्योंकि इस विमान का अनिवार्यत: आयात किया जाना था। इसके पीछे यह विचार था कि इन विमानों को विदेशों से आयात किया जाए क्योंकि हम इन विमानों का विनिर्माण नही करते हैं। किंतु 1982 से आज तक हम इन उन्नत जेट प्रशिक्षण विमानों को नहीं खरीद सके हैं। पिछले वर्ष जब यह मुद्दा मेरे सामने आया तो हमने इस पर पहले की तुलना में शीघ्रता से कार्य करना शुरू किया। मैं समझता हूँ कि पैसा एक कारण है। किंतु चाहे कारण जो भी रहे हों किंतु इस मामले पर लगभग दस या बारह वर्षों तक उतनी तत्परता से ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। अब हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जहां पर पहले उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान खरीदने के लिए दो विमानों को चुना गया था और पुन: उन्हीं दो विभागों को चुना गया है। यही नहीं हमने एक समिति भी गठित की है और मैं स्वयं उस समिति का चेयरमैन हूँ ताकि हम इस बारे में शीघ्रता से निर्णय ले सकें। अत: इन विमानों की पहचान कर ली गई है और अब उपलब्ध विमानों में से चुनाव करना है। वायु सेना ने कुछ मानकों को अपनाया है और उन मानकों के आधार पर वायु सेना इस बात का मूल्यांकन कर रही है कि इन दो विकल्पों में से कौन सा बेहतर होगा। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री और अन्य सदस्य जो हमारी रक्षा आवश्यकता की इस शाखा से परिचित हैं, जानते हैं कि ये दोनों विमान क्षमता की दृष्टि से कमोबेश समतुल्य हैं। किंतु कुछ अन्य कारण भी हैं जिन पर भी विचार किया जाएगा। वायु सेना यह कार्य रक्षा मंत्रालय के साथ घनिष्ठ सहयोग से कर रहा है। जैसा मैंने कहा है कि हमने स्वयं रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है और उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान खरीदने के बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। इन वर्षों में जो भी कठिनाइयां महसूस की गई हैं, जिनसे मेरे प्रिय मित्र व माननीय सदस्य राजेश पायलट सही ही उद्वेलित हुए हैं, मुझे विश्वास है कि हम उन्हें अविलम्ब दूर कर देंगे।

आत्मनिर्भरता और क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या स्थिर हैं, इस बारे में भी बातें उठाई गई थी। जी हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं। वायुसेना की कार्यशालाएं, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड वायु सेना की आवश्यकताओं के स्वदेशीकरण के कार्य में लगे हैं और कुछ क्षेत्रों में निजी क्षेत्र भी उन अतिरिक्त कल-पुर्जों का विनिर्माण कर रहा है जिनका हम काफी समय से आयात कर रहे थे। मैं इस बारे में प्रतिशतता के बारे में निश्चित तौर पर नहीं बता सकता हूं कि हम 30 प्रतिशत से आगे कहां तक पहुंचे हैं किंतु मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूँ कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।

महोदय, वेतन या वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से उपजी विसंगतियों पर ध्यान देने की समस्या भी है।

महोदय, रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति ने समय से अपनी रिपोर्ट दे दी थी। वह रिपोर्ट फिर एक ग्रुप को सौंपी गई जिसमें तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष शामिल थे। उनके द्वारा उस रिपोर्ट की पुनरीक्षा करने के बाद यह रिपोर्ट मंत्रीमंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट में की गई कुछ सिफारिशों पर निर्णय लिया गया है। उन सिफारिशों के दो पहलुओं पर अभी निर्णय लिया जाना लंबित है। मंत्रियों का ग्रुप इस पर विचार कर रहा है। अगले कुछ सप्ताहों में इस मामले का समाधान हो जाएगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): कारगिल रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय, माननीय सदस्य ने यह मुद्दा पिछले सप्ताह शून्यकाल के दौरान उठाया था। उस समय मैंने कहा था कि अभी यह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जब यह रिपोर्ट प्राप्त होगी, सरकार इस पर विचार करेगी और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ने विस्तृत उत्तर दिया है।

अब श्री अशोक प्रधान बोलेंगे।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मैं एक अन्य मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका नाम पुकारूंगा।

अपराह्न 1.52 बजे

सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के मानकों में ढील दिए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को नौकरियों में पदोन्नति पर आरक्षण में जो पिछली सरकारों के समय हुआ और उच्चतम न्यायालय की ओर से जो रोक लगाई गई, उसमें पांच आदेश जारी किये गये, उसके विषय में मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले दिनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सारे वर्गों में इस बात की बहुत चर्चा रही, लेकिन जब से हमारी यह सरकार आई है। आज इस समय मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और सरकार को धनय्वाद देना चाहूंगा कि पिछले सैशन के अन्दर एक फैसला लिया गया और सैशन में कहा गया कि इस संबंध में एक स्पेशल कन्वेंशन बुलाई जायेगी, एक अधिवेशन बुलाया जायेगा, जिसमें व्यापक रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विषय में पूरी चर्चा होगी। वह सरकार ने पांच, छः और सात दिसम्बर को बुलाया। उसमें आदरणीय प्रधान मंत्री जी स्वयं आये, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और उसके बाद बहुत ही अच्छे ढंग से एक मैसेज, एक संदेश पूरे देश में गया। प्रधान मंत्री जी ने खुद कहा...*(व्यवधान)* उस पर अमल हो रहा है।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उस विषय में कहा कि हमारी सरकार और मैं इस विषय में गम्भीरतापूर्वक सोच रहे हैं। इसमें संविधान में हमें संशोधन करना पड़ेगा। हमारी सरकार उसमें संशोधन करेगी।

मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि वह व्यापक रूप से एक सर्वदलीय सम्मेलन था और सब ने उसमें चर्चा की है। उसमें सारी राजनैतिक पार्टियों के सदस्य थे। उसमें पूरी तरह इस पर चर्चा हुई है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उसमें समस्त रूप से कहा है, मैं उनके भाषण की दो लाइन पढ़ना चाहूंगा, "अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हितों को...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रधान, बैठ जाइये।

श्री अशोक प्रधान: मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी से सिर्फ यह गुजारिश करूंगा कि उस समय संविधान में संशोधन करने की जो बात थी, उस संविधान संशोधन को कब तक यहां ला रहे हैं, उसके विषय में दो शब्द कहें? यह सत्र कल खत्म हो रहा है। कल इस सैशन का आखिरी दिन है। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी से कहूंगा कि कल तक इसकी घोषणा कर दें, जिससे कि पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाये। यह सरकार इस बात को स्वीकार करे। धन्यवाद।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): इस पर देश में बड़ी-बड़ी रैलियां हुई हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को उड़ाया जा रहा है और ये संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये, प्रधान मंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा सरकारी सेवा में आरक्षण के बारे में जारी किए गए कतिपय कार्यात्मक दिशानिर्देशों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में असंतोष पैदा हो गया है। इन दिशा-निर्देशों को तत्कालीन सरकार ने उच्चतम न्यायालय की कतिपय घोषणाओं के बाद जारी किया था।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि 12वीं लोक सभा में इस सभापटल पर दिए गए मेरे आश्वासन के अनुसरण में हमारी सरकार ने इन दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए पहले ही कुछ कदम उठा दिए हैं।

एक कार्यालय ज्ञापन के विषय में मंत्रीमंडल ने 21 दिसम्बर, 1999 को हुई बैठक में राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के मामले में उत्तीर्णांक और मूल्यांकन के मानदंडों में ढील को बहाल रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 335 में एक परन्तुक सम्मिलित करने के बारे में एक संविधान संशोधन विधेयक लाने की स्वीकृति दे दी है। स्मरणीय है कि इस ढील को कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा 22.7.1997 को एस. विनोद कुमार बनाम भारतीय संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के 1.10.1996 के निर्णय के अनुसरण में जारी अनुदेशों के अनुसार वापस ले लिया गया था। मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से भी मंत्रणा की गई थी और आयोग ने प्रस्तावित संशोधन के प्रति अपनी आशंकाएं जाहिर की थी। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक को संसद में यथा शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।

एक और संविधान संशोधन लाने का प्रस्ताव है जिसमें यह संभव हो जाएगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षित बकाया पदों को विशेष भर्ती अभियान के तहत भरा जा सके। यह प्रस्ताव अपने अंतिम चरण में है।

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने, दिनांक 16.9.1999 को दिए अपने हाल के निर्णय में अपने पूर्व निर्णयों को दोहराया। यह निर्णय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के सिद्धान्त से संबंधित है। इस निर्णय के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर अध्ययन किया जा रहा है ताकि एक ऐसा संविधान संशोधन लाया जाए जिससे इन निर्णयों से पूर्व व्याप्त वरिष्ठता सिद्धान्त बहाल किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि यह सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और उनके उत्थान के लिए हर संभव कदम उठाएगी।

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.58 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.35 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.35 बजे पुन: समवेत हुई

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

गुजरात के सूरत जिले में हलमोदी गाँव में मंदिर के शिलान्यास से उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव के बारे में

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: शून्यकाल अब समाप्त होता है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूँ। मैंने सूचना भी दी है।

सभापति महोदय: कई माननीय सदस्यों ने सूचना दी है।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, गुजरात में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।

सभापति महोदय: यह संभव नहीं है। आप यह मामला कल उठा सकते हैं

...(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप: महोदय, यह काफी संवेदनशील मामला है। वहाँ शिलान्यास होने वाला है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मलियादुतुराई): महोदय, धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का हिस्सा है। हमारे संविधान पर गुजरात और साथ ही कर्नाटक में चोट की जा रही है। आप शून्य काल को कुछ मिनट के लिए बढ़ाइए जिससे हम इस मामले को उठा सकें *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह इसे कल भी उठा सकते हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर: कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा का मामला भी ऐसा है जिसे टाला नहीं जा सकता।

सभापति महोदय: श्री कुरुप, आप कृपया संक्षिप्त में बोल कर अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश कुरुप: गुजरात सरकार ने हिन्दू जागरण मंच और विश्व हिन्दू परिषद को सूरत के निकट एक गाँव में शिलान्यास की अनुमति दी है। वह स्थान विवादास्पद है...*(व्यवधान)* संपूर्ण ईसाई समुदाय ने इसका विरोध किया। कुछ समय से संघ परिवार गुजरात के ईसाई समुदाय को अपना निशाना बना रहा है...*(व्यवधान)* पिछले क्रिसमस के समय गुजरात के डांग जिले में, ईसाई समुदाय पर हमला किया गया था।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अब समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप: वहाँ चर्चों पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया।

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर): यह कोई मामला नहीं है। वे इसका मामला बनाना चाहते हैं ।

सभापति महोदय: श्री मणि शंकर अय्यर, मैं आपको इस विषय पर अब वाद-विवाद की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने के लिए थोड़ा-सा वक्त और दें।

सभापति महोदय: ठीक है, आपको केवल अपनी बात पूरी करनी है।

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं केवल एक वाक्य में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन: यह कोई मुद्दा ही नहीं बनता। वे गुजरात की सरकार को ईसाई विरोधी सरकार के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अनावश्यक रूप से हिन्दुओं और ईसाईयों के बीच तनाव उत्पन्न होगा...*(व्यवधान)* संपूर्ण भारत में तनाव उत्पन्न करने की यह एक खतरनाक साजिश है। इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए...*(व्यवधान)*

महोदय, वे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं इस संसद का सदस्य हूँ। उन्हें पता होना चाहिए कि केवल संसद सदस्य ही सभा में प्रवेश कर सकता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूड़ी (छपरा): सभापति महोदय, किस नियम के अंतर्गत यह सब चल रहा है?

सभापति महोदय: मैं अब श्री इन्द्रजीत गुप्त का नाम पुकार रहा हूं। प्रभुनाथ सिंह जी, आप बैठिये।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए।

सभापति महोदय: नहीं, पहले आप बैठिए। सभी नहीं सुनेंगे। आप पहले बैठिये, तब सुनेंगे।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, इनके बोलने के बाद हमें मौका दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं अब सभी को अनुमति नहीं दे सकता। यह वाद-विवाद नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री इंद्रजीत गुप्त (मिदनापुर): क्या कृपया आप एक मिनट के लिए सुनेंगे? आप एक साथ सभी सदस्यों से बातें कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

मैं यह कह रहा हूँ कि जिस घटना का उल्लेख किया गया है और जिसे प्रेस ने विस्तृत रूप से छापा इससे और कुछ नहीं केवल सांप्रदायिक तनाव ही फैलेगा।

इस देश में जिस किसी कारण भी सांप्रदायिक तनाव फैलता है तो उक्त कारण पर सभा का ध्यान जाना चाहिए, यह स्थिति सभा के लिए चिन्ता का विषय बन जाती है, विशेषकर जो कुछ गुजरात में हाल ही में घटित हुआ उस परिप्रेक्ष्य में यह सभा की चिन्ता का विषय है। ऐसी कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। मेरे माननीय मित्र यह सोचते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। उनके अनुसार यह हमारे ही दिमाग की उपज है। सदस्य कह रहे हैं कि यह कोई मामला ही नहीं है। यह कोई मुद्दा ही नहीं है तो प्रधानमंत्री वहाँ क्यों गए? मैं यह जानना चाहता हूँ। यह काफी चिन्ता का विषय है। हम केवल सही स्थिति जानना चाहते हैं क्योंकि गुजरात सरकार ने कुछ ऐसा किया है जो उन्हें मेरे विचार से, नहीं होना चाहिए था। वे सांप्रदायिक तनाव को फैलाने में मदद नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि यह मामला इस तरह सुलझाया गया है *...(व्यवधान)* गृह मंत्री यहाँ उपस्थित हैं।

सभापति महोदय: मैं मंत्रीजी को प्रतिक्रिया देने का निर्देश नहीं दे सकता हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं जो कुछ भी श्री कुरूप ने कहा उससे स्वयं को सम्बद्ध करना चाहता हूँ

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: आपको होम मिनिस्टर को बुलाने से पहले सबको सुनना चाहिए था।

सभापति महोदय: सबको सुनने की जरूरत नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: उधर सुनने की क्या जरूरत थी। उधर सुनने की जरूरत है तो इधर भी सुनने की जरूरत महसूस कीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सुन रहे हैं। होम मिनिस्टर रीएक्ट कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): हमने सूचना दी थी इसलिए बार-बार निवेदन कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप यहां रहते हैं तो सबसे ज्यादा सुनाते हैं।...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): सभापति महोदय, कुछ दिन पूर्व दक्षिण गुजरात में दो कार्यक्रमों की घोषणा हुई— एक जिला डांग और दूसरी जिला सूरत में। डांग की घोषणा यह थी कि 25 दिसम्बर को, जिस दिन क्रिसमस है, वहां पर एक पब्लिक मीटिंग होगी जिसे कारवार पीठ, महाराष्ट्र के जगद्गुरु शंकराचार्य संबोधित करेंगे। दूसरी घोषणा यह हुई कि सूरत जिले के देवरा तालुका में हालमोदी नाम का एक गांव है, वहां राम मंदिर के लिए 24 तारीख को भूमि पूजन होगा। जब इन दोनों कार्यक्रमों की घोषणा हुई तो गुजरात सरकार ने तुरंत नोटिस लिया और इस बात की जानकारी करने की कोशिश की और दोनों तरफ का जो संबंधित नेतृत्व था, क्योंकि जैसे हालमोदी है, सात सौ की बस्ती है, छोटा सा गांव है लेकिन उसमें आधे ईसाई हैं, आधे हिन्दू हैं। पिछले साल डांग में कुछ घटनाएं हुई थी जिनका जिक्र अभी-अभी श्री इन्द्रजीत ने किया और जिसके बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां गए। इसलिए गुजरात सरकार भी इसके बारे में स्वयं सतर्क थी कि वैसी कोई घटना न हो। इसलिए दोनों पक्षों को बुलाकर उनसे बातचीत करके उन्होंने समझौते करवाए जिसके कारण सारी शांति फिर से स्थापित हो गई और यह तय हुआ कि 25 तारीख को जो पब्लिक मीटिंग होने वाली थी, वह नहीं होगी। यह तय हुआ कि जो मंदिर बनाने की बात है, उसमें भी स्थान का विवाद नहीं होना चाहिए और उसके लिए जो स्थान चुना गया, वह सबकी सहमति से हो, उसमें कोई वाद-विवाद नहीं होगा, वहां के ईसाईयों को भी कोई विरोध नहीं है और मेरा अंदाजा है, मैं जानकारी करता हूं, अभी वह कार्यक्रम शांतिपूर्वक सम्पन्न हो चुका होगा क्योंकि उन्होंने कहा कि 24 तारीख की बजाए आप 22 तारीख को कर लीजिए। उन्होंने 22 तारीख को कर लिया। उन्होंने जो भी हस्तक्षेप किया, उसके आधार पर दोनों के बीच समझौते करवाए। समझौते के आधार पर निर्विवाद रूप से कार्यक्रम किए। इसके कारण उनका साधुवाद करना चाहिए, उस पर शिकायत करने का कारण नहीं है।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान के पाली जिले में बड़बिलारा रेल लाइन का कार्य शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पुष्प जैन (पाली): सभापति महोदय, राजस्थान प्रान्त में पाली जिला मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। पाली जिले में जैतारण उपखण्ड ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। इसी उपखण्ड की वीर प्रसूता भूमि पर गिरी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं अपनी पूरी सल्तनत खो देता। इसी उपखण्ड में भक्त शिरोमणी मीराबाई का भी जन्म हुआ था। इसी क्षेत्र में रायड़ा, जीरा, मिर्च व गेहूं की रिकार्ड फसल होती है। खनिज की दृष्टि से भी यहां लाइम स्टोन के भरपूर भण्डार विद्यमान है। इसके साथ ही हजारों की संख्या में इस क्षेत्र के लोग प्रतिदिन दक्षिण व उत्तर भारत में आते-जाते हैं। पिछले 50 वर्षों से इस क्षेत्र की जनता की मांग है कि इसे रेल मार्ग से जोड़ा जाये। पूर्व में 1997 में तत्कालीन रेल मंत्री ने बर बिलाड़ा रेल लाइन की घोषणा भी की थी, परन्तु अभी तक वहां कोई कार्य नहीं हुआ है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बर-बिलाड़ा रेल लाइन का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाये।

(दो) गुजरात में दमनगंगा नदी और उसके आस-पास के क्षेत्र को विष-विहीन करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): मैं पर्यावरण और वन मंत्री का ध्यान दिनांक 16.12.1999 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहूँगा जो कि गुजरात में तीन खतरनाक विषयुक्त स्थानों के बारे में पता चलने की बात कही गई है। इन क्षेत्रों में भरूच जिले में अंकलेश्वर औद्योगिक क्षेत्र और वड़ोदरा जिले का नान्देसारी क्षेत्र शामिल है जैसा कि ग्रीन पीस इन्टरनेशनल की जानकारी से विदित होता है।

यह देखा गया है कि 600 से ज्यादा रासायनिक उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थों को दमन नदी में छोड़ा जाता है। ग्रीन पीस के कार्यकर्त्ताओं ने भावनगर जिले में अलंग में स्थित विश्व के सबसे बड़े 'शिप ब्रीफिंग यार्ड' में लाये जा रहे जहाज, जिसमें जहरीले अपशिष्ट पदार्थ भरे थे, के चारों ओर पंक्तिबद्ध होकर विरोध किया। अलंग बन्दरगाह पर तीन कार्यकर्ताओं का उस समय मारे जाने का समाचार है। जब वे जहाज के ऐसे चैम्बर में प्रवेश कर रहे थे जिसमें रिस रही कार्बन मोनोआक्साइड एकत्रित थी। स्थानीय पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोक हित याचिका दायर की है, जो गुजरात उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

दमनगंगा नदी तल से एकत्र किए गए मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण से अत्यधिक जहरीले पदार्थों के मौजूद होने का पता चला है।

यह लोक हित का महत्वपूर्ण मामला है और इसलिए मैं केन्द्र सरकार से प्रभावी और तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं।

(तीन) महाराष्ट्र के इरन्दोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर डाक सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील (इरन्दोल): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र एरंडोल में 3000 की जनसंख्या से ज्यादा जनसंख्या के कई गांव हैं। इन गांवों में पोस्ट आफिस खोलने के बारे में जो शर्तें हैं, वे सब पूरी होने पर भी वहां पोस्ट आफिस नहीं खोले जा रहे हैं। आबादी की शर्तें भी पूर्ण होती है। मेरे क्षेत्र का इस बारे में संशोधन भी हो चुका है। इस बारे में बार-बार यादें भी दिलाई गई है, लेकिन अब तक कोई उचित कदम उठाये न जाने से बहुत से गांवों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इससे लोगों में गैर-समझ फैल रही है।

पोस्ट आफिस में कई जगह स्टाफ की कमी है, उदाहरणार्थ भड़गांव, पाचोरा, इन जगहों पर पोस्टमैन बहुत ही कम हैं। दूसरा स्टाफ भी बहुत कम होने से लोगों को कठिनाई आती है। वहां कई सुविधाएं भी बहुत ही कम हैं।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस सब मामले की जांच कराकर सुविधाएं प्राप्त कराने का कष्ट करें।

(चार) बिहार में पटना और सोनपुर के बीच गंगा नदी पर रेल पुल के निर्माण को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): बिहार में पटना और सोनपुर के बीच गंगा नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है और रेल मंत्रालय ने सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है। रुड़की में माडल निर्माण परीक्षण का कार्य चल रहा है, लेकिन पुल के निर्माण में वर्षों से चल रही धीमी प्रगति के कारण उत्तर बिहार की जनता की परेशानियां बढ़ी हैं। इस परियोजना को जल्दी स्वीकृति और आगामी बजट (2000-2001) में आवश्यक वित्तीय प्रावधान किए जाने और प्रशासनिक दृष्टि से समूचे काम को हाजीपुर में नवनिर्मित क्षेत्रीय मुख्यालय को स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता है। इस पुल का निर्माण देश की सामरिक सुरक्षा, न केवल उत्तर बिहार बल्कि चीन की सीमा पर पूर्वोत्तर क्षेत्रों के हित में भी है।

(पांच) विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से बिहार में नलकूप लगाने के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): सभापति महोदय, राजकीय नलकूप की प्रथम चरण की योजना विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की गई थी जो मई, 1994 को समाप्त हो गई है। प्रथम चरण में ली गई कई योजनाएं आरम्भ नहीं की जा सकी, क्योंकि विश्व बैंक की सहायता मई, 1994 में समाप्त हो गई थी। प्रथम चरण के इन बचे हुए नलकूपों के लिए योजना पुन: विश्व बैंक की सहायता हेतु भेजी गई हैं इसके अतिरिक्त 2000 नए राजकीय नलकूपों के निर्माण की योजना भी इस परियोजना में शामिल है। इस योजना की कुल लागत 1126.68 करोड़ है। राज्य सरकार के पत्रांक 463, दिनांक 17.2.1994 द्वारा परियोजना भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय को भेजी गई है। परियोजना भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय में लम्बित है। सरकार को चाहिए कि लम्बे समय से लंबित पड़े मामले को शीघ्र स्वीकृत करें।

(छह) उत्तर प्रदेश में कानपुर में गंगा बैराज का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): सभापति महोदय, कानपुर महानगर में गंगा बैराज के निर्माण का विषय काफी समय से लम्बित है। इस पर कार्य न होने के कारण कानपुर नगर की पेयजल समस्या दिनोंदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। कानपुर की पेयजल समस्या के स्थायी निदान के लिए वहां पर गंगा बैराज का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। इसके निर्माण से न केवल पेयजल की समस्या का निदान होगा वरन गंगा के कटाव को रोक कर उन्नाव जिले की लाखों एकड़ उपजाऊ भूमि को भी बचाया जा सकेगा। यही नहीं गंगा कटाव के रुकने से कानपुर नगर में बन्द पड़े पन बिजलीघर को पुन: चालू करने में भी सहायता मिलेगी, जिससे कि वहां की विद्युत समस्या के समाधान में भी सहायता प्राप्त होगी।

अत: केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि गंगा बैराज के निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।

(सात) तमिलनाडु में नागपट्टिनम जिले के गांव सातनगुड़ी में "राजीव गांधी सेन्टर ऑफ एक्वाकल्चर" स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई): जुलाई, 1995 में केन्द्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री ने गांव साथनगुडी, थारंगामवदी तालुका,

जिला नागपट्टिनम, तमिलनाडु में 'राजीव गांधी सेन्टर आफ एक्वाकल्चर' की आधारशिला रखी। पिछले चार वर्षों में कोई कार्य नहीं किया गया। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए. उक्त जमीन को जिसका अधिग्रहण किया जाना था वापस करना चाहती है और मुख्यालय को मयिलादुतुरई से चेन्नई स्थानांतरित कर रही है। इस तथ्य के मद्देनजर कि एम.पी.ई.डी.ए. ने स्वयं इस स्थान का चयन किया था और यह कि सैन्ट्रल ब्रैकिश वाटर्स फिशरीज़ इन्सटीट्यूट का मुख्यालय पहले से ही चेन्नई में स्थित है, मेरा वाणिज्य और उद्योग मंत्री से अनुरोध है कि वे कृपया एम.पी.ई.डी.ए. द्वारा 22.12.1999 को कार्यकारी समिति की 14वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर पुन: विचार करने और उक्त स्थल और मुख्यालय को अपनी पूर्व जगह पर बनाए रखने के निर्देश दें और 'राजीव गांधी सेन्टर आफ एक्वाकल्चर स्थापित करने की ओर शीघ्रता से विचार-विमर्श करें ताकि लाखों छोटे मछुआरे जो तमिलाडु के कोरोमंडल तट के किनारे रह रहे हैं, इस केन्द्र की स्थापना से लाभान्वित हो सकें और भारतीय समुद्री उत्पादों के निर्यात में विविधता आ सके और उसमें उन्नति हो।

(आठ) पश्चिम बंगाल में बक्सीरहाट, गोलकगंज, गौरीपुर, धुबड़ी और बेलासपाड़ा होते हुए न्यू मैनागुड़ी और जोगीखोपा के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): महोदय, न्यू मैनागुड़ी से जोगीखोपा वाया बक्सीरहाट, गोलकगंज, गौरीपुर, धुबड़ी तथा बेलासपाड़ा के बीच बड़ी वैकल्पिक रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव इस क्षेत्र की जनता के लिए जीवन रेखा के समान है। इस रेल लाइन के लिए लोग लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके धीरज का बांध भी अब टूटने लगा है और उनमें आक्रोश आने लगा है।

हाल ही में 28.3.99 को लगभग 40,000 लोग चागोलिया ने जन आन्दोलन किया और उन्होंने तत्काल इस परियोजना को आरम्भ करने के लिए आवाज़ उठाई थी।

आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस क्षेत्र से यह रेल मार्ग गुजरता है वहां का वातावरण आतंकवादी दलों के कारण काफी तनावपूर्ण रहता है। यदि इस परियोजना को तत्काल आरम्भ न किया गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वे मामले पर गौर करें और परियोजना आरम्भ करें। यदि यह आरम्भ हो गया तो क्षेत्र की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी और अतिवादी उग्रवादियों द्वारा किया जा रहा आंदोलन स्वत: कम होगा।

अत: उपर्युक्त क्षेत्र में वैकल्पिक रेल मार्ग का निर्माण करना बहुत आवश्यक है।

(नौ) आन्ध्र प्रदेश में विजाग और किरनदल के बीच एक और शटल रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र विशाखापत्तनम में एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है जिसे 'बोरा केवज' के नाम से जाना जाता है। प्रतिदिन विशाखापत्तनम से 'बोरा केवज' और अराकु घाटी के बीच भारी यातायात रहता है। महा-सचिव, उत्तरांधा विकास नौपाद, विशाखापत्तनम और प्रबंध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा भी प्रतिदिन एक और शटल गाड़ी चलाए जाने का अनुरोध किया गया था। इस समय विजाग तथा किरनदल के बीच केवल एक गाड़ी है जो 'बोरा केवज' तथा अराकु घाटी तक जाती है, यह रेलगाड़ी यातायात की मांग को देखते हुए पर्याप्त नहीं है।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे उस क्षेत्र में पर्यटन के विकास में सहायता करने के उद्देश्य से तत्काल उक्त मार्ग पर प्रतिदिन एक और शटल गाड़ी चलायें।

(दस) कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से महाराष्ट्र में एजेंसियों द्वारा समूची कपास की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, महाराष्ट्र में कपास की रिकार्ड तोड़ फसल हुई है। राज्य में पिछली बार की तुलना में तकरीबन 16 हजार क्विंटल से भी अधिक कपास खरीदा जा चुका है, परन्तु अत्यधिक उत्पादन के कारण विपणन महासंघ के पास जगह नहीं है। फलस्वरूप उन्हें कई केन्द्र बंद करने पड़े हैं, जिसके कारण हजारों रुपए लगाकर कपास बेचने यहां पहुंचे किसानों के सामने अब वापिस लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

अत: सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में उचित कदम उठाए ताकि किसानों को किसी तरह की हानि न पहुंचे और किसानों के हितों की रक्षा हो सके।

(ग्यारह) उड़ीसा में विशेषत: भद्रक और बालासोर जिलों में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): महोदय, उड़ीसा के भद्रक तथा बालासोर जिलों में हाल ही में आई बाढ़ तथा तूफान से दक्षिण

[श्री अर्जुन सेठी]

पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के सबीरा तथा मारकोना रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे लाइनों के समीप स्थित सैंकड़ों गावों को कानबंस, पटाकालियां और बारगुडिया नदियों के पुलों से कम पानी निकलने के कारण अभूतपूर्व बाढ़ की मार झेलनी पड़ी। यदि वर्ष 1971 के तूफान और बाढ़ों के बाद इन पुलों के अतिरिक्त स्पैनों का निर्माण किया गया होता तो निकटवर्ती गांवों में रह रहे लोगों का कम नुकसान होता। अत: रेल प्रशासन द्वारा लोगों को बचाने के लिए इन पुलों में तुरंत अतिरिक्त स्पैन का निर्माण किया जाए।

राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-5 पर सोरो और जामुझाड़ के बीच कम जल निकास के कारण इस राजमार्ग में उपर्युक्त नदियों के बहाव से बार-बार दरारें आ जाती हैं। कांसबंस नदी पर निर्मित पुल बाढ़ के पानी को निकलने का पर्याप्त रास्ता नहीं दे रहा है। अत: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 के साथ रह रहे लोगों को बचाने के लिए कृपया अतिरिक्त सपैन बनाए जायें।

राज्य के भद्रक जिले की भण्डारी पकाई तथा धाम नगर पंचायत समितियों के अंतर्गत पंद्रह ग्राम पंचायतों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जाजपुर सिंचाई खंड के अंतर्गत बैतरनी नदी के बायीं ओर के कान्ति नाले पर जल निकास का प्रावधान किया गया है। क्योंकि कान्ति जल निकास से मौजूदा सिंचाई बांध के बीच 2240 फुट की अतिरिक्त खाली जगह है, इससे बाढ़ के समय भीषण तबाही होती है। अत: इस खाली जगह को मिट्टी का बांध बनाकर या चार फुट ऊंचा कंकड़ का बांध बनाकर तुरंत भरा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कान्ति जल निकास के ऊपरी स्तर को तीन फुट तक बढ़ाया जाना चाहिए। 25 ग्राम पंचायतों के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह बहुत आवश्यक है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस कार्य के लिए उड़ीसा सरकार को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करें।

अपराह्न 3.00 बजे

(बारह) सबरीमाला पूजास्थल के चहुंमुखी विकास के लिए सौ हेक्टेयर वन भूमि दिए जाने संबंधी केरल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, प्रति वर्ष त्यौहारों के मौसम के दौरान, नवम्बर से जनवरी तक पूरे भारत से, विशेषकर दक्षिणी राज्यों से लाखों श्रद्धालु सबरीमाला तीर्थ की यात्रा करते हैं। पिछले त्यौहारों के मौसम के दौरान 14.1.99 को 52 लोग एक दुर्घटना में मारे गए थे। यह दुर्घटना भारी भीड़ के कारण हुई थी जिसके परिणामस्वरूप चट्टानें खिसक गई थीं और भगदड़ [illegible] गई थी। राज्य सरकार ने इस तीर्थ स्थल में तथा इसके आस-[illegible] के लिए केन्द्र सरकार से 100 हेक्टेयर वन भूमि देने की अनुमति मांगी है। तीर्थ-यात्रियों की देख-रेख और सुरक्षा के लिए तत्काल कुछ विकास कार्य किए जाने हैं। केरल सरकार ने सबरीमाला के विकास के लिए केरल विधान सभा की पर्यावरण से संबंधित समिति द्वारा तैयार किया गया एक मास्टर प्लान केन्द्र सरकार को भेजा है।

सबरीमाला के विकास तथा श्रद्धालुओं के सामने आ रही कठिनाईयों को हल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है:

1. सबरीमाला को राष्ट्रीय तीर्थ केन्द्र घोषित किया जाए।
2. समानान्तर सड़कों का निर्माण किया जाये और मौजूदा सड़कों को चौड़ा किया जाये।
3. आवास, परिवहन, पार्किंग तथा सफाई से संबंधित सुविधाओं में सुधार किया जाए।
4. बेस कैम्प्स स्थापित किए जाएं।
5. स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए एक सुपर स्पेसिलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाए।
6. पेय जल आपूर्ति, मल व्ययन तथा कूड़े-करकट के निपटान के लिए परियोजना बनाई जाए।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई की जाए तथा उपरोक्त विकास कार्यों के लिए प्रथम उपाय के रूप में 20 हेक्टेयर भूमि रिलीज करने की मंजूरी प्रदान की जाए।

अपराह्न 3.02 बजे

प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आइए अब हम मद संख्या 18 पर चर्चा करें। इस विधेयक पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड-2, दिनांक 22.12.1999 में प्रकाशित।

सभापति महोदय, यह अधिनियम, 1957 का अपने आप में बहुत अच्छा अधिनियम था। यह बहुत अच्छा काम कर रहा था लेकिन टीआरआईपी समझौते के पश्चात् यह आवश्यक हो गया है कि इसमें कुछ परिवर्तन किया जाये क्योंकि डब्ल्यूटीओ और टीआरआईपी समझौते के मुताबिक जिस पर भारतवर्ष ने हस्ताक्षर किये हैं, यह हमारे लिये आवश्यक हो गया था कि इस कानून से कुछ संशोधन किया जाये। मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता है कि इस कानून में जो संशोधन हैं, वे कुछ तो शाब्दिक हैं और कुछ ऐसे हैं जिनसे हमारे देश में साहित्यकारों, कलाकारों और दूरदर्शन तथा फिल्म में काम करने वाले लोगों को लाभ पहुंच रहा है।

अपराह्न 3.03 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

इसलिये इस अधिनियम में जितने भी संशोधन करने हैं, मैं समझता हूं कि उन सब को आसानी से पास कर देंगे। इसमें एक संशोधन ऐसा है जो शाब्दिक है और जिसका अर्थ है जहां डॉटा बेसिस लिखा है, उसे डॉटा बेसेज कर दिया जाये। यह करेक्शन इसलिये आवश्यक हो गया क्योंकि परिभाषा में परिवर्तन आ गया है। इसके बाद इसके अनुच्छेद 14-बी में संशोधन किया जा रहा है जहां उन कंप्यूटर कार्यक्रमों को इससे वंचित करेंगे। इसमें से हटा देंगे, अगर मूल कार्यक्रम जिसके अंदर वे कंप्यूटर कार्यक्रम लगे हुये हैं, वे उसका असेंशियल पार्ट नहीं हैं। उदाहरण के लिये, जैसे आपने एक कार किराये पर ली। वह अपने आप में एक संयंत्र है। इसमें कंप्यूटर कार्यक्रम लगे हुये हैं, तो आपने यह कार किराये पर ली हुई होती है न कि इसमें कंप्यूटर कार्यक्रम। ऐसी स्थिति में ऐसे कार्यक्रम को हम इससे हटा देंगे। इसी तरह से जो कलाकार है, उनके अधिकार अभी तक 25 वर्ष के लिये थे जिन्हें बढ़ाकर 50 वर्ष तक कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो ऐसे देश हैं, जहां हमारे कलाकारों और ब्राडकॉस्ट करने वाले संगठनों को ये अधिकार नहीं दिये जाते लेकिन हम उन्हें देते हैं, उनके बारे में हम चेष्टा करेंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो जब तक उनकी तरफ से उन्हें राष्ट्रीय अधिकार नहीं मिलते, हम भी उन्हें राष्ट्रीय अधिकार नहीं दें।

अगर वे हमें राष्ट्रीय अधिकार दे रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे और इसके लिए हमने एक नई धारा 40ए जोड़ी है। इसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम के डीकम्पाइलेशन के लिए जहां पर जरूरत पड़ती थी, उसका स्कोप वाइडन कर दिया है, उसे बढ़ा दिया है। ये कुछ ऐसे संशोधन इसमें किये हैं जो बहुत सामान्य से हैं। एक संशोधन यह है कि जिसमें कापीराइट का अधिकार जो अभी तक 50 वर्षों तक था, वह अपने साहित्यकारों के लिए बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया है। इन संशोधनों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कलाकारों और साहित्यकारों के विरुद्ध जाती हो या हमारे अधिकारों के विरुद्ध जाती हो। इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं है जो डब्ल्यू.टी.ओ. के तहत हमें नुकसानदेह हो। यह एक ऐसा कानून का संशोधन है कि जो संयोग से इस देश के हित में है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि इसे पास करते समय बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यह हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारे ऊपर एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध है कि हम इन समझौतों के क्रियान्वयन के लिए इसे 31 दिसम्बर से पहले पारित कर सकें तो अच्छा होगा। एक जनवरी, 2000 से पहले हमें इन कानूनों में संशोधन कर लेना है। इस पर हमारी पुरानी सरकारें हस्ताक्षर कर चुकी हैं और उसके तहत हमें इन कानूनों में संशोधन करना है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह संशोधन देश के हित में है और इसलिए मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इसे सर्वसम्मति से पारित करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): माननीय सभापति महोदय, विश्व व्यापार संगठन की आवश्यकताओं के मद्देनजर मंत्री महोदय जिन कुछ संशोधनों को प्रस्तुत करना चाहते हैं उनका स्वागत करते हुए, मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जबकि हम लेखकों और कवियों इत्यादि जो कि इस समय जीवित हैं के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, हमें अपने इतिहास में भी झांकना चाहिए जहां मीरा, रायदास, कबीर और नरसी मेहता जैसी महान हस्तियों ने हमारे देश और हमारी संस्कृति के संबंध में अनेक कविताएं और लेख लिखे थे। अब यह देखा गया है कि हमारे अपने सिनेमा के क्षेत्र में लेखक हमारे संतों और महात्माओं के गीतों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपने नाम से प्रसारित कर देते हैं और धन और प्रसिद्धि कमाते हैं। सरकार को हमारे अपने संतों और महात्माओं के अधिकारों के संरक्षण के बारे में सोचना चाहिए। वर्तमान लेखकों और साहित्यकारों के अधिकारों की रक्षा करते हुए—समय सीमा को 50 वर्ष अथवा 60 वर्ष तक बढ़ा देना ही केवल एक हल नहीं है—हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं। मानो कि केरल का एक लेखक एक पुस्तक अथवा एक कविता लिखता है, तो उसका अन्य भारतीय भाषाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। सरकार के पास ऐसी एक प्रणाली होनी चाहिए जिससे वह यह सुनिश्चित कर सके कि

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

यदि कोई पुस्तक अथवा एक कविता अथवा कुछ भी एक भाषा में लिखा जाता है, तो देश के भीतर उसकी प्रतिलिपि तैयार नहीं की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मलयालम में लिखी पुस्तक अथवा कविता का, माना गुजराती में अनुवाद करता है और इसे अपना नाम दे देता है तो सरकार के पास हमारे देश में क्षेत्रीय भाषाओं के लेखकों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या उपाय हैं?

[हिन्दी]

मैं एक कविता लिख देता हूं, उसका मुनाफा मुझे नहीं मिलता है और दुनिया भर के लोग उसका ट्रांसलेशन करते हैं।

[अनुवाद]

सरकार को इस समस्या का समाधान ढूंढ़ना चाहिए और इसके लिए एक केंद्रीय एजेंसी बनाई जानी चाहिए जो सभी भारतीय भाषाओं की किताबों को संकलित करे। यदि कोई लेखक प्रतिलिप्यधिकार के लिए आवेदन करता है तो उन्हें पूरी जानकारी दी जानी चाहिए और सरकार को इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। लेखकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। मेरा केवल यही अनुरोध है।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। वर्ष 1952 के बर्न सम्मेलन से वर्ष 1995 के विश्व व्यापार संगठन के दौर तक और उरूग्वे वार्ता के परिणामस्वरूप हमने काफी प्रगति कर ली है।

महोदय, जब हमने बर्न से वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन में किए हस्ताक्षरों तक की लम्बी दूरी तय कर ली है तो इसके दौरान अनेक परिवर्तन आए हैं और इसलिए प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में भी परिवर्तन किए जाने चाहिएं। इस सम्माननीय सभा में मेरे माननीय मित्र यह जानते होंगे कि प्रतिलिप्यधिकार साहित्य, कला, संगीत, चित्रकला, नृत्य, नाटक, मूर्तिकला, वास्तुकला तथा इस संस्कृति के संवाहकों से संबंधित इस देश की सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित में है। इस संस्कृति के जितने भी संवाहक हैं वह प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम से संबंधित हैं। गत वर्षों से अनेक अन्य बातें भी इसमें जोड़ दी गई हैं। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 38 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सृजनात्मक प्रतिमा की उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए अनेक अन्य बातें भी जोड़ी गई हैं, जैसे सपनों के सौदागर के रूप में दूरदर्शन के धारावाहिक बनाए जाते हैं और इसी तरह की अन्य बातों को प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में ध्यान में रखना पड़ता है।

महोदय, जैसा कि आप जानते होंगे, विश्व व्यापार संगठन के तीन पहलू थे। एक था शुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य समझौता, दूसरा था व्यापार सेवा संबंधी सामान्य समझौता और तीसरा था व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा अधिकार (ट्रिप्स)। जब हम प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की बात करते हैं तो हमें "ट्रिप्स" के बारे में सोचना पड़ता है। अब वे कौन से मामले हैं जिन पर "ट्रिप्स" को ध्यान देना होता है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि 'ट्रिप्स' को इस बात पर ध्यान देना होता है कि जहां तक कि सम्पदा के अधिकार का प्रश्न है देशों के अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा किस तरह करनी चाहिए और संबंधित मामलों का निपटान किस तरह किया जाए अथवा विवादों को किस तरह सुलझाया जाए। 'ट्रिप्स' से संबंधित कुछ संक्रमणकालीन समझौते हो सकते हैं। ये वे मामले हैं जिन पर इस विधेयक में इस मोड़ पर विचार किया जा रहा है।

महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह अवश्य कहूंगा कि हमने बहुत लम्बा रास्ता तय कर लिया है और इस क्रम में हमने ऐसी अनेक मूर्त और अमूर्त सम्पदाएं हासिल कर ली है। इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। मूर्त सम्पदाओं पर भी विचार करना होगा और अमूर्त सम्पदाओं पर भी विचार करना होगा।

महोदय, हमने अब तक दो संशोधन किए हैं, मेरे विचार में पिछला संशोधन वर्ष 1994 में किया गया था जिसमें हमने कुछ अमूर्त सम्पदाओं को जोड़ा था। हमने पहले इसमें कम्प्यूटरों को शामिल किया था। लेकिन कम्प्यूटरों की प्रक्रिया, डॉटा बेस और कम्प्यूटरों से संबंधित सभी अन्य ऐसे मामले बहुत जटिल हैं और इनमें नई-नई संकल्पनाओं का प्रादुर्भाव हो रहा है। अत: जब हम 'ट्रिप्स' समझौते के साथ-साथ प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम पर विचार करते हैं तो हमें इसमें कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपना तालमेल बिठा सकें। अब, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा हैं कि कुछ ऐसी सम्पदा है जो कुछ वर्षों के बाद जन-सामान्य की हो जाती है। कुछ मामलों में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि जो पहले 50 वर्ष थी अब उसे बढ़ाकर 60 वर्ष किया जा रहा है। कुछ मामलों में यह अवधि 25 वर्ष की थी अब इस संशोधन के बाद इसे 50 वर्ष कर दिया जाएगा। इस संशोधन विधेयक में यह बताया गया है। लेकिन हमें इस देश की, इस समाज की और लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना है। इसके साथ-साथ हमें अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं पर भी ध्यान देना है।

महोदय, इसलिए प्रतिलिप्यधिकार संशोधन अधिनियम में कोई सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिएं। मेरे विचार इस संक्रमणकालीन अवस्था में अब इसकी अधिक सम्भावना नहीं है। वह उपाय बाद में भी किए जा सकते हैं। विधेयक में 'डाटा बेस' के मामले पर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता दर्शायी गई है। इस विधेयक में केवल 'डॉटा बेस' शब्द पर ही जोर दिया गया है।

महोदय, जहां तक कि अनुवाद का संबंध है, मेरे विचार में 'ट्रिप्स' भारत के साहित्यिक लेखकों की कोई मदद नहीं करेगा। भारत में अनेक लेखक हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में लेखक निर्धन हैं और रायल्टी भी बहुत सीमित है। जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती ने कहा है कि लेखन, संगीत और यहां तक कि वास्तुकला के क्षेत्र में भी विचारों की चोरी होती है। हालांकि हम कहेंगे कि वास्तुकला में प्रतिलिपि तैयार की जा सकती है, लेकिन वास्तव में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रतिलिपि तैयार की जाने लगी है।

अत: जब हम किसी प्रकार के अनुवाद की बात करते हैं तो हमें जहां तक कि भारत का संबंध है जनसामान्य के संबंध में विचार करना चाहिए और जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ी मदद देनी चाहिए ताकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अनदेखी न की जाए अथवा उनकी उपेक्षा न हो।

प्रसारण, माइक्रो फिल्मिंग, लीथो फोटोग्राफी और चलचित्र सिनेमा ने भारत में काफी लम्बा रास्ता तय कर लिया है। चलचित्र सिनेमा और टाकीज के मामले में हम विदेशों की नकल करने में काफी माहिर हैं। इस संशोधन के बाद और ''ट्रिप'' समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद हमारे सपनों के सौदागारों को अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। समस्याओं से जूझने का यह उनकी तरीका है।

लेकिन यहां मेरा तर्क यह है कि हमें अनेक अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताओं का पालन करना है और हमें इन मुद्दों से निपटना चाहिए। लेकिन जहां तक कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम का संबंध है, इसका अनुपालन कम और उल्लंघन अधिक होता है। जो लोग प्रतिभाशाली हैं, जिनके पास कुछ मौलिकता है और जो लोग पुस्तक लिख सकते हैं अथवा संगीत का सृजन कर सकते हैं, उन्हें सरकार द्वारा किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। हमें उनके संबंध में विचार करना है। जब भी हम किसी संशोधन के बारे में सोचते हैं, हमें कड़े प्रावधानों के संबंध में सोचना चाहिए। फिर प्रतिलिप्यधिकार के मामले से निपटने के लिए सिविल प्रक्रिया भी है लेकिन इसमें केवल 3 वर्ष की सजा दी जाती है और 50,000 रु. की राशि दंडस्वरूप ली जाती है। यह कुछ भी नहीं है हालांकि यह मुद्दे समाधान के दायरे में नहीं आते हैं जिसे आज प्रस्तुत किया जा रहा है लेकिन मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम का घोर उल्लंघन करके साहित्यिक चोरी अथवा किसी अन्य तरह की प्रतिलिपि तैयार करने की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ और कड़े प्रावधान लागू किए जाएं अथवा कुछ सख्त कानून बनाए जाएं। जिन संशोधनों के संबंध में संकेत दिया जा चुका है, खंड 42(क) एक महत्वपूर्ण संशोधन है जिसका प्रस्ताव किया जा चुका है, और जिसके लिए सभा की तुरन्त स्वीकृति की आवश्यकता है। इसे पहले ही राज्य सभा की स्वीकृति मिल चुकी है, और अब, इसे सभा की स्वीकृति की आवश्यकता है। प्रसारण संगठनों और निष्पादन के कारण खंड 42 बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और, यह व्यापार और संपत्ति से संबंधित है।

इसलिए, इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री स्वदेश चक्रवर्ती (हावड़ा): माननीय सभापति, महोदय, मेरी पार्टी सी.पी.आई.(एम.) की ओर से, मैं इस संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। उन्होंने यह कहा है कि 'प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम' का यह संशोधन निर्देशित संशोधन है। इस संशोधन को हमारी सरकार ने प्रस्तावित नहीं किया है।

उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में यह भी लिखा है; ''भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं पर हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुच्छेद 14 के अनुसार, कार्य निष्पादन को उपलब्ध संरक्षण की अवधि किए गए कार्य निष्पादन के कैलेण्डर वर्ष के अंत से गणना करके कम से कम पचास वर्षों की अवधि के अंत तक मिलेगी।

प्रतिलिप्यधिकार 25 वर्षों के लिए था। यह अच्छा है कि हम इसे 50 वर्षों या 100 वर्षों तक बढ़ाएं। प्रतिलिप्यधिकार 50 वर्षों के लिए है। यह अच्छा होता कि हम इसे 60 वर्षों तक बढ़ायें। लेकिन जहां तक भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार का संबंध है प्रतिलिप्यधिकार में संशोधन का टी.आर.आई.पी.एस. से क्या संबंध है? मैं संबंध के मुद्दे पर आता हूं। यह संबंध दिल्ली में नहीं है। लेकिन यह संबंध हमारे देश के बाहर कहीं स्थिति है। सभापति महोदय, बाएं और दाएं बैठे हुए हमारे माननीय सहयोगी, दोनों ने कुछ देशों के सामने समर्पण कर दिया है।

मैं 'इकॉनॉमिक टाईम्स' के दिल्ली संस्करण में 4 मई, 1998 को छपे लेख से उद्धृत करता हूं:

> ''संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को विशेष 301 प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है।''

हम अमरीका की निगरानी सूची में हैं और हम स्वतंत्र और प्रभुसत्ता संपन्न देश हैं जो अपने यहां उपलब्ध सभी बातों पर गर्व करते हैं। इसलिए, कोई देश इतना साहसी हो गया कि उसने हमें एक निगरानी सूची में शामिल देश के रूप में घोषित कर दिया है। ऊपर के उद्धरण को ही जारी रखते हुए, आगे कहा गया है और मैं उद्धृत करता हूं।

क्लिंटन प्रशासन ने 13 अन्य देशों और यूरोपीयन संघ को सूची में रखा है। संयुक्त राज्य अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि

[श्री स्वदेश चक्रवर्ती]

चारलीन ब्रैशेफस्की ने कल कहा ''भारत का पेटेण्ट और ट्रेड मार्क कानून पर्याप्त और प्रभावशाली संरक्षण देने में पूर्ण सक्षम नहीं है।''

हमारे कानून किसे संरक्षण दे रहे हैं? हमारे कानून को तो हमारे देश का संरक्षण करना चाहिए। हमारे कानून को अमरीका के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यह कहूंगा इसीलिए संयुक्त राज्य अमरीका व्यापार प्रतिनिधि की यह कहने की हिम्मत पड़ी कि भारतीय कानून पर्याप्त और प्रभावशाली संरक्षण देने में सक्षम नहीं हैं।

> ''भारत ने आधुनिक प्रतिलिप्यधिकार कानून को अधिनियमित किया है, परंतु लागू करने के क्षेत्र में लगातार सुधार की आवश्यकता है।''

हमारे अपने मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा यह संशोधन विधेयक उनके विभाग या उनकी अपनी चिन्ता से प्रस्तुत नहीं किया गया। यह प्रस्ताव अमरीका के प्रतिनिधि चेयरमैन ब्रैशेफस्की के द्वारा निर्देशित है। और परिणाम क्या हुआ? उन्होंने वर्ष 1998 में हमें अमरीकी उद्योग या अन्य व्यापारी समुदायों के हित में प्रतिलिप्यधिकार संशोधन को प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया।

इस प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम पर नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, न्यायाधीश ए.बी. वाड (सेवानिवृत्त) ने कहा:-

> ''दुनिया तीन युगों से गुजरी है वे हैं, ज्ञान, शौर्य और वाणिज्य। वर्तमान व्यापारोन्मुख युग में, ज्ञान का क्षेत्र भी देवी लक्ष्मी के आधिपत्य में है जिसे उसने अपनी सहयोगी देवी सरस्वती, जो ज्ञान और कला प्रदान करने वाली है से ले लिया है।''

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री देवी सरस्वती के उपासक हैं। वे देवी लक्ष्मी की पूजा क्यों करने लग गए? वे एक शिक्षित और सम्मानित व्यक्ति हैं। इसका संबंध कहां है? ऊपर से यह प्रतिलिप्याधकार संशोधन अपने देश के हित में दिखता है। लेकिन एक देशभक्त के रूप में, एक बंगाली के रूप में और एक स्वाभिमानी भारतीय के रूप में, मुझे लगता है कि यह प्रतिलिप्यधिकार संशोधन अधिनियम मेरे देश के हित के विरुद्ध है क्योंकि यह अमरीकी प्रशासन और डब्ल्यू.टी.ओ. के निकायों की शर्तों के आधार पर निर्देशित है। क्या वे सभी देशों में यह कर पाए हैं?

क्या अमरीका अन्य देशों को डब्ल्यू.टी.ओ. की सूची में जबरन लाने के लिए अपने अधिनियमों और नियमों को प्रवर्तित कर सका? *...(व्यवधान)*

अन्य देशों के संबंध में क्या स्थिति है? मैं अब 6 मई, 1996 के फॉयनानशियल एक्सप्रेस, (नई दिल्ली संस्करण) से उद्धृत करता हूं:

> ''व्हाईट हाऊस और व्यापारी समुदाय चीन की अनुकूल व्यापारी स्थिति के नवीकरण के लिए इस महीने एक बड़ा प्रयास करने के लिए कमर कस रहा है, जबकि वाशिंगटन प्रतिलिप्यधिकार की चोरी पर मतभेद होने पर प्रतिबंध लागू करने का प्रस्ताव रख रहा है।''

प्रतिलिप्यधिकार चोरी के नाम पर, वे चीन पर शर्तों को रखना चाहते हैं। लेकिन चीन ने झुकने से इंकार करने पर वाशिंगटन को चीन से व्यापार के संबंध में अत्यधिक वरीयता प्राप्त देश का दर्जा देना पड़ा। जब चीन के पास यह कहने का हिम्मत और साहस है, हम आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, हमारी सरकार और हमारे दाएं और बाएं बैठे हमारे माननीय मित्रों ने हमारे देश की प्रभुसत्ता और अखंडता को ही बेच दिया। इसलिए मैं इस संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं।

इस संशोधन का असली मक़सद हमारे देश के हितों की या हमारे लेखकों की या हमारे कलाकारों या हमारे सांस्कृतिक संगठनों की रक्षा करना नहीं है। खंड 43(अ), में स्पष्ट लिखा है 'यदि केन्द्रीय सरकार को लगता है कि कोई देश कलाकारों या प्रसारण संगठनों के अधिकारों को अपेक्षित संरक्षण प्रदान नहीं करता या संरक्षण का आश्वासन नहीं देती....., सरकार आवश्यक संरक्षण नहीं देगी।'' उसी पृष्ठ पर, खंड 40(क)(5) कहता है, प्रसारण संगठनों और कलाकारों के अधिकारों के स्वामित्व के संबंध में अध्याय 8 के उपबंध विदेशी विधि को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले देश अपवादों और संशोधनों सहित लागू होंगे।

इसलिए, हम उन विदेशी एजेंसियों पर कुछ नियंत्रण लागू करने पर क्यों सोच रहे हैं जो हमारे बौद्धिक अधिकारों की चोरी करना चाहते हैं? हम इस अधिनियम में यह प्रावधान कर रहे हैं कि हम विदेशों के अधिनियमों के अनुसार चल सकें। क्या यहां मूल विरोधाभास नहीं है? अब तो तीर छूट चुका है। इस संशोधन का असली मकसद क्या है?

मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम इसका विरोध करते हैं लेकिन हम जानते हैं कि हमारा विपक्ष इस सभा में खड़ा नहीं होगा। हम जानते हैं कि उनके विषयी बहुमत के साथ आपकी दायीं और बायीं ओर बैठे मेरे सम्माननीय साथी इसे मतदान द्वारा पारित कर देंगे। लेकिन मैं यहां उपस्थित सभी भारतीयों से देश-प्रेम की अपील करता हूं। मैं यहां उपस्थित सभी भारतीयों से राष्ट्रीयता की अपील करता हूं कि वे अपने दलों के निर्णय को

मानने से पहले दो बार सोचें कि क्या हम अपने देश के बुद्धिजीवियों की सत्यनिष्ठा और प्रभुसत्ता को बचा सकेंगे अथवा नहीं।

हमने अनेक चीजों पर हस्ताक्षर किए हैं।

विश्व व्यापार संगठन और ऐसी अन्य चीजों के नाम पर हमने अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी निहित सम्पत्ति को समर्पित कर दिया है। मुद्दा यह है कि हमारे प्रबुद्ध वर्ग, मीरा बाई से रविन्द्र नाथ टैगोर और सत्यजीत रे ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का सर्वोत्कृष्ट साहित्य, सिनेमा और फिल्में प्रस्तुत की हैं। अब भारतीयों के हितों के संरक्षण की आड़ में सरकार संशोधन प्रस्तुत करना चाहती है जो कि अमरीकी व्यापारियों और अमरीकी उद्योग के हित में होगा। इसलिए, हम इसका विरोध करते हैं। मैं समझता हूं कि यदि आप किसी भारतीय साहित्य की तुलना, उसके मूल्यों और किस्म के संदर्भ में करते हैं, तो वह हमेशा विदेशी देशों के साहित्य से अधिक धनी होगा। मैं रविन्द्र नाथ टैगोर की पंक्तियों को उद्धृत कर अपने भाषण को समाप्त करूंगा:

जानिया तोर धान रातो आछे कीना रानीर मातोन।
शुधु जानी मोर अंग जुड़ा गेला तोमार कोलेर काछे॥

''मैं नहीं जानता कि क्या आपके पास किसी साम्राज्ञी का खजाना है अथवा नहीं, लेकिन जब मैं आपकी गोद में बैठता हूं तो मुझे काफी चैन मिलता है।''

हमें गर्व है कि हम इस देश में पैदा हुए। मुझे गर्व है कि मैं भारत मां की संतान हूं। मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है। मुझे एक भारतीय, स्वतंत्र भारत के भारतीय के रूप में अपने प्राणों का त्याग करने में भी गर्व होगा न कि उस भारत पर गर्व होगा जो कि आपकी बायीं अथवा दायीं ओर बैठे मेरे मित्र बनाना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): मैं प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 1999 के संबंध में एक संक्षिप्त निवेदन करूंगा।

महोदय, संशोधन विधेयक की धारा 40 का उद्देश्य विदेशी प्रसारण संगठनों और कलाकारों का संरक्षण करना है। हम प्रसारण संबंधी संगठन और कलाकारों द्वारा लाभान्वित होते हैं। हम अपने संगठन को क्या प्रतिलिप्यधिकार देने जा रहे हैं? हमारे कलाकारों अथवा फिल्मों को देश से बाहर प्रसारण संगठनों में प्रदर्शन से कैसे बचाया जा रहा है? इसका उद्देश्य प्रसारण निगमों तथा कलाकारों का संरक्षण करना है जैसे कि उन्होंने भारत में ही प्रदर्शन किया हो। यह प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अथवा सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के संबंध में है। नि:सन्देह इसका उद्देश्य प्रसारण संगठन तथा कलाकारों का सार्वभौमिकीकरण है लेकिन यह उन प्रसारण संगठनों पर लागू होना चाहिए जिनके मुख्यालय देश में स्थित हैं जिसके संबंध में आदेश हैं अथवा प्रसारण देश में स्थित ट्रांसमीटर द्वारा किया जा रहा है, जिसके संबंध में आदेश हैं जैसे कि ऐसे संगठनों के मुख्यालय भारत में हो अथवा ऐसा प्रसारण भारत में तैयार किया गया है।

इससे हमारे दिमाग में एक संदेह उत्पन्न होता है। यह हमारी विचारधारा है कि हमारे भारतीय निर्देशकों तथा निर्माताओं के निर्देशन अथवा निर्माण के बाद हमारी फिल्में सबसे पहले विदेशों में जाती हैं और हमारी फिल्मों के पहले दर्शक खाड़ी देश, सिंगापुर अथवा अन्य एशिया के देशों के होंगे। हम अपने निर्माताओं, निर्देशकों और कलाकारों का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। भारत का बाजार नीचे गिर रहा है क्योंकि यहां आने से पहले हमारी फिल्मों का प्रदर्शन विदेशों में किया जा रहा है।

इनका वीडियो-टेप तैयार किया जा रहा है, वहां इन्हें बाजार में बेचा जा रहा है, इनका भारत में भी आयात किया जा रहा है। हमारी फिल्में विदेशों में जा रही हैं, उनके वीडियो-टेप बन रहे हैं और फिर वे वापस आ रही हैं जैसे कि उनका निर्माण उन देशों में हुआ हो। इस तरह के अधिकारों के उल्लंघन के लिए क्या संरक्षण है? यदि यह सामान्य प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन का प्रश्न है तो मुख्य अधिनियम की धारा 40 उसे नियंत्रित करेगी। लेकिन यह एक गंभीर प्रकार का उल्लंघन है, आज के भारतीय फिल्म उद्योग में सामान्य प्रकार के उल्लंघन होते हैं और साधारण प्रकार के उल्लंघन भी होते हैं।

धारा 42क में कहा गया है:

''यदि केन्द्र सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई देश प्रसारण संबंधी संगठनों अथवा कलाकारों के अधिकारों को पर्याप्त संरक्षण नहीं देता है, तो केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि प्रसारण संगठनों अथवा कलाकारों को प्रदत्त अधिकार के रूप में, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के ऐसे उपबन्ध प्रसारण संगठनों अथवा कलाकारों पर लागू नहीं होंगे.....''

इस उपबन्ध की स्थानीय प्रासंगिकता नहीं होगी। नि:संदेह बौद्धिक सम्पदा अधिकार की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। नि: संदेह, भारत विश्व व्यापार संगठन में शामिल है। नि:सन्देह 1957 से अब तक इस प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के द्वारा प्रसारण संगठनों एवं कलाकारों की रक्षा नहीं हो पाई है। लेकिन, विश्व व्यापार संगठन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद क्या भारतीय कलाकारों और भारतीय प्रसारण निगमों की रक्षा हो सकेगी? सामान्यत: ऐसा होता है कि कोई भी समाचार आकाशवाणी से प्राप्त होने से पहले हमें बी.बी.सी. से प्राप्त हो जाता है। स्थानीय टेलीविजन द्वारा

[श्री पी.एच. पांडियन]

प्रसारित किए जाने से पूर्व विदेशी टी.वी. चैनलों द्वारा समाचार एकत्रित कर प्रसारित कर दिए जाते हैं। अत: इस विधेयक का यह उद्देश्य है कि वह देश के प्रसारण संगठनों के अधिकारों की रक्षा करेगा। यद्यपि यह स्वागतयोग्य और आवश्यक उपाय है लेकिन कोई ऐसा कार्यान्वयन तंत्र होना चाहिए जो प्रसारण संगठन में भारतीय हितों की रक्षा कर सके।

एक अन्य बात है, केवल कल ही हमने प्रसार भारती अधिनियम के संबंध में विचार-विमर्श किया था कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसे पारित किया जाना चाहिए। इस रूप में हमारे पास एक स्वायत्त निगम है जिसकी हमें आवश्यकता थी। क्या स्वायत्त निगम की आवश्यकता है। क्या उन दूसरे देशों के प्रसारण संगठन स्वतंत्र हैं? क्या वे सरकार के नियंत्रण के अधीन हैं। क्या वे व्यक्ति विशेष से संबंधत रखते हैं? मलेशिया और सिंगापुर में स्थित पूर्णत: भिन्न हैं। कुछ टी.वी. चैनल यहां से फिल्में लेते हैं; वह फिलीपीन्स अथवा सिंगापुर जाते हैं और उन्हें उस स्थान से प्रसारित करते हैं। अत: उस देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। स्थानीय कानून इस प्रसारण निगमों पर लागू नहीं होंगे। अत: मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से अपील करता हूं कि इस पहलू पर विचार करने के लिए किसी मानव संसाधन की आवश्यकता नहीं है।

विश्व व्यापार संगठन को दिए गए हमारे वचन का सम्मान करने के लिए धारा 40क और 42क को शामिल किया गया है। मैं जानता हूं यह राष्ट्र के लिए लाभकारी है। लेकिन क्या इस संशोधन से हमारी भावी पीढ़ी की हमारे देश के भविष्य की अन्य 25 वर्षों के लिए रक्षा हो सकेगी, यह एक मुख्य प्रश्न है। आपने इस पर 50 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 'पच्चीस वर्ष' शब्दों को 'पचास वर्ष' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा—संशोधन संख्या 38 । पच्चीस वर्षों में हम कहां हैं? हमारे देश का भविष्य क्या है?

हमें अन्य देशों से क्या सुरक्षा मिलेगी? अत: मैं सरकार से यहां उपस्थित मंत्री जी से कुछ उपाय किए जाने की अपील करता हूं। हमने कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन का समझौता भी हमारे सामने है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम इस समझौते के विरुद्ध नहीं हैं। हम समझौता भी करना चाहते हैं और वह संशोधन भी प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते हैं ताकि वह अन्य देशों से प्रतिस्पर्द्धा कर सके। लेकिन धारा 40(क) और 42(क) में इन उपायों को शामिल करना चाहिए।

अत: मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वे हमारी प्रसारण एजेंसियों, हमारे भारतीय फिल्म उद्योग, हमारे कलाकारों और भारतीय संस्कृति की रक्षा करे ताकि दूसरे देश उनका शोषण न कर सके और लाभ प्राप्त न कर सकें। जैसे भी हों लाभ हमें होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे कार्यों के लिए लाभ दूसरे लोग उठाएं। अत: मैं मंत्री जी से अपील करता हूं कि वे इन सुझावों को इसमें शामिल करें अथवा कम से कम विधेयक के उद्देश्य और कारणों से संबंधित कथन में संशोधन करें तथा किसी विदेशी प्रसारण निगम अथवा एजेंसी द्वारा प्रतिलिप्यधिकार के उल्लंघन से राष्ट्र को संरक्षण प्रदान करें।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह राष्ट्र के हित में है और हम भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आदमी सिर्फ अनाज से जिन्दा नहीं रहता। उसके लिए संगीत, नृत्य और वाचन भी बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में दानेश्वर नाम के कवि थे। (हमारे नासिक में श्री कुसुमराज अग्रज एक कवि थे। मैं मराठी में उनकी कविता सुनाता हूं। उन्होंने कहा:

"जा श्वासानु वायुसंगे,
ओलाडूनि भित्त,
अन्न आइला कड़वा आमची,
हृदयाती लखंत,
सांगावे की तुसी चवाड़े ह्या अंधारात,
माले तुला करती आखिच्या,
प्राणीपात।"

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 3.42 बजे

उन्होंने कहा था इन्द्रजीत शृंखला दीवार है, उसे तोड़ दीजिए और बोल दीजिए कि हम जिंदा रहने तक लड़ेंगे। ऐसे-ऐसे कवि हुए हैं। बेलाबेन नाम के एक महानुभाव थे। राणा प्रताप सिंह की शरण में सब लोग गए लेकिन वे नहीं गए क्योंकि उनके पास एक गाय थी। उन्होंने उसे जोर-जोर से कहा—राणा जी, राणा जी, अकबर के पास सलाम करने नहीं जाना। भारत में ऐसे अच्छे कवि थे, गायक थे, नृत्यकार थे। इस बारे में सोचना चाहिए। मुझसे पहले तीन-चार माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ऐसा लगता है कि यह विधेयक भारत की असली संस्कृति को बिगाड़ने वाला है। मेरा इतना ही कहना है कि ग्राम विभाग में अभी भी अच्छे-अच्छे लोग हैं। महाराष्ट्र राज्य में उनको सुविधा दे दी है। इस बिल में उनको सुविधा देने के बारे में आपने सोचा है, यह बात सच है। लेकिन

गांवों में जो कवि, नृत्यकार हैं, उनको भी संगठित करें और सुरक्षा प्रदान करें, यह मेरी प्रार्थना है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत करते वक्त यह दावा किया कि पहले 25 वर्ष कापीराइट की अवधि थी, अब ये उसको 50 वर्ष कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि अचानक इनके हृदय में लेखकों के प्रति या यहां के कलाकारों के प्रति सहानुभूति या बड़ा भारी समर्थन उमड़ आया है, लेकिन ऐसा नहीं है।

मुझे चिन्ता है और मैं बोलने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी जी की डंकल प्रस्ताव और डब्ल्यू.टी.ओ. के खिलाफ जितने बयान हैं, मैं रिकार्ड तो नहीं लाया हूं, नहीं तो मैं सब पढ़ देता। ...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: हम कहते हैं कि उसे जरूर पढ़िए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम रिकार्ड नहीं लाये, लेकिन हम आपको याद करा देते हैं कि इनका उससे भारी विरोध था। अभी जो सरकार में मंत्री हैं—जोशी जी और जार्ज साहब—इन दोनों का भारी विरोध था, डब्लू.टी.ओ. और देश के इंटलेक्चुअल लोगों, काबिल लोगों, अर्थशास्त्रियों, दिमाग वाले लोगों, बड़े माथे वाले लोगों के लिए और सब लोग कहते थे कि डब्ल्यू.टी.ओ. आयेगा तो देश का बड़ा भारी नुकसान होगा।

इसमें ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटिड इंटलैक्चुअल प्रापर्टी राइट, ट्रिम्स है, ट्रेड रिलेटिड इन्वेस्टमेंट मैजर्स और गैट्स हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। उद्देश्य में ही इन्होंने कहा कि डब्लू.टी.ओ. के एग्रीमेंट के खंड 14 के मुताबिक, उसकी प्रेरणा से, उसके दबाव से यह विधेयक आया है तो इस तरह के विधेयक का हम कैसे समर्थन कर सकते हैं। इन्होंने यह दावा नहीं किया कि हम अपनी आजादी और अपने विचार से और ऊंची सोच से इसको लागू कर रहे हैं। ये इसको डब्लू.टी.ओ. के एग्रीमेंट के मुताबिक लाये हैं, जिस डब्ल्यू.टी.ओ. की ये खिलाफत करते रहे हैं और कहते रहें कि यह हमारे सामने खतरा है।

ट्रेड रिलेटिड इंटलैक्चुअल प्रापर्टी राइट्स में पेटेंट कानून के मंत्री मारन साहब बैठे हुए हैं—ये सिएटल में विरोध करके आये हैं, लेकिन ये फिर भी ट्रेड मार्क और कापीराइट का कानून लाएंगे। यह सब डब्ल्यू.टी.ओ. के हिसाब से ही हो रहा है। आज ये बड़े भारी कलाकारों के हितैषी हो रहे हैं।

हमारे यहां तो बड़े-बड़े कलाकार हुए हैं। महाकवि कालिदास ने 'अभिज्ञान शाकुन्तलम' 'रघुवंशम' जैसे महाकाव्य की रचना की। जो विद्वान लोग हैं, देखते-पढ़ते हैं, वे कहते हैं कि शैक्सपियर ने जो नाटक और रचनाएं लिखी हैं, उन पर कालिदास की छाप है। फिर भी कालीदास की ऊंचाई तक शैक्सपियर पहुंच पाये कि नहीं पहुंच पाये, इस पर मतभेद है। महाकवि तुलसीदास जी रामचरित मानस, महाभारत, गीता, रवि बाबू की गीतांजलि जो ये सब रचनाएं हुई, क्या उस समय कापीराइट था? देश में और दुनिया में प्रचार हुआ कि कलाकारों की आप बड़ी भारी मदद करने वाले हुए हैं, इसलिए इस बिन्दु के ऊपर हमारा बड़ा भारी विरोध है। यह डब्ल्यू.टी.ओ. के मुताबिक है और हमारे देश के हित में नहीं है। उसके कहने के मुताबिक इस देश की सार्वभौम सत्ता को ये खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। यह ये अपने मन से नहीं कर रहे होंगे। उस समय में और मंत्री पद पर आने पर दो रकम की बोली, दो रकम का चेहरा हो जाता है, यह हम देख रहे हैं और देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं कि इस तरह से जो यहां विदेश के लोगों को सूट करे, जो बढ़ा-चढ़ा विकसित मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, उसको सूट करे, उस तरह का कानून यहां बनाकर यहां हिन्दुस्तान में मानसिक गरीबी पैदा करने का, मनतोड़क, दिमागतोड़क काम ये यह विधेयक लाकर कर रहे हैं। सिर्फ यह विधेयक ही नहीं आया है, और जो डिजाइन वाला ट्रेड मार्क बिल है, भूगोल वाला बिल है, वह भी आ जायेगा।

यह सारी डब्ल्यू.टी.ओ. की साजिश है। उसका खतरा हर मामले में बढ़ रहा है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज वाले भी भटक रहे हैं कि विदेश से सस्ता माल यहां आ रहा है। नीतीश जी उस दिन विधवा विलाप कर रहे थे कि बाहर से स्कीम्ड मिल्क पाउडर आ रहा है, हम रोक नहीं पा रहे हैं। यहां का किसान विदेशी माल से पीड़ित हो रहा है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): दूध वाला तो आपने ही 1995-96 में पास किया था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया आपस में बातचीत न करें। अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, इस तरह से अपना मुद्दा नहीं उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: पहले, आपको सभापति महोदय से अनुमति लेनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, नहीं, आप इस तरह से सभा में कोई मामला नहीं उठा सकते हैं। मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: 1995-96 में नहीं आया, 1996-97 में नहीं आया, 1998 में साढ़े 16 लाख टन आया। जैसे अभी गेहूं पर आपने आयात शुल्क बढ़ाया है, इसी तरह दूध पर क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे आशंका है कि हो सकता है ये लोग मिल जाएं, लेकिन जो गांव का किसान है, गरीब है, मेहनत करने वाला मजदूर है, दबे हुए शोषित लोग हैं, उनके लिए हम लोग हैं, हम उनकी आवाज उठाएंगे। यह मुल्क 100 करोड़ लोगों का है। हमने पहले भी कहा था कि दुनिया का छठा हिस्सा यहां रहता है। डब्ल्यू.टी.ओ. वाले हमारे मन तोड़ने का काम करेंगे। यहां पर कहा गया कि हिन्दुस्तान अगर डब्ल्यू.टी.ओ. से निकल जाएगा तो यह देश खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हिन्दुस्तान को छोड़कर डब्ल्यू.टी.ओ. भी नहीं चल सकता। इसलिए आप 100 करोड़ लोगों की भाषा बोलें। वहां जो सम्मेलन होने जा रहा है, मारन साहब को चाहिए कि वे देश के लोगों की भाषा बोलें और उन्हें किसी से दबने की जरूरत नहीं है। हिन्दुस्तान के गरीब लोगों की रक्षा के लिए आपको कुछ करना चाहिए। लेकिन हमें पूरा भरोसा नहीं है कि ये लोग कुछ करेंगे, लगता है ये लोग वहां घुटने टेक देंगे।

मैं पायलट जी को कहना चाहता हूं कि आर्थिक मामलों को आप देखें। देश की आर्थिक नीति बड़े-बड़े पूंजीपति और धन्ना सेठ तय कर रहे हैं। अम्बानी का नाम आया, बजाज का नाम आया, इन सबको आर्थिक मामलों का मालिक इस सरकार ने बना दिया है। इतने बड़े लोग आम लोगों की क्या सुनेंगे।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: दूध वाला मामला तो आप स्वीकार करेंगे कि आपके समय में आया था।

श्री राजेश पायलट (दौसा): ये सही कह रहे हैं, वह 1998 में आया था।...*(व्यवधान)* हमारे जमाने में गेहूं आयात की पालिसी खुली थी, लेकिन हमने किया नहीं, आपने आयात किया।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: दूध का कारोबार करने वाली एजेंसियों ने दूध मंगाया, सरकार ने नहीं मंगाया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: प्रक्रिया यह नहीं है। कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मदर डेयरी सरकार के अधीन है, उसने आयात किया। उस राज में नहीं हुआ, इस राज में हुआ है। जो पूंजीपति हैं, जो मल्टी नेशनलिस्ट हैं, इनका राज आने से उनकी पौ बारह हो गई है। वह कहते हैं, जो मल्टी नेशनलिस्ट हैं, इनका राज आने से उनकी पौ बारह हो गई है। वह कहते हैं—सइयां भये कोतवाल, अब डर काहे का। धन्ना सेठ इनके राज में आगे आ रहे हैं। इससे हिन्दुस्तान के मेहनतकश, किसान और गरीब का भला नहीं होगा। मंत्री जी, आप तो पुराने स्वदेशी आंदोलनकारी हैं, आपने डंकल और डब्ल्यू.टी.ओ. के खिलाफ आंदोलन किए हैं, उसको भी याद करें। कापीराइट और ट्रेड मार्क का डिजाइन, ये सब बिल डब्ल्यू.टी.ओ. के इशारे पर हो रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा डिक्टेट कोई भी कानून हम यहां पास नहीं होने देंगे, उसका विरोध करेंगे। जिस भी चीज से आम हिन्दुस्तानी का और देश की अस्मिता को खतरा होगा, उसका हम डटकर विरोध करेंगे।

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, मैंने बहुत ध्यान से सदन में इस विधेयक पर बहस को सुना। अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनमें गर्मी बहुत ज्यादा थी मगर प्रकाश बहुत कम था। मुझे प्रसन्नता होती कि उनमें जितनी अधिक गर्मी थी, उसमें कुछ हिस्सा अगर प्रकाश का भी होता तो बहस कुछ ज्यादा वजनदार होती। फेफड़े के जोर से कोई बात सच नहीं हो जाती। उसके लिए तर्क चाहिए, वजन चाहिए।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा, जो बात यहां बताई गई कि इस विधेयक में भिन्न-भिन्न भाषाओं के अनुवाद हो जाने के कारण कापीराइट का जो टल्लंघन हो जाता है, उसका पता लेखक को नहीं चलता। अब हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जो कापीराइट के कार्यालय हैं उनका कम्प्यूटरीकरण करें, उनमें सारी सामग्री रखें। वैसे भी अनुवाद करने के लिए लेखक की इजाजत की जरूरत होती है। अगर किसी लेखक की इजाजत के बिना अनुवाद हुआ है तो वह कापीराइट का उल्लंघन है। अब सरकार हर लेखक को यह आश्वासन नहीं दे सकती कि उसकी पुस्तक का कोई अनुवाद करेगा तो सरकार उसे खबर देगी। ऐसा सरकार नहीं कर सकती। लेकिन सरकार इस बात का प्रबंध करेगी कि लोगों को यह पता लग जाए कि

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कौन-कौन सी पुस्तक किस लेखक ने लिखी है। अगर कहीं उसका अनुवाद होता है और उस अनुवाद में लेखक की इजाजत नहीं है तो उसे पता लग जाए, इतनी व्यवस्था हम कर सकते हैं। लेकिन उसके बारे में कदम तो लेखक को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि सम्पत्ति उसकी है।

महोदय, कापीराइट सरकार का नहीं है, वह उस लेखक का है और हम कापीराइट कार्यालय को सुदृढ़ कर रहे हैं। मैं इस बारे में विश्वास दिलाता हूं कि इसकी कोई चिन्ता आप न करें। यह व्यवस्था की जाएगी। कापीराइट के कार्यकलापों का मैंने स्वयं निरीक्षण किया था। वे जब से बने हैं तब से उनका सुधार एवं सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ। जो कठिनाइयां हैं वे ठीक की जाएंगी और उसके लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं।

दूसरी बात यह कही गई कि सांस्कृतिक गतिविधियों, आर्किटेक्चर आदि में भी कापीराइट का उल्लंघन होता है। ये सवाल ऐसे हैं कि जैसे-जैसे कापीराइट का दायरा बढ़ता जाता है तो कानून उसके हिसाब से बनते जाएंगे। अगर शिकायतें आएंगी, तकलीफें होंगी तो जरूर उसके निराकरण के लिए कापीराइट के अंदर कुछ और व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं है और ऐसी शिकायतें भी नहीं हैं। हां, अभी एक मित्र ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा कि इस कापीराइट के कारण से हमारी फिल्म इंडस्ट्री को तकलीफ हो जाएगी—यह तो हो सकता है। अगर हम किसी दूसरे देश के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं तो हमारे अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगेगा, इसलिए उसके बारे में चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। हम इस बात को देखें कि इसकी जो धारा 42-ए है उसका अर्थ गलत समझा गया है। दरअसल यही अतिरिक्त सुरक्षा हमारे देश के लेखकों को परामर्श दे रहा है। ये दोतरफा है। उधर प्रतिरक्षा देगा और हमें भी प्रतिरक्षा देगा। अगर वे कापीराइट का उल्लंघन करेंगे तो वे भी दंडित किए जाएंगे, चूंकि अब बहुपक्षीय समझौते हैं, बायलेटरल नहीं है बल्कि मल्टीलेटरल समझौते हैं, इसमें अकेले अमेरिकी लेखक नहीं है, 134 देश डब्ल्यू.टी.ओ. के सदस्य हैं और चीन जैसे बहुत से देश इसके सदस्य होना चाहते हैं, जो अभी तक डब्ल्यू.टी.ओ. के बाहर थे वे भी डब्ल्यू.टी.ओ. में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मित्र ने बहुत विरोध किया था।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया मंत्री जी को अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी: चीन उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है।...*(व्यवधान)* एक बात उठाई गई कि हमने इसका विरोध किया था, हां, जरूर किया था। मुझे अपने सारे भाषण याद हैं और जिस समय यह विरोध हो रहा था उस समय मैं सारे देश से कह रहा था कि इसे मत मानो, लेकिन जब देश ने मान लिया, जब सरकार ने संधि कर ली, हस्ताक्षर कर दिए तो यह बोझ देश के ऊपर आ गया।

अपराह्न 4.00 बजे

अब आप इस से यह नहीं कह सकते चूंकि आपने विरोध किया था और आज इस देश ने अंतरराष्ट्रीय समझौता कर लिया और अब उस समझौते से मुकर जायें। अगर संसद इस बात को तय कर दे कि इससे निकल जाना है तो अलग स्थित होगी। लेकिन आज जो स्थिति है, आप उस समझौते का अंग हैं, चाहे या न चाहे, मानें या न मानें। यह बात कहना तो बहुत आसान है कि डब्ल्यू.टी.ओ. का विरोध किया जाये लेकिन अब उसका समय निकल गया है। हम कर रहे थे लेकिन असफल हुये और देश ने उसको मान लिया, हम क्या करें? सब ने मान भी लिया। अब तो स्थिति को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब जरूरत इस बात की है कि इसका लाभ कैसे उठाया जाये जिससे कि देश को कम से कम नुकसान हो। मैं माननीय सांसद डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को बताना चाहता हूं कि जब तक यह सरकार है, भारत के हितों पर कोई आघात नहीं कर सकता, कोई भारत को खरीद नहीं सकता। मारन साहब यहां बैठे हुये हैं, उन्होंने सीएटल में सरकार का क्या रुख लिया। मैं भी उस सरकार में बैठा हूं, जॉर्ज साहब भी इसी सरकार में हैं तो निश्चय ही भारत का दृष्टिकोण लेंगे। यह पहली बार हुआ है कि सरकार ने इतनी मजबूती के साथ सीएटल में अपना पक्ष रखा। दुनिया के तमाम देशों ने इसकी सराहना की और दुनिया के तमाम देश हमारे साथ आये। यहां आप गर्मी से चाहे जो कहें लेकिन हमारे मारन साहब ने नरमी और गरमी दोनों तरह से अपना पक्ष रखा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में विश्व की अर्थव्यवस्था बड़ी जटिल है जिससे न केवल अपने देश को निकालना है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी निकालना है। अगर किसी को संदेह है कि यह कानून हमने दुनिया के किसी दूसरे देश के कहने पर बनाया है तो इससे अधिक गलतफहमी कोई नहीं हो सकती।

सभापति महोदय, उद्देश्य में लिखा जाता है कि हम यह कानून आज क्यों ला रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो समझौता बौद्धिक अधिकार से हुआ है, जो समझौता डब्ल्यू.टी.ओ. से हुआ है, उसकी कुछ अनिवार्यतायें हैं। अगर उन तारीखों में नहीं जायेंगे तो आपके ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगेंगे, अनेक प्रकार की कठिनाइयां आयेंगी। आपके ऊपर व्यापारिक दृष्टि से और कठिनाइयां बढ़ने की संभावना है। इसलिए आपको यह निश्चय करना पड़ेगा और वह निश्चय यह होगा कि आप उस कानून में ऐसा संशोधन करें और साथ-साथ आपकी जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञायें हैं, अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं, उनका भी पालन करें। अभी यहां कहा गया कि यह देश हित में नहीं है और इसका विरोध इसलिए किया

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

जा रहा है कि यह उद्देश्य में लिखा हुआ है कि डब्ल्यू.टी.ओ. के कम्पलाइंस में है। यह भी कहा गया कि अमरीका के किसी अधिकारी ने यह बयान दिया कि भारत वाचलिस्ट में है। जब हमने परमाणु विस्फोट किया, तब भी हम वाचलिस्ट में रहे। इंडिया तो वाचलिस्ट पर है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम उनसे दबकर कोई काम कर रहे हैं। हमें बहुत धमकियां दी गई थी। यह भी कहा गया था कि आपने परमाणु बम बना लिया, हम सैंक्शन्स लगा देंगे, हम आपके वैज्ञानिकों को बाहर कर देंगे। उस समय इस सदन में मैंने कहा था कि यदि हमारे विज्ञान और टैक्नालोजी पर सैक्शन्स लगाते हैं, अगर किसी वैज्ञानिक को बाहर करते हैं तो मैं अपने यहां सब वैज्ञानिकों को पूरी व्यवस्था दूंगा, उन्हें सुरक्षा दूंगा, नौकरियां दूंगा, प्रयोगशालाओं में काम करने के लिए पूरी सुविधाएं दूंगा। मुझे इस सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केवल एक वैज्ञानिक को छोड़कर बाकी बाहर से भारत नहीं आये और वह भी इसलिए आया क्योंकि उनका टर्म खत्म हो गया था। आज अमरीका में हिम्मत नहीं कि वह हमारे वैज्ञानिकों को वहां से बाहर निकाल सके और दुयिना का कोई भी देश बाहर नहीं निकाल सकता। हमारे वैज्ञानिक आज जिस जगह हैं, वे किसी के रहमो-करम पर नहीं हैं। आज विदेशों से वैज्ञानिक मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ करार करने के लिये तैयार हैं। हम आपकी प्रयोगशालाओं में आपस् में लेन-देन करने के लिए तैयार हैं। अपने वैज्ञानिकों को काम करने के लिए यहां भेजना चाहते हैं और एक्सचेंज करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, आज परिस्थिति बदल रही है और हम बदलकर दिखा देंगे कि आने वाली शताब्दी में इस देश की छवि ऐसी होगी जिसमें देश का आत्मसम्मान ऐसा होगा जैसा पहले कभी न था—यह मैं आपको वचन देता हूं। श्री वाजपेयी और हमारे एन.डी.ए. की तरफ से ऐसे प्रयत्न हो रहे हैं जिसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा।

हम इस तरह से नहीं बदलते हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम दूसरों के दबाव में ऐसा कर रहे हैं, दूसरों को देखकर कर रहे हैं या दूसरों की नकल कर रहे हैं—यह हमारी आदत नहीं है। यह उन लोगों की आदत है जिन्होंने रातों-रात जो कालोनियल वार था, उसे पीपुल्स वार में बदल दिया। अचानक एक दिन सुनाई दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो अभी तक इस देश की कुछ ताकतों का साथ दे रही थी, अंग्रेजों का विरोध कर रही थी, अचानक अंग्रेजों के पक्ष में हो गई। तब वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को तोजो का कुत्ता कहा करते थे, उसे याद करने की जरूरत है।...*(व्यवधान)* उन्हें बात समझनी चाहिए कि जो रूस को देखकर हिन्दुस्तान में सारी बातें किया करते थे। एक कामरेड उस वक्त छाता खोले हुए शामियाने के नीचे बैठा हुआ था तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई साहब आपने छाता क्यों खोल रखा है, आप तो शामियाने के नीचे हैं। वे बोले क्या आप नहीं जानते कि मास्को में बारिश हो रही है? जब मास्कों में बारिश होती थी तो ये लोग हिन्दुस्तान में छाता खोलते थे। उन लोगों की यह मानसिकता हो सकती है कि दुनिया के दूसरे देशों को देखकर कोई काम करता हो। यह सरकार और इसके सहयोगी भारत की जमीन को देखकर काम करते हैं, भारत की संस्कृति को देखकर काम करते हैं और उसे बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं बताना चाहता हूं...*(व्यवधान)* आप कोई चिंता न करें। मुझे बताया गया कि मीर, मीरा, कबीर, सूर और टैगोर इन सबके बारे में संरक्षण होना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर): मैं एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन चाहता हूं।

[अनुवाद]

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं आपसे सहमत नहीं हूँ।

सभापति महोदय: श्री सी.के. जाफर शरीफ, कृपया बैठ जाइए। वह आपसे सहमत नहीं हैं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, जब आप वहाँ थे, वे आपसे सहमत नहीं थे।

सभापति महोदय: यह एक भिन्न बात है।

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं आपसे सहमत नहीं हूँ।

श्री सी.के. जाफर शरीफ: क्यों?

डा. मुरली मनोहर जोशी: यह मेरा अधिकार है। इस समय, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ।

सभापति महोदय: श्री सी.के. जाफर शरीफ, कृपया बैठ जाइए। वह आपसे सहमत नहीं हैं। उत्तर समाप्त होने के बाद आप स्पष्टीकरण माँग सकते हैं?

श्री सी.के. जाफर शरीफ: उत्तर के बाद इसका क्या फायदा होगा? यह केवल अभी संगत है...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा है कि अन्य देशों से काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ हमारा ज्ञान हासिल करने आ रहे हैं और देश उस स्थिति पर पहुँच चुका है कि उसे दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। क्या यह इन सभी वर्षों की तपस्या का फल है अथवा केवल तीन महीने का फल है जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: जी हाँ, निश्चय ही इसमें सभी सरकारों का योगदान है, इसमें भारत के लोगों का योगदान है कि हम इस स्थिति तक पहुँचे हैं। आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है?

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल): जाफर शरीफ साहब आपको इनफीरियरटी कॉम्पलैक्स क्यों हो रहा है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि इसमें आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। पहला एटम बम तो मिसेज गांधी के जमाने में फोड़ा गया था। क्या बात है। आपको मालूम होना चाहिए। *..(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: किस सरकार ने आज तक देश के हित में फैसले किये, वह जोशी जी ने कह दिया, जो कि उन्हें नहीं कहना चाहिए था। जो भी सरकार में रहे हैं, सबने देश हित सर्वोपरि रखा है। चाहे कोई भी रहा हो *...(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर मैंने एक फिल्म बनाई थी जिसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर आज तक देश के सारे प्रधान मंत्रियों के योगदान को दिखाया था। इसलिए आप मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकते। मैं अन्य सरकारों के योगदान की बात कर रहा था, अभी तक जो सरकारें रही हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): ऐसा नहीं है कि वे किसी का पक्ष ले रहे हैं। यह अब इतिहास बन चुका है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया प्रतिलिप्यधिकार विधेयक तक ही सीमित रहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। कुछ प्रतिलिप्यधिकार कांग्रेस के हैं और कुछ प्रतिलिप्यधिकार, भा.ज.पा. के हैं। बस इतना ही है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: दासमुन्शी जी, ध्यानपूर्वक सुनिये, लेकिन जब आपकी सरकारें होती हैं, तब आप दूसरी सरकारों को बिल्कुल काटकर रख देते हैं। उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते हैं, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं।*...(व्यवधान)* इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। हमने यह तय किया है कि कापीराइट की सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देंगे। जिससे सामान्य लेखकों के अधिकार सुरक्षित हो सके। इस कानून में जो संशोधन किया जा रहा है वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे कानून ठीक हो जाएं, उस नाते से ठीक किया जा रहा है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह अकेला ऐसा विधेयक इधर आया होगा जिसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो भारत के हितों पर कहीं से आघात करती हो। किसी और विधेयक में आप कह सकते हैं कि यहां थोड़ी सी कमी रह गई। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि कहीं कोई कमी नहीं है। हर एक क्षेत्र को हमने इसमें कंसीडर किया है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि सदन सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास करेगा और कलाकारों, निर्माताओं और लेखकों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे कानून की मान्यता रखते हुए, जिससे कि डिस्प्यूट्स न हों, क्योंकि झगड़े होने पर जो प्रक्रिया होती है, उसमें सामान्य लेखक के लिए बड़ी कठिनाई आती है। वह इन मामलों में लड़ नहीं सकेगा क्योंकि हमारा लेखक वैसे ही कमजोर है। इसलिए यह कानून इस दृष्टि से बना है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को मान्य करने के लिए भी बना है और देश के कलाकारों, साहित्यकारों के हित में भी बना है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे सर्वसम्मति से पास करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जादे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.12 बजे

व्यापार चिह्न विधेयक*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री, श्री मुरासोली मारन प्रस्ताव करेंगे कि व्यापार चिह्न विधेयक पर विचार किया जाए। इसके लिए 2 घन्टे का समय दिया गया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"व्यापार चिह्नों से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने, माल और सेवाओं के लिए व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण और बेहतर संरक्षण और कपटपूर्ण चिह्नों के प्रयोग का निवारण करने का उपबंध करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

महोदय, सभा के समक्ष यह प्रस्ताव है कि व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 को निरस्त और बदलकर उसके स्थान पर जो नया कानून व्यापार चिह्न विधेयक 1999 लाया गया है, उस पर विचार किया जाए। सरकार ने इस विधेयक को लाकर बौद्धिक संपदा के संबंध में कानूनों को आधुनिक बनाने और उन्हें अधिक उपयोग के अनुकूल बनाने की पहल की है। भारत में व्यापार चिह्न के पंजीकरण और संरक्षण से संबंधित कानून व्यापार और पण्य वस्तु अधिनियम 1958 था। चार दशकों से जब से यह अधिनियम प्रवृत्त हुआ था। तब से इसमें संशोधन नहीं किया गया है।

प्रस्तावित विधान व्यापार चिह्न से संबंधित कानून का संशोधन और समेकन करने के लिए लाया गया है जिससे वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार चिह्न का पंजीकरण हो और इसे बेहतर संरक्षण मिले जिससे कपटपूर्ण चिह्नों के इस्तेमाल को रोका जा सके। भारत में विद्यमान, बाजार की दशा, में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण, उद्योग क्षेत्र से यह मांग है कि व्यापार की आवश्यकता के आधार पर वर्तमान विधान में संशोधन किया जाए और उपभोक्ताओं को कपटपूर्ण वाणिज्य के नए तरीकों से बचाया जाए। इसलिए वर्तमान विधेयक में प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। चूंकि यह प्रतिस्थापन विधेयक है, 1958 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा और उसके स्थान पर इस विधेयक की प्रतिस्थापना होगी।

प्रस्तावित विधेयक वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं के व्यापार चिह्न के पंजीकरण के संरक्षण को प्रारंभ करने के लिए है। यह सुपरिचित व्यापार चिह्नों को भी संरक्षण देने और भाग क और ख में पंजीकरण की प्रथा को समाप्त करने और पंजीकरण के समान अधिकार के साथ एक कंप्यूटरीकृत पंजीयन प्रदान करने और सारी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए है। इस विधेयक में यह भी प्रयत्न रहेगा कि संघों द्वारा सामूहिक व्यापार चिह्न के पंजीयन को भी संरक्षण दिया जाए। इसका आगे यह भी प्रयत्न रहेगा कि अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए अपील बोर्ड प्रदान किया जाए और उच्च न्यायालय के समक्ष पड़े प्रार्थना पत्रों में कमी लाई जाए।

हमें हमारे अपने वाणिज्य, व्यापार और उद्योग को इस प्रतियोगी दुनिया में फलने-फूलने के लिए पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है और हमें उपयुक्त विधान के अभाव में इसके लाभ और संरक्षण को खोना नहीं है।

प्रस्तावित विधान व्यापार चिह्न कानून को सरल और अधिक सुलभ रूप से प्रस्तुत करेगा और उपभोक्ताओं और व्यापार के हितों का संरक्षण करेगा। यह भारतीय व्यापार चिह्नों को सभी अन्य देशों से पारस्परिक संरक्षण भी प्रदान करेगा।

व्यापार चिह्न विधेयक लोक सभा में अप्रैल, 1993 में प्रस्तुत हुआ था। इसे उद्योग संबंधी विभागों से सम्बद्ध संसदीय स्थाई समिति को सौंपा गया था, जिसने अपना प्रतिवेदन अप्रैल, 1994 में प्रस्तुत किया था। समिति की सभी सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था और मई 29, 1995 को लोक सभा में विधेयक को पारित करते समय आवश्यक संशोधन को सम्मिलित किया गया था। दसवीं लोक सभा के भंग होने के कारण विधेयक रद्द हो गया था। यह विधेयक इसलिए 1995 का ही विधेयक है। हालांकि, विधि मंत्री के सुझाव पर, कुछ बदलाव इसके प्रारूप में बदलाव के दृष्टिकोण से और अपील निकाय की रचना में कुछ बदलाव के कारण इसमें शामिल किए गए है। इसके अलावा, इस विधेयक में विशेष परिवर्तन नहीं हुए हैं। इसलिए, मैं इस आदरणीय

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.12.1999 में प्रकाशित।

सभा का व्यापार चिह्न विधेयक, 1999 के विचारार्थ संपूर्ण सहयोग चाहूंगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि व्यापार चिह्नों से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने, माल और सेवाओं के लिए व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण और बेहतर संरक्षण और कपटपूर्ण चिह्नों के प्रयोग का निवारण करने का उपबंध करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं कि, इस वक्त डा. मुरली मनोहर जोशी यहां उपस्थित नहीं हैं।

मैं वर्तमान भारत सरकार को उनकी अननुरूपता जब वे विपक्ष में थे और साथ ही अब उनकी अननुरूपता जब वे सत्ता पक्ष में है के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। जब इस विधान को 1995 की नरसिम्हा राव सरकार के दौरान लाया गया था, इसका हमारे माननीय मित्रों ने जो अब सत्ता पक्ष में बैठे है ने विरोध किया था। प्रतिलिप्यधिकार विधेयक के साथ भी यही हाल हुआ था, इसका भी माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ा विरोध किया था। चलो, विलम्ब से ही सही उन्हें इस बात का अहसास हुआ कि जो कुछ कांग्रेस ने किया वह सही था। इसलिए, अब उन्होंने अपने शब्दों को बदल दिया है। मैं उन्हें उनके देर से आए विवेक पर धन्यवाद देता हूं और उनके परस्पर-विरोधी दृष्टिकोण पर दुःख महसूस करता हूं।

इस विधान को अब आप की सरकार प्रस्तुत करेगी। मुझे अधिक कुछ नहीं कहना लेकिन मैं माननीय मंत्री का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि यह मुद्दे उनके मंत्रालय से संबंधित है।

प्रथम, मैं दार्जिलिंग चाय और असम चाय का मुद्दा ले रहा हूं। माननीय मंत्री मुझसे सहमत होंगे कि दार्जिलिंग चाय का 'लोगो' 1984-89 में राजीव गांधी सरकार के दौरान अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए प्रयोग में लाया गया। इस देश में व्यापार चिह्न और लोगों की नकल करने और सारी बातों को बहुत ही गुपचुप ढंग से करने और भारत से बाहर विशेषरूप से मध्य-पूर्व में अलग किस्म की नकली चाय जैसे 'दार्जिलिंग टी' बेचने के प्रयास किए गए थे। इस मामलों को उस समय वाणिज्य मंत्री के ध्यान में लाया गया था उन्होंने इसकी सावधानीपूर्वक जांच की और कहा, व्यापार चिह्न की अवधारणा कतिपय उपबंधों को जोड़ना होगा। इसी तरह 'असम टी' का अलग ब्रांड, लोगो व सुगन्ध है, इसे घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में अच्छे दाम मिल रहे थे। हमारे घरेलू चाय उद्योग ने, विशेष रूप से उन लोगों ने जो मध्य-पूर्व और खाड़ी क्षेत्र में चाय बेचना चाहते हैं, उसकी नकल करने के प्रयास किए।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान खंड 115 के उपबंधों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दुर्भाग्य से मैं दसवीं लोक सभा का सदस्य नहीं था। नहीं तो मैं यह उल्लेख करता हूं कि कुछ कमी है। मुझे खेद है कि सरकार ने उस पर गौर नहीं किया। सरकार विधेयक को पारित करने की उतावली में है। वह खामी क्या है?

प्रतिलिप्यधिकार विधेयक के अन्तर्गत जहां तक पुलिस जांच का संबंध है एक उपनिरीक्षक मामले का संज्ञान लेता है और दस्तावेज तैयार करता है। जबकि व्यापार चिह्न विधेयक के खंड 115 के अन्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक से नीचे के रैंक का पुलिस अधिकारी इस कार्य के लिए प्राधिकृत नहीं है? मैं इस प्रश्न को माननीय मंत्री पर छोड़ देता हूं। आज उपभोक्तावाद जितना समझा देखा जाता है उससे पन्द्रह गुणा अधिक बढ़ गया है।

हमारी अर्थव्यवस्था में खुलापन आने के कारण बाजार की विस्तृत संभावनाओं को तलाशने के लिए उपभोक्तावाद सीधे गांवों तक प्रवेश करेगा। सभी कंपनियां, चाहे वे भारत की हों या विदेशी से आएंगी और प्रतियोगिता करेंगी व एक-दूसरे के बाजार पर कब्जा करने का प्रयास करेंगी। मानो, गुजरात के एक गांव या तहसील, पश्चिम बंगाल के किसी विकास खंड या उत्तर प्रदेश के किसी उपमंडलीय कस्बे में यदि ऐसी शिकायतें आती हैं तो उनकी जांच कौन करेगा? वर्तमान में प्रत्येक जिले में दो या तीन से अधिक पुलिस उपाधीक्षक नहीं है। जिनमें से एक कानून व व्यवस्था बनाए रखने का कार्य देखता है दूसरा न्यायिक मामलों की निगरानी का कार्य देखता है और तीसरा जब पुलिस अधीक्षक जिले से बाहर होता है तो वह उसका कार्य देखता है। सरकार ने व्यापार चिह्न के इन मामलों को उपनिरीक्षक से वापस ले लिया है क्योंकि बड़ी कंपनियां व ऐसे अन्य ग्रुप इससे आसानी से इनकी अधिकारिता से बच जाते हैं। अब पहले शिकायत दर्ज करनी होगी फिर इसे प्रशासन की जानकारी में लाना होगा और पुलिस उपाधीक्षक तहां जाता है। क्या आप इसे उचित समझते है कि पुलिस उपाधीक्षक इन सब कार्यों के लिए मुख्यालय से तहसील में जाए? प्रतिलिप्यधिकार के मामले में यह कार्य पुलिस उप-निरीक्षक पर छोड़ दिया गया है किन्तु व्यापार चिह्न के मामले में, जिसका क्षेत्र प्रतिलिप्यधिकार से व्यापक है, यह कार्य पुलिस उपाधीक्षक पर छोड़ा गया है।

मैं स्वयं या अपनी पार्टी की ओर से किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं। सरकार इस विधेयक को इसी रूप में पारित कर सकती है किंतु वह इस बारे में मंत्रालय में इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर सकती है। संभवतया यह ऐसा उपबंध है जो उन लोगों को इस बात के पर्याप्त अवसर देगा जो

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

जानबूझ कर व्यापार चिह्न संबंधी बाध्यताओं का उल्लंघन कर रहे हैं और अपना व्यापार चला रहे हैं ऐसे लोगों को कभी भी कानून के शिकंजे में नहीं लिया जाएगा। चूंकि ये मामले उपनिरीक्षक की अधिकारिता में नहीं है, मैं ईमानदार उपनिरीक्षक की बात नहीं कर रहा हूं अपितु बेईमान उपनिरीक्षक की बात कर रहा हूं अत: वह उन्हें अपनी मनमर्जी से चलने देगा। वह तब तक उन बातों का संज्ञान लेने के लिए जवाबदेह नहीं है जब तक इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक नहीं आता है। अहमदाबाद, कन्नानौर या दार्जिलिंग में उसके लिए इन लोगों का संज्ञान लेना और उनके खिलाफ कार्यवाही करना बहुत कठिन होगा। यह बहुत कठिन है। मैं पुलिस उपाधीक्षक के कार्यों को जानता हूं। मुझे हैरानी है कि अभी भी ऐसी धारणा है। हो सकता है यह माना गया है कि व्यापार चिह्न के मामले बहुत कम हों और बड़े लोग और बड़ी कंपनियां न चाहती हों कि उनसे पुलिस उपाधीक्षक से कम रैंक का अधिकारी पूछताछ करें, उनका पर्यवेक्षण करे या उनसे बातचीत करें। उस मामले में यह बहुत ही खतरनाक होगा।

मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि यह एकमात्र ऐसा उपबंध है जिसमें कोई कमी पायी जा सकती है अन्यथा अन्य बातें सही है। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को यहां पारित करवाने के पश्चात् यह देखने के लिए इसका सामान्य अध्ययन करें कि अर्थव्यवस्था को खोलने के समय, प्रतिस्पर्धा या भारतीय उत्पादों के व्यापार चिह्नों को चुनौती देने में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर जवाबी प्रयास किए जा सकते है, साथ ही उन कमियों पर भी गौर करे जिन्हें दूर करने के लिए भविष्य में जिनमें संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

कुछ स्थापित व्यापार चिह्न भी कुछ समस्याएं पैदा कर रहे है। इस संबंध में एक उपबंध है कि कोई ऐसा व्यापार चिह्न न दिया जाए जो धार्मिक भावनाओं आदि को प्रभावित करता हो। मैं इससे सहमत हूं। ममता जी यहां नहीं है। मुझे हैरानी है कि धूम्रपान का बंदरों से क्या संबंध है। हिन्दुस्तान में एक वानर भाई बीड़ी है। मेरा समझ में यह बात नहीं आती कि धूम्रपान का बंदरों और हाथी का सरसों के तेल से क्या संबंध है।

[हिन्दी]

हाथी मार्का तेल खरीदों तो अच्छा है। हाथी मार्का तेल एक समय में इतना मशहूर हो गया था कि सब लोग गलतफहमी में थे कि दवा की छाप है तो ठीक है।

अनुवाद]

हाथी पर सवार कोई व्यक्ति चिल्लाता है, वह तेल खरीदेगा। वह उस बेचारे हाथी को खाना नहीं देता है। किंतु वह किसी व्यक्ति को हाथी पर बैठा देता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हम वन्य जीवों का बहुत आदर करते हैं और जिस प्रकार उपभोक्तावाद की खातिर हाथी या बाघ या बंदर के प्रतीक का प्रयोग किया जा रहा है वह मेरे लिए बड़ा ही कष्टदायी व दुखदायी है। किंतु कभी-कभी यह हास्य और रहस्य का विषय बन जाता है।

यह सच है कि ब्रुक बांड एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है किंतु वह हमारे देश में कारोबार कर रही है। किसी ने ब्रुक ब्रांड चाय की नकल की। जब मैं मंत्री था तो मैंने ठीक वही बात पाई। उन्होंने बुक बाउंड चाय लिखा, जब मैंने पूछा कि यह बुक बाउंड क्यों है तो उन्होंने बताया:

[हिन्दी]

"इस कागज से हम चाय बिकने के बाद खाता-किताब तय करते है।"

[अनुवाद]

अंग्रेजी में ब्रुक बांड और बुक बाउंड दो अलग-अलग शब्द हैं किंतु बोलने में बुक बाउंड ब्रुक बांड के समान आवाज देता है। निश्चित तौर पर ब्रुक बांड एक शक्तिशाली कंपनी है। उसने मुकाबला किया और उन्हें तबाह किया। यह अलग मुद्दा है।

भारत में यह सुस्थापित है। यदि कभी कोई ऐसी चुनौती देना चाहता है और कोई शरारत करता है तो इस संबंध में उपबंध हैं। कैसे उपबंध हैं? मैं एक सटीक उदाहरण देता हूं। मैं ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य हूं। दो सुस्थापित ग्रुपों के साबुन है–रेक्सोना और लिरिल। उनके अपने व्यापार चिह्न हैं। उनका अपना पैटर्न भी है। चुनाव प्रचार के दौरान एक दिन मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करने एक हाट में गया। मैंने पाया कि वहां पर रेक्सोना साबुन बिक रही है। यह देखने में रेक्सोना साबुन की तरह थी। वे सभी बोल रहे थे: रेक्सोना सस्ते में, गांव के लोग खरीद रहे हैं। यह असली उत्पाद की तरह दिख रहा था केवल 'एक्स' अक्षर को बदला गया था। जब तक उपनिरीक्षक उन्हें मौके पर नहीं पकड़ लेता पुलिस उपाधीक्षक तस्वीर में कैसे आएगा?

इसलिए मैं माननीय मंत्री से इन पहलुओं पर गौर करने का आग्रह करता हूं। वे आज ही विधेयक पारित करवा सकते हैं। हम सभी इसका समर्थन करते हैं। किंतु ये आशंकाएं बलवती हो रही हैं। भविष्य में यदि आप समझते हैं कि इस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इसमें कुछ और क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है तो यह उद्योग, व्यापार, भावी भागीदारी और कंपनियों की बीच प्रतिस्पर्धा के लिए अच्छा होगा।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विपक्ष के माननीय सदस्य ने कहा है कि यह विधेयक उनकी पार्टी द्वारा तब लाया गया था जब वह सत्ता में थी। इस विधेयक का वे समर्थन कर रहे है हालांकि इसे इस पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह विधेयक भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधेयकों में से एक है। यह संपूर्ण बाजार, व्यापार वाणिज्य को बदल देगा क्योंकि ई-कामर्स बड़े पैमाने पर भारत में अपने पैर पसार रहा है। अगले दस वर्षों में न केवल मध्यमवर्गीय या शहरी संभ्रान्त लोग अपितु ग्रामीण भारत के भी अधिकतर लोग टेलीविजन देखकर और ई-मेल्स भेज कर सामान खरीद रहे होंगे। इसीलिए व्यापार चिह्न विधेयक भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधेयकों में से एक है।

अपराह्न 4.29 बजे

(**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन* हुए)

कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई है जैसा आज कहा गया है कि करी का जापान में पेटेंट किया जा रहा है। करी का जापान से क्या सरोकार है?

अमरीका में बासमती और अन्य वस्तुओं का पेटेंट किया जा रहा है। भारतीयों के मन में ये आशंकाएं हैं। आपको इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। आज इत्र का सबसे बड़ा बाजार है, इसका बाजार शराब व बीयर के बाजार से भी बड़ा है। इसका बाजार सबसे बड़ा है। क्या आप जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं? उन्होंने पहले ही जयपुर इत्र बना दी है। अब प्रश्न उठता है कि जयपुर क्या है? जयपुर भारत का एक प्रसिद्ध शहर है, इसका अपना इतिहास है। इसका सैकड़ों वर्षों का इतिहास है और वह भी महाराजाओं और शासन व्यवस्था का इतिहास है, वे अकबर के साथ रहे उन्होंने मराठों के विरुद्ध लड़ा और अनेक कार्य किए, इस शहर के संपूर्ण इतिहास को एक इत्र कंपनी ने हर लिया है। क्या हम इसे रोक सकते है? हम इसे नहीं रोक सकते हैं।

फिर एक और समस्या है जिस पर हमें गौर करना होगा। जयपुर की एक फर्म ऑटोलाइट के लोग पेरिस गए, एक छोटी सी गलती के लिए फ्रांस पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। उनके पास पैसा भी नहीं था और वे नहीं जानते थे कि उन्हें जेल में क्यों डाला गया व उनकी गलती क्या है। उन्हें व्यापार चिह्न या पेटेंट के कारण जेल जाना पड़ा। भारतीय उद्योग के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियों का मुकाबला करना या उनके साथ मुकदमेबाजी के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं है। लोगों के मन में ये आशंकाएं हैं और हमें इन्हें दूर करने के लिए कुछ करना होगा।

व्यापार चिह्न प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है इस संबंध में एक रोचक कहानी है। यहां सोनी के बोर्ड के अध्यक्ष श्री अतियो मोरिता को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा, उन्होंने अपनी पुस्तक "मेड इन जापान" में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार चिह्न के बारे में प्रकाश डाला है। वे लिखते है कि 1955 में जब सोनी रेडियो बनाने वाली एक छोटी सी कंपनी थी, वे अमरीका गए और उन्हें वहां 100,000 रेडियो सेट का बड़ा क्रयादेश प्राप्त हुआ लेकिन इस क्रयादेश को देने वाली अमरीकी फर्म बुल्लोवा ने एक शर्त रखी। इस फर्म ने शर्त रखी कि इन रेडियो सेटों पर 'सोनी' न लिखा हो अपितु "बुल्लोवा" लिखा हो। इस छोटे से व्यापारी की दशा की कल्पना कीजिए। 1955 में सोनी को 100,000 रेडियो सेट का बड़ा क्रयादेश मिल रहा था। उन्होंने कहा, "क्या मुझे यह क्रयादेश स्वीकार करना चाहिए या क्या मुझे 'सोनी' के नाम पर ही अड़ा रहना चाहिए?" माना वे बुल्लोवा के इस क्रयादेश को ले लेते तो आज जिस प्रसिद्ध रेडियो का नाम घर-घर पहुंच गया है वह आज नहीं होता। आज सोनी का नाम नहीं होता। वे लिखते हैं कि यह उनके जीवनकाल का सर्वोत्तम निर्णय था अर्थात् उन्होंने उक्त फर्म के आदेश को अस्वीकार किया और सोनी रेडियो बनाया। सच यह है कि हमें सोनी से सबक लेना होगा और यह सीखना होगा कि हमारा उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का किस प्रकार सामना कर सकता है। अन्यथा हमें बड़ा क्रयादेश मिलेगा और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा नाम होगा। किंतु वास्तव में वे लोग हमारा उपयोग कर रहे हैं।

अन्त में इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि उन्हें नवीकरण प्रणाली को बदलने के बारे में भी सोचना चाहिए। नवीकरण प्रणाली में यदि कोई अपने व्यापार चिह्न का नवीकरण कराना भूल जाता है और यदि स्थिति कुछ समय तक ऐसी ही चलती रही तो क्या सरकार उस व्यापार चिह्न को किसी और को दे देगी? क्या यह संभव होगा? उदाहरण के लिए हम टाटा की इंडिका कार को लेते हैं।

कुछ समय बाद, यदि उन्होंने किसी अन्य नाम का इस्तेमाल करना आरम्भ कर दिया और इन्डिका नाम का इस्तेमाल बंद कर दिया तो क्या सरकार इन्डिका नाम भारत के किसी अन्य कार निर्माता को देगी जो कि इन्डिका नाम और "टाटा" ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करेगा? क्या यह ट्रेडमार्क दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा। इस संबंध में विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है।

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर]

एक अन्य बात है कि जापान, फ्रांस और अमरीका में यदि कोई किसी ट्रेड-मार्क को तीन वर्ष तक इस्तेमाल में नहीं लाता है तो वह उसका आगे इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह रद्द हो जाता है। उस ट्रेडमार्क को नए सिरे से पुन: जारी किया जाता है।

माननीय मंत्री महोदय, क्या आपने हमारे देश में भी ऐसा कुछ करने के लिए सोचा है? मूलत: यह विधेयक अन्य देशों के नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अथवा समान होना चाहिए जिसमें हमें भी लाभ हो सके। यह एक-तरफा नहीं हो सकता है कि वह हमसे लाभ कमायें और हम उनसे लाभ न कमायें।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): माननीय सभापति महोदय, मैं तहेदिल से माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक वर्ष 1993 में इस सभा में लाया गया था लेकिन उस समय इसे अन्य सदस्यों के विचार जानने के लिए स्थायी समिति को सौंप दिया गया था। अन्त में, विचार सामने आए और अब फिर माननीय मंत्री महोदय ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। यह देश की पण्य वस्तुओं के लिए आवश्यक है। क्योंकि, जैसा कि आप जानते है, भारत विविध संस्कृतियों, विविध कृषि संबंधी परम्पराओं, विविध व्यवसायों और विविध लोगों का देश है। अत: प्रत्येक क्षेत्र का अपना ट्रेड मार्क है। इसकी अपनी पहचान इसकी अपनी विशेषता है। अपनी पहचान की रक्षा के लिए यह विधेयक बहुत आवश्यक है।

जैसा कि आप जानते हैं आज सार्वभौमिकीकरण के विश्व में भारत ने उदार नीतियों को स्वीकार कर लिया है-यदि यह विधेयक पारित नहीं हुआ और यदि यह विधेयक प्रचलित नहीं होता, तो हमारे भारतीय उत्पाद, आयुर्वेदिक उत्पाद अथवा जो उत्पाद आयुर्वेदिक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं अथवा जिन उत्पादों का भारतीयकरण कर दिया गया है, उनका सार्वभौमिकीकरण कर दिया जाएगा; धीरे-धीरे यह उत्पाद समाप्त हो जायेंगे और इन उत्पादों पर निर्भर लोग बर्बाद हो जायेंगे। अत: विधान का यह भाग उनकी पहचान की रक्षा करेगा। यह प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की तरह है जो कि विधान के इस भाग से आधा घंटा पहले पारित हुआ था जो कि साहित्य तथा कलाकारों को संरक्षण प्रदान करता है। अत: पण्य वस्तुओं का ट्रेड मार्क अथवा ट्रेड उत्पाद का एक बृहत् क्षेत्र है।

इसमें अनेक स्थानीय वस्तुएं शामिल होती हैं जिनको संरक्षण प्रदान करना है। इसलिए, यह विधेयक माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। हम इसे तहेदिल से समर्थन देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसे आगे भी समर्थन प्राप्त होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन कुछ बातें स्पष्ट करनी होंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि देश के लिए ट्रेड मार्क के संबंध में एक व्यापक कानून बनाना बहुत आवश्यक है। व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 को प्रतिस्थापित करना भी आवश्यक है। यह भी अनिवार्य है।

माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी यह कह रहे थे कि वर्तमान सरकार अथवा सत्तारूढ़ दल पलट रहे हैं, वह वर्ष 1995 में इसका विरोध कर रहे थे और अब वे इसका समर्थन कर रहे हैं। वर्ष 1995 में, समूचा देश गुस्से में भभक रहा था जब भारत ने डंकल प्रस्ताव और गैट पर हस्ताक्षर किए थे। तत्कालीन सरकार ने बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर भी हस्ताक्षर किए जिसे 'ट्रिप्स' के नाम से जाना जाता है। 1 जनवरी, 1995 से विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। हम उस समय बहुत दु:खी थे कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। विश्व व्यापार संगठन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर कर हम यह जानना चाहते थे कि हमें कुछ लाभ हुआ है अथवा नहीं। लेकिन हमें कुछ लाभ नहीं हुआ है। यह मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। इसमें कोई शंका नहीं है, कि यह भारत के हितों के विरुद्ध है।

महोदय, आप इस संबंध में मुझसे सहमत होंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। विश्व व्यापार संगठन और 'ट्रिप्स' समझौते में, सदस्य राष्ट्रों के लिए कुछ बाध्यताएं हैं-चाहे वह विकासशील राष्ट्र हो अथवा विकसित राष्ट्र हों। उन्हें आठ पहलुओं के संबंध में कानून बनाने के लिए कहा गया है। वह हैं: (1) प्रतिलिप्यधिकार और संबद्ध अधिकार; (2) ट्रेड मार्क अधिकार; (3) माल का भौगोलिक उपदर्शन; (4) औद्योगिक डिजाइन; (5) पेटेंट्स; (6) अभिन्यास डिजाइन (7) इन्टेग्रेटिड सर्किट की स्थलाकृति; (8) अप्रकट सूचना का संरक्षण और संविदात्मक अनुज्ञप्तियों में प्रतिस्पर्द्धा रोधी कार्यों पर नियंत्रण। इन राष्ट्रों द्वारा इन आठ पहलुओं पर कानून बनाने है। यह समझौता किया गया था। विकसित देशों के लिए एक वर्ष का समय दिया गया था। इसका अर्थ है, यदि उन्होंने पहले कानून नहीं बनाए है तो उन्हें 1 जनवरी 1996 तक अपने कानून बनाने हैं, हमारे जैसे विकासशील दशों के लिए चार अन्य वर्ष दिए गए थे। इसका अर्थ है हमारे पास 31 दिसम्बर, 1999 तक का समय है। क्योंकि 31 दिसम्बर, 1999 समीप आ रहा है इसलिए हमें इस विधेयक को पारित करना है। यह एक बाध्यता है। इन आठ पहलुओं में से हमारे पास चार कानून हैं; (1) पेटेंट अधिनियम, 1970 जिसमें संशोधन किया जा रहा है; (2) व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 जो कि निरसित और प्रतिस्थापित होने जा रहा है; और (3) डिजाइन

आधानयम, 1911 जिस पर शीघ्र ही चर्चा की जाएगी और प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 जिसमें कुछ घंटे पहले संशोधन किया गया है। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 को दोनों सदनों में पहले ही पारित कर दिया गया है। अन्य कानून विद्यमान हैं। अत: विश्व व्यापार संगठन और व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की यह आवश्यकता है और एक अनिवार्यता है। इन दोनों विधेयकों—व्यापार चिह्न विधेयक और माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) विधेयक—पर एक साथ चर्चा की जानी चाहिए। मेरे विचार में इस तरह से चर्चा अच्छी होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक पूर्व कानून की धारा 115 का संबंध है, मैं भी श्री मुंशी के साथ हूं। अब यह भी वर्तमान विधेयक में शामिल हैं। पुलिस उपायुक्त अपराध का संज्ञान करेंगे। इसे उप-निरीक्षक को सौंप देना चाहिए। यह सही है। वह सही कह रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय निश्चय ही इसकी जांच करेंगे और फिर आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

मैं आपको कुछ बातों के बारे में बताता हूं। मैं इस देश के पूर्वी क्षेत्र से संबंध रखता हूं। आप में से अधिकतर लोग विशेषकर महिलायें 'सम्बलपुरी' साड़ियों और सम्बलपुरी हथकरघा कपड़े के बारे में जानते होंगे। इसकी तुलना किसी कपड़े से नहीं की जा सकती है। यह पूर्णत: भिन्न है। यह केवल एक प्रिंटिड साड़ी ही नहीं है। इसे 'टाई एण्ड डाई' तरीके से तैयार किया जाता है। जिस व्यक्ति ने इसे लोकप्रिय बनाया वह पद्म श्री कुथरथा आचार्य से कम नहीं है जिनके पुत्र, श्री प्रसन्ना आचार्य, माननीय सदस्य के रूप में इस सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं।

सम्बलपुरी साड़ी की नकल की गई है। यह प्रिंट द्वारा नहीं बल्कि 'टाई एण्ड डाई' तकनीक द्वारा किया गया है। ऐसी कार्यविधि अथवा तकनीक का सम्बलपुरी साड़ियों अथवा सम्बलपुरी कपड़े की तरह हथकरघा साड़ियों के लिए विश्व में कहीं और प्रयोग नहीं किया जाता है। सम्बलपुरी साड़ी की अन्य लोगों ने प्रिंट द्वारा नकल की है। अत: न केवल देश के अन्दर बल्कि देश के बाहर भी सम्बलपुरी साड़ियों का व्यापार प्रभावित हुआ है।

मैं आपको एक बात और बताता हूं। एक मिठाई है, जिसे 'नीमपादा झिल्ली' के नाम से जाना जाता है। यह पनीर से बनाई जाती है। 'नीमपादा झिल्ली' उस क्षेत्र में बनती है जिस क्षेत्र से माननीय सदस्य श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी संबंध रखते हैं। मैं उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। भारत में कहीं भी पनीर से बनी 'नीमपादा झिल्ली' जैसी मिठाई नहीं बनती है। अनेक लोगों ने उसकी नकल करने की कोशिश की। लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहे।

पश्चिम बंगाल के मेरे मित्र यहां उपस्थित है। उन्हें 'रसगुल्ला' बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊं कि यदि कोई व्यक्ति श्री त्रिपाठी के निर्वाचन क्षेत्र में जाए तो आपको पता चलेगा कि 'पहारा रसगुल्ला' को राष्ट्रीय नाम दिया गया है।

श्री अबुल हसनत खां (जंगीपुर): यह 'रसगुल्ला' का बंगाली रूप है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: 'पहारा रसगुल्ला' अलग हैं।

श्री अबुल हसनत खां : उसका प्रति किलोग्राम क्या मूल्य है?

श्री त्रिलोचन कानूनगो : अगली बार मैं, यह आपके लिए ले आऊंगा।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक कोई ट्रेडमार्क नहीं दिया जाता तब तक स्वाभाविक रूप से वस्तुओं की नकल की जाती रहेगी और देश भर में उनका बाजार कम हो जाएगा।

केवल यहीं नहीं इस देश में वनस्पति और जीव जन्तुओं की 45,000 प्रजातियां हैं।

एक स्पष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है और केवल समूचे देश का 50 से 60 प्रतिशत सर्वेक्षण किया गया है। यह बिना क्रम के किया गया है। उन्होंने पौधों की लगभग 45,000 भिन्न किस्में पता लगाई हैं। पशु और पक्षियों का लगभग 81,000 प्रजातियां हैं।

महोदय, श्री बांके बिहारी दास जो कि बीमार हैं और राज्य सभा के सदस्य हैं—समाजवादी लोगों ने उनके बारे में अवश्य सुना होगा—वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आए थे। उनको गठिया रोग था। चिकित्सकों ने उन्हें बताया कि वह इस बीमारी के लिए दवा की भूमि उड़ीसा से यहां आए हैं। उन्होंने उन्हें कहा कि वह दिल्ली क्यों आए जबकि उड़ीसा में ही इसकी दवा उपलब्ध है। बांके बाबू ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि वह दवा क्या है और कहां मिलती है। डाक्टरों ने उन्हें कहा कि भारतीय हार्नबिल पक्षी इसके लिए दवाई है। उड़ीसा भाषा में इसे 'कोच्चीलाखचादेही कोच्चीलाखाईपाखी' कहते हैं। कोच्चीलाखाईपाखी को जो सिर्फ भूनकर पूरा खाता है, उसका और गठिया संधिशोथ ठीक हो जाता है।

मेरा मुद्दा यह है कि इन बातों की पहले ही पहचान करके इस पर बहुत पहले ही तत्परता से कार्यवाही की जानी चाहिए थी। इन व्यापार चिह्नों और भौगोलिक उपदर्शन को पूरी गंभीरता से नहीं लिया गया परिणामस्वरूप बासमती को अमरीका में राईस टेक कंपनी द्वारा टैक्समती के रूप में और हल्दी को हल्दी के रूप में पेटेण्ट करवा लिया है। एक प्रश्न के उत्तर में मैंने सुना कि मेघालय हल्दी अच्छी है। मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि विश्व की सर्वोत्तम हल्दी उड़ीसा के फुलबनी जिले में उगाई जाती है और कंधा इन्हें उगाते हैं।

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

अपराह्न 4.52 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए)

मेरा मुद्दा यह है कि हमें बहुत अधिक सावधान होने की आवश्यकता है। जब हल्दी का पेटेण्ड अमरीकी कंपनी द्वारा किया जा रहा था उसका विरोध हुआ और नि:संदेह, उसका वहां पेटेण्ट नहीं किया जा सका। व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन को और अन्य बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। हमने पहले इन सभी मामलों के लिए कुछ नहीं किया, और हम इसे समझते हैं। लेकिन 1994 में हमने जी.ए.टी.टी. समझौते अर्थात व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार समझौता पर हस्ताक्षर किए। हमने यह सब बातें कीं लेकिन छह साल बीत जाने पर भी इससे संबंधित कानून नहीं बना पाये हैं।

मैं यह भी नहीं जानता कि यदि हमने इस संबंध में कानून बनाया भी तो हम इसे ईमानदारी से लागू कर पाएंगे या नहीं। माननीय मंत्री को इस संबंध में वक्तव्य देना चाहिए कि इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा और हमें यह भी देखना है कि व्यापार चिह्नों को और भौगोलिक उपदर्शन को ईमानदारी से निपटे। इन बातों को पूरी गंभीरता से लेना पड़ेगा और धन के अभाव में, पीछे न हटना पड़े। हमें यह देखना है कि इसका कार्यान्वयन ठीक प्रकार से हो। जब दूसरे लोग हमारी वस्तुओं को, हमारे बासमती चावल, हमारी हल्दी, हमारी नीम और अन्य सभी वस्तुओं को पेटेण्ट कर रहे हैं। हमारी नींद तब खुल रही है।

महोदय, उड़ीसा में 'घृतकुमारी' मिलती नामक औषधी मिलती है। उड़ीसा में इसे 'घीकुमारी' कहते हैं। उच्च रक्त दाब के लिए, यह पेटेंट दवा है। इसे भी पेटेण्ड करने के प्रयास हुए। अन्य कई वस्तुएं हैं, जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ। एक अन्य है पातालगरुड़।

हमें इन सभी वस्तुओं की पंजीकृत कराना पड़ेगा, इन्हें रजिस्ट्री में लाइए और पूरी ईमानदारी से लागू कीजिए। जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा कि 1950 में व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम के पारित होने के बाद से उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। यह यही बताता है कि हम इसे ठीक से लागू नहीं कर रहे हैं। हम इस कानून के संबंध में गंभीर नहीं है। अब हमें जबकि हमने अपनी अर्थव्यवस्था में खुलेपन को स्वीकार किया है। हमें इस कानून को गंभीरता से लेना होगा। हमने अपनी अर्थव्यवस्था खुलेपन की नीति से, पाया या खोया है, इस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। कुछ भी हो, मैं इस व्यापार चिह्न विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं माननीय मंत्री और सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए और धन की कमी की दलील भी इसे रोक नहीं सके।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): सभापति महोदय, हालाँकि यह विधेयक विलम्ब से आया है, अपने पूर्ण प्रयत्नों से और माननीय मंत्री की पूर्ण सक्रियता से हमें इस अधिनियम को लागू करके अमीर बनना है, जिसमें हमने पिछले छ: वर्ष गंवाये हैं। यदि यह पहले हुआ होता तो हम अपने हितों का अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से संरक्षण कर पाते। इसलिए, मैं कुछ उपबन्धों पर ही दौड़ती हुई नजर डाल रहा हूँ जिसमें अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

विधेयक के खंड 9(1)(क) में, ऐसे व्यापार चिह्न जिनका कोई सुभिन्न स्वरूप नहीं है, के रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने के लिए आत्यांतिक आधार निर्धारित करते समय रजिस्टरी में यह निर्धारित करने के लिए कि व्यापार चिह्न में सुभिन्नता है या नहीं, असीमित विवेकाधिकार प्रदान किया है। व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की यह वर्तमान पद्धति अ-सुभिन्नता के संबंध में इस आपत्ति को निरस्त करने की अनुमति थी इस आधार पर देती है कि जिस व्यापार चिह्न की बात हो रही है वह राष्ट्रमंडल देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, आयरलैण्ड इत्यादि में रजिस्ट्रीकृत हो, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, इस धारा में ऊपर प्रतिपादित व्यापार चिह्न रजिस्ट्री नियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए और उपबंध जोड़ा जाए। मैं खंड 9(1)(क) के संबंध में मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ।

9(3)(ग) के संबंध में यह कथन कि "वह आकार जो इस माल को साख्यान मूल्य प्रदान करता है" अस्पष्ट और दुबोध है। यह प्रस्ताव किया गया है कि इसे पूर्ण रूप से निकाल दिया जाये या, इसके विकल्प स्वरूप, इसके आशय को परन्तुक या स्पष्टीकरण द्वारा स्पष्ट किया जाये।

खण्ड 11 के स्पष्टीकरण में यह निर्धारित करने के लिए कि किसी सुविख्यात व्यापार चिह्न में क्या-क्या दिशानिर्देश दिये गये हैं फिर भी उपग्रह संचार इत्यादि के माध्यम से सम्पूर्ण भारत में किये गये अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन और विक्रय बढ़ावे के परिणामस्वरूप भारत में व्यापार चिह्न के ज्ञान और प्रतिष्ठा को स्पष्ट करने के लिए मार्गनिर्देशों को और अधिक स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसके संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा एप्पल कम्प्यूटर आई.एन.सी. बनाम एप्पल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संबंध में दिए गए निम्न न्याय के अनुपात को उद्धृत करना उचित होगा।

> "मैं ओनटारिया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यापार अधिकारिता के एक विशिष्ट क्षेत्र में व्यापार करने की आवश्यकता तथा मामलों के निर्विघ्न संपन्न हो जाने की संभावना के अर्थ के संबंध में व्यक्त दृष्टिकोण से सहमत हूँ। अन्य शब्दों में वर्तमान समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक नहीं है कि सूचनाओं के मुफ्त आदान प्रदान और समाचार

पत्रों, पत्रिकाओं, वीडियों, टेलीविजन, फिल्मों आदि के माध्यम से दिए गए विज्ञापनों, विश्व के विभिन्न भागों में भ्रमण की स्वतंत्रता, में यह आग्रह करना कि न्यायालय द्वारा नाम या व्यापार चिह्न के अनुचित उपयोग को रोके जाने से पूर्व कोई विशिष्टवादी अनिवार्य रूप से अधिकारिता वाले क्षेत्र में अपना व्यापार करे। विध्नरहित मामलों में सद्भावना के आशय के संबंध में व्यक्त विचारों से मैं सहमत हूँ। मामलों के निर्विघ्न निपटाने के संबंध में, सर्वाधिक विचारणीय बात यह है कि इससे भ्रम ही फैलेगा और परिणामस्वरूप वादी को नुकसान होगा और लोगों को जानबूझकर या अन्यथा दिये जाने वाले धोखे से बचाने की आवश्यकता होगी।''

उपरोक्त निर्णय को, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय ने भी माना है। इसलिए, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

खंड 11 (3) (क), जो प्रतिलिप्यधिकार के कानून के बल पर रजिस्ट्री से इंकार करने के साक्षेप आधार प्रदान करता है को और स्पष्ट करने की आवश्यकता है जिससे भारत के यूनिवर्सल और बर्न प्रतिलिप्यधिकार सम्मेलन जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार व्यवस्था 1991 जिसे संसद ने अनुमोदित किया और साथ ही उसके गेट के अंतर्गत ट्रिप्स समझौते में उनकी बाध्यता और वचनबद्धता के संरक्षण की आवश्यकता है।

अपराह्न 5.00 बजे

खंड 11 (4) को संपूर्ण रूप से निकाल देना चाहिए क्योंकि इसे ज्यों का त्यों रखना रजिस्ट्रार की शुद्धता के प्रतिकूल होगा और व्यापार चिह्नों में अनुचित व्यापार सुविधाजनक होगा। जिस व्यक्ति ने पहले पंजीकरण कराया हुआ है वह पहले पंजीकृत व्यक्ति की अनुमति से, दूसरा पंजीकरण करा सकता है।

खंड 17: इस खंड के नोट में यह कहा गया है कि दावा त्याग की आवश्यकता को हटाने के संबंध में प्रावधान करेगा। नए कानून में दावा त्याग से संबंधित खंड की विशेष रूप से उसी रूप में जिससे वह वर्तमान कानून में विद्यमान है, रखना चाहिए।

महोदय, मैं दूसरे खंड पर आना चाहता हूँ: खंड 18 के ''रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन''। मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर उद्धृत करता हूँ ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री नाच्चीयपन, आप पूरे भाषण को पढ़ रहे हैं।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: नहीं महोदय, मैं केवल निर्णय को ही पढ़ रहा हूँ।

सभापति महोदय: आप उद्धरणों से उद्धरित कर सकते हैं। परन्तु आप पूरे भाषण को पढ़ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: मैं 'डिस्ट्रान' मामले में दिये गये विशेष निर्णय को उद्धरित कर रहा हूँ। ''प्रथम प्रत्यर्थी के विद्वान काउंसेल द्वारा यह भी निवेदित किया गया कि अपीलार्थी के पास रजिस्टर में 'डिस्ट्रान' व्यापार चिह्न को अपने पास रखने का हक नहीं था क्योंकि उसने पंजीकरण के लिए अपने आवेदन में झूठे वक्तव्य के द्वारा पंजीकरण प्राप्त किया था। उसने उक्त आवेदन में यह नहीं उल्लेख किया था कि उक्त व्यापार चिह्न को एक पंजीकृत उपयोगकर्त्ता द्वारा उपयोग में लाए जाने का प्रस्ताव है, बल्कि इसके बजाए उसने यह उल्लेख किया था कि इसे अपीलार्थी, जिसने उसका स्वत्वधारी होने का दावा किया था, के द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा। रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय के समक्ष कभी भी यह तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया और प्रमाणपत्र द्वारा इस अपील में पहली बार इस तथ्य को शामिल करने की छूट प्रथम प्रत्यर्थी को नहीं है। इसके अलावा, इस बात में सत्यता नहीं है। व्यापार और पण्यवस्तु चिह्न नियम, 1959 से संलग्न प्रपत्र टी.एम.-1 में इंग्लिश व्यापार चिह्न नियम, 1938 से संलग्न नए प्रपत्र टी.एम.-2 के कालम के समान कोई कॉलम नहीं है।''

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि 115(4) उपबंध मजिस्ट्रेट को दोहरी भूमिका प्रदान करने के बारे में है। जब उन्हें शिकायत प्राप्त होती है तो उसे रजिस्ट्रार को सौंपा जाना चाहिए। उन्हें रजिस्ट्रार से अनुमति प्राप्त करनी होती है। इससे निषिद्ध माल को जब्त करने में काफी विलम्ब होगा। इसलिए, रजिस्ट्रार से संदर्भ प्राप्त करने से कानून की पकड़ से वास्तविक अभियुक्त मुक्त हो जाता है। इसीलिए, यह उपबंध नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रार से यह पूछा जा सकता है कि वह विशेष उल्लंघन हुआ है या नहीं।

महोदय, अन्ततः, मैं अपील अधिकरण के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर वास्तव में इस समय ध्यान देने की आवश्यकता है। परन्तु सदस्यों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। परन्तु उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों या भारतीय विधि सेवा के व्यक्तियों को अत्यधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए, वकालत कर रहे अधिवक्ताओं, जिन्हें 10 वर्षों का अनुभव हो, के संबंध में हमें अनुच्छेद 4(ख) को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

परन्तु इस प्रकार के व्यक्तियों को अधिकाधिक अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वे अद्यतन जानकारी जोकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, के साथ आ सके क्योंकि अपील अधिकरण के पास उच्च न्यायालय की शक्तियाँ होगी। इसलिए, वे उच्च न्यायालय के कार्य का निर्णय करने जा रहे हैं। उच्च न्यायालय की शक्ति अधिकरण के पास चली जाएगी। इसलिए, अधिकरण में केवल सेवानिवृत्त लोग ही नहीं होने चाहिए बल्कि ऐसे लोग होने चाहिए जो सेवा में हो, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या एक ऐसा व्यक्ति

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

जिसने अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो और जिसने इस क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञता प्राप्त कर ली हो जिससे वह संबंधित मामले व कानून की उचित प्रकार से व्याख्या कर सके। इससे अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं तक विधि की उचित प्रकार से व्याख्या करने में अधीनस्थ सेवाओं को भी मदद मिलेगी।

इन शब्दों के साथ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू): मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय।

माननीय मंत्री महोदय ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है जोकि चार दशक पुराना है। इसे 1958 में लया गया था। उन्होंने इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया है। जब 1993 में यह विधेयक पहली बार लाया गया था, तो इसे उद्योग संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था। समिति द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे और सभा में 21 अप्रैल, 1994 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया गया था। जो विधेयक आज प्रस्तुत हुआ है वह भी मुख्य उद्देश्य का एक हिस्सा है। विधि मंत्रालय द्वारा किए गए किंचित परिवर्तनों के अलावा यह विधेयक कुल मिलाकर पहले के विधेयक जैसा ही है।

वर्तमान परिस्थितियों में व्यापार चिह्न विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे यथाशीघ्र प्रभावी बनाया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि पंजीकरण और अन्य बातों में काफी विलम्ब होता है और इसकी वृद्धि की वर्तमान दर को ध्यान में रखकर हमें तंत्र में कम्प्यूटरीकरण और विभिन्न अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सुधार और विकास करना होगा जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इनमें से कुछ बातों के लिए डब्ल्यू.टी.ओ. जिम्मेदार है, संभवत: इनमें अगला विधेयक—माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) विधेयक भी शामिल है—जोकि आ रहा है। जो कुछ भी हो, आज स्थिति जोकि 10 या 15 वर्ष पूर्व थी उससे पूर्णत: भिन्न है। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि पहले जिन व्यक्तियों ने इसका विरोध किया था वे वर्तमान परिस्थितियों में इसका समर्थन कर रहे हैं। परिवर्तन बहुत ज्यादा तेजी से हो रहे हैं और परिस्थितियाँ इसमें और अधिक तेजी ला रही है।

डब्ल्यू.टी.ओ. ने कई उपबंध किए हैं जिनके कारण हमें विश्व स्तर को पहुँचना पड़ रहा है और डब्ल्यू.टी.ओ. का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। फिर भी कई देश डब्ल्यू.टी.ओ. में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस समय डब्ल्यू.टी.ओ. में 138 देश है परन्तु कम से कम 40 या 50 देश इसमें शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसमें चीन, रशिया और कई अन्य देश शामिल हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. में शामिल होने के कई फायदे हैं और हमें विश्व व्यापार को विकसित करने की आवश्यकता है। जब हमारा सामना विश्व व्यापार से इतना ज्यादा हो रहा है तो हमें देश में अपनी संस्कृति के उस भाग और अपने उत्पादों की संरक्षा करने की आवश्यकता है। यह वह क्षेत्र है जहाँ पर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यापार चिह्न विधि में सुधार किया जाना चाहिए। न केवल व्यापार चिह्न, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, अपितु हमारी पौध आधारित और प्राणी आधारित और विभिन्न अन्य परिस्थितियों के भौगोलिक उपदर्शन को इस विधि द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।

हमें अपने पेटेण्टों की संरक्षा करने की भी आवश्यकता है। हमारे देश में कई प्रौद्योगिकीविद और वैज्ञानिक है जोकि अभी भी असमंजस में हैं कि अन्य देश अनधिकार इस देश में प्रवेश कर जाएंगे। यह बात सही नहीं है। हमारे वैज्ञानिक विदेश जा रहे हैं क्योंकि देश में पेटेण्ट के मामले में संरक्षण नहीं है। इस बात का आधुनिकीकरण किया जाना होगा। वे बाहर से देख रहे हैं कब वे वापस आ सकेंगे और इस देश में अपने पेटेण्टों को लाएंगे।

आप देख सकते हैं कि औषध-निर्माण के मामले में क्या हुआ। भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत काफी सस्ते मूल्य पर भारी मात्रा में औषधि का निर्माण कर सकता है। हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हो सकते हैं, जोकि बहुत अधिक महंगे हो सकते हैं। यहाँ तक कि जापान भी ऐसा नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के संबंध में, सिलिकॉन घाटी माल का उत्पादन करती है और वे इसे व्यापारिक प्रयोग में लाते हैं। इसीलिए, हमें उस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए जो हमारे अपने संसाधनों से विकसित की जा रही है और जिसे हम अपनी स्वयं की क्षमताओं से विकसित कर रहे हैं, हम आगे बढ़कर इसका लाभ उठा सकते हैं।

महोदय, भारत औषधियों का सबसे बड़ा निर्यातक हो सकता है और हमें काफी कम आयात की आवश्यकता होगी।

महोदय, इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर वापस आते हुए, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विभिन्न उत्पादों के विकास के लिए पर्याप्त संरक्षण मिल रहा है। यह विधेयक विभिन्न मदों के लिए जिनकी हमारे देश को आवश्यकता है, काफी समर्थन का उपबंध करता है। पहले माननीय सदस्यों ने दार्जीलिंग और असम चाय के लिए संरक्षण का उल्लेख किया है। पहले पेटेंट की संख्या कम रही होगी किन्तु आज व्यापार चिह्न के अधीन उत्पादों की संख्या काफी बढ़ रही हैं। आज हो सकता है हमें 50,000 से 60,000 ऐसे उत्पादों को देखना पड़े। यह संख्या अधिक भी हो सकती है। इन परिस्थितियों में इस विधेयक को पारित करना बहुत आवश्यक है।

महोदय, कुछ सदस्यों ने बासमती का उल्लेख किया निश्चित तौर पर संयुक्त राज्य अमरीका ने इसे अलग नाम टेक्समती दिया है। हम इस बारे में विश्व व्यापार संगठन में मामला लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस मामले को जीत जाएंगे। इस विधेयक में अनेक संरक्षणात्मक उपाय, सुरक्षात्मक उपाय और सुरक्षा खंड है जिनका उपयोग हम अपने उत्पादों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने कृषि व व्यापार संबंधी उत्पादों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इन सुरक्षोपायों का कितनी तेजी से उपयोग कर सकते हैं।

महोदय, अनेक आयुर्वेदिक व पौध आधारित औषधियां भी है। इस क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। आज भी संरक्षणात्मक बाजार या जिन्हें हम आरक्षित वन कहते हैं, के बारे में हमारे पास पूरे आंकड़े प्राप्त नहीं है कि किस प्रकार के पौधे उपलब्ध है और किस प्रकार की पौध प्रजातियां उपलब्ध हैं जिनका विकास उपयोगी कार्यों के लिए किया जा सकता है कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस संबंध में आस्ट्रेलिया में कुछ कार्य किया है, यह कार्य उन्होंने अपने देश के उद्योगों को संरक्षण देने के लिए किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि वियतनाम द्वारा कालीमिर्च का उपयोग कुछ उपयोगी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। हमें भी ऐसी बातें शुरू करनी होगी और देखना है कि हम उनके साथ कहां तक आगे बढ़ सकते हैं। बसीरा गाय, को मोंगल गाय कहा गया है, और अन्य ऐसी चीजों को उनके नाम या स्थानीय भौगोलिक आधार या कुछ अन्य आधार पर संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। फिर 'जर्म प्लाजा' नामक एक प्रजाति है यह एक स्वदेशी पौधा है। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने अपीलीय बोर्ड के बारे में भी उल्लेख किया है। हो सकता है कि कभी मामलों को अपीलीय बोर्ड को सौंपने की आवश्यकता पड़ जाये। इन बोर्डों में नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीशों के बारे में सुझाव दिए गए हैं। वे या तो अनुभवी वकील हों या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हों जिनमें मामलों के शीघ्र निपटान की क्षमता हो न कि वे पहले की तरह मामलों को खींचते रहें।

महोदय इंडियन मैनेजमेंट पूल में अनेक लोग हैं। उनकी सेवाओं का उपयोग, हम जिन उत्पादों का विकास कर रहे हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान कर व्यापार के विस्तार में सहायता के लिए किया जा सकता है।

महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं इस विधेयक को अपना समर्थन देने के सिवाय कुछ नहीं कहना चाहता था। किंतु मुझे कुछ कहना था इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे विधेयक के बारे में कुछ बातें कहूं जिसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): सभापति महोदय, यदि मैं इस विधेयक का समर्थन कर पाता तो यह मेरी लिए प्रसन्नता की बात होती। क्योंकि इस तथाकथित वैश्वीकरण के वातावरण में निश्चित तौर पर व्यापार चिह्न के संबंध में उच्चतम न्यायालय और अनेक अन्य न्यायालयों के निर्देशों के अधीन यह व्यापक विधेयक निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है।

महोदय, यद्यपि इस विधेयक में बहुत सी अच्छी बातें हैं तथापि मुझे इस विधेयक में मुझे चार-पांच ऐसी बातें दिखी हैं जिन पर या तो इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्तियों ने समुचित ध्यान नहीं दिया या सरसरी तौर पर देखा या हो सकता है इस वैश्वीकरण के युग में उन्होंने इन बातों पर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया है।

पहले मैं धारा 115 पर आता हूँ। मेरे विचार से उस पक्ष के मेरे सम्माननीय सहयोगी ने भी इसका उल्लेख किया था। इस धारा में प्रावधान है कि वे नकली वस्तुओं की जांच करेंगे, उन पर छापा मारेंगे और उन्हें अभिगृहीत करेंगे और उन लोगों को पकड़ेंगे जो व्यापार चिह्न के उल्लंघन में शामिल है।

खंड 115 (4) कहता है:

> "यदि किसी पुलिस अधिकारी का, जो पुलिस उप अधीक्षक या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का नहीं है, यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों में से कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है तो वह अपराध किए जाने में अन्तर्वलित माल, डाई, ब्लाक मशीन, प्लेट, अन्य उपकरण या वस्तुओं की जहां कहीं भी वे पाई जाएं, बिना वारंट तलाशी लेगा और उन्हें अभिगृहीत करेगा"

इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है किंतु फिर एक परन्तुक है। यह परन्तुक कहता है:

> "परन्तु पुलिस अधिकारी, कोई तलाशी या अभिग्रहण करने से पहले व्यापार चिह्न से संबंधित अपराध में अन्तर्ग्रस्त तथ्यों के बारे में रजिस्ट्रार की राय प्राप्त करेगा और इस प्रकार प्राप्त की गई राय का पालन करेगा।"

किंतु देश में ऐसे कितने रजिस्ट्रार होंगे? मेरे विचार से पांच रजिस्ट्रार होंगे। माना, कोई मामला है। चूंकि रजिस्ट्रार की राय बहुत महत्वपूर्ण है अत: उल्लंघनकर्ता मुकदमा करता है और रजिस्टार को गवाह के रूप में बुलाता है। निश्चिततौर पर कानून के अनुसार रजिस्टार के विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाया जा सकता है। किंतु देश में कानून के अनुसार ही उसे गवाह के रूप में बुलाया जा सकता है। केवल रजिस्टार की राय के आधार पर इसे

[श्री रूपचन्द पाल]

निष्पादित किया जा रहा है। किंतु एक रजिस्टार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे जा सकता है? यह व्यवहार्य कैसे हो सकता है? यह सारी कवायद को निरर्थक बनाने के लिए है। उस स्थिति में रजिस्टार को केवल न्यायालय में बैठना होगा। किंतु वह भी कभी संभव नहीं होगा। इसे विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दी जाएगी और रजिस्टार को सारे समय ऐसे ही बैठना पड़ेगा और उसके पास रजिस्ट्रार के कार्यों को करने के लिए समय नहीं होगा जिन्हें अब सरल बनाया जा रहा है।

अपने सुझाव देने से पूर्व मैं खंड 134 के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इसमें कुछ नई बात है। सिविल प्रक्रिया संहिता में न्यायालय की अधिकारिता के बारे में प्रतिवादी के आवास को ध्यान में रखा जाता है। किंतु यहां पर इसका उलटा किया गया। यहां वादी के आवास को ध्यान में रखा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के मामले में क्या होगा? छोटी भारतीय कंपनी, जिसका व्यापार चिह्न हो, को समस्याएं होंगी। अनेक शाखाओं वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी वादी बनेगी। यदि उसकी एक शाखा केरल में है तो वह राजस्थान में शिकायत दर्ज करेंगी। क्या प्रतिवादी के लिए वहां जाना और इसे चुनौती देना संभव होगा। वित्तीय दृष्टि से भी यह पूर्णत: असंभव है। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे वास्तविक व्यापार चिह्नों पर कब्जा कर उन पर एकाधिकार कर लेगी। महोदय, मुझे आशंका है कि यह जानबूझकर किया गया है यह लापरवाही से हुई भूल या कोई खामी नहीं है।

हमारा मानना है कि आजकल बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अनेक क्षेत्रों में प्रभाव है। मैं विधायी विभाग में इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने में शामिल किसी व्यक्ति पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। यहां एक बात है और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसे स्पष्ट करें। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार लागू होने वाले भारतीय कानून में उलटा प्रावधान किया जा रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि इससे इस देश के व्यापार चिह्न धारकों को नुकसान होगा। यह उन लोगों को जो वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ है जिनकी अच्छी कमाई है अर्थात् बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उत्साहित करेगा व सशक्त बनायेगा।

यहां ऐसा हुआ है। मैं ऐसे कई मामले गिना सकता हूँ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हमारे स्वदेशी व्यापार चिह्नों का स्वामित्वकरण किया है क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है और गरीब स्वदेशी व्यापार चिह्न धारक के पास न्यायालय में लड़ने के लिए पैसा नहीं है। वह यह भी नहीं जानता कि ऐसी स्थिति में किसके पास जाएं इत्यादि।

अब हम खंड 17 को लेते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण खंड है। क्या रजिस्ट्रार हर समय न्यायालय या अपीलीय बोर्ड में गवाह के रूप में ही व्यस्त रहेगा। अधिनियम में पहले विद्यमान दावा त्याग उपबंधों को बदला जा रहा है। मानो किसी कंपनी का सौंदर्य साबुन के व्यापार पर एकाधिकार है। इसमें अनेक अवयव हैं--बादाम तेल आदि। अब यहां प्रावधान यह किया जा रहा है कि सभी अवयवों के साथ पूरे सौंदर्य साबुन पर एकाधिकार हो जाएगा और अन्तत: जिन लोगों का इसके किसी एक अवयव से सरोकार है उनके सहित कोई भी कुछ भी उत्पादित नहीं कर सकेगा। दावा त्याग के इस खंड को, जो पूर्ववर्ती अधिनियम में था, अब हटाया जा रहा है। इससे केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सहायता मिलेगी। यह कहने के बाद एक और बात पर बल देना चाहता हूँ। निवेश को बढ़ावा देने और विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के नाम पर क्या हम ये बदलाव कर भारतीय बाजार को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोल रहे हैं।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे हमें विश्व व्यापार संगठन के उन प्रस्तावों के बारे में बताएं जिन्होंने हमें ऐसा विधान लाने के लिए बाध्य किया है। मेरे विचार से ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। इसका विश्व व्यापार संगठन से कोई सरोकार नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उन्हें ऐसे बदलाव करने हैं। किंतु फिर भी वे ऐसा कर रहे हैं। अन्य मामलों में भी हमने ऐसा देखा है। जब हमसे झुकने के लिए कहा जाता है तो हम घुटनों के बल चलने लगते हैं जब हम से कहा गया कि वर्ष 2005 तक कुछ करें तो हम यह वर्ष 2000 से पूर्व कर रहे हैं।

महोदय, किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय निकाय ने कभी भी हमसे ऐसे बदलाव करने के लिए नहीं कहा है। किंतु ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं या किए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। यह बहुत खतरनाक बात है।

अब मैं अपीलीय बोर्ड के बारे में बात करता हूँ मैं सत्तारूढ़ गठबंधन की समस्याओं से परिचित हूँ सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों के अनेक नेता चुनावों में हारे हैं अत: वे बेरोजगार हैं। उनमें से अनेक उच्च पदों पर रह चुके हैं। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि उन्हें राज्यपाल या ऐसे पदों पर आसीन कराया जा रहा है फिर भी ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें रोजगार दिया जाना है। इस बारे में ही वे बात कर रहे हैं। उच्च न्यायालय भी है। वे बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी मामलों के लिए अलग से न्यायपीठों की स्थापना क्यों नहीं करते हैं? इसमें अतिरिक्त लागत भी नहीं आएगी। वे कहते हैं कि वे ऋण जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। वे प्रतिदिन राष्ट्र को आश्वस्त करते हैं कि वे राजकोषीय घाटे को कम करेंगे। प्रतिदिन वे व्यय आयोग की बात करते हैं। और अब वे यह कह रहे हैं कि उनका विचार एक और अपीलीय बोर्ड को गठित करने का है जिसमें तकनीकी सदस्य भी होंगे। परन्तु व्यापार चिह्न से क्या तकनीकी विशेषज्ञता जुड़ी है? इसमें

किसी भी प्रकार की तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। यह पैकेजिंग है। ये चिह्न है। यदि किसी प्रकार की तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है तो वह प्रतिलिप्यधिकार विधि में है। परन्तु प्रतिलिप्यधिकार विधि में उन्होंने किसी भी तकनीकी अधिकारी को नहीं रखा है। परन्तु यहाँ पर उन्होंने एक तकनीकी अधिकारी को रखने का भी प्रस्ताव किया है। वो यहाँ पर किसलिए है? मैं समझता हूँ महोदय मंत्रालय को गुमराह किया गया है। विधेयक में कई बातों का उल्लेख किया गया है परन्तु ऐसी बात नहीं है कि इसमें की हर बात बुरी है। परन्तु कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इनमें से कुछ का उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूँ, जिनके बारे में स्पष्ट करने की सहमति मंत्री महोदय ने दी है। मेरे विचार से उन्हें उपयुक्त परिवर्तन करने चाहिए। अपील न्यायपीठ के बजाय, यह शक्ति उच्च न्यायालय की विशेष न्यायपीठ को दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 17 एक अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद है और हमारे स्वदेशी हितों की रक्षा के लिए इसे बनाए रखा जाना चाहिए।

हमारे स्वदेशी हितों की संरक्षा के लिए इसे बनाए रखना चाहिए। इस तरह धारा 115 के सब कुछ लाने वाले परन्तुक को परिवर्तित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई कुछ नकली उत्पादों को बेच रहा है। कोई कुछ नकली माल का आयात कर रहा है और पुलिस को इस बात की जानकारी है। अब रजिस्ट्रार से संपर्क किया जाएगा और अनुमति माँगी जाएगी। तब क्या होगा? बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जोकि हो सकता है रजिस्टार के कार्यालय में कार्यरत हो, एक व्यक्ति अपील बोर्ड और एक और अन्य व्यक्ति किसी संबंधित क्षेत्र से जुड़ा हो। जोकि कुल मिलाकर तीन लोग बनते हैं। वे सूचना देंगे। और एक अधिवक्ता भी होगा। मैं इसका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे कई मित्र बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की वकालत कर रहे हैं।

व्यापार चिह्न विधेयक में कई खामियाँ हैं। मैंने केवल तीन या चार का उल्लेख किया है। मेरा कहना यह है कि समुचित अध्ययन और जाँच के लिए इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए और इसमें डा. नीतीश सेनगुप्ता प्रख्यात अधिवक्ता जैसे अजित कुमार पांजा जैसे व्यक्तियों को होना चाहिए।

श्री अजित कुमार पाँजा (कलकत्ता, उत्तर पूर्व): मैं चाहे यहाँ रहूँ या बंगाल में सी.पी.आई. (एम.) हमेशा मुझसे लगाव रखती है।

श्री रूपचंद पाल: मैं विधिक राय चाह रहा हूँ। सरकार को उनके जैसे व्यक्तियों जैसे डा. नीतीश सेनगुप्ता और अन्य अधिवक्ताओं और अन्य प्रख्यात व्यक्तियों से सहायता मिलनी चाहिए। मंत्री महोदय को इनकी बात सुननी चाहिए। मंत्रालय को इनकी बात सुननी चाहिए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव के कारण इन उपायों को लाया जा रहा है। इसीलिए, मैं विधेयक का विरोध करता हूं। मेरे द्वारा उल्लेखित उपबंधों के नहीं होने पर मुझे विधेयक का समर्थन करने में प्रसन्नता होती। मैं समझता हूँ मंत्री महोदय इन अनुच्छेदों पर पुनर्विचार करेंगे। मैं उनका उल्लेख कर चुका हूँ और सरकार को एक अपील संस्था का गठन करने से बचना चाहिए। इसके बजाय विशेष न्यायपीठ के माध्यम से ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय को शामिल करना चाहिए।

अपराह्न 5.27 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

''मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

''कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा द्वारा अपनी 9 दिसम्बर, 1999 को हुई बैठक में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति नामक दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति का गठन किया जाए और यह संकल्प करती है कि यह सभा भी उक्त संयुक्त समिति में भाग लेगी और एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुरूप उक्त संयुक्त समिति के लिए सभा के सदस्यों में से पांच सदस्यों का चुनाव करेगी।''

2. मुझे उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उक्त समिति के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य विधिवत् रूप से निर्वाचित हुए हैं:

(1) श्री ओमकार सिंह लखावत

(2) श्री संजय निरूपम

(3) श्री ई. बालानंदन

(4) डा. एम.एन. दास

(5) श्री बनारसी दास गुप्ता।'

अपराह्न 5.29 बजे

व्यापार चिह्न विधेयक–*जारी*

[हिन्दी]

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर): सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे बोल का समय दिया। यह विधेयक कोई नया विधेयक नहीं है, जब श्री नरसिंहराव जी की सरकार थी, 1993 में इसे रखा गया था और उस समय भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र विपक्ष में थे। इस विधेयक की कुछ धाराओं का उन्होंने उस समय पुरजोर विरोध किया था और आज वही विधेयक यहां लाया गया है। 12वीं लोक सभा में भी आप उधर ही बैठे थे। लेकिन उस समय इस विधेयक को नहीं लाया गया। मुझे लगता है कि 13वीं लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ी हैं और मुझे लगता है कि कल प्रस्तुत होने वाले महिला विधेयक पर कांग्रेसी मित्रों का जो रवैया रहेगा, वह इस दोस्ती की प्रगाढ़ता का परिचायक होगा।

सभापति महोदय, इस विधेयक के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हम कोई भी विधेयक लायें, हमें बहुत गम्भीरता के साथ उसका अध्ययन करना चाहिए, उस पर रिसर्च होनी चाहिए।

जिस विषय से संबंधित विधेयक आप ला रहे हैं, उससे लाभान्वित होने वाले या उससे प्रताड़ित होने वाले लोगों की भी राय ली जानी चाहिए। इस विधेयक को लाने से पहले छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, विभिन्न ट्रेडों के व्यापारियों, विधि विशेषज्ञों, चिकित्सकों आदि की भी राय ली जानी चाहिए थी। विधेयक को बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण सुझाव है, वे एक ही बार में आने चाहिए जिससे बार-बार हमें संशोधन न करने पड़े।

व्यापार चिह्न विधेयक के बारे में मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी महत्वपूर्ण उत्पाद है, जैसे जीवन रक्षक दवाइयां या खाद्य पदार्थ हैं, उन पर भी निगाह रखने की जरूरत है क्योंकि आज के जमाने में पैसे के लिए एक अंधी दौड़ चल रही है। मैं यह देख रहा हूँ कि चाहे कापी राइट अधिनियम हो या व्यापार चिह्न अधिनियम हो, कहीं न कहीं अमरीका अथवा डब्ल्यू.टी.ओ. के दबाव की हम दुर्गंध महसूस कर रहे हैं। मेरा इस मामले में कहना है कि हमें अपनी गाड़ी के स्टेयरिंग को कभी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। यदि आप एक बार गाड़ी का स्टीयरिंग किसी को पकड़ा देंगे तो उससे ज्यादा गंभीर दुर्घटना होने की संभावना है, क्योंकि स्टेयरिंग किसी को पकड़ा दी तो फिर उसका पता ही नहीं है कि वह गाड़ी को कहां ले जाए।

कुछ उत्पाद ऐसे हैं जो बहुत पापुलर होते हैं और उनकी बहुत मोनोपोली होती है। जब कभी हमें किसी देहात में रात्रि में विश्राम करने का मौका मिलता है तो सुबह गांव वाले कहते हैं कि आपने कोलगेट कर लिया हो तो नाश्ता कर लें–जबकि वह एक टूथपेस्ट है। ऐसे सैकड़ों किस्म के टूथपेस्ट हैं, लेकिन वे इतने पापुलर होते हैं कि उन्हें उनका पर्याय माना जाने लगता है। उसी की सबसे अच्छी नकल होने लगती है।

हमारे ग्रामीण अंचल में लोगों की ग्राम सभा है, बाजार भी बहुत देहाती तथा छोटे हैं। वहां हमें देखने को मिला कि जहां हमारे कोलगेट के स्पैलिंग कालगेट है, उन्होंने वहां 'सी' इस प्रकार से बनाया कि यदि उस पर कोई मुकदमा चलाये तो वह 'जी' दिखायी देने लगेगा, जिसे उन्होंने 'सी' बनाने का उपक्रम किया। अत: जो बहुत ही प्रसिद्ध प्रोडक्ट्स हैं, उनकी व्यापार चिह्न के बारे में अलग से समीक्षा जरूर की जानी चाहिए। विषय से थोड़ा हटकर बात जरूरत हो लेकिन इस प्रकार से नकल करके नुकसान से बचने की आदत सी पड़ गई है।

सभापति महोदय, जब मैं पुलिस की नौकरी में था तब मैंने एक गाड़ी पर 'पोलाइट' लिखा देखा। उन्होंने वास्तव में पुलिस लिखने की कोशिश की थी, लेकिन सी को थोड़ा ऐसा घुमाया कि अगर पकड़े जाएं तो वे उसे 'टी' साबित कर सके। नीले-लाल रंग से उसे केवल इसलिए लिखा गया ताकि वह गाड़ी पकड़ी न जाए और यदि पकड़ी जाए तो वे सिद्ध कर सके। उन्होंने कहा कि हमारी एक शांति अभियान समिति है, जो रजिस्टर्ड है, उसमें नीला-लाल रंग रजिस्टर्ड है और हमने पोलाइट लिखा हुआ है न कि पुलिस लिखा हुआ है। ऐसी लोगों की जहनियत बनती जा रही है।

दिल्ली में पान मसाले का एक बाजार है। यदि आप वहां चले जाएं तो एजैंट पूछेंगे कि आप कहां से आए हैं। यदि आपने कह दिया कि आगरा से आए है तो वे वहां के पौपुलर पान मसाला प्रोडक्ट का नाम लेते हुए कहेंगे कि यदि आप कहें तो दस मिनट में आपको उनके जितने हजार या लाख रैपर चाहिए, वे उपलब्ध करवा देंगे। एक किस्म का पान मसाला किसी अंचल विशेष में प्रसिद्ध हो जाता है तो उनकी नकल होने लगती है। इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा।

हमारे कई बुद्धिजीवी सांसदों ने बासमती चावल का उल्लेख किया कि उसे अमरीका ने पेटेंट कर रखा है। यदि वे वहां ऐसा बासमती चावल पैदा कर ले तब हम उनकी काबलियत समझें। वे नैनीताल की आबो-हवा कहां से लाएंगे, गोबर की खाद कहां से

लाएंगे, हिन्दुस्तान की आबो-हवा कहां से लाएंगे। मैं समझता हूं कि सुगन्ध बनाने वाली चाहे जितनी बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हों, हिन्दुस्तान के बासमती चावल की जो सुगन्ध है, वह अमरीका नहीं ला सकता, भले ही वह चांद पर पहुंच गया हो। उन्होंने कुछ चीजों का पेटेंट कर रखा है। मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने नीम और हल्दी का पेटेंट कर रखा है। लेकिन हमारी ऐसी बहुत सी सम्पदाएं हैं जिन्हें हमें बचाना होगा। अमृत नाम की चीज भले ही पुराणों में लिखी हो लेकिन मैं नहीं समझता कि अमृत नाम की कोई चीज कभी पैदा हुई होगी। लेकिन हिन्दुस्तान में कुछ चीजें जरूर ऐसी हैं जो अमृत हैं चाहे वह तुलसी का पौधा हो या जड़ी-बूटियां हों। इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा कि हिन्दुस्तान की चीजों को पेटेंट करने की जो साजिश हो रही है, उससे बचा जाए। कुछ उत्पाद जो 30-40 साल पहले बहुत प्रसिद्ध थे, किन्हीं कारणों से आज वे फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। लेकिन अब उसी नाम से अन्य लोगों ने वे फैक्ट्रियां प्रारंभ कर दी हैं। हमारे पैदा होने से पहले देवीदयाल के नाम से स्टील चला करती थी, बीच में वह बंद हो गई लेकिन उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए उसे दुबारा शुरू की गई है।

मैं आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहूंगा। मुंशी जी ने कहा कि कुछ उत्पादों का ट्रेड मार्क जीवित पशु-पक्षी हैं। मैं बड़े शहरों की बात नहीं करता लेकिन देहातों में अगर बंदर छाप बीड़ी है तो हम देखते हैं कि पिंजरे में बंदरों को कैद किया जाता है। ऐसे ही अगर कोई शेर छाप उत्पाद है तो सर्कस से किसी बूढ़े शेर को ले आए हैं और देहात के बाजारों में उसके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इस पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है।

अंत में मैं आपका ध्यान बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। यह कहावत है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है।

जिस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं, उससे हमारी देसी कम्पनियों को खतरा उत्पन्न होगा। ये कम्पनियां क्यों सफल हो रही हैं, क्योंकि ये प्रचार-प्रसार के माध्यम से हमारे दिमाग पर हैमरिंग करती हैं। हमारी कम्पनियों के साइनबोर्ड बिल्कुल साधारण पेण्ट में होंगे, लेकिन किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी का उत्पाद होगा तो वे अपने साइन बोर्ड पर ऐसी वार्निश करते हैं कि वह रात में भी दिखाई पड़ता है। वे दूरदर्शन पर पल-पल पर इतने विज्ञापन दिखायेंगे कि हम उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसको हैमरिंग करना कहते हैं, हथौड़ा मार-मार कर वे हमारे जेहन में उस चीज को डाल देते हैं। उससे सबसे ज्यादा आकर्षित महिलाएं और बच्चे होते हैं। इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा।

जहांगीर की बिटियां का हाथ जल गया था। एक अंग्रेज उनके दरबार में था ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें। सामान्य चर्चा से हटकर विधेयक पर कुछ कहना हो तो कहें। ये तो सामान्य बातें हैं।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल: मैं अपनी बात बस खत्म कर रहा हूं।

शहजादी का हाथ जल गया था, तो ऐसे ही अंग्रेज ने कहा कि एक मरहम मेरे पास है। उसके पास कोई बहुत बड़ी दवाई नहीं थी, उस पर उससे वैसलीन लगा दी थी, उससे शहजादी ने ठंडक महसूस की। इससे बादशाह खुश हुए और ईनाम के तौर पर उन्होंने अंग्रेजों को इजाजत दे दी कि समुद्र के किनारे व्यापार करने के लिए आप एक टेण्ट लगा ले। वह टेण्ट फैलता गया, फैलता गया और इतना फैल गया कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के रूप में पूरे हिन्दुस्तान पर छा गया। आप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बुला तो जरूर रहे हैं, इससे शहजादी को ठंडक महसूस हो सकती है, बादशाह खुश हो सकता है, लेकिन अगर उनको पैर रखने का मौका मिल गया तो एक नई ईस्ट इंडिया कम्पनी इस देश में आ जायेगी। उस ईस्ट इंडिया कम्पनी से देश को जो नुकसान हुआ था, वह फिर से हो सकता है। हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। इतिहास राजनीति का मूल है और राजनीति इतिहास का परिणाम है। इस बात का हमें ध्यान रखना है।

समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 5.43 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

समाचार पत्रों के श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों और समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी में संशोधन का अनंतिम प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): माननीय सभापति जी, श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 9 और 13-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार तथा गैर-पत्रकार समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसी के कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी की दरें निर्धारित और संशोधित करने के उद्देश्य से सितम्बर, 1994 में न्यायमूर्ति राजकुमार मणिसाना सिंह की अध्यक्षता में वेतन बोर्डों का गठन किया था। वेतन बोर्डों ने मजदूरी के संशोधन संबंधी अपने अनंतिम प्रस्ताव 21.12.99 को

[डा. सत्यनारायण जटिया]

प्रस्तुत कर दिये हैं। अब इन प्रस्तावों को गजट अधिसूचना में प्रकाशित किया जायेगा, जिसके तहत समाचार पत्र प्रतिष्ठानों, समाचार पत्र कर्मचारियों और मजदूरी की दरों के निर्धारण अथवा संशोधन में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों से अधिसूचना की तारीख से छः सप्ताह के भीतर टिप्पणियां/आपत्तियां आमंत्रित की जायेगी। इसके तत्काल बाद बोर्ड अनंतिम प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने वाले और सुनवाई करने के लिए लिखित में अनुरोध करने वाले पक्षकारों की सुनवाई करेंगे। इसके बाद उक्त बोर्ड अंतिम सिफारिशें तैयार करने से पूर्व आपत्तियों/टिप्पणियों पर विचार करने के लिए बैठकें करेंगे। अंतिम सिफारिशों के आधार पर इस आशय के एक नोट को अनुमोदन हेतु मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात, समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसी प्रतिष्ठानों द्वारा कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा।

अपराह्न 5.44 बजे

व्यापार चिह्न विधेयक—*जारी*

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील (इरन्दोल): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक क्रांतिकारी विधेयक है। मैं जानता हूं कि कुछ सदस्यों ने संदेह और भय की भावना व्यक्त की है जोकि कतिपय दबावों या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कारण है।

महोदय, यह विधेयक पिछले छह वर्षों से ठण्डे बस्ते में था और अब यह लाया गया क्योंकि हमें भूमण्डलीकरण के साथ चलना है या जहां तक व्यापार और उद्योग का संबंध है हमें भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसी स्तर पर आना है।

महोदय, उद्योग में व्यापार चिह्न एक महत्वपूर्ण गतिविधि है क्योंकि यह विभिन्न कारकों पर आधारित विशेष गुणवत्ता और प्रतिष्ठा का द्योतक है। उदाहरण के लिए, व्यापार चिह्न मूलतः भौगोलिक आधारों, निर्माण की प्रक्रिया, मशीनरी का प्रकार, उत्पाद को डिब्बाबंद करने का तरीका इत्यादि पर निर्भर करता है। जहां तक उत्पाद की गुणवत्ता का संबंध है, ये आवश्यक पहलू हैं।

जब हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतियोगिता करने जा रहे हैं तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपनायी जाने वाली प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। इसलिए इस विधेयक का आशय पंजीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ विधिक पहलुओं और प्रक्रिया को सरल बनाना है। मैं इन बिन्दुओं की व्याख्या नहीं कर सकता हूं क्योंकि समय की कमी है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह आवश्यक विधेयक है। मुझे अपने क्षेत्र की दो जर्दा बनाने वाली कम्पनियों का अनुभव है। दोनों काफी हद तक मिलती-जुलती हैं। पिछले कई वर्षों से वे दोनों कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। यह देखा गया कि यद्यपि वे दोनों मुकदमा लड़ रहे हैं, हम दोनों कम्पनियों की गुणवत्ता में अंतर कर सकते है कि कौनसी कम्पनी की गुणवत्ता ज्यादा है। इसीलिए यह विधेयक निश्चित रूप से निर्माताओं के तनाव को कम करेगा और प्रक्रिया को सरल बनाएगा।

मुझे माननीय मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देने हैं। विवादों से संबंधित कई मामले लंबित पड़े हैं। अपील बोर्ड के पास ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे न्यूनतम समय में मामलों का निपटारा तेजी से हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री टी.एम. सेलवागनपति (सेलम): महोदय, मैं विधेयक का विरोध करता हूं, यद्यपि चर्चा में भाग लेने वाले कई सदस्यों ने काफी हद तक विधेयक का समर्थन किया है, क्योंकि विधेयक का मूल आधार ही राष्ट्र की आर्थिक सार्वभौमिकता को छिन्न-भिन्न करता है।

माननीय मंत्री महोदय ने विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में विधेयक के पुरःस्थापन और उस पर विचार किए जाने के लिए अपने कारण गिनाए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से इंगित किया है कि भूमण्डलीकरण और उदारीकरण को ध्यान में रखकर और व्यापार गतिविधियों में बढोतरी और वाणिज्य के विकास को देखते हुए उनका आशय इस विधेयक पर विचार करने का है।

उदारीकरण और भूमण्डलीकरण के नाम पर कई विकासशील देशों की सम्पदा का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। इतिहास ने हमें यही सिखाया है। ऐसी रिपोर्ट और आंकड़े 1994 से उपलब्ध हैं जो यह दर्शाते है कि मात्र विकासशील देशों से ही 60 बिलियन डालर बाहर चले गए हैं। इस प्रकार के विधेयक को अधिनियमित करने का उद्देश्य क्या है। एक के बाद एक हमारी आर्थिक सार्वभौमिकता पर गम्भीर प्रहार किए गए हैं।

मुझे यह जानकर वास्तव में आश्चर्य हो रहा है कि सरकार केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सेवा करने के लिए सत्ता में आयी है। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से, अर्थात् 13वीं लोक सभा के गठन के बाद से, यह पूरा शीतकालीन सत्र ऐसे विधेयकों को पारित करने के लिए समर्पित रहा जोकि सीधे-सीधे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशी शक्तियों को सहायता पहुंचाते है। उदाहरणार्थ, बीमा विनियामक प्राधिकरण, खान और खनिज और प्रतिलिप्यधिकार। पेटेण्ट विधि और अन्य विधियां अभी आना बाकी हैं। पूरे सत्र में

व्यापार और वाणिज्य और निवेश का ही बोल बाला रहा। पूरी प्रक्रिया बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सहायता पहुंचाने के काम में जुटी रही। यह एक और प्रयास है।

वे न केवल बेच रहे हैं अपितु वे शीघ्रातिशीघ्र बेचने की प्रक्रिया में हैं। वे देश को बेच रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से ही भारतीय इतिहास ने हमें कई बात सिखायी है। हमें इस कम्पनी को वापस भगाने में लगभग 200 वर्ष लग गए। मैं नहीं जानता कि हमारे देश का क्या होगा यदि हम उदारीकरण और भूमण्डलीकरण के नाम पर पूरे देश को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंप देंगे। मैं फिर से दोहराता हूं कि यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के समक्ष घुटने टेकना है। यह विधेयक केवल विदेशियों के हितों की रक्षा करने के लिए है। कुछ समय पहले माननीय मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी पूरे जोश में कह रहे थे कि उदारीकरण राष्ट्र के हित में किस प्रकार है। अपने विधेयक के समर्थन में, जिस पर इस विधेयक के पहले विचार किया गया है, वे समझा रहे थे कि उनकी सरकार राष्ट्र के हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह प्रतिबद्ध है। परन्तु यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब 1995 में यही विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत हुआ था तो डा. जोशी इसका विरोध कर रहे थे। मुझे उनके शब्दों को उद्धृत करने की अनुमति दी जाए। 31 जुलाई, 1995 को, जब राज्य सभा में यह विधेयक चर्चा के लिए लिया गया था, मैं डा. जोशी के शब्दों को उद्धृत करता हूं। वे 'सिंगर' का उदाहरण दे रहे थे।

> "सिंगर भी वही काम कर रही है जो बाटा कर रहा है। वे 200 रुपये में उस मशीन को बनाते हैं और वे इसे 500 रुपये में बेचते हैं। इसलिए भारतीय उद्योग को लाभ की बात कहां आती है?"

यह प्रश्न उनके द्वारा ही उठाया गया था। आपने केवल 'सिंगर' का लोकप्रिय बनाया है। मैंने केवल उनके शब्दों को उद्धृत किया है। इसीलिए मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं। भारतीय उद्योग को बचाने के उपबंध इसमें कहां हैं? इस राष्ट्र के छोटे उद्यमी, जोकि कई मिलियन छोटे उद्योग है जिन्होंने कई बार देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उनके हितों की रक्षा के उपबन्ध इसमें कहां हैं? इन बातों की घोर उपेक्षा होगी क्योंकि यदि यह विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपने हितों की रक्षा करने के लिए बहुत बड़ा अवसर मिल जाएगा।

महोदय, देश के छोटे उद्यमियों और लघु उद्योगों पर यह एक घातक प्रहार होगा। मेरे विचार से, यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो व्यापार चिह्न का स्वामी, केवल व्यापार चिह्न के स्वामित्व को अपने पास रखने के कारण ही उन सभी मदों पर अपना नियंत्रण रखेगा जिन पर उनका व्यापार चिह्न पंजीकृत है। वह अपने व्यापार चिह्न के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पादों का स्वामी बन जाएगा। यह छोटे उद्यमियों के अस्तित्व के लिए घातक है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या भारतीय उत्पादों का भी उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विपणन हो पाएगा? मुझे शंका है, भारतीय उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। कोई सुरक्षोपाय नहीं है। यदि यह विधेयक पारित हुआ तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ही वर्चस्व होगा।

महोदय, इस विधेयक के मूल उपबन्ध पर आते हुए, मैं दो उपबन्धों को लूंगा। मुझे समय की कमी का ध्यान है। मानो कि हम, इस विधेयक को स्वीकार करते है। यह विधेयक अभी भी बदलते परिवेश के लिए तर्कसंगत नहीं है। 1993 में इसके प्रस्तुत होने के बाद से लगभग सात साल व्यतीत हो गए। मैं नहीं जानता कि मंत्रालय ने इसे विचारार्थ लिया है या नहीं और क्या बदलते परिवेश में इस पर विचार विमर्श हुआ है या नहीं। 1993 से बहुत बदलाव हुए है। इसलिए, यह विधेयक वर्तमान परिस्थितियों में तर्कसंगत नहीं है।

एक दूसरी बात का भी मैं उल्लेख करना चाहता हूँ वह है इस विधेयक का मुख्य उपबंध। अब सरकार का रजिस्ट्रेशन पर नियंत्रण नहीं रह गया है। इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार, सरकार के नियंत्रण पूर्णत: एक व्यक्ति के हवाले हो जाएगा, वह है, विभाग प्रमुख, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार अब एकमात्र व्यक्ति होगा, जिसका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। वह अपनी मनमर्जी का आचरण करेगा। कोई अधिकारी नहीं होगा, जो उससे उसके काम के बारे में पूछ सके। किसी सरकार के प्रति वह उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह यह देखें कि कुछ सुरक्षोपाय हो, जिससे रजिस्ट्रार की कार्यप्रणाली पर कुछ नियंत्रण और दबाव बनाया जा सके।

माननीय मंत्री जी आप नौकरशाहों की प्रवृत्ति को जानते हैं। संपूर्ण अधिकार दे देने से कदाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए, मैं कहता हूँ कि रजिस्ट्रार के अधिकारों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। एक उपबंध में तो यह भी दिया गया है कि रजिस्ट्रार लंबित आवेदन भी मंगा सकता है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। इस विधेयक में अन्य सख्त उपबंध है खंड 93, मैं इसे पढ़ने की अनुमति चाहता हूँ।

> "किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को धारा 91 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में किसी अधिकारिता, शक्तियों या प्राधिकार का प्रयोग करने की न शक्ति है न हक।"

[श्री टी.एम. सेल्वागनपति]

इस धारा के अनुसार, रजिस्ट्रार के आज्ञा के विरुद्ध, कोई भी अपील बोर्ड में जा सकता है, लेकिन अपील बोर्ड के बाद, कहीं अपील करने की राह नहीं है। यह एक सख्त कानून है और हमारी प्रणाली में कोई भी किसी पार्टी को न्यायालय जाने से रोक नहीं सकता।

इसलिए, मैं कहता हूँ। जैसे हमारे मित्र, कामरेड रूपचंद पालजी ने कहा है, सभापति सरकार द्वारा नियुक्त होता है और राजनैतिक सम्बद्धता के कारण, उन्हीं लोगों को चेयरमैन बनाया जाएगा और व्यक्ति के पास अपील करने का कोई मौका नहीं रह जाता। पहले रजिस्ट्रार के पास, उसके बाद अपील बोर्ड के चेयरमैन के पास और यहाँ मामला समाप्त हो जाता है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस विशेष उपबंध को निकाल दिया जाए।

अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विधेयक में व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रेशन की कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। इसलिए, समय सीमा का निर्धारण किया जाए।

सायं 6.00 बजे

अंततः, क्योंकि सभापति महोदय समय की विवशता को मुझ पर लाद रहे हैं। मैं प्रवर समिति की रिपोर्ट को उद्धृत करता हूँ। समिति के सभापति ने स्पष्ट कहा है:

> "समिति के कुछ सदस्यों की राय थी कि व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रेशन को उदार बनाने से विदेशी बहुराष्ट्रीय इकाईयों को ही अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बदले, नीति यह होनी चाहिए कि विदेशी व्यापार चिह्नों को मान्यता प्रदान करने का कार्य घरेलू समान उत्पादन या उसी तरह के उत्पादनों के पहल को बढ़ावा देने की दृष्टि से धीमी गति से करना चाहिए। इस समय घरेलू व्यापार चिह्नों के उपयोग को बढ़ावा देने संबंधी उपाय करने की आवश्यकता है।"

इसलिए, इस विधेयक में न तो छोटे व्यावसायियों के संरक्षण का कोई प्रावधान है या लाखों घरेलू व्यापारी जो इस देश के छोटे व्यवसायी हैं को बढ़ावा देने के लिए किसी प्रावधान को प्रतिपादित नहीं किया है। बल्कि, यह विधेयक केवल विदेशी कंपनियों के हित में होगा। इसलिए, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि एक व्यापक विधेयक लाए।

मुझे अवसर दिए जाने के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मैं सदस्यों से समय बढ़ाने की अनुमति चाहूंगा। इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय तय था। अभी इस पर मंत्री महोदय का उत्तर होना है और इसे खंडवार पारित करना है।

[अनुवाद]

महोदय, हमें इस विधेयक पर खंडवार विचार करना है और साथ ही इस विधेयक को पारित भी करना है। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि सभा का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

[हिन्दी]

अगर सदन की सहमति हो तो एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाए ताकि इस विधेयक को पारित किया जा सके।

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): हमें साढ़े सात बजे प्रधान मंत्री जी के यहां जाना है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कल बहुत सा काम है, इसलिए कठिनाई होगी। कल इस सत्र का अंतिम दिन भी है। अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे। इसके बाद इसे खंडवार पारित करेंगे।

क्या यह सभा एक घंटे का समय बढ़ाने की अनुमति देती है?

[अनुवाद]

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ।

सभापति महोदय: इसलिए, सभा का समय एक घण्टे और बढ़ाया जाता है। अब माननीय मंत्री महोदय।

...(व्यवधान)

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा): पिछले विधेयक का क्या होगा? *...(व्यवधान)*

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का इस विधेयक पर आम समर्थन देने के लिए धन्यवाद करता हूँ।

आखिर बार, यह विधेयक यहाँ पर 1993 में यहाँ प्रस्तुत किया गया था। हमने केवल सेवा चिह्नों को ही जोड़ा है, उदाहरण के लिए बैंड बाक्स, ट्रेवल कारपोरेशन ऑफ इंडिया (टी.सी.आई.), जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ये सभी सेवा चिह्न हैं, हमने केवल इन्हीं बातों को जोड़ा है।

महोदय, यह दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है कि यह विधेयक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों का ही संरक्षण और समर्थन करती है। कामरेड रूपचंद पालजी अभी प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने अभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ अपना गुबार निकाला है। मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत हूँ लेकिन मैं इस दृष्टिकोण का खंडन करता

हूँ कि यह विधेयक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ही संरक्षण करेगी। भारत में दाखिल किए गए व्यापार चिह्न रजिस्ट्रेशन के सभी आवेदन पत्रों में से, लगभग 70 प्रतिशत आवेदन पत्रों को भारतीय उद्योगपतियों द्वारा ही दिए जाते हैं। यदि भारतीय उद्योगपतियों और उनके उत्पादों को घरेलू और विश्व बाजारों में मान्यता प्राप्त करनी है तो, उसे अपने उत्पाद को एक पहचान देने की आवश्यकता होती है। इसलिए, व्यापार चिह्न इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। हम सभी लोक सभा के सदस्य हैं और अपनी पार्टी चिह्नों द्वारा पहचाने जाते हैं। हम सभी यहाँ है क्योंकि हम एक चिह्न के द्वारा जीत कर आए हैं। हम सभी भावनात्मक रूप से हमारे चिह्न से जुड़े हुए हैं। यदि किसी चिह्न को पार्टी के विभाजन के कारण या चुनाव आयोग के आदेश पर ले लिया जाता है तो, हम ही जानते हैं इससे हमें कितना नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए, हमें व्यापार चिन्ह की महत्ता को समझना चाहिए।

इस प्रकार, यदि चुनाव के दौरान यदि चिह्न राजनेताओं के साथ जुड़ जाता है, व्यापार चिह्न व्यावसायियों, उत्पादकों और उद्योगपतियों के साथ उसके व्यापार के कारण जुड़ा हुआ है। अब, व्यापार चिह्न ने उद्योग जगत में बड़ी महत्ता हासिल कर ली है। बल्कि, मैं यह कहूँगा, महोदय, व्यापार चिह्न किसी का व्यवसाय बढ़ाने के लिए अति महत्वपूर्ण है।

माननीय सदस्य, श्री दासमुंशी, ने इस बात का यहां तक उल्लेख किया है कि बंदरों और हाथियों तक को व्यापार चिह्न बनाया गया। यह सत्य है। महोदय, यह महान वास्तविकता है, केफेरर महोदय ने, अपनी पुस्तक में लिखा है:

> "किसी नए उत्पाद के साथ जुड़ा कोई निरर्थक व्यापार चिह्न शब्द वर्ष-दर-वर्ष विगत में दिए गए विज्ञापन संदेशों और उत्पाद से जुड़ी स्मृति से सार्थक बन जाता है।"

कभी-कभी यह निरर्थक चिह्न से आरम्भ होता है और तत्पश्चात महत्ता प्राप्त कर लेता है। इस तरह व्यापार चिह्न और ब्राण्ड हमारी उपभोक्ताओं द्वारा संचलित अर्थव्यवस्था का केन्द्र बिन्दु बन गए है। यह वाणिज्य का ईंधन है। अत: मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि ब्राण्ड तत्व इसके संस्थापक में बसता है जिसने फोर्ड को जो विशेष स्थान मिला है वह शेवरलेट को नहीं मिला है अत: व्यापार चिह्न में एक पैकेज सम्मिलित है। इसका नाम क्या है, इस्तेमाल करने में यह कैसा है इसमें कौन कौन से चिह्न इस्तेमाल किए गए है, इसकी पैकिंग कैसी है, इसके मूल्य निर्धारण की नीति क्या है, इसके विपणन के लिए क्या व्यवस्था है, किसी समुदाय के संबंध में इसकी नीति क्या है इसकी बिक्री संबंधी गतिविधियां, इसके विक्रय को बढ़ाने संबंधी नीति आदि शामिल है।

हमारे अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा वर्ष 1994 में "फाइनेंशियल वर्ल्ड" ने व्यापार चिह्न के महत्व का आंकलन किया था। अत: उसके अनुसार वर्ष 1994 में कोका कोला विश्व में व्यापार चिह्न के रूप में सर्वप्रथम स्थान पर था। उस वर्ष उसका मूल्य 35,950 मिलियन डालर आंका गया था दूसरा स्थान मार्लबोरो सिगरेट का था इसका मूल्य 33,045 मिलियन डालर आंका गया था व्यापार चिह्न का मूल्य ऐसा होता है। इस प्रकार भारत में भी हमारे व्यापार चिह्न काफी मशहूर होते जा रहे हैं। अत: हमारे व्यापार चिन्हों की रक्षा करने के लिए इस विधेयक को लाया गया है।

खण्ड 115 के संबंध में मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ उन्होंने पूछा है खंड 115 की क्या आवश्यकता है। महोदय, यह इसलिए है कि विधि के माध्यम से ईमानदार व्यापारी की संरक्षा की जा सके। रजिस्ट्रार के पद का सृजन परेशानी से बचने के लिए आवश्यक है चूंकि दण्ड प्रावधानों को बढ़ाया गया है, प्रावधान प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के साथ प्रक्रिया में एकरूपता भी लाता है। अत: श्री पाल ने मामला रजिस्ट्रार को प्रेषित किया है। रजिस्ट्रार को कही भी जाने की आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञ राय व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रार से सत्यापित करने के पश्चात व्यापार चिह्न का पंजीकरण के तकनीकी पहलू से संबंधित है। यह तो मात्र सुरक्षोपाय है।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैंने तो बिल्कुल भिन्न प्रश्न पूछा है क्योंकि रजिस्ट्रार की राय पर ही अभियोग लगाना निर्भर है कोई व्यक्ति जो अभियुक्त है वह रजिस्ट्रार को साक्षी के रूप में लेगा और रजिस्ट्रार को देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाना होगा। अत: इसे साक्षी के बॉक्स में साक्षी के रूप में खड़ा भी होना पड़ेगा। इस स्थिति के अंतर्गत यह परन्तुक सुरक्षोपाय किस प्रकार हो सकता है।

श्री मुरासोली मारन: हमारा विचार इस प्रकार है। हम पुलिस मैन अथवा डी एस पी को शक्ति नहीं देना चाहते हैं उसे ठोस साक्ष्यों के साथ वैज्ञानिक तरीके से कार्य करना चाहिए। इसीलिए हमने रजिस्ट्रार को शक्तियां दी है रजिस्ट्रार की सलाह पर पुलिस अधीक्षक कार्य करेगा न कि साधारण कांस्टेबल। अत: यदि श्री पाल महसूस करते हैं कि यह ठीक प्रकार से हमारी मदद नहीं करेगा तो इसे लागू करने के पश्चात यदि आवश्यक हुआ तो हम इसमें संशोधन लाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है।

हमारे पास समय का अभाव है महोदय, कई सदस्यों ने बासमती के बारे में अपनी राय व्यक्त की है जिसके विषय में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। सरकार ने अमरीका में केस लड़ने के लिए सभी कदम उठाए है। सितम्बर, 1997 के दौरान "बासमती राइस लाइन्स और ग्रेन्स" नाम विशेष पेटेन्ट यूनाइटेड स्ट्रेस पेटेन्ट और ट्रेड मार्क आफिस द्वारा मै. राइसटेक इनको टैक्सस यू.एस.ए. को प्रदान की गई थी।

[श्री मुरासोली मारन]

उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका के रूप में मिस वन्दना शिवा द्वारा एक मामला दायर किया गया है। 13 जुलाई 1998 को भारत के महान्यायवादी जो संघ सरकार की ओर से उपस्थित हुए थे ने न्यायालय को आश्वासन दिया था कि इस पेटेन्ट को चुनौती देने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।

महोदय हमने "बासमती विकास कोष" नामक कोष की स्थापना की है। यह दिसम्बर 1995 में स्थापित किया गया था जिसका उददेश्य मुख्यत: अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बासमती के नाम की सुरक्षा करना है।

इस कोष ने व्यापार चिह्न निगरानी एजेन्सी की सेवाएं ली है जो इसकी ओर से विश्व के प्रत्येक कोने में बासमती अथवा उसके भ्रामक प्रकारों के लिए किसी नए व्यापार बाजार की व्यवस्था की निगरानी करता है। परिणामस्वरूप यह कोष ग्रीस, यूनाइटेड किंगडेम, दक्षिण अफ्रीका, जोर्डन, यू.ए.ई. चिल्ली, स्पेन, टर्की ब्राजील, कुवैत, ताइवान आदि सहित विश्व में 18 जगहों में कानूनी कार्यवाही कर रहा है। यू.के. में हमें सफलता मिली है हमें यू.के., कोलम्बियां, ब्राजील, स्पेन और ताइवान के मामले जीत लिए हैं। हमने चिली, डेनमार्क, इजराइल, जोर्डन, टर्की और दक्षिण अफ्रीका में विरोध दर्ज किया है।

महोदय, स्थिति इस प्रकार है। अत: हम मामला लड़ेंगे।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): उन्होंने बासमती के नाम का प्रयोग नहीं किया है।

श्री मुरासोली मारन: यह ठीक है यही विभेद उन्होंने किया है। हम इसका परीक्षण कर रहे हैं। हम इसकी जांच कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, सचिव, औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में अन्तर्मंत्रालीय दल का गठन किया गया है ताकि पेटेन्ट की जटिलताओं की जांच की जा सके और इस चीज को चुनौती देने के तरीकों का निर्धारण भी किया जा सके।

महोदय, पुन: तकनीकी समिति की स्थापना की गई है ताकि आवश्यक तकनीकी जानकारी और पेटेन्टों को चुनौती देने के लिए दस्तावेजों को उपलब्ध कराया जा सके।

महोदय, इस मामले में हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ मैं सभा के सभी वर्गों से सभी माननीय सदस्यों का उनका पूरा सहयोग देने के लिए धन्यवाद करता हूँ।

मैं एक बार पुन: अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: महोदय, मेरा एक प्रश्न है। इसे स्वैच्छिक क्यों बनाया है? व्यापार चिह्न व्यापारी के लिए अनिवार्य चीज नहीं है मेरा प्रश्न है इसे अनिवार्य क्यों नहीं बनाया जाय।

श्री मुरासोली मारन: मुझे खेद है। हम लोगों को मजबूर नहीं कर सकते हैं यह एक आजाद देश है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): आप सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार स्थापित प्रक्रिया को उलट रहे हैं, जिसके अनुसार जहाँ पर प्रतिवादी निवास करता है, उसे अधिकारिता माना जाएगा परन्तु यहाँ पर आप इस प्रक्रिया को उलट रहे हैं और वादी को शिकायत करने के लिए अपनी अधिकारिता का चयन करने की छूट दे रहे हैं और प्रतिवादी को मामलों में उपस्थित होने के लिए सुदूर स्थानों से आना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में, बेचारे व्यापार चिह्न के धारक को कठिनाई होगी और उसे मामलों में प्रतिवाद करने का अवसर नहीं मिलेगा और बहुराष्ट्रीय तथा शक्तिशाली कम्पनियाँ बौद्धिक उद्यमियों के व्यापार चिह्नों को हथिया लेगी।

मैं धारा 134(2) का उल्लेख कर रहा हूं: "कार्रवाई संस्थित करने वाला व्यक्ति या जहाँ एक से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं। वहाँ उनमें से कोई वस्तुत: और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है।"

श्री मुरासोली मारन: श्री पाल, आप शायद वकील हैं, परन्तु मैं वकील नहीं हूँ।

श्री रूपचन्द पाल: नहीं, मैं वकील नहीं हूँ।

श्री मुरासोली मारन: मैं प्रयास करूँगा ...*(व्यवधान)*

खण्ड 134 के संबंध में, विधि का आशय ईमानदार व्यापारी की संरक्षा करना है और यह पंजीकृत व्यापार चिह्न पर ईमानदारी से व्यापार कर रहे छोटे व्यापारी के लिए भी लाभदायक है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने श्री सेल्वागनपति को अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: खण्ड 93 में उल्लिखित है कि अपीलीय बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपील की अनुमति नहीं है। लोग इस बात का फायदा उठाएंगे।

श्री मरासोली मारन: प्रत्येक विधि में यही बात उल्लिखित होती है। क्या आपके कहने का यह अर्थ है कि उच्च न्यायालय में अपील नहीं की जाएगी? यहाँ पर एक महान वकील है। उन्हें कहने दीजिए।

महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट अपीलें दाखिल की जा सकती हैं। यह उपबन्धित है। परन्तु ऐसा शायद ऐसा लिखने की विधायी विभाग की प्रथा के कारण है। कोई भी अन्य व्यक्ति ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: एक वर्ष में कितनी अपीलें दायर की जाती हैं? एक वर्ष में 60 या 65 अपीलें हो सकती हैं और जिसके लिए पाँच अपीलीय बोर्डों का गठन किया गया है? वे क्या करेंगे? इनकी क्या आवश्यकता है? इसके बजाय आपके पाँचों उच्च न्यायालयों में बौद्धिक सम्पदा अधिकार के लिए विशेष न्यायपीठ की स्थापना करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वे पहले ही उत्तर दे चुके हैं। अब, प्रश्न यह है:

"कि व्यापार चिह्नों से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने, माल और सेवाओं के लिए व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण और बेहतर संरक्षण और कपटपूर्ण चिह्नों के प्रयोग का निवारण करने का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

श्री रूपचन्द पाल: जहाँ तक अनुच्छेद 134 का संबंध है, माननीय मंत्री महोदय में कहा है कि वे इस पर ध्यान देंगे। यह आश्वासन दिया जाए कि वे इस पर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय: हम विधेयक पर खण्डवार विचार कर रहे हैं। वे पहले ही उत्तर दे चुके हैं। इसके बाद आप बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 159 एक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 159 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री मुरासोली मारन: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.16 बजे

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) विधेयक*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि माल से संबंधित भौगोलिक उपदर्शनों के रजिस्ट्रीकरण और बेहतर संरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

महोदय, भौगोलिक उपदर्शन से वह उपदर्शन अभिप्रेत है जो किसी देश के राज्य क्षेत्र में या उस राज्य क्षेत्र के किसी क्षेत्र या परिक्षेत्र में उद्भव होने वाले माल के रूप में माल को परिभाषित करता है और जहाँ ऐसे माल की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य गुणधर्म मूलत: इसके भौगोलिक उद्भव स्थान के कारण होते हैं। भौगोलिक उपदर्शन के प्रख्यात उदाहरणों में दार्जिलिंग की चाय, मालाबार की काली मिर्च, अलेपी की हरी इलायची, चम्बलपुरी साड़ी और निम्मापुरा जेली और बहा रसगुल्ला शामिल है ...*(व्यवधान)*। यह सारी बातें शामिल हैं। इसलिए हमें एक संहिताबद्ध विधि की आवश्यकता है। जब तक हम हमारे देश में अपने भौगोलिक उपदर्शनों की संरक्षा नहीं करते हैं, हम विदेशों में इस प्रकार का संरक्षण नहीं प्राप्त कर सकते हैं।

महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधान है। राष्ट्रहित में, मैं माननीय सदस्यों से हमारे राष्ट्रीय उद्योगों, हमारी हस्तकलाओं हमारी राष्ट्रीय सम्पदा की संरक्षा के लिए इस विधेयक को सर्वसम्मति से समर्थन देने का अनुरोध करता हूँ।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि माल से संबंधित भौगोलिक उपदर्शनों के रजिस्ट्रीकरण और बेहतर संरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 25.5.1999 में प्रकाशित।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, यह विधेयक भी, उसी तरह का है, जिस तरह का विधेयक अभी पारित किया गया है। व्यापार चिह्न विधेयक और माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) विधेयक में अपनाए गए आधारभूत सिद्धान्त लगभग वही हैं। मुझे कुछ स्थितियों के आधार पर इस विधेयक का विरोध करना है। इनमें से एक यह है कि इसके कुछ उपबन्ध मुकदमेबाजी की संभावना बनायेंगे। उदाहरण के लिए उल्लंघनकारी प्रावधान। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो मामले को जिला न्यायालय में ले लाया जाएगा और जिला न्यायालय की अधिकारिता से कम किसी जगह नहीं ले जाया जाएगा। स्थिति यह होगी कि मामलों का कोई अंत ही नहीं होगा। अभी भी जिला न्यायाधीश अपने सामान्य कार्य को निपटाने की स्थिति में नहीं है। जिला न्यायाधीशों के पास हजारों मामले लंबित पड़े हैं। इस विशेष विधेयक के उपबंधों के अंतर्गत जिला न्यायाधीश एक पीढ़ी समाप्त होने से पहले निर्णय नहीं ले पायेगा। यह तो एक बात हुई। हमें एक विधि ढूँढनी होगी जिसके द्वारा उल्लंघन के मामलों के संबंध में विवादों के शीघ्र निपटान के लिए व्यवस्था की जा सके। मैं माननीय मंत्री महोदय से भविष्य में एक विधान लाने या संशोधन लाने का अनुरोध करता हूँ। ताकि कम से कम स्थितियों को सरल बनाया जा सके और निर्णय लेना आसान हो। मामलों में निर्णय करते समय शीघ्र निपटान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम इन सभी मामलों को जिला न्यायालय को सौंप देते हैं तो इसमें काफी समय लगेगा। यह तो एक पहलू है।

धारा 39 के संबंध में, यह एक शास्ति धारा हैं। इसमें उल्लिखित है:

"कोई व्यक्ति; जो-

(क) किसी भौगोलिक उपदर्शन का मिश्याकरण करता है; या

(ख) माल पर किसी भौगोलिक उपदर्शन का मिथ्या रूप से उपयोजन करता है; या

(ग) कोई डाई, ब्लाक, मशीन, प्लेट या अन्य यंत्र बनाता है, उसका व्ययन करता है या उसे रखता।

जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो विधेयक में उपबंध वैसा ही है जैसाकि अभी पारित किए गए विधेयक में है।

यहां पर भी एक कठिनाई है। हम पाते हैं कि रजिस्ट्रार से एक प्रमाणपत्र की आवश्यकता पड़ती है। यही उपबन्ध यहां पर भी है जिसका अर्थ है कि विलम्ब होगा। ऐसा केवल एक रजिस्ट्रार है। हमें उससे निरीक्षण के लिए, परिसर में प्रवेश के लिए और जांच के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। जिसका अर्थ होगा कि कार्यवाही में विलम्ब होगा। इस मामले का कोई अन्त नहीं है। इससे गरीब लोगों जिनके पास पहले ही भौगोलिक उपदर्शन है को लाभ नहीं होगा बल्कि उन्हें होगा जिनके पास पैसा है वह तो कठिनाई में पड़ जायेगा। इसलिए मैं एक ऐसी प्रक्रिया को खोजने का सुझाव दूंगा जिससे कि प्रक्रिया को त्वरित और सरल बनाया जा सके।

जब हम खण्ड 44 और 45 का अध्ययन करते हैं तो हम पाते है कि एक कालावधि, जिसे दो वर्ष की अवधि तक भी बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने सहित का उपबंध किया गया है। अब मामले का या तो मेट्रोपोलिट मजिस्ट्रेट या एक प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय किया जाएगा और अभियोजन कार्रवाई को संस्थित करने वाला उपपुलिस अधीक्षक होगा। उसे अन्य कार्य भी करने होंगे। जैसाकि हम जानते है कि जिले में तीन या चार उप पुलिस अधीक्षक होते हैं। जब कभी भी चर्चा के लिए मामला आएगा तो उप पुलिस अधीक्षक अपने विरुद्ध कार्यवाही करने में अत्यन्त कठिनाई का अनुभव करेगा और इसी समय उसे रजिस्ट्रार से प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा जिसका अर्थ है कि विलम्ब होगा। इस प्रकार ऐसे मामलों में शीघ्र निपटान के हमारे प्रयास में हमें भविष्य में असफलता या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

इसके बाद, खण्ड 46, 47 और 48 में परिवर्तन की आवश्यकता है। अन्यथा प्रक्रिया या उद्देश्य, जिसके लिए विधेयक पारित किया गया है, उसे प्राप्त करना कठिन होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से एक विधान लाने का अनुरोध करता हूं जिससे कि प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।

इस मामले में मुझे केरल की एक आयुर्वेदिक औषधि पर बोलना है। हम कुछेक अत्यधिक प्रसिद्ध औषधियां बनाते हैं। हमारे यहां एक साबुन है चंद्रिका साबुन जोकि केरल में निर्मित होता है और इसमें एक भौगोलिक उपदर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है।

श्री मुरासोली मारन : चंद्रिका साबुन केरल का नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : चन्द्रिका नाम स्वयं केरल से है। आपको समझना पड़ेगा।

श्री मुरासोली मारन : राधाकृष्णन केरल के नहीं हैं। यहां पर अन्य राधाकृष्णन भी हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसलिए, मैं सुझाव देता हूं कि, खंड 50 के संज्ञान लेने संबंधित प्रावधानों को आसान बनाने के लिए उसमें संशोधन करना पड़ेगा ...*(व्यवधान)* यही मुख्य मुद्दे हैं जिन के बारे में इस विधेयक को विचारार्थ लेते हुए मैं विस्तारपूर्वक बोलूंगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक के अध्याय 1 और 2 का समर्थन करता हूं। यह अनिवार्य रूप से विनिर्मित वस्तुओं विशेषकर अगर यह चिह्नित हो कि वस्तु भारत की है या भारत में उत्पादिक कृषि उत्पाद या प्राकृतिक उत्पाद है, के संरक्षण के लिए है। मैं रक्षा या अभियोजन के खर्च से संबंधित खंड 50 से सहमत नहीं हूं। इसमें लिखा है इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अभियोजन में न्यायालय ऐसी लागत को अभियुक्त द्वारा प्ररिवादी को या परिवादी द्वारा अभियुक्त को, मामलों की सभी परिस्थितियों और पक्षकारों के आचरण को देखते हुए जैसा भी न्यायालय उचित समझे चुकाने का आदेश दे सकता है। यह कानून के लिए नया है। यह डराने वाला उपबन्ध है। दूसरा, परिवादी को न्यायालय जाना या शिकायत दर्ज करवाना पड़ेगा।

धारा 9 में उल्लेख है:

"किसी ऐसे भौगोलिक उपदर्शन को

(क) जिसके उपयोग से धोखा या भ्रम हो जाने की संभावना होगी:—"

अगर आप सेमसोनाइट ब्रीफकेस को लें, यह सिंगापुर के साथ-साथ दिल्ली में भी बिकता है। यह ब्रीफकेस मूलत: अमरीका का है। लोगों को 'सेमसोनाइट' के नाम से ही पता चल जाता है, और वे जानते है यह मूलत: अमेरिका का है। यही मामला रोलेक्स और ओमेगा घड़ियों के साथ है, यद्यपि नकली घड़ियां हांगकांग में बनती है। इसलिए, उत्पादकों के मूल स्थान को पहचानने का प्रावधान और उसका पंजीकरण एक स्वागत योग्य कदम है। त्रिपुर में, बुनाई उद्योग बनियान, टी-शर्ट का निर्माण करते हैं। उनका निर्यात किया जाता है, लेकिन विदेश में निर्माण के स्थान का उल्लेख नहीं होता है। यदि ये लिखा जाए कि अमुक सामान तमिलनाडु, भारत में बना है, तो नि:संदेह, उत्पाद हमारे राज्य और देश का नाम और ख्याति बढ़ाएगा। जैसा कि मंत्रीजी ने उल्लेख किया, यही बात 'रसगुल्ले', तिरुनेलवेली 'हलवा', मस्कट 'हलवा', कदम्बूर 'बोली' और कोझीकोड 'हलवा' के साथ है। उनका मूल स्थान यही है। अभी तक उन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए, प्रथम और द्वितीय अध्याय में इस उपबन्ध की व्यवस्था एक स्वागतेय कदम है। स्वाभाविक है कि इससे उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा यह विनिर्माताओं की पहचान को बनायेगा, और वे विदेशी कंपनियों के संतोष के अनुरूप उत्पाद बनायेंगे।

जहां तक कपड़ा उद्योग का प्रश्न है, हम किसी से कम नहीं है। हमारे पास कताई मिलें है, हम कई प्रकार की वस्त्र सामग्री तैयार करते हैं, जो अन्य देशों में निर्यात होती हैं। जैसा कि आप जानते है, तमिलनाडु में, काच्चीपुरम साड़ियों का निर्माण होता है। इस तरह, अगर मूल निर्माण के स्थान को, अगर मोहर लगाकर संरक्षित किया जाए, यानि उसके भौगोलिक उपदर्शन को सुरक्षित रखा जाए, तो निर्माण के मूल स्थान की संपूर्ण विश्व में पहचान बनेगी। धारा 32 के संबंध में कुछ शंकाएं की गई थी जो कहता है:

"किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी का धारा 31 की उपधारा (1) में अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार नहीं होगा या उसका प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।"

जैसा कि मंत्री जी ने कहा, यह प्रत्याशित है। राज्यों के सभी अधिनियमों में, यह कहा गया है कि 'किसी न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं होगी।' लेकिन न्यायालय की अधिकारिता को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। वे अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने अधिकारों अर्थात् रिट अधिकार का प्रयोग करेंगे।

धारा 31 में कहा गया है:

"**अपील बोर्ड को अपीलें।**

(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रार के किसी आदेश या विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति अपील बोर्ड को अपील उस तारीख से, जिसको ऐसे आदेश या विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले ऐसे व्यक्ति को सूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर कर सकेगा।

(2) ऐसी कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी यदि वह उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पश्चात् की जाती है।

यहां, रजिस्ट्रार को तिहरा कार्य सौंपा गया है, वह है, धारा 3 के अंतर्गत, वह पेटेण्ट, डिजाइन और व्यापार चिह्न, का महानियंत्रक भी है और साथ ही वह भौगोलिक उपदर्शकों का रजिस्ट्रार भी है। श्री पाल ने, पिछले विधेयक पर बोलते हुए यही मुद्दा उठाया था।

सामान्यत: न्यायालयों में हम किसी राज्य, मान लीजिए तमिलनाडु के मुख्य सचिव को अभियोजित करते है, लेकिन मुख्य सचिव समन का जवाब नहीं देंगे। अवर सचिव ही उपस्थित होंगे और प्रतिदावा दाखिल करेंगे; मुकदमा लड़ने के लिए वह आयेंगे। इसलिए, मैं इस मुद्दे का स्पष्टीकरण चाहता हूं। कानूनी पहलू की सभा को जानकारी दी जानी चाहिए। मैं विधेयक के प्रथम और द्वितीय अध्याय का समर्थन करता हूं।

महोदय, कई ऐसे कुटीर उद्योग है जो यदि उनके उत्पाद को जब्त किया जाये या छीन लिया जाता है तो वे अपना मूल स्थान बताना नहीं चाहेंगे। यह धारा कुटीर उद्योगों पर लागू नहीं होनी चाहिए।

[श्री पी.एच. पांडियन]

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक के भाग-1 और भाग-2 का समर्थन करता हूं और कानूनन शेष भाग का विरोध करता हूं।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): सभापति महोदय, यह विधेयक भी जिसे माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, टी.आर.आई.पी.एस. (ट्रिप्स) समझौते से संबंधित है। भौगोलिक उपदर्शक विधेयक में जो उपबन्ध है वह हमारे व्यापार और हमारे स्वदेशी उत्पादों के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम इससे विश्व बाजार में एक भागीदार बन सकते हैं।

महोदय भारत में 45,000 किस्मों के पौधों और करीब 81,000 किस्मों के पशु हैं। यह आंकड़े तब इकट्ठे किए थे जब इस संबंध में सर्वेक्षण किया गया था। अगर भारतीय उत्पादों का अभी संरक्षण नहीं किया गया तो प्रत्येक उत्पाद विश्व में 'अमेरिका में निर्मित', 'जापान में निर्मित' या 'इंग्लैंड में निर्मित' जाना जाएगा और भारत में उत्पादित उत्पादों को अन्य देश पेटेण्ट कर लेंगे। मैं हल्दी का उदाहरण देना चाहता हूं। "जक्सन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि हल्दी में घाव ठीक करने की क्षमता है उन्होंने इसे पेटेण्ट कर लिया। लेकिन हल्दी द्वारा घाव का उपचार अंदरूनी और बाहरी उपचार करना—भारतीय परंपरा की बहुत प्राचीन परम्परा है। इसलिए, उन्होंने कुछ नया नहीं किया है। केवल यह हुआ कि हमारे पास यह कानून नहीं था और इसलिए उन्होंने हमारे ज्ञान की चोरी की और इसका उपयोग किया और विश्व में इसका व्यापार किया।

महोदय, यह विधेयक स्थानों के भौगोलिक उपदर्शन का निर्धारण करता है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट क्षेत्र या स्थान के सामान या उत्पाद की पहचान के लिए किया जाता है। मैं यहां पर शेम्पेन और स्काच व्हिस्की के प्रसिद्ध उदाहरण देना चाहता हूं। शेम्पेन शेटोन अंगूरों से बनती है। शेम्पेन नाम फ्रांस के शेम्पेन जिले से संबंधित है और शेटोन अंगूर केवल उसी जिले में उगाई जाती है। लेकिन शेम्पेन के नाम का इस्तेमाल कही और नहीं लिया जा सकता।

महोदय, उसी प्रकार, ऐसे कई उत्पाद है। च्वनप्राश का ही उदाहरण लें। यह मूलत: भारत का है और इसमें आयुर्वेदिक तत्व है। अन्य देश हमसे यह चुराना चाहते हैं। हम इन उत्पादों को विधान लाकर बचाना चाहते हैं।

महोदय, पहले इन उत्पादों के बौद्धिक संपदा अधिकार पेटेंट अधिनियम, 1970, व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958; डिजाइन अधिनियम, 1911 और प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 में अन्तर्वित्त उपबंधों के अनुसरण में संरक्षित व विनियमित किया जाता था, किंतु आज मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस विशेष विधेयक को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सुयोग्य नेतृत्व में भाजपा सरकार के शासनकाल के दौरान लाया जा रहा है जो भारत को अपने उत्पादों के साथ विश्व बाजार में उतरने और व्यापार बाजार में चुनौतियां का सामना करने में सक्षम बनाएगा, भौगोलिक उपदर्शन के बारे में इस विशेष विधेयक से अब हमारे उत्पादों को संरक्षण मिल सकेगा, इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी जल्दबाजी में हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत प्रतिकूल टिप्पणियां की गई है कि संसद सदस्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और वे विधेयक पारित किए गए हैं जिन्हें नहीं किया जाना था। ऐसी कोई शर्त और मजबूरी नहीं है और यह क्षेत्र भी पूर्ववर्ती क्षेत्र की तरह ही है। मैं यह उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस विधेयक का नाम "माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) विधेयक, 1999 है।"

क्या मैं माननीय मंत्री जी से साफ शब्दों में पूछ सकता हूं कि भौगोलिक उपदर्शन क्या हैं? हर बात अधिसूचना में ही रखी गई है और कार्यपालिका जो कुछ भी इसमें शामिल करना चाहेगी यह संसद उसे स्वीकृति दे रही है और जिस बात को शामिल न करने के लिए उन पर दबाव पड़ रहा है वह उसे शामिल नहीं करेगी। किंतु यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके माध्यम से मैं सरकार और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यूरोप में एक वाद-विवाद चल रहा है। वहां पर बौद्धिक संपदा अधिकार के मामलों को देख रहे वकील इन बातों पर वाद-विवाद कर रहे हैं और उनका केवल एक एजेण्डा है अर्थात् वाइन और स्पिरिट, केवल वाइन और स्पिरिट तथा जब कभी भी भारतीय शिष्टमंडल चर्चा में चाहे बासमती चावल हो या कुल्लू शॉल या दार्जिलिंग चाय या कोई अन्य चीज हो, को लाना चाहते है, वे इसका विरोध करते हैं और विचित्र बात यह है कि ऐसी अनेक चीजें है। किंतु यहां केवल एक चीज अर्थात वाइन और स्पिरिट का उल्लेख किया गया है। यह खंड 84(2) है जिसमें यह कहा गया है:

> "किसी देश या किसी ऐसे देश, जो देश-समूह या देशों के संघ का सदस्य है, या किसी अंतर-शासनात्मक संगठन से संबंधित किसी भौगोलिक उपदर्शन के सतत और समरूप उपयोग को निवारित नहीं करेगी जिसमें ऐसे देश के किसी नागरिक या अधिवासी द्वारा माल के संबंध में वाइन या स्पिरिट को परिलक्षित किया गया है।"

इस विधेयक में बासमती का उल्लेख कहां है? क्या इस विधेयक में दार्जिलिंग चाय का कोई उल्लेख है? क्या आप इन चीजों के भौगोलिक उपदर्शन के बारे में निश्चित नहीं है? आप इनके बारे में निश्चित हैं। आप इनका उल्लेख क्यों नहीं कर रहे है? क्योंकि इस बारे में अनेक बैठकों में पश्चिमी देशों और विकासशील देशों का दबाव पड़ा है। आप अपने मंत्रालय के लोगों से भी जान सकते हैं कि जब हमारे देश के लोगों ने बासमती और दार्जिलिंग चाय के इन मामलों को उठाने का प्रयास किया था तो विकसित देशों में इस बारे में महत्वपूर्ण स्तरों पर गंभीर आपत्ति की और उन्होंने इन मामलों पर चर्चा करने से इंकार कर दिया किंतु उन्होंने वाइन और स्पिरिट, स्कॉच व्हिस्की और शैम्पेन आदि बातों पर चर्चा की जिन्हें हम इस विधेयक में सम्मिलित कर रहे हैं। यह विधेयक किसके लिए है? क्या यह विदेशी लोगों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए है या हमारे देश, हमारे अपने उत्पादों के लिए है। यह बहुत गंभीर मामला है और यह सरकार इस विधेयक को पारित करवाने का प्रयास कर रही है। मीडिया ने सही टिप्पणी की है कि संसद सदस्य अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यह इस संस्था पर भी आक्षेप है। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे विधेयकों को जल्दबाजी में पारित न कराए क्योंकि हमारे समक्ष इस विधेयक को पारित करने की कोई मजबूरी भी नहीं है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूँ मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो मैंने व्यापार चिह्न विधेयक पर चर्चा के समय कही थी, मैं केवल एक दो बातें ही बोलूंगा।

मैंने कहा है कि यह विधेयक व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के अंतर्गत एक मजबूरी है। समझौते के अनुसार इसे 31 दिसम्बर, 1999 से पहले अधिनियमित किया जाना है। अत: नि:संदेह यह एक मजबूरी है। यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय चोरी विशेष रूप से जैव चोरी के विरुद्ध विधेयक है और भारत इस सदी, इस सहस्राब्दि के अन्त में जाग रहा है। संस्कृत में एक श्लोक है, ''चोरे गते किमुसावधानम'', गौरी, लोदी, मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के शासन तक वे हमारी हर चीज को यहां से ले जाते रहे हैं और हम सोए हुए थे, हम गहरी नींद सोए हुए थे और जोर-जोर से खरटि भर रहे थे। हम नहीं जागे, अत: यह विधेयक हमारे जागने का प्रतीक है हालांकि हम कुछ देर से जागे हैं। कभी नहीं से देर भली।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यदि हमने इस देश के जीव-जन्तुओं व वनस्पति के बारे में सर्वेक्षण पर पर्याप्त बल दिया होता उनका रजिस्ट्रीकरण और अभिलेख के लिए पर्याप्त उपाय किये होते, यदि हमने पक्षियों व जीवों व उनके गुणों के रजिस्टर करने व रिकार्ड करने के लिए समुचित उपाय किये होते, यदि हमने अपनी आयुर्वेदिक औषधियों के विकास पर समुचित ध्यान दिया होता तो हमें ऐसे विधेयक को लाने के लिए इस सदी या इस सहस्राब्दि के अन्त तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यह विधेयक बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय चोरी के विरुद्ध लाया गया है। जब वे बासमती और हल्दी का पेटेंट कर रहे हैं। तब हम जागे और इस विधेयक को लाए हैं। मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूँ। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि यह विधेयक कुछ देर से लाया गया है किंतु कभी नहीं से देर भली।

माननीय सदस्य श्री रूपचन्द पाल ने खंड 84 (2) का उल्लेख किया है। शायद वे इस सभा को गुमराह करना चाहते हैं। मैं इस बात पर बल देता हूँ। अब मैं खंड 84 (2) पढ़ता हूँ:

> ''इस अधिनियम या व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 में अंतर्विष्ट कोई बात, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित यथास्थिति, किसी देश या किसी ऐसे देश, जो देश समूह या देशों के संघ का सदस्य है, या किसी अंतर-शासनात्मक संगठन से संबंधित किसी भौगोलिक उपदर्शन के सतत और समरूप उपयोग को निवारित नहीं करेगी, जिसमें ऐसे देश के किसी नागरिक या अधिवासी द्वारा माल के संबंध में वाइन या स्पिरिट को परिलक्षित किया गया है, जिसने उस भौगोलिक उपदर्शन का यथास्थिति, ऐसे माल या ऐसे माल से संबंधित किसी माल के संबंध में उस देश के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में...।''

हमने अपनी वस्तुओं के बारे में कुछ नहीं बोला। जैसा श्री विक्रम केशरी देव ने कहा है कि हम शैम्पेन के पेटेंट या भौगोलिक उपदर्शन को प्रभावी बनायेंगे। हमारी रुचि अपनी वस्तुओं के बारे में है।

व्यापार चिह्न विधेयक पर चर्चा के दौरान मैं माननीय मंत्री से एक वचन लेना चाहता था किंतु उन्होंने यह वचन नहीं दिया। मैं उसकी पुनरावृत्ति करता हूँ। माननीय मंत्री को यहां वचन देना चाहिए कि एक या दो वर्ष की निश्चित समयावधि में इस देश के सभी जीव-जन्तुओं व वनस्पतियों के बारे में उनके उपचारात्मक गुणों सहित सभी गुणों व भौगोलिक उपदर्शनों सहित सर्वेक्षण कराया जाएगा और उन्हें रिकार्ड किया जाएगा, इस देश की सभी पक्षियों व पशुओं का उनकी विशेषताओं व गुणों सहित रिकार्ड व रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। उन्हें इस निश्चित समयावधि के बारे में वचन देना होगा। अन्यथा इस विधेयक का उद्देश्य पूर्णत: निष्फल हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है। हाल ही में हम गहरी नींद से जागे है। कभी नहीं से देर भली। हम जागें और एक अच्छी शुरुआत करें।

श्री मुरासोली मारन: इस विधेयक को अपना पूर्ण समर्थन देने के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूँ। जैसा श्री त्रिलोचन ने सही कहा है, हम तमिल में कहते हैं 'त्रिलोकम' हम गहरी नींद से जाग रहे हैं। ढाका की मलमल का क्या हुआ? पश्चिम बंगाल की नील का क्या हुआ? वे सभी लुप्त हो गए है। इसलिए मैं इस विधेयक को ऐतिहासिक विधेयक कहूंगा जिसमें भौगोलिक उपदर्शन वाले हमारे उत्पादों को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सूची बहुत लम्बी है। यह मालाबार की काली मिर्च, दार्जिलिंग की चाय, अलेप्पी की इलायची, अलफांसो आम, कोल्हापुरी चम्पल, पश्मीना शॉल, कांजीवरम साड़ी, संभलपुरी साड़ी, तिरुनेलवेली हलवा पर लागू हो सकती है। मेरा कहना है कि उस हर चीज को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जिसके विशेष गुण हैं।

श्री देव ने स्पष्ट कहा है कि शैम्पेन किसी पेय का नाम नहीं अपितु एक स्थान का नाम है। वे इसका संरक्षण कर रहे हैं। यह एक प्रसिद्ध मामला है। स्पेन में, एक किस्म की वाइन उत्पादित की गई और उन्होंने इसे स्पैनिश शैम्पेन का नाम दिया। इस पर प्रतिबंध लगाया गया था और उन्हें न्यायालय में जाना पड़ा था। अत: कोई भी शैम्पेन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसी तरह कोई भी 'स्कॉच व्हीस्की' शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कि यह सस्ती है। इस संबंध में भारत में भी एक मामला है। दिल्ली उच्च न्यायालय में मोहन मीकिन ब्रीवरीज बनाम स्कॉच व्हिीस्की एसोसिएशन का प्रसिद्ध मामला एक अच्छा उदाहरण है। वे "हाईलैंड" और "हाईलैंड चीफ" शब्दों का प्रयोग करना चाहते थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। स्कॉटलैंडवासी भौगोलिक मानकों के बारे में चिंतित थे। उनका मानना है कि स्कॉच शब्द एक गुणवत्ता वाले उत्पाद के साथ जुड़ा है। मैं तिरुलवेली के माननीय सदस्य से आग्रह करता हूँ। कांजीवरम साड़ी का अर्थ है कि केवल कांजीवरम के मानदंडों के अनुसार निर्मित साड़ी को कंजीवरम साड़ी कहा जाना चाहिए। तिरुनेलवेली में बना हलवे का एक विशेष गुण होना चाहिए। इसी तरह कोल्हापुरी चप्पल का अर्थ है कि वे एक निश्चित गुणवत्ता के अनुरूप हों।

हम सभी संबंधित पक्षों से आगे आने, संघ बनाने और मानकों को परिभाषित करने का आग्रह करते हैं। यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। मैं पुन: आग्रह करता हूँ कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

सायं 6.49 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि माल से संबंधित भौगोलिक उपदर्शनों के रजिस्ट्रीकरण और बेहतर संरक्षण का उपबंध करने के लिए विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 87 तक विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 87 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री मुरासोली मारन: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.50 बजे

पेटेंट (संशोधन) विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के लिए सभा की सहमति के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 21 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत किए गए प्रस्ताव, जिसकी सूचना 21 दिसम्बर, 1999 को इस सभा को दे दी गई थी, में की गई राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा पेटेंट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर बनने वाली दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होती है और यह संकल्प करती है कि लोक सभा के निम्नलिखित 20 सदस्यों को उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाये, अर्थात्:-

1. श्री मणि शंकर अय्यर
2. श्रीमती कृष्णा बोस
3. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन
4. श्रीमती शीला गौतम
5. श्री त्रिलोचन कानूनगो
6. श्री ब्रह्मानन्द मंडल
7. श्री सुबोध मोहिते
8. श्री रूपचन्द पाल
9. श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम
10. श्री श्रीनिवास पाटील
11. डा. बी.बी. रमैया
12. श्री राम सजीवन
13. श्री एस. जयपाल रेड्डी
14. श्री राजीव प्रताप रूडी
15. श्री श्यामाचरण शुक्ल
16. श्री शिवराज सिंह चौहान
17. श्री किरीट सोमैया
18. श्री खारबेल स्वाईं
19. श्री रवि प्रकाश वर्मा
20. श्री मुरासोली मारन''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 21 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत किए गए प्रस्ताव, जिसकी सूचना 21 दिसम्बर, 1999 को इस सभा को दे दी गई थी, में की गई राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा पेटेंट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर बनने वाली दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होती है और यह संकल्प करती है कि लोक सभा के निम्नलिखित 20 सदस्यों को उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाये, अर्थात्:-

1. श्री मणि शंकर अय्यर
2. श्रीमती कृष्णा बोस
3. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन
4. श्रीमती शीला गौतम
5. श्री त्रिलोचन कानूनगो
6. श्री ब्रह्मानन्द मंडल
7. श्री सुबोध मोहिते
8. श्री रूपचन्द पाल
9. श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम
10. श्री श्रीनिवास पाटील
11. डा. बी.बी. रमैया
12. श्री राम सजीवन
13. श्री एस. जयपाल रेड्डी
14. श्री राजीव प्रताप रूडी
15. श्री श्यामाचरण शुक्ल
16. श्री शिवराज सिंह चौहान
17. श्री किरीट सोमैया
18. श्री खारबेल स्वाईं
19. श्री रवि प्रकाश वर्मा
20. श्री मुरासोली मारन''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.52 बजे

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

''कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.12.1999 में प्रकाशित।

[श्री यशवंत सिन्हा]

यह विधेयक न तो चौंका देने वाला है और न ही जटिल है। यह एक साधारण विधेयक है। मैंने इस सभा में अपने 1998-99 के बजट भाषण में यह वचन दिया था कि सिडबी को आई.डी.बी.आई. से अलग कर दिया जाएगा और एक स्वतंत्र निकाय बना दिया जाएगा। इस विधेयक में सिडबी को आई.डी.बी.आई. से अलग करने के प्रावधान निहित हैं। प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य बातें निम्न प्रकार है:

सिडबी की वर्तमान 250 करोड़ रु. की प्राधिकृत पूँजी को 1,000 करोड़ रु. तक बढ़ा दिया जाए और उसमें 2,000 करोड़ रु. की और वृद्धि का सामर्थ्यकारी उपबंध रखा जाए।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को विकास बैंक द्वारा धारित सिडबी को इक्विटी शेयर पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र के बैंको, बीमा कंपनियों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन ऐसे अन्य संस्थानों को हस्तान्तरित करने की शक्ति प्रदान कर सिडबी के शेयरधारक आधार का विस्तार करना।

सिडबी को अपने 49 प्रतिशत शेयरों को जनता के लिए जारी करने की शक्ति देना, और निदेशक मंडल का पुनर्गठन करना और सिडबी के निदेशक मंडल को उधार देने, निक्षेप स्वीकार करने और अतिरिक्त निधियों के निवेश से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति देना।

शेयर-धारकों की आम सभा को लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति लाभांश की दर स्वीकृत करने और वार्षिक लेखाओं को स्वीकृति देने की शक्ति देना।

सिडबी को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से अपनी शेयर पूँजी कम करने और उन्मोचनीय अधिमानी शेयर जारी करने और/या अपनी विद्यमान शेयर पूँजी के एक अंश को उन्मोचनीय अधिमानी शेयरों में परिवर्तित करने की शक्ति देना।

सिडबी को राज्य वित्त निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों की पुनर्वित्तपोषण की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाना।

यह प्रावधान हैं, जिनको विधेयक में शामिल किया गया है। मैं अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक पर चर्चा की जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सिडबी जैसे वित्तीय संस्थानों की स्थापना की गई थी, तो एक सिद्धान्त था। मैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के उस सिद्धान्त को ध्यान में लाना चाहूँगा। मैं उद्धरित करता हूँ:

"..... लघु उद्योगों के क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देने, वित्त प्रदान करने और विकास के उद्देश्य से तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देने, वित्त प्रदान करने अथवा उनके विकास में लगे संस्थानों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने और उससे संबद्ध मामलों के लिए।"

इस स्थिति में इस संबंध में, मैं यह कहना चाहूँगा कि कुछ हद तक सिडबी का कार्यनिष्पादन ठीक नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी ने पहले ही अपने बजट वक्तव्य में कहा है कि सिडबी को आई.डी.बी.आई. से अलग कर दिया जाएगा। सिडबी को आई.डी.बी.आई. से अलग करने की माँग काफी लम्बे समय से की जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति हमारे देश में सिडबी को एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान के रूप में देखना चाहता है क्योंकि इसे हमारे देश में लघु उद्योगों के सम्पूर्ण विकास में अधिक प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। मैं यह मानता हूँ कि सिडबी के स्वतंत्र हो जाने से घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में समाधान बड़े पैमाने पर बढ़ जायेंगे।

मैंने विधेयक पढ़ा है। सिडबी के माध्यम से लघु उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए एक नया उपबंध है। माननीय वित्त मंत्री ने भी इसी तरह से कहा है।

मैं सिडबी द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर लघु उद्योगों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मैं यह समझता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री ने वह रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हमारे देश में लघु उद्योगों की 1999-2000 तक 8.5 प्रतिशत वृद्धि होने की उम्मीद है, रोजगार में मार्च, 2000 तक 4.5 प्रतिशत वृद्धि होने की उम्मीद है और इस निर्धारित अवधि के दौरान यह 18.30 मिलियन होगी। मेरे विचार में यह बहुत महत्वाकांक्षी है। लेकिन यह सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि सभी जानते हैं कि पिछले दो वर्षों में भारतीय उद्योग में कितनी मंदी आयी है। देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है? देश में लगभग चार करोड़ पंजीकृत बेरोजगार युवा हैं। लघु उद्योग और रोजगार सृजन आपस में जुड़े हुए हैं। सभी को रोजगार बाजार की वर्तमान हालत के बारे में पता है। इस बाजार में क्या हो रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र की परंपरागत इकाईयाँ धीरे-धीरे बंद हो रही है और इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में काम करने वाले बड़ी संख्या में कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं। वे अन्य बेरोजगार लोगों के साथ रोजगार कार्यालय के आगे लाइन में खड़े हो रहे हैं।

सायं 7.00 बजे

इन परिस्थितियों में, लघु औद्योगिक क्षेत्र की नई इकाइयों की स्थापना में 'सिडबी' के माध्यम से राहत दिये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। मुझे लगता है 'सिडबी' इसे व्यवस्थित रूप से करेगी। वह भारत के युवकों के सम्मुख उपस्थित गंभीर बेरोजगारी की स्थिति को ध्यान में रखेगी। वे उनका भी ध्यान रखेगी जो प्रति दिन बेरोजगार हो रहे हैं। हम देखते हैं कि रोजगार कार्यालय के आगे लगी लम्बी कतारें दिन-ब-दिन और लम्बी हो रही हैं। 'सिडबी' को लघु औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए पहल करनी चाहिए और उसे लघु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे देश के बेरोजगार युवकों रोजगार मिल सके। 'सिडबी' को प्रत्यक्ष निवेश के द्वारा यह पहल करनी चाहिए। उसे पुनर्वित्तपोषण के माध्यम से यह पहल करनी चाहिए। जहाँ तक छोटे उद्योगों का प्रश्न है, इनमें वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, छपाई, इंजीनियरिंग उद्योग आते हैं और इस प्रकार के उद्योग संसाधनों की कमी के कारण संकट में हैं। इन परिस्थितियों में, मैं माननीय वित्त मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उनकी मदद करें। 'सिडबी' को कतिपय बातों पर विचार करना चाहिए। उसे इस क्षेत्र को ठीक प्रकार से बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना चाहिए।

पिछले कुछ सालों से 'सिडबी' ने जो कार्य किए मैं उनके कार्य का लेखा जोखा यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जहाँ तक पुनर्वित्तपोषण का प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 'सिडबी' बैंकों का, राज्य वित्त निगमों को, एस.आई.डी.सी. इत्यादि का पुनर्वित्तपोषण करती है। मैं यह मुद्दा उठाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है, कुछ कमी रह गई है। निधियों की मंजूरी और उसके जारी करने में भिन्नता है।

अब, जहाँ तक राज्य वित्त निगमों का प्रश्न है मैं यहाँ केवल दो या तीन आँकड़ों का ही उल्लेख करना चाहूँगा। 1996-97 में, मंजूरी हुई 1310.03 करोड़ रुपयों का जबकि संवितरण हुआ 883.69 करोड़ रुपयों का। जहाँ तक 1997-98 का प्रश्न है, 1158.05 करोड़ रुपये मंजूर हुए और सिर्फ 835.57 करोड़ रुपयों का ही संवितरण हो सका। मुद्दा यह है कि समवितरण का स्तर निम्न है। मंजूरी स्तर अधिक है। नि:संदेह समवितरण भी बढ़ा है लेकिन उसका स्तर अभी निम्न है। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि समुचित नीतियां बनाई जाए जिससे उधार देने वाली प्रमुख संस्थाओं की माँग की पूर्ति की जा सके। बैंकों, राज्य वित्त निगमों और एस.आई.डी.सी. को उपलब्ध पुनर्वित्तपोषण सुविधा अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। इसलिए 'सिडबी' को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

एक अन्य मुद्दा है। यह पिछड़े इलाकों के विकास के संबंध में है। 'सिडबी' को संपूर्ण देश के पिछड़े इलाकों के विकास के संबंध में बहुत कुछ करना होगा। मैं इस के विस्तार में नहीं जाना चाहता कि हमारे देश में किस प्रकार के पिछड़े इलाके हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उधार की राशि की मंजूरी और उसका वितरण इस प्रकार हो जिससे पिछड़े क्षेत्रों की मदद हो सके। जहाँ तक प्रतिशत का सवाल है यह अब घट रहा है। 1997-98 में यह 'सिडबी' द्वारा स्वीकृत संपूर्ण राशि का 33.8 प्रतिशत था। 1996-97 में यह 37 प्रतिशत था। संपूर्ण रूप से देखें तो राशि में वृद्धि हुई है लेकिन प्रतिशत के हिसाब से यह घट रही है। सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए।

'सिडबी' का एक और महत्वपूर्ण कार्य है संस्थानों को संसाधन की पूर्ति करना। मुझे लगता है संसाधन की मदद देने वाली संस्थाएं हमारे देश के लघु उद्योगों के विकास और बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। इस क्षेत्र में 'सिडबी' का कार्य क्या है? 1996-97 में 1,406.06 करोड़ रुपये की राशि मंजूर हुई और केवल 660.53 करोड़ रुपये ही संवितरित हुए। 1997-98 में 1447.70 करोड़ रुपये की राशि मंजूर हुई और 677.70 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण हुआ। यह थोड़ी सी ही अधिक है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह निवेदन करता हूँ कि वे इस स्थिति की ओर ध्यान दें।

लघु उद्योगों के विकास की काफी गुंजाइश है और इसे बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ 'सिडबी' उन संस्थाओं को संसाधनों की मदद प्रदान कर सकती हैं। जो संस्थाएं लघु उद्योगों के विकास और संवर्धन में जुटी है। यह परियोजना वित्त पोषण योजना है। मैंने रिपोर्ट देखी है। परियोजना वित्त पोषण योजना की राशि में गिरावट आ रही है। मैं इसका कारण नहीं जानता लेकिन इसमें गिरावट आ रही है। 1997-98 में यह राशि 28.8 प्रतिशत थी और 1996-97 में 13.8 प्रतिशत थी। 'मंजूरी' और 'संवितरित' दोनों की राशि में गिरावट आ रही है।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। परंतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि 'सिडबी' की ओर से राज्य वित्त निगमों को सुदृढ़ करने की काफी गुंजाइश है। इसके साथ साथ सिडबी को भी सुदृढ़ करने की काफी गुंजाइश है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में पहले ही यह कहा है। इसलिए, मैं अपना भाषण इस विधेयक के समर्थन के साथ समाप्त करता हूँ।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हूँ। मुझे लगता है। यह स्वागतार्थ विधेयक हैं कि सिडबी को अपनी सत्ता मिले। इसे कुछ सालों पूर्व किया जाना चाहिए था। केवल दो या तीन मुद्दे हैं जिन्हें मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहला यह कि लघु उद्योग क्षेत्र में काफी रुग्ण उद्योग हैं। यह महसूस किया गया था कि बी.आई.एफ.आर. की तरह ही कोई एजेंसी हो जो उनकी देखरेख करें उन्हें अर्थक्षम बनाए, उनका पुनर्गठन एवं पुनर्स्थापन करे। इसकी काफी लम्बे

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर]

समय से कमी महसूस की जा रही है। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी "सिडबी" को एक एजेंसी के रूप में लघु औद्योगिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों की देखरेख करने की जिम्मेदारी भी सौंपेगे या नहीं।

दूसरी बात यह है कि औद्योगिक क्षेत्र की अधिकांश इकाइयां जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं, वे राजमार्गों के किनारे-किनारे स्थापित हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग भी हो सकते है तथा ये जिले की बड़ी सड़क भी हो सकती है। आप जानते ही हैं कि इससे पर्यावरण संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग पहले ही प्रदूषण से भरे हुए है और उनके साथ-साथ कई उद्योग भी लगा दिए गए है, इससे समस्या और जटिल हो गई है। आप विदेश यात्रा करते रहते हैं। आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि वहां के फ्रीवेज (राजमार्ग) पर कोई उद्योग नजर नहीं आएंगे। वे कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होते हैं। आप जयपुर जाइए या आप बड़ौदा से अहमदाबाद जाइए राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों और औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों के दोनों और लघु उद्योग क्यों लगाए जाएं जिससे पहले से प्रदूषित राष्ट्रीय राजमार्गों और बड़ी सड़कों पर प्रदूषण और बढ़ जाता है!

मुझे आशा है कि इस पर भी विचार किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि इस बात पर भी विचार करे कि 'सिडबी' में निदेशक के रूप में दो संसद सदस्य भी हों।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1999 पर अपने विचार रखता हूँ।

महोदय, "सिडबी" की प्राधिकृत पूंजी को 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये किया गया तथा समर्थकारी उपबन्ध से अब इसे 2000 करोड़ रुपये करा दिया गया है। खण्ड 45 में इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया है:

> "इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करते हुए सद्भावपूर्वक किये गये किसी कार्य से कारित कोई हानि या क्षति के लिए लघु उद्योग बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी या उस बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी।"

हमें कैसे पता चलेगा क्या उसने सच्ची भावना से अथवा बुरी नीयत से कार्य किया है। 2,000 करोड़ रुपये, बिना किसी उत्तरदायित्व के, यदि यह सभा नए बैंक को खोलने की बात करती है, तो यह भी काफी आश्चर्यजनक होगा। चेयरमैन अथवा निदेशक पर नियंत्रण रखने के लिए कोई नियंत्रणकारी उपबन्ध होना चाहिए।

वित्त मंत्री जी जानते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक कितने अव्यवस्थित है। क्या हम बकाया राशियों को वसूल करने में सक्षम हैं? अब यहां लघु उद्योग ऋण लेते हैं वे अपने उद्योग स्थापित करते हैं और ऋण का भुगतान नहीं करते। वे राज्य वित्तीय निगम अधिनियम का आश्रय लेते हैं। वे एक याचिका दायर करते हैं। और इस मामले को खींचा जाता है और वे ऋण राशि का भुगतान नहीं करते; साधारणतया ...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): आपको उनकी रुग्णता के बारे में सोचना पड़ेगा।

श्री पी.एच. पांडियन: कौन समृद्ध है? साधारणतया वे रुग्णता का अनुसरण करती है। धनराशि लेने के पश्चात् वे रुग्ण हो जाती हैं। धनराशि लेने से पहले वे समृद्ध होती हैं। ऐसी कई औद्योगिक इकाइयां है जिन्होंने ऋण लिया और उसकी अदायगी नहीं की है। अत: यदि यह राशि 2,000 करोड़ रुपये की राशि यहां तक भारतीय साधारण बीमा निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम आदि से धनराशि ली गई है, जो ग्रामीम क्षेत्र के लिए सामाजिक परियोजनाओं के लिए अभिलक्षित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बिना किसी दण्ड प्रावधान, बिना किसी प्रतिबन्ध अथवा रोक के अपने अधिकार में ले लेती है तो क्या वित्त मंत्री जी यह विधेयक प्रस्तुत करेंगे? लघु उद्योगों के विकास में वह किस प्रकार मदद करने जा रहे हैं?

वहां बैंक है। अब प्रत्येक बैंक खाली है और वह एक अन्य बैंक आरम्भ करने जा रहे हैं। यह भी खाली होने वाला है। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर पुनर्विचार करे। मैं जानना चाहता हूं क्या यह बैंक इस स्थिति में आवश्यक है। हो सकता है लघु उद्योगों के लिए यह अच्छी तरह से तैयार किया गया हो क्योंकि इसे विधि विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। लेकिन क्या यह प्रयोजन प्राप्त कर सकेगा? ...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदय, उन्हें इसकी पूर्ण रूप से आलोचना नहीं करनी चाहिए।

श्री पी.एच. पांडियन: वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अपील करता हूँ कि कम से कम वे ऋण लेने वालों की जांच पड़ताल कराएं। इस खण्ड 45 से पहले एक उपबन्ध होना चाहिए और एक जांच समिति होनी चाहिए जो इस बात की छानबीन करे कि लोगों को ऋण दिया जाना चाहिए और ऋणकर्ताओं का पूर्ववर्त्त सत्यापन किया जाना चाहिए। अभी उन्होंने "अच्छी नीयत वालों" के बारे में कहा है। यहां वे कहते है क्या अधिकारियों ने अच्छी नीयत से काम किया है।

खण्ड 45 में कहा गया है:

"किसी ऐसे कार्य, जो सद्भावपूर्वक किया गया हो अथवा इस अधिनियम या किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाले उपबन्ध के अनुसरण में किए जाने के आशायित हो, के द्वारा हुई अथवा होने वाली हानि या क्षति के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने ...."

अब क्या ऋणकर्त्ता ने ऋण के लिए आवेदन करते हुए धनराशि प्राप्त करते हुए अथवा धनराशि का भुगतान करते हुए अच्छी नीयत से काम किया है। इसके लिए भी खण्ड होना चाहिए। माननीय मंत्री जी को इसमें सुधार के लिए संशोधन लेकर आना चाहिए।

मैं इस विचार का समर्थन करता हूँ लेकिन इसमें अन्तर्निहित तथ्यों का समर्थन नहीं करता।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह देर से हुआ है। फिर भी यह वित्त मंत्री जी द्वारा इस सत्र में किए जा रहे श्रेष्ठतम प्रयासों में से एक है। भारत में लघु उद्योगों के विकास पर विचार करने के लिए मैं उन्हें मुबारकवाद देता हूं।

आज भारतीय अर्थव्यवस्था अधिकांशता लघु उद्योगों और कृषि पर निर्भर है। कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता। सभी बड़े उद्योग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में चले गए हैं। वे हमारे हाथ में नहीं हैं। जो थोड़े बहुत बड़े उद्योग हमारे पास बचे भी हैं उनमें से अधिकत ऋण राशि का भुगतान न करने के दोषी है। एक बड़ा उद्योग 1000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करता और एक अन्य बड़ा उद्योग 2,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करता। हमें उस पहलू पर गौर करना चाहिए। इसकी तुलना में लघु उद्योगों के संबंध में इस तरह का जोखिम बहुत कम होता है। यदि कोई लघु उद्योग भुगतान नहीं भी करता तो बैंक को होने वाली हानि कुछ करोड़ रुपये ही होगी। लेकिन जब आप अच्छी खासी राशि निवेश करते हैं तो आपको लघु उद्योगों से अच्छी प्रतिफल भी प्राप्त होंगे। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि मंत्री महोदय, 5000 करोड़ रुपये तक का उपबन्ध करके शेयर पूंजी को 2000 करोड़ से 5000 करोड़ रुपये तक बढ़ा सकते हैं। अत: आरम्भ में आप 1000 करोड़ रुपये से आरम्भ कर सकते हैं। तदन्तर मंत्री जी 5000 करोड़ रुपये करने के लिए पुन: आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

पूरे भारत में कुछ ही करोड़ लघु उद्योग हैं प्रत्येक राज्य में कुछ लाख ही लघु उद्योग हैं। वे आज रुग्ण क्यों होते जा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह स्थिति क्यों आई क्योंकि उन्हें शेयर पूंजी अथवा कार्यशील पूंजी अथवा आवधिक ऋण समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए।

मैं अपने पूर्व वक्ता श्री पी.एच. पांडियन से एक बात पर सहमत नहीं हूं। अन्य बैंकों और सिडबी के बीच विभेद है। यह एक विकास बैंक, शेयर पूंजी बैक हैं। यह ऐसा बैंक है जो उद्योगों को प्रोत्साहन देता है जबकि अन्य बैंक केवल कार्यशील पूंजी ही प्रदान करते हैं। यदि कार्यशील पूंजी का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया जा रहा है तो इसकी आगे सीमा नहीं है या तो उन्हें यह राशि अदा करनी पड़ती है अथवा उद्योग बन्द करना पड़ेगा। यही कारण है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश अथवा देश के अन्य भागों में स्थित लघु उद्योग बन्द होते जा रहे हैं। अत: माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा यहां विकास बैंकों और वाणिज्यिक बैंक के बीच विभेद बहुत सावधानीपूर्वक किया गया है। इस प्रकार जोखिम यहां बहुत कम है। इसमें अधिक लाभार्थियों को लाभ होने जा रहा है अन्तत: देश अब केवल लघु उद्योगों पर ही निर्भर होने जा रहा है।

प्रौद्योगिकीवार हमारा देश विकासशील देश है। भारत विकसित देश नहीं हैं। विकासशील देश को बड़े उद्योगों के बजाय लघु उद्योगों पर निर्भर रहना पड़ता है। बड़े उद्योग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में ही हैं।

अत:, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले बजट में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योगों को कुछ छूट दिये जाने का वायदा किया था। मैं समझता हूं वह अभी तक नहीं मिली है। पुन: अब अगला बजट आने वाला है मुझे विश्वास है कि ग्रामीण लघु उद्योग वित्त मंत्री जी की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं और आशा करते है कि वे सीमाशुल्क और बिक्री कर मामलों में कुछ रियायतें देंगे। बिक्री कर राज्य का विषय है। जहां तक सीमा शुल्क का संबंध है वे आशा कर रहे हैं कि ग्रामीण लघु उद्योगों को कुछ छूट दी जाएगी। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस विधेयक को पारित करने के साथ अपना वायदा पूरा करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं और इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): अध्यक्ष महोदय, सभा में इस विधेयक को सभी वर्गों से मिले समर्थन के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको उन्हें धन्यवाद देना होगा।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, जैसाकि माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा था कि इस विधेयक का मूल उद्देश्य देश के लघु उद्योगों की समृद्धि सुनिश्चित करना है। 'सिडबी' की पुनर्वित्तपोषण

[श्री यशवंत सिन्हा]

में प्रमुख भूमिका है। इसलिए हम 'सिडबी' के पूंजी आधार में चार गुणा वृद्धि कर रहे हैं और इस बात का भी उपबन्ध कर रहे हैं कि यदि आवश्यक हो तो हम इसमें 1000 करोड़ रुपये से शत प्रतिशत वृद्धि कर इसे 2000 करोड़ रुपये कर सकें।

एक विशेष मुद्दा भी उठाया गया था। इसे सभा के सभी वर्गों की स्वीकृति भी मिली। विधेयक के मूल उद्देश्य पर विवाद नहीं है। एक-दो मुद्दे माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए हैं। एक स्वीकृतियों और वितरण के बारे में है। मुझे आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि जहां तक स्वीकृतियों का संबंध है 1998-99 में 18.6 प्रतिशत वृद्धि हुई, और वितरण के संबंध में वृद्धि 19.9 प्रतिशत रही। इस तथ्य के बावजूद भी कि 1998-99 में मंदी की स्थितियां थी और अर्थव्यवस्था भी मंदी के दौर में थी, यह काफी अच्छी वृद्धि है परन्तु लघु उद्योग का निष्पादन बहुत अच्छा चल रहा था।

दूसरा मुद्दा संसद सदस्यों को 'सिडबी' के बोर्ड में स्थान देने के संबंध में था। यह कार्रवाई करने के लिए सुझाव है। जब हम इसका गठन करेंगे, मैं निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखूंगा। संसद सदस्य ऐसी एजेन्सी विशेष रूप से 'सिडबी' जैसी विकास कार्य से जुड़ी एजेंसी के कार्यकलाप में महत्वपूर्ण योगदान देते है। महोदय, मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि 1990 में इसके गठन के बाद से ही 'सिडबी' ने उत्कृष्ट कार्य किया है। इसके निष्पादन के सभी सूचकांक यह दर्शाते हैं कि यह न केवल अस्तित्व में आयी है अपितु इसने उत्कृष्ट भूमिका का निर्वहन भी किया है। इसमें विशेष रुचि की बात यह है कि कुल पुनर्वित्तपोषण सहायता में से लगभग 39 प्रतिशत भाग पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए गया है। इकाइयों की संख्या द्वारा सहायता का प्रतिशत, जोकि इस छोटे क्षेत्र को गया है 89 प्रतिशत है और धनराशि की दृष्टि से यह 36 प्रतिशत है। इस प्रकार 'सिडबी' पिछड़े क्षेत्रों और छोटी इकाइयों पर भी विशेष ध्यान दे रहा है जिस पर हम भी ध्यान देना चाहते हैं। मैं माननीय सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस वर्ष मेरे बजट भाषण में मेरे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उत्पाद शुल्क में छूट के बारे में किए गए वादे को, एक प्रतिबद्धता होने के कारण, हम निश्चित रूप से कार्यान्वित करेंगे। इस बारे में कोई शंका नहीं है।

लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता की समस्या है। यह बहुत बड़ी समस्या है। 'सिडबी' की कई स्कीमें हैं जिसमें हम उनके विपणन को सुधारने, उनके निर्यात निष्पादन को सुधारने का कार्य कर रहे हैं और हम पहले से ही लघु उद्योग इकाइयों की रुग्णता के स्तर को ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु मैं नहीं जानता हूं कि लघु उद्योग इकाइयों के लिए बी.आई.एफ.आर. जैसी संस्थाएं कुछ कर पाएंगी। वास्तव में बी.आई.एफ.आर. पर ही पुनर्विचार किया जा रहा है क्योंकि इस समय रुग्ण उद्योग अधिनियम पर ही पुनर्विचार किया जा रहा है।

अन्तिम बात खण्ड 45 के संबंध में थी जिसे श्री पांडियन ने उठाया था। मैं उन्हें केवल यह सूचित करना चाहूंगा कि यह पूर्णत: पुराने उपबंध के अनुसरण में ही हैं। हम केवल शब्दों को प्रतिस्थापित कर रहे हैं क्योंकि आजकल प्रबन्ध निदेशक के रूप में चेयरमैन होता है। इसीलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम नए सिरे से निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में विद्यमान प्रावधान के अनुसार ही है। यह अधिकारियों को उनके द्वारा सदाशयता से की गई कार्रवाइयों के लिए अनावश्यक रूप से परेशान किए जाने को रोकने के लिए किया गया है। सदाशय, जैसाकि आप जानते हैं, एक ऐसा प्रश्न है जिसे न्यायालय में चुनौती हमेशा दी जा सकती है। इस प्रकार यह न्यायालय की अधिकारिता पर पूर्णत: रोक नहीं लगाता है। इसलिए मैं सभी से इस विधेयक को मिले समर्थन को ध्यान में रखकर सुझाव देता हूं कि इस विधेयक को अब पारित कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री नारायण दत्त तिवारी को छोटा-सा स्पष्टीकरण देना है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल): इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं, मैं समझता हूं यह बधाई पहले ही दे देनी चाहिए थी। आई.डी.बी.आई. से लघु उद्योग विकास बैंक को अलग करने, इसे और अधिक प्राधिकार प्रदान करने और इसके पृथक् कार्यकलापों के लिए बधाई देते हुए मैं सामान्य रूप से यह कहना चाहूंगा कि लघु उद्योगों की प्रमुख समस्या वित्तपोषण या परियोजना का वित्तपोषण या राज्य वित्त निगमों से प्रचालन पूंजी प्राप्त करने की ही नहीं है। प्रमुख समस्या रुग्णता की है। मुझे अधिकारिक सूचना मिली है कि सात लाख से भी ज्यादा लघु उद्योग इकाइयां रुग्ण है या अत्यधिक रुग्ण है।

मेरी सूचना के अनुसार, कई लाख इकाईयां बन्द हो गई हैं। पहले रिजर्व बैंक की एक योजना थी; बल्कि व्यावसायिक बैंकों की बैंक स्तर पर लघु उद्योग क्षेत्र की रूग्णता पर ध्यान देने की ही जिम्मेदारी नहीं थी अपितु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैंक को प्रत्येक इकाई की रुग्णता की समस्या पर ध्यान देना पड़ता था। परन्तु आजकल बैंक बड़ी और भारी औद्योगिक इकाइयों का ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। लघु उद्योगों पर उनका ध्यान नहीं रहा है। पहले के समान उनका ध्यान नहीं रहा है। अग्रणी बैंक योजना धीमी पड़ गई है। राज्य स्तर पर बैंकिंग समितियों की बैठक नहीं हो रही है। रिजर्व बैंक को राज्य स्तर पर लघु उद्योगों की समस्या पर विचार करने के लिए बैंकरों की एक बैठक का आयोजन करना होता है। देश के कई जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों ने कार्य करना बन्द कर दिया है। रुग्णता की समस्या से निपटने का प्रश्न देश के कई हिस्सों में चिन्ताजनक स्तर तक पहुंच गया है।

मैं समझता हूं कि अभी भी देर नहीं होगी यदि 'सिडबी'' द्वारा किसी प्रकार की परियोजना को बनाया जाता है जिससे 'सिडबी' बन्द हो चुकी या बन्द हो रहे लघु उद्योगों की सहायता के लिए बैंकों के साथ विचार-विमर्श कर सके। इसलिए राज्यों में अधिकतर वित्त निगम नई इकाइयों की स्थापना या पहले से चल रही इकाइयों को सहायता प्रदान कर रहा है। मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो राज्य वित्त निगमों के कार्यकलापों का लेखा-जोखा दे सके क्योंकि इस प्रकार की निगरानी नहीं रखी जाती है। 'सिडबी' निगरानी करता है और राज्य वित्त निगमों की सहायता करता है। परन्तु क्या हमने विभिन्न राज्य वित्त निगमों के गठन पर ध्यान दिया है। कुछ वर्ष पूर्व केरल में इनकी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने वित्त निगमों को सुझाव दिया था। पूरे देश के वित्त निगमों के चेयरमैनों की केरल में बैठक हुई थी और उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। मेरे विचार से, 'सिडबी' को और अधिक स्वायत्तता मिलने से राज्य वित्त निगमों के प्रचालनों में सुधार होगा। परन्तु उनकी रिपोर्ट क्या है? वित्त निगमों को 'सिडबी' ने क्या परामर्श दिया था?

मैंने पाया कि राज्य वित्त निगमों को 808 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी और वितरण मात्र 340 करोड़ रुपये का हुआ था। 1997-98 में राज्य वित्त निगमों को पट्टे पर देने के लिए सहायता के लिए स्वीकृति 38 करोड़ रुपये की थी परन्तु वितरण शून्य था। फिर भी लघु उद्योग औद्योगिक निगमों को वितरण संतोषप्रद था।

स्वीकृतियों और वितरणों के बीच अंतर के संबंध में, मैं समझता हूं कि इन बातों पर ध्यान देने के लिए 'सिडबी' पूर्ण रूप से तैयार होगा।

महोदय, मैं आपसे फिर कभी इन सभी बातों को कहने देने के लिए समय देने का अनुरोध करता हूं।

फिर, रोजगार सृजन का क्या हुआ? अब सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक वर्ष एक करोड़ रोजगार अवसरों को सृजित किया जाएगा।

दस मिलियन, रोजगार अवसरों को किस प्रकार सृजित किया जाएगा? बैंकों और विशेष रूप से लघु उद्योगों की इस संबंध में क्या भूमिका रहेगी?

यद्यपि 'सिडबी' ने अपने आप में एक अच्छी शुरूआत की है और यह सरकार के पूर्ण प्रयास का हिस्सा होना चाहिए और इन नए रोजगार अवसरों को लघु उद्योगों के माध्यम से सृजित किया जाता है। पहले ही उद्योगों के बन्द होने के बाद बड़े स्तर पर छंटनी हुई है। अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक देश में मारे-मारे घूम रहे हैं जोकि बेरोजगार हैं। इसीलिए हमारे पास इसके लिए एक परियोजना होनी चाहिए और इसमें सिडबी की भूमिका का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए।

मैं लघु औद्योगिक क्षेत्र के विकास के बारे में उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानना चाहूंगा। देश भर में रुग्ण एककों और लघु औद्योगिक इकाइयों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं? क्या कदम उठाए गए हैं? क्या हमने इस संबंध में उद्योग मंत्रियों अथवा लघु उद्योग मंत्रियों अथवा मुख्य मंत्रियों की कोई बैठक बुलाई है जिससे हम लघु पैमाने के उद्योगों की सहायता कर सके जो कि रुग्ण होते जा रहे हैं और बंद हो रहे हैं?

मुझे बताया गया था कि इस विधेयक पर कल चर्चा की जाएगी। जैसी ही मुझे टेलीफोन पर सूचना मिली, मैं यहां थोड़ी देर में पहुंच गया। मैंने काफी विस्तार-पूर्वक भाषण दिया होता, लेकिन अब चूंकि केवल स्पष्टीकरण मांगने का समय है इसलिए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस बार स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का उपयुक्त उत्तर देंगे। हो सकता है, वह इस संदर्भ में कोई अनुपूरक सूचना देना चाहें।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): महोदय, माननीय सदस्य श्री नारायण दत्त तिवारी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं और मैं निश्चय ही उनका उत्तर अच्छी तरह से देना चाहूंगा। रुग्णता की समस्या को पहले भी उठाया गया था और मैंने उसका उत्तर भी दिया था। लेकिन अब मैं कुछ अधिक विस्तार-पूर्वक उत्तर दूंगा।

मार्च, 1997 के अन्त तक लघु औद्योगिक क्षेत्र में रुग्ण एककों की कुल संख्या 2,35,032 थी। मार्च, 1998 तक इसमें थोड़ी सी कमी आई। यह संख्या कम होकर 2,21,536 हो गई। मैं जो यह संख्या आपको बता रहा हूं, मुझे इससे संतुष्टि नहीं है। लेकिन आंकड़े यही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार अब 'सिडबी' ने एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया है। माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे क्योंकि लघु उद्योगों में रुग्णता का मुख्य कारण समय पर तथा पर्याप्त वित्त विशेषकर कि कार्यशील पूंजी का उपलब्ध न होना है। 'सिडबी' परियोजना सहायता और परियोजना सहायता के लिए पुनर्वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। कार्यशील पूंजी की जिम्मेवारी अन्य ऋण देने वाले संस्थानों विशेषकर बैंकों की है। इस बात को स्वीकार करते हुए कि यह रुग्णता का मुख्य कारण है, 'सिडबी' ने रुग्ण एककों के पुनर्स्थापन के लिए एक विशेष पुनर्वित्त पोषण योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया है जिसके अन्तर्गत संभाव्य अर्थक्षम लघु औद्योगिक एककों, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों और छोटे-छोटे उद्योगों को उपयुक्त पुनर्स्थापन पैकेज के साथ सहायता प्रदान की जाएगी।

यह योजना 'सिडबी' द्वारा पहले से ही चलाई जा रही है। मुझे इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मैं भी इस स्थिति से चिन्तित हूं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं स्वयं राज्यों में गया हूं और जहां भी मुझे समय मिला मैंने कुछ राज्यों में राज्य

[श्री यशवंत सिन्हा]

स्तरीय बैंकर समितियों की बैठकों में भाग लिया ताकि मुझे यह पता चल सके कि बैंक लघु औद्योगिक एककों और छोटे-छोटे उद्योगों का किस प्रकार वित्त पोषण कर रहे हैं।

मैं इस मामले में व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहा हूं यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ पिछड़े और राज्यों में गया था और भविष्य में मंत्रालय में मेरे सहयोगी और मैं, हम दोनों इन दौरों की संख्या बढ़ायेंगे ताकि हम बैंकों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रख सकें अथवा इसकी किसी तरह का निरीक्षण और निगरानी कर सकें।

अब, श्री तिवारी द्वारा जो अन्य मुद्दा उठाया गया था वह राज्य वित्त निगमों कार्यप्रणाली के संबंध में था। दुर्भाग्यवश, राज्य वित्त निगमों की स्थिति अनेक राज्यों में बहुत खराब है। उनकी निवल संपत्ति में काफी कमी आ गई है। अनेक मामलों में वे पुनर्वित्तपोषण करने की स्थिति में नहीं हैं और इसलिए राज्य वित्त निगमों के पुनर्गठन का यह पूरा मामला भी विचाराधीन है।

मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी, हो सकता है संसद के अगले सत्र तक हम राज्य वित्त निगमों की पुनर्गठन के प्रस्ताव के साथ सभा में आयें।

लेकिन महोदय, जहां तक कि राज्य वित्त निगमों का संबंध है, सभा इस बात को समझेंगी कि हमें राज्य सरकारों को अपने साथ लेकर चलना होगा। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, हमें राज्य सरकारों का समर्थन अवश्य प्राप्त होना चाहिए। तो, हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

अब, श्री तिवारी ने एक अन्य स्पष्टीकरण मांगा है और वह रोजगार सृजन के संबंध में है, हमने दस मिलियन रोजगार इस देश में प्रति वर्ष सृजित करने का वचन दिया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक दिशाहीन प्रयास मात्र नहीं हैं। हमारे पास इन रोजगार अवसरों के सृजन की एक निश्चित कार्य-योजना है और यह लघु औद्योगिक क्षेत्र, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग, और छोटे-छोटे उद्योग इन नए रोजगार अवसरों के सृजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। हमारे पास 'सिडबी' के पास पहले से ही लघु औद्योगिक एककों और छोटे-छोटे उद्योगों की सहायता के लिए अनेक योजनाएं हैं। वह अनेक तरह की हैं। मैं परियोजना वित्त योजनाओं, उद्यम पूंजी योजनाओं पर चर्चा कर सकता हूं। वास्तव में, सदस्यों को यह याद होगा कि हाल ही में हमने 100 करोड़ रु. की उद्यम पूंजीगत निधि स्थापित की थी, जिसमें इस देश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के लिए 'सिडबी' का योगदान भी है। उद्यम पूंजी उद्योगों विशेषकर कि लघु औद्योगिक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। हम इस देश में उद्यमियों की एक नई पीढ़ी लाना चाहते हैं। इसलिए, यह बहुत आवश्यक है कि हम अपनी उद्यम पूंजीगत निधि स्थापित करें।

तत्पश्चात्, हमारे पास लघु औद्योगिक एककों के उत्पादों के विपणन संबंधी कार्य संबंधी योजनाएं, औद्योगिक मूलभूत संरचना के विकास में सहायता प्रदान करने संबंधी योजनाएं, उपस्कर वित्त पोषण संबंधी योजनाएं, एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजनाएं तथा आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणीकरन में सहायता की योजना, विदेशी मुद्रा आवधिक ऋण संबंधी योजना, विदेशी मुद्रा आवधिक ऋण संबंधी योजना, लदाई-पूर्व और वित्त पोषण की योजनाएं हैं। फिर, हमारे पास प्रौद्योगिकी विकास आधुनिकीकरण, घरेलू कारखाने लगाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, बिलों पर सीधे भुगतान कर देना, बिलों की योजनाएं इत्यादि है। इस प्रकार 'सिडबी' द्वारा प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार अनेक योजनाएं बनाई गई है। इसलिए महोदय, मैं यह कहता हूं कि 'सिडबी' ने अपने नौ वर्ष के कार्यकरण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। उन्होंने लघु औद्योगिक क्षेत्र को वित्त पोषण करने की आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को पूरा किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे लघु औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने नवीं योजना के लक्ष्य को भी पूरा कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 25 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 25 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.39 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 23 दिसम्बर, 1999/2 पौष, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/3/18/99 (एन०)
280

© 1999 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।